आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार

आत्मनिर्भर भारत

सेल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 16 नवंबर, 2021 को सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में उद्घाटित 341 किलोमीटर लंबे, छह लेन चौड़े पूर्वांचल राजमार्ग के लिए 48,200 टन इस्पात की आपूर्ति की है।

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

इस्पात मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	मुख्य उपलब्धियां	4
2	इस्पात मंत्रालय का संरचनात्मक संगठन और कार्य	9
3	भारतीय इस्पात क्षेत्र : प्रगति और अवसर	12
4	इस्पात नीतियां, नई पहल और कोविड–19 महामारी का प्रभाव	20
5	सार्वजनिक क्षेत्र	28
6	निजी क्षेत्र	42
7	क्षमता निर्माण, तकनीकी संस्थान तथा कौशल विकास	46
8	अनुसंधान एवं विकास	50
9	इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहन	54
10	ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन	62
11	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	65
12	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	69
13	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	71
14	सुरक्षा	80
15	समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण	83
16	सतर्कता	87
17	केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी तंत्र तथा लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान	95
18	दिव्यांग एवं इस्पात	99
19	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	101
20	महिला सशक्तिकरण	105
21	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व	108
22	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	116
	अनुलग्नक	119

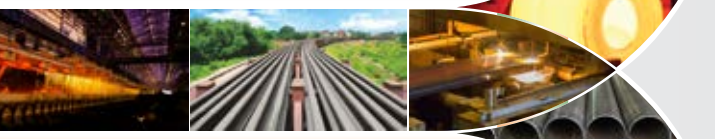

अध्याय-1

मुख्य उपलब्धियां

1.1 इस्पात क्षेत्र में रूझान और विकास

- जनवरी से दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान, भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना रहा अनंतिम, स्रोतः विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यूएसए)]
- कच्चे इस्पात का उत्पादन 2017 में 101.455 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर 2021 में 118.134 एमटी (अनंतिम) हो गया। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में 17.8% की बढ़ोत्तरी प्रदर्शित हुई।
- 2017 में घरेलू कच्चे इस्पात की क्षमता 137.975 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़कर 2021 में 154.269 एमटीपीए (अनंतिम) हो गई।
- वर्ष 2021 (जनवरी–दिसंबर) के दौरान, उद्योग परिदृश्य निम्नलिखित था (अनंतिम, स्रोतः जेपीसी)

  क) कच्चे इस्पात का उत्पादन 118.134 मिलियन टन था। सेल, आरआईएनएल, टीएसएल ग्रुप, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल और जेएसपीएल ने मिलकर कुल उत्पादन में 62% की हिस्सेदारी के साथ 73.057 मिलियन टन का उत्पादन किया, जो विगत वर्ष की संगत अवधि (सीपीएलवाई) की तुलना में 14.0% अधिक था। बाकी 45.08 एमटी अन्य उत्पादकों से आया। कुल कच्चे इस्पात उत्पादन में 81% की हिस्सेदारी के साथ, निजी क्षेत्र ने 95.286 एमटी कच्चे इस्पात का उत्पादन किया, जो कि विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 17.2% अधिक था।

  ख) पिग आयरन का उत्पादन 5.876 मिलियन टन था, जो विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 29.2% अधिक था। कुल पिग आयरन उत्पादन में 27% की हिस्सेदारी के साथ सेल, आरआईएनएल, टीएसएल ग्रुप, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल और जेएसपीएल ने मिलकर 1.582 मिलियन टन का उत्पादन किया जो कि विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 26.6% अधिक था। बाकी अन्य उत्पादकों से प्राप्त हुआ, जिसमें विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 30.2% की वृद्धि के साथ हुई थी। निजी क्षेत्र ने 5.150 मिलियन टन का उत्पादन किया जो कि विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 29.6% अधिक था।

  ग) वर्ष 2021 में कुल तैयार इस्पात के लिए तथ्य (गैर–मिश्र धातु + मिश्र धातु/स्टेनलेस): अनंतिम (जनवरी–दिसम्बर), स्रोतः जेपीसी, :

  - ❖ कुल तैयार इस्पात का उत्पादन 111.858 मिलियन टन रहा जो वर्ष में 21.3% की वृद्धि दर्शाता है।
  - ❖ कुल तैयार इस्पात का निर्यात 12.799 मिलियन टन रहा जो 26.1% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।
  - ❖ कुल तैयार इस्पात का आयात 5.001 मिलियन टन था, जो विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 12.0% अधिक था।
  - ❖ भारत कुल तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक था।
  - ❖ कुल तैयार इस्पात की खपत 106.134 मिलियन टन थी जिसमें विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 18.8% की वृद्धि देखी गई।

पिछले पांच वर्षों (2017–2021) में कुल तैयार इस्पात तथा कच्चे इस्पात के उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात पर विस्तृत जानकारी नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गयी है:

(मिलियन टन में)

मद	2017	2018	2019	2020	2021*
कच्चा इस्पात					
उत्पादन	101.455	109.250	111.344	100.256	118.134
तैयार इस्पात					
उत्पादन	93.737	100.574	104.062	92.231	111.858
खपत	88.679	96.737	102.622	89.331	106.134
आयात	7.828	7.295	7.440	4.463	5.001
निर्यात	10.871	6.692	8.205	10.150	12.799

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम, जनवरी–दिसम्बर, 2021

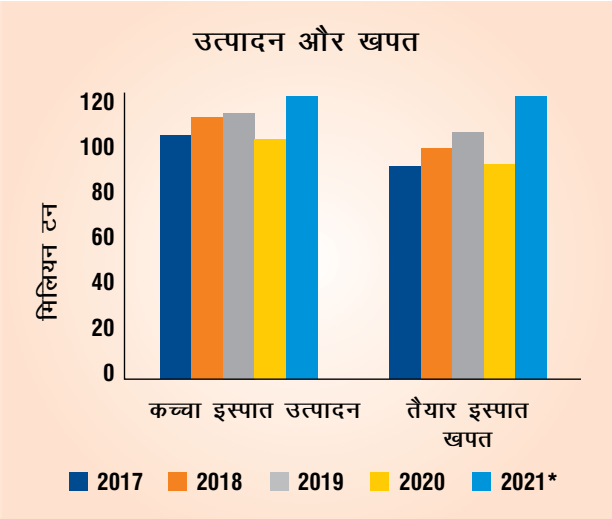

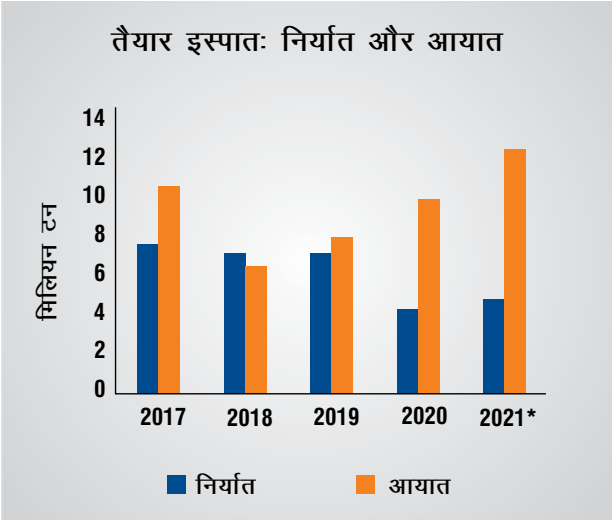

*अनंतिम

1.2 इस्पात मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठकें

1.2.1 माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने 06.08.2021 को ''विशेष इस्पात के लिए उत्पादन–संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना'' विषय पर संसदीय सौंध में इस्पात मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। समिति के सदस्यों को उत्पादन–संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की विशेषताओं के बारे में बताया गया, जो माननीय प्रधान मंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक हिस्सा है, जिसे 22 जुलाई, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित और 29 जुलाई, 2021 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना में दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के शुद्धि पत्र के माध्यम से और संशोधन किया गया है। इस योजना का संक्षेप में उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

- महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करके मूल्य वर्धित इस्पात के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करना।
- विशेष इस्पात के उत्पादन को प्रोत्साहित करना जिसमें 2023–24 से प्रोत्साहन देय होंगे और यहाँ पांच उत्पाद श्रेणियों, अर्थात् लेपित/प्लेटेड इस्पात उत्पाद, उच्च शक्ति/टूट–फूट रोधी इस्पात, स्पेशलिटी रेल, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद और स्टील वायर, तथा इलेक्ट्रिकल स्टील के लिए लागू होगा।
- भारत में पंजीकृत वे कंपनियाँ जो देश के भीतर पिघले और ढाले गए इस्पात का उपयोग करके चिन्हित उत्पाद श्रेणियों के निर्माण में लगी हुई हैं, इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं। कंपनियों का चयन एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जिसमें वृद्धिशील उत्पादन और निवेश सीमा दोनों को समान महत्व दिया जाएगा।

माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ''विशेष इस्पात के लिए उत्पादन–संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना'' पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

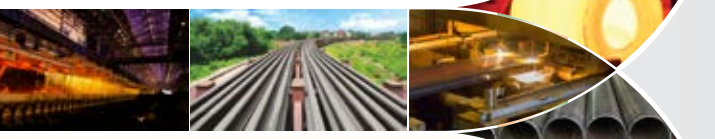

योजना के लिए बजटीय परिव्यय 6,322 करोड़ रुपये है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश 20 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए हैं। सरकार को लगभग 5.25 लाख रोजगार के साथ–साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की उम्मीद है। इसके अलावा, यह अनुमान है कि विशेष इस्पात के आयात की मात्रा अगले कुछ वर्षों में कम से कम हो जाएगी।

1.2.2 माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने ''इस्पात उपयोग'' विषय पर दिनांक 15.11.2021 को केवड़िया, गुजरात में इस्पात मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की।

समिति के सदस्यों को बुनियादी ढांचे, निर्माण, इंजीनियरिंग और पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट होने के नाते, भारत के औद्योगिक विकास में इस्पात द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, देश में कुल तैयार इस्पात की खपत 96.2 मिलियन टन थी और 2024–25 तक लगभग 160 मिलियन टन (एमटी) और 2030–31 तक लगभग 250 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। यह बताया गया कि सरकार द्वारा हाल ही में घोषित गतिशक्ति मास्टर प्लान अगले पांच वर्षों में विकसित किए जाने वाले बुनियादी ढांचे के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की निवेश योजना को संपूरित करेगी। चूंकि, निर्माण और अवसंरचना क्षेत्र इस्पात के प्रमुख उपभोक्ता हैं और इस्पात की लगातार बढ़ती खपत के प्रेरक होंगे, इसलिए इससे देश में इस्पात के उपयोग को और बढ़ावा मिलेगा।

1.2.3 माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने ''भारत में मैंगनीज अयस्क उद्योग का विकास'' विषय पर 21.12.2021 को संसदीय सौंध में इस्पात मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। समिति के सदस्यों को राज्य सरकारों के साथ मैंगनीज अयस्क की खोज के मुद्दे और राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अनुसार मैंगनीज अयस्क के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में नए मैंगनीज वाले क्षेत्रों की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जो ''आत्मनिर्भर भारत'' के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। बैठक के दौरान, मैंगनीज अयस्क का उपयोग, मैंगनीज अयस्क का वैश्विक परिदृश्य, भारत में मैंगनीज उत्पादन और देश के मैंगनीज उत्पादन में मॉयल का योगदान तथा 2030 तक देश में इस्पात की मांग के अनुसार भविष्य के रोड मैप सहित मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला को कवर किया गया था।

1.2.4 माननीय इस्पात मंत्री और इस्पात मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने दिनांक 10.02.2022 को संसदीय सौंध, नई दिल्ली में माननीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और इस्पात मंत्रालय तथा सीपीएसई के वरिष्ठ अधिकारियों सहित समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। समिति द्वारा चर्चा का विषय ''द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लिए नीतिगत हस्तक्षेप'' था।

इस्पात मंत्रालय द्वारा द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लिए भावी दिशा सहित ताकत, चुनौतियों और की गई कार्रवाइयों को शामिल करते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई थी।

बैठक के दौरान समिति के माननीय सदस्यों ने द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। समिति के माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों की सराहना की और द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के विकास और इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

1.3 वर्ष 2021-22 के दौरान सीपीएसई की मुख्य बातें

1.3.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- दिसंबर, 2021 तक कच्चे इस्पात का उत्पादन 12.770 मिलियन टन और तैयार इस्पात का उत्पादन 10.005 मिलियन टन रहा।
- गत वर्ष की इसी अवधि के 45,286 करोड़ रु. की तुलना में बिक्री कारोबार 72,220 करोड़ रु. (दिसम्बर, 2021 तक) हासिल किया गया।
- गत वर्ष की इसी अवधि के 2,271 करोड़ रु. की पीबीटी की तुलना में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 12,829 करोड़ रु. (दिसम्बर, 2021 तक) हासिल किया गया।
- 9597 करोड़ रु. (दिसम्बर, 2021 तक) कर पश्चात लाभ (पीएटी) हासिल किया गया।

- कंपनी का निवल मूल्य 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार 37,182 करोड़ रुपए, 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 39,777 करोड़ रुपए, 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 43,495 करोड़ रुपए और 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 50,594 करोड़ रुपए था।
- वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 4 रुपये प्रति शेयर का अन्तरिम लाभांश घोषित किया गया है।

1.3.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में कच्चे इस्पात का उत्पादन 4.01 मिलियन टन और तैयार इस्पात का उत्पादन 2.774 मिलियन टन था जिससे क्रमशः 47% और 75% की वृद्धि हासिल की गयी।
- गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में बिक्री कारोबार 19,401 करोड़ रुपये तथा बिक्री योग्य इस्पात मात्रा की बिक्री 37.33 लाख टन (अनंतिम, दिसम्बर, 2021 तक) क्रमशः 69% और 21% वृद्धि के साथ हासिल की गयी।
- गत वर्ष की संगत अवधि के 2017 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में 946 करोड़ रुपये (अनंतिम, दिसम्बर, 2021 तक) पीबीटी हासिल की गई।
- गत वर्ष की संगत अवधि के 1839 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में 790 करोड़ रुपये (अनंतिम, दिसम्बर, 2021 तक) पीएटी हासिल की गई।
- 31.03.2021 को कंपनी का शुद्ध मूल्य 2464 करोड़ रुपये और 31.12.2021 को 3240 करोड़ रुपये है।
- दिसंबर, 2021 तक लगभग 10 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात का निर्यात हासिल किया जा चुका है।
- 4572 करोड़ रुपये की निर्यात बिक्री हासिल कर ली गयी है जो गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 45% की वृद्धि है।

1.3.3 एनएमडीसी लिमिटेड

- लौह अयस्क का उत्पादन 28.33 मिलियन टन (दिसंबर, 2021 तक) हासिल किया गया है।
- कुल बिक्री 28.28 मिलियन टन (दिसंबर, 2021 तक) हासिल कर ली गई है।
- 19,179 करोड़ रुपये का कारोबार (वास्तविक, दिसंबर, 2021 तक) हासिल किया जा चुका है।
- 10,101 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ (वास्तविक, दिसंबर, 2021 तक) हासिल कर लिया गया है।
- 7,583 करोड़ रुपये (वास्तविक, दिसंबर, 2021 तक) का कर पश्चात लाभ हासिल कर लिया गया है।
- एनएमडीसी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 9.01 रुपये प्रति शेयर के पहले अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और 5.73 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश की घोषणा की है (कुल 14.74 रुपये प्रति शेयर)।

1.3.4 मॉयल लिमिटेड

- 8.59 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन (अनंतिम, दिसंबर, 2021 तक) हासिल किया जा चुका है।
- कंपनी की कुल आय 1028.15 करोड़ रुपए (अनंतिम, दिसंबर, 2021 तक) थी।
- 282.46 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ (अनंतिम, दिसंबर, 2021 तक) हासिल कर लिया गया है।
- 211.37 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ (अनंतिम, दिसंबर, 2021 तक) हासिल कर लिया गया है।
- कंपनी का नेटवर्थ 31.03.2021 तक 2819.90 करोड़ रुपए और 31.12.2021 तक 2920.61 करोड़ रुपए (अनंतिम) था।
- मॉयल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 116.29 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है जिसमें दिसंबर, 2021 तक केंद्र सरकार को 62.61 करोड़ रुपए का भुगतान शामिल है।

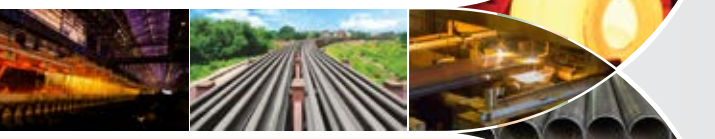

1.3.5 मेकॉन लिमिटेड

- 280.10 करोड़ रुपये का कारोबार (अनंतिम, दिसंबर, 2021 तक) हासिल कर लिया गया है।
- 31.12.2021 तक कंपनी का नेटवर्थ 335.79 करोड़ रुपए (अनंतिम) था।
- कर पूर्व लाभ/कर पश्चात लाभ (–) 82.27 करोड़ रुपये (अनंतिम, दिसंबर, 2021 तक)।

1.3.6 एमएसटीसी लिमिटेड

- 411.50 करोड़ रुपये का कारोबार (अनंतिम, दिसंबर, 2021 तक) हासिल किया जा चुका है।
- 131.34 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ (अनंतिम, दिसंबर, 2021 तक) हासिल कर लिया गया है।
- 85.39 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ (अनंतिम, दिसंबर, 2021 तक) हासिल कर लिया गया है।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 14.08 करोड़ रुपये (9.12 करोड़ रुपये का भारत सरकार का हिस्सा) के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।

1.3.7 केआईओसीएल लिमिटेड

- 1.385 एमटी (दिसंबर, 2021 तक) लौह अयस्क पेलेट का उत्पादन हासिल किया गया है।
- 1.261 एमटी लौह अयस्क पेलेट की बिक्री (दिसंबर, 2021 तक) हासिल की गई है।
- प्रचालन से 1868 करोड़ रुपए (अस्थायी, दिसंबर, 2021 तक) का राजस्व प्राप्त किया गया है।
- 102.64 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2021 तक) का कर पूर्व लाभ हासिल कर लिया गया है।
- 76.81 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2021 तक) का कर पश्चात लाभ हासिल कर लिया गया है।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 0.98 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है।

अध्याय-2

इस्पात मंत्रालय का संरचनात्मक संगठन और कार्य

2.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय इस्पात मंत्री के प्रभार में है और इसे इस्पात राज्य मंत्री सहयोग प्रदान करते हैं। मंत्रालय लौह और इस्पात उद्योग की योजना और विकास, लौह–अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो–मिश्र धातु, स्पंज आयरन आदि और अन्य संबंधित कार्यों के विकास के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय को आवंटित विषय का विवरण अनुलग्नक–I में देखा जा सकता है। उप–सचिव के स्तर तक के प्रभारी मंत्री और अधिकारियों का विवरण अनुलग्नक–I में दिया गया है। इस्पात मंत्रालय के पास 246 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है, जिसमें से 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार 190 कर्मचारी कार्यरत हैं।

2.1.1 इस्पात मंत्रालय के प्रमुख कार्य

- राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपेक्षित अवसंरचना के विकास का संवर्धन करना।
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता को सुकर बनाना।
- इस्पात उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक व्यापक डेटा बेस बनाना और अपडेट करना।
- सीपीएसई के भौतिक व वित्तीय निष्पादन और परियोजना पर पूंजीगत व्यय की निगरानी करना।
- समझौता ज्ञापन और सीपीएसई के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम में की गई प्रतिबद्धताओं के प्रदर्शन की निगरानी।
- अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, गुणवत्ता नियंत्रण और तकनीकी–आर्थिक मापदंडों में सुधार के माध्यम से लौह और इस्पात उद्योग के प्रदर्शन में सुधार की सुविधा।
- प्रचार प्रयासों के माध्यम से इस्पात की घरेलू मांग को बढ़ावा देना।

2.1.2 प्रमुख प्रभाग

मंत्रालय के विभिन्न विषयों में कार्य करने के लिए 34 प्रभाग हैं। प्रमुख प्रभागों में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां, समन्वय, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, कच्चे माल, तकनीकी प्रभाग, इस्पात विकास (संस्थान), सेल, एमएफ, एनएमडीसी, मेकॉन, आरआईएनएल, केआईओसीएल, मॉयल, व्यापार एवं कराधान, मेक इन इंडिया (औद्योगिक विकास) शामिल हैं।

2.2 इस्पात मंत्रालय के अन्य संबंधित संगठन

2.2.1 संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के साथ मान्यता प्राप्त, संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान में देश की एकमात्र संस्था है, जिसने भारतीय लौह और इस्पात उद्योग पर डेटा एकत्र किया है, जिसके परिणामस्वरूप इस उद्योग पर पूर्ण और गैर–पक्षपातपूर्ण डेटाबैंक निर्माण और रखरखाव होता है। जेपीसी का मुख्यालय कोलकाता में क्षेत्रीय और विस्तार कार्यालयों के माध्यम से पैन–इंडिया उपस्थिति के साथ डेटा संग्रह में लगा है।

जेपीसी वर्तमान में भारत सरकार के अपर सचिव, इस्पात मंत्रालय की अध्यक्षता में कार्य करता है और इसके सम्मानित सदस्यों के रूप में भारत सरकार, इस्पात उत्पादकों, इस्पात संघों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि हैं। जेपीसी निम्नलिखित कार्य करता है:

- उत्पादकों से उत्पादन, स्टॉक और कच्चे माल के डेटा का संग्रह।
- चार महानगरों से घरेलू खुदरा बाजार की कीमतों का संग्रह।

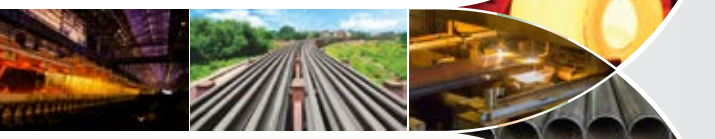

- उभरते डेटा आइटम जैसे इस्पात क्लस्टर से खुदरा मूल्य, रोजगार डेटा, इत्यादि का संग्रह।
- उद्योग के साथ नियमित अनुवर्ती, निगरानी और संबंधित संपर्क गतिविधियाँ।
- ऑन–स्पॉट डेटा संग्रह के लिए त्रुटिपूर्ण इस्पात उत्पादक इकाइयों का दौरा।
- वृत्त खंड सर्वेक्षण के दौरान क्षेत्र स्तर संग्रह में सक्रिय भूमिका।
- सेमिनार तथा प्रदर्शनियों के लिए संगठनात्मक सहायता जिसमें इस्पात मंत्रालय की गतिविधियां जैसे इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठकें, द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के पुरस्कार शामिल हैं।

मासिक और वार्षिक आधार पर कई प्रकाशन और डेटा रिपोर्ट, उद्योग के सभी हितधारकों के लिए सूचना और डेटा के प्रसार को सुनिश्चित करते हैं। ऑनलाइन क्वेरी मॉड्यूल और एक मोबाइल ऐप के साथ एक गतिशील वेबसाइट सभी हितधारकों के लिए वास्तविक समय में डेटा तक पहुंच सुनिश्चित करती है।

जेपीसी की नई दिल्ली स्थित आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) द्वारा अनुसंधान सहायता, पूर्वानुमान संबंधी अभ्यास और नीतिगत मामलों/तकनीकी–आर्थिक अध्ययनों की जांच प्रदान की जाती है।

2.3 इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की सूची:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	मुख्यालय	प्रमुख सहायक कंपनियां
1.	सेल	इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड पोस्ट बैग नंबर 565, सलेम–636005 (तमिलनाडु)
2.	आरआईएनएल	प्रशासनिक भवन, विशाखापटनम–530031 (आंध्र प्रदेश)	ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी सीओ/सेल कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 271, विद्युत मार्ग, शास्त्री नगर, यूनिट–IV भुवनेश्वर, ओडिशा–751001
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	खनिज भवन, 10–3–311/ए, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद–500028 (आंध्र प्रदेश)	
4.	मॉयल लिमिटेड	मॉयल भवन, 1–ए, काटोल रोड, नागपुर–440013 (महाराष्ट्र)	
5.	एमएसटीसी लिमिटेड	एमएसटीसी लिमिटेड, प्लॉट नं. सीएफ–18/2, गली नं. 175, एक्शन एरिया 1सी, न्यू टाउन, कोलकाता – 700156	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) एफएसएनएल भवन इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यु, भिलाई–490001 (छत्तीसगढ़)
6.	मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन बिल्डिंग, रांची–834002 (झारखंड)	
7.	केआईओसीएल लिमिटेड	II ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु–560034 (कर्नाटक)	

31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय में संगठन चार्ट

एएस एंड एफए : अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
जेएस : संयुक्त सचिव
सीसीए : मुख्य लेखा नियंत्रक
ईए : आर्थिक सलाहकार
डीडीजी : उप महानिदेशक
आईए : औद्योगिक सलाहकार
डीआईआर : निदेशक
डीएस : उप सचिव
जेडी : संयुक्त निदेशक
एएस : अवर सचिव
एक से अधिक संयुक्त सचिव की रिपोर्ट करने वाले निदेशकों/उप सचिव को स्पष्टता के लिए एक से अधिक बार दर्शाया गया है।

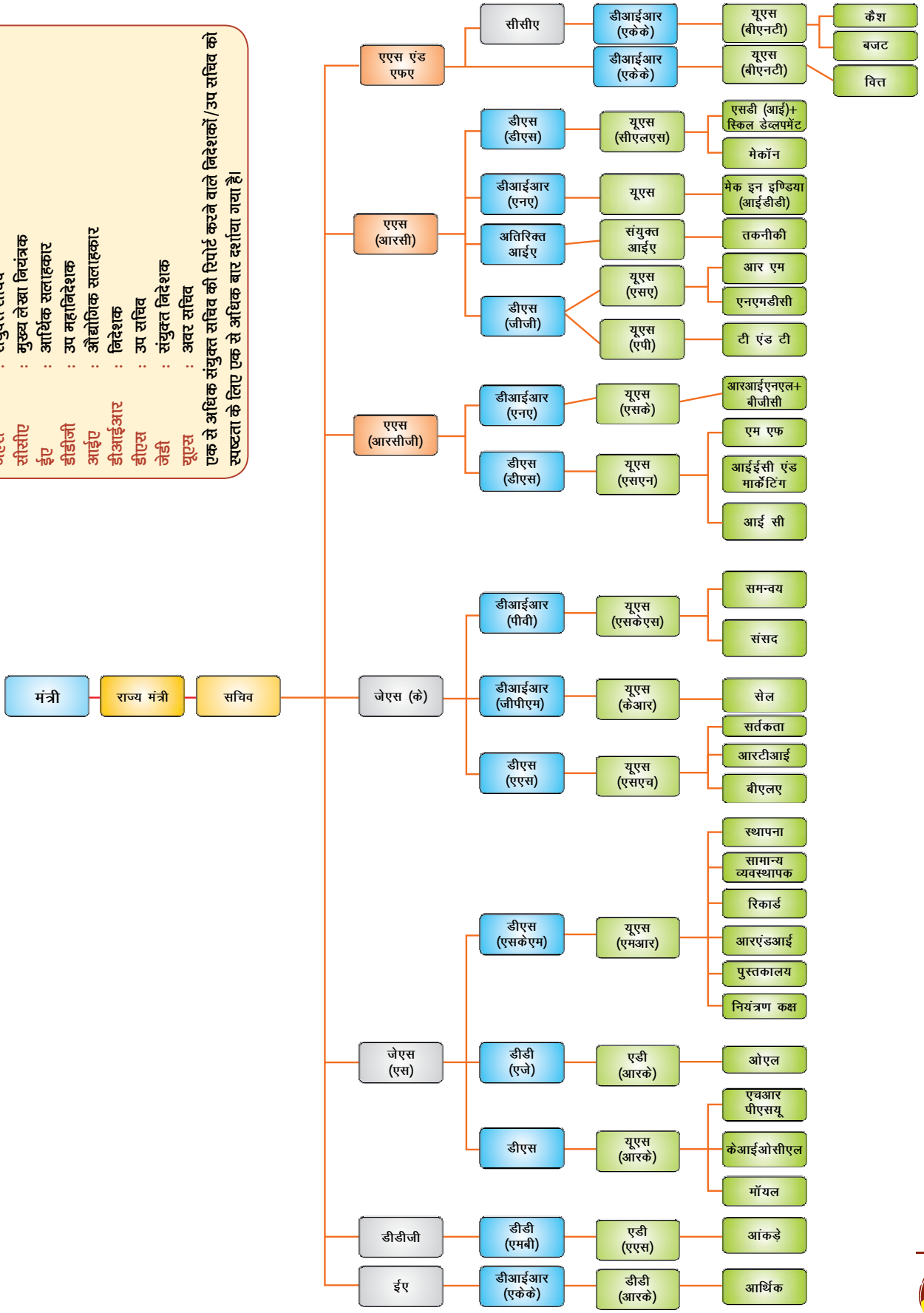

अध्याय-3

भारतीय इस्पात क्षेत्र: प्रगति और अवसर

3.1 परिचय

वर्ष 1947 में आजादी के समय भारत में केवल तीन इस्पात संयंत्र थे–टाटा आयरन एंड इस्पात कंपनी, इंडियन आयरन एंड इस्पात कंपनी और विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड और कुछ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस–आधारित संयंत्र थे। वर्ष 1947 तक की अवधि में देश में एक छोटा लेकिन व्यवहार्य इस्पात उद्योग देखा गया, जो लगभग 1 एमटी की क्षमता के साथ संचालित था और पूरी तरह से निजी क्षेत्र में था। स्वतंत्रता के समय एक एमटी क्षमता की स्थिति से निकल कर भारत अब दुनिया में कच्चे इस्पात और स्पंज आयरन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। एक नगण्य वैश्विक उपस्थिति से भारतीय इस्पात उद्योग अब विश्व स्तर पर अपने उत्पाद की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। जैसा कि इसने स्वतंत्रता के बाद से अपने लंबे इतिहास को पार किया है, भारतीय इस्पात उद्योग ने व्यवसाय चक्रों के उतार और चढ़ाव की चुनौतियों का उत्तर दिया है। पहला बड़ा बदलाव पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आया था जब उस समय की अर्थव्यवस्था के अनुसार, राज्य नियंत्रण के लिए लौह और इस्पात उद्योग की पहचान की गई थी। 1950 के दशक के मध्य से लेकर 1970 के दशक तक, भारत सरकार ने भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो में सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए। इन वर्षों के दौरान उद्योग को अभिशासित करने वाली नीति शासन में शामिल है:

- **क्षमता नियंत्रण के उपाय:** क्षमता का लाइसेंस, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण का आरक्षण।
- **एक दोहरी-मूल्य निर्धारण प्रणाली:** निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में एकीकृत, बड़े पैमाने पर उत्पादकों के लिए मूल्य और वितरण नियंत्रण, जबकि बाकी उद्योग एक मुक्त बाजार में संचालित होते हैं।
- मात्रात्मक प्रतिबंध और उच्च शुल्क बाधाएं।
- **रेलवे फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी:** संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।
- प्रौद्योगिकी, पूंजीगत सामान और वित्त और निर्यात पर प्रतिबंध सहित इनपुट के आयात पर नियंत्रण।

3.1.1 इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण ने भारत को दुनिया का दसवां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनाने में योगदान दिया क्योंकि कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 1947 में 1 मिलियन टन की तुलना में एक दशक के अंतराल में लगभग 15 मिलियन टन तक बढ़ गया। लेकिन 1970 के दशक के अंत से इस रुझान को बरकरार नहीं रखा जा सका, क्योंकि आर्थिक मंदी ने भारतीय इस्पात उद्योग के विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हालांकि, 1991–92 में इस चरण को उलट दिया गया था, जब देश ने नियंत्रण शासन को उदारीकरण और विनियमन से बदल दिया था। वर्ष 1990 के आरंभ में नई आर्थिक नीति के प्रावधानों ने भारतीय इस्पात उद्योग को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित किया:

- सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से बड़े पैमाने पर क्षमताओं को हटा दिया गया था। अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को भी स्थानीय प्रतिबंधों की शर्त के अध्यधीन हटा दिया गया था।
- निजी क्षेत्र ने समग्र सेट अप में एक प्रमुख भूमिका निभाई।
- मूल्य निर्धारण और वितरण नियंत्रण तंत्र बंद कर दिया गया।
- लौह और इस्पात उद्योग को विदेशी मुद्रा और सामान्य रूप से इस तरह के निवेश को संचालित करने वाली अन्य शर्तो के अधीन 50% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए स्वतः स्वीकृति को निहित करके विदेशी निवेश के लिए उच्च प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया था।
- फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम को माल ढुलाई की अधिकतम सीमा की प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
- मात्रात्मक आयात प्रतिबंधों को काफी हद तक हटा दिया गया था। निर्यात प्रतिबंध वापस ले लिए गए थे।

3.1.2 इस्पात निर्माताओं के लिए, अर्थव्यवस्था को खोले जाने ने विदेशी बाजारों से प्रतिस्पर्धी दरों पर अपने इनपुट की खरीद के नए चैनल खोले और अपने उत्पादों के लिए नए बाजार भी बनाए। इसने विनिर्माण में वैश्विक संचालन/तकनीकों की जानकारी के लिए अधिक पहंच प्रदान की। यह, एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार के दबावों के साथ, दक्षता स्तर बढ़ाने की आवश्यकता को बढ़ाता है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। दूसरी ओर, इस्पात उपभोक्ता अब वस्तुओं की एक सारणी से वस्तुओं का चयन करने में सक्षम था, चाहे वह स्वदेशी रूप से निर्मित हो या आयातित हो। वर्ष 1992 में अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ, देश ने इस्पात बनाने की क्षमता में तेजी से वृद्धि का अनुभव किया। एस्सार इस्पात, इस्पात इंडस्ट्रीज, जिंदल ग्रुप आदि द्वारा निजी क्षेत्र में बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। टाटा इस्पात ने भी अपनी क्षमता का विस्तार किया। इस अवधि में कुछ उल्लेखनीय पहल में शामिल थे।

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर लगभग 9 मिलियन टन इस्पात क्षमता के निर्माण के साथ निजी क्षेत्र का उद्भव।
- टैरिफ बाधाओं को कम करना/समाप्त करना, व्यापार खाते पर रुपये का आंशिक फ्लोट, वैश्विक प्रौद्योगिकियों के सर्वोत्तम पद्धतियों तक पहुंच और लागत में कमी–इन सभी ने विश्व निर्यात बाजार में भारतीय इस्पात की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया।

3.1.3 वर्ष 1996–97 के बाद, घरेलू अर्थव्यवस्था की विकास दर में लगातार गिरावट के साथ, भारतीय इस्पात उद्योग की वृद्धि की गति धीमी हो गई और सभी प्रदर्शन संकेतकों के संदर्भ में क्षमता निर्माण, उत्पादन, खपत, निर्यात और मूल्य/लाभप्रदता–का प्रदर्शन उद्योग औसत से नीचे गिर गया। विदेशी व्यापार में, भारतीय इस्पात को पाटनरोधी/रक्षोपाय शुल्कों के अधीन किया गया क्योंकि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने गैर–टैरिफ बाधाओं को लागू किया। एशियाई वित्तीय संकट के कारण आर्थिक विनाश, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती और नए इस्पात–सक्रिय देशों (अतिरिक्त यूएसएसआर की इस्पात–अधिशेष अर्थव्यवस्थाओं) से अतिरिक्त आपूर्ति द्वारा बनाए गई आधिक्य का प्रभाव ऐसे कारक थे जिन्होंने वृद्धि स्तर को कम कर दिया। तथापि, वर्ष 2002 से, वैश्विक उद्योग ने मोड़ लिया, चीन ने काफी हद तक सहायता की, जिसके उत्कृष्ट आर्थिक विकास और तेजी से बढ़ते अवसंरचना के कारण इस्पात की मांग बढ़ गई, जिससे इसकी घरेलू आपूर्ति पूरी नहीं हो सकी। इसी समय, प्रमुख बाजारों में रिकवरी हुई, उत्पादन में वृद्धि, कीमतों में सुधार, लाभप्रदता की वापसी, नए बाजारों के उद्भव, व्यापार बाधाओं को उठाने और अंत में, विश्व स्तर पर इस्पात की मांग में वृद्धि हुई। भारतीय इस्पात उद्योग के लिए स्थिति अलग नहीं थी, जिसने अब तक परिपक्वता का स्तर प्राप्त कर लिया था, जिसमें गहन अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर जोर दिया गया था, प्रति व्यक्ति घरेलू इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए उपायों को अपनाना और अन्य बाजार विकास परियोजनाओं, आयात प्रतिस्थापन उपायों, इनपुट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक रास्ते तलाशने पर जोर दिया गया।

3.1.4 इस उद्योग के विकास की तीव्र गति और बाजार के देखे गए रुझान कुछ निश्चित दिशा–निर्देशों और रूपरेखा की मांग करते हैं। इस प्रकार भारतीय इस्पात उद्योग के लिए वृद्धि और विकास का रोडमैप प्रदान करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय इस्पात नीति की अवधारणा का जन्म हुआ। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2005 की घोषणा नवंबर 2005 में एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक बुनियादी खाका तैयार करने के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 का दीर्घकालिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत में विविध मानकों की पूर्ति के लिए विश्व मानकों का एक आधुनिक और कुशल इस्पात उद्योग बने। नीति का फोकस दक्षता और उत्पादकता के वैश्विक मानकों के संदर्भ में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर को प्राप्त करना था। समय बीतने और घरेलू इस्पात उद्योग में निरंतर वृद्धि के साथ, यह महसूस किया गया कि एनएसपी 2005 को बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। तदनुसार, इसके बाद 2017 में एक विस्तृत समीक्षा के बाद, सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 जारी की, जिसने 2030–31 तक मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के साथ भारतीय इस्पात उद्योग के लिए दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया है। आर्थिक रूप से विकास को बढ़ावा देने वाले तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग बनाने के लिए एक विजन की परिकल्पना की गई है। साथ ही वर्तमान में गैर–विनियमित, उदारीकृत आर्थिक/बाजार परिदृश्य में एक सुविधाप्रदायक के रूप में सरकार ने सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए एक नीति की भी घोषणा की है। यह नीति राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के 'मेक इन इण्डिया' की परिकल्पना को पूरा करने का उद्देश्य रखती है। दिनांक 31.12.2020 को अंतिम बार डीएमआई एंड एसपी संशोधित किया गया था। इसके प्रारंभ से अब तक 22,400 करोड़ रुपये का आयात प्रतिस्थापन हासिल किया जा चुका है।

3.2 इस्पात का उत्पादन, खपत और वृद्धि

3.2.1 नीचे दी गई तालिका में देश में पिछले पांच वर्षों के लिए कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु + गैर–मिश्र धातु) के उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत का रुझान दिखाया गया है:

वर्ष	कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु + गैर-मिश्र धातु) (मिलियन टन में)			
	उत्पादन	आयात	निर्यात	खपत
2017	93.737	7.828	10.871	88.679
2018	100.574	7.295	6.692	96.737
2019	104.062	7.440	8.205	102.622
2020	92.231	4.463	10.150	89.331
2021*	111.858	5.001	12.799	106.134

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम आंकड़ा। (जनवरी–दिसम्बर, 2021)

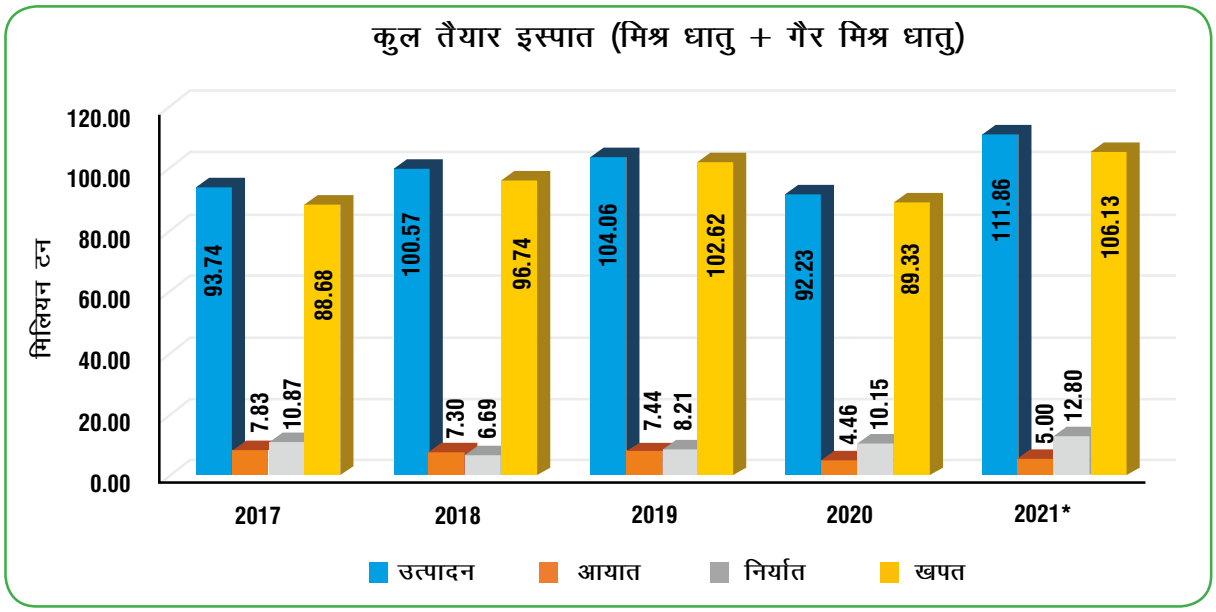

3.2.2 पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे इस्पात उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग के आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:–

वर्ष	कच्चा इस्पात		
	क्षमता (एमटी)	उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)
2017	137.975	101.455	74
2018	142.236	109.250	77
2019	142.299	111.344	78
2020	143.914	100.256	70
2021*	154.269	118.134	77

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम आंकड़ा। (जनवरी–दिसम्बर, 2021)

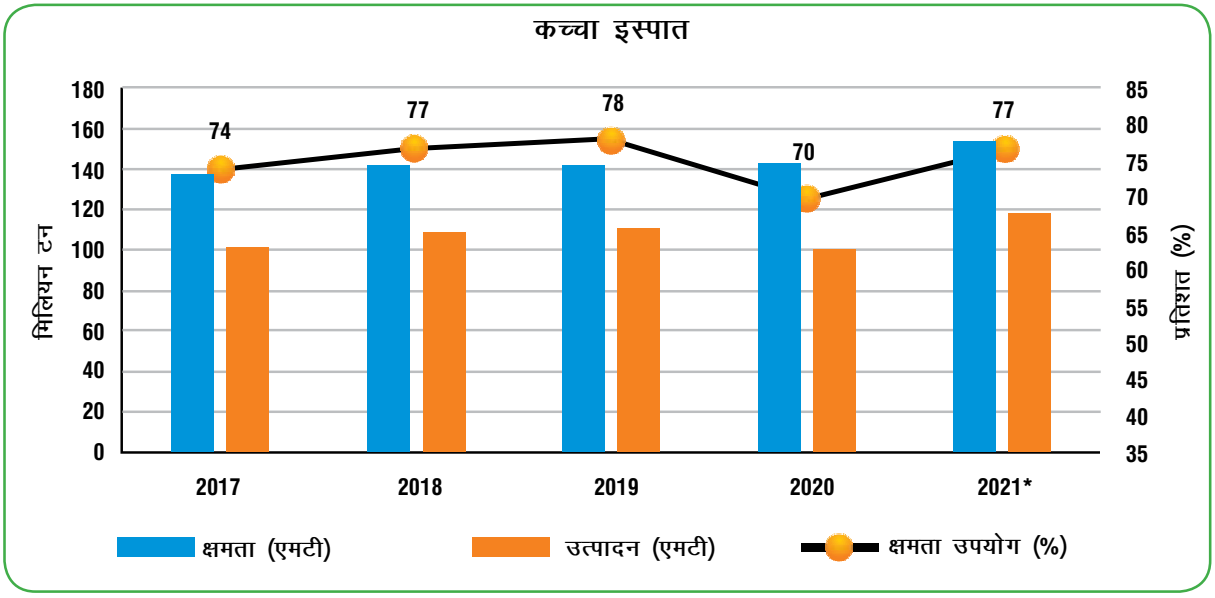

- कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2017 में 101.455 एमटी से बढ़कर वर्ष 2021 में 118.134 एमटी हो गया।
- उत्पादन में इस तरह की वृद्धि वर्ष 2017 में 137.975 मिलियन टन (एमटी) से इस पांच साल की अवधि के दौरान वर्ष 2021 में 154.269 एमटी तक क्षमता विस्तार से प्रेरित थी।
- कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु + गैर–मिश्र धातु) की घरेलू खपत वर्ष 2017 में 88.679 एमटी के मुकाबले वर्ष 2021 में 106.134 एमटी थी।
- वर्ष 2021 के दौरान कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु+गैर–मिश्र धातु) का निर्यात 2017 में 10.871 एमटी की तुलना में 12.799 एमटी रहा; इसी वर्ष के दौरान कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु+गैर–मिश्र धातु) का आयात वर्ष 2017 में 7.828 एमटी की तुलना में 5.001 एमटी रहा।
- भारत वर्ष 2021 में कुल तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक था।

3.2.3 पिछले पांच वर्षों के अंतिम वर्षों के दौरान देश में कच्चे इस्पात के कुल उत्पादन में विभिन्न प्रक्रिया मार्ग के शेयर नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए हैं:

प्रक्रिया मार्ग द्वारा कच्चे इस्पात का उत्पादन		
प्रक्रिया मार्ग	**प्रतिशत हिस्सा (%)**	
	2017	**2021***
बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ)	45	45
इलेक्टिक आर्क फर्नेस (ईएएफ)	27	27
इंडक्शन फर्नेस (आईएएफ)	28	28
कुल	**100**	**100**

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम (जनवरी–दिसम्बर, 2021)

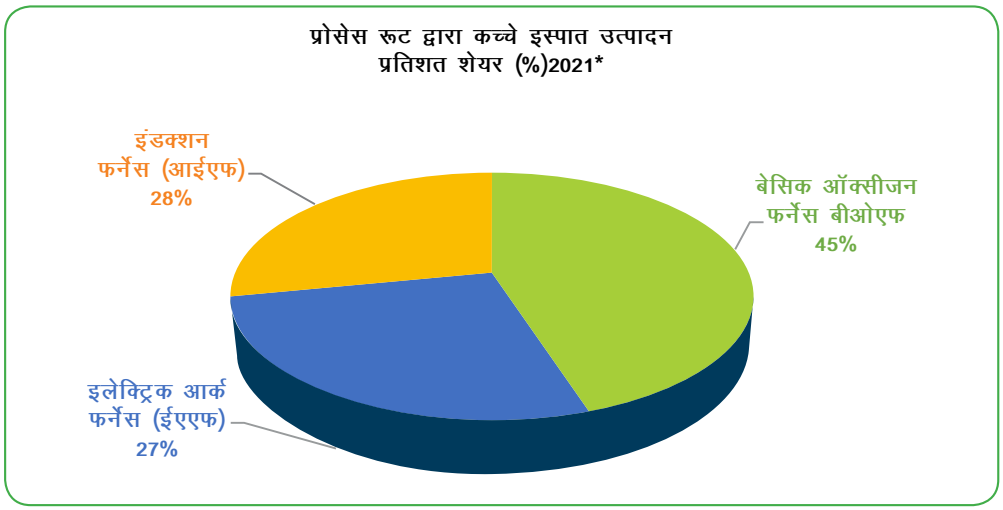

3.2.4 भारत देश के खनिज से समृद्ध राज्यों में स्थित कोयला आधारित इकाइयों के एक समूह के साथ स्पंज आयरन का एक प्रमुख उत्पादक वर्ष भी है। इन वर्षों में कोयला आधारित मार्ग एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है और वर्ष 2021 में देश में कुल स्पंज आयरन उत्पादन में इसका 78% हिस्सा है। भारत वर्ष 2003 के बाद से हर साल दुनिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक रहा है। नीचे दी गई तालिका में देश में स्पंज आयरन के कुल उत्पादन को दिखाया गया है, जो पिछले पांच वर्षों के लिए उत्पादन के कोयला और गैस–आधारित मार्ग के हिस्से के विभाजन का संकेत देता है:

स्पंज लौह का उत्पादन (एमटी)					
वर्ष	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021***
कोयला आधारित	23.282	27.161	30.120	27.519	30.606
गैस आधारित	6.223	7.052	6.699	6.074	8.402
कुल	**29.505**	**34.213**	**36.819**	**33.593**	**39.008**

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम आंकड़ा। (जनवरी–दिसम्बर, 2021)

3.2.5 भारत पिग आयरन का एक महत्वपूर्ण उत्पादक भी है। उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान निजी क्षेत्र में कई इकाइयों की स्थापना के साथ, आयात में भारी कमी आई है और भारत पिग आयरन का शुद्ध निर्यातक बन गया है। निजी क्षेत्र ने 2021 में देश में पिग आयरन के कुल उत्पादन के 88% हिस्से का योगदान दिया। पांच वर्षों के लिए पिग आयरन की घरेलू उपलब्धता स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

पिग आयरन घरेलू उपलब्धता परिदृश्य (एमटी)					
वर्ष	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021***
उत्पादन	6.888	6.249	5.983	4.548	5.876
आयात	0.016	0.067	0.013	0.007	0.015
निर्यात	0.668	0.335	0.421	0.823	1.407
खपत	6.205	5.841	5.669	3.735	4.506

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम (जनवरी–दिसम्बर, 2021)

3.3 भारतीय इस्पात की वैश्विक रैंकिंग

विश्व इस्पात संघ द्वारा 25 जनवरी, 2022 को जारी अनंतिम आंकड़ों के आधार पर, विश्व के कच्चे इस्पात का उत्पादन जनवरी–दिसंबर 2021 के दौरान 1950.5 एमटी रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 3.7% अधिक था। इस अवधि के दौरान, चीनी कच्चे इस्पात का उत्पादन 1032.8 एमटी तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 3% अधिक था। चीन इस अवधि के दौरान एशिया और ओशेनिया क्षेत्र का 75% और दुनिया के कच्चे इस्पात उत्पादन का 53% हिस्सा रखते हुए, दुनिया में सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बना रहा। भारत दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक था और उसने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस अवधि के दौरान उत्पादन में 17.8% की वृद्धि दर्ज की।

वैश्विक कच्चा इस्पात उत्पादन
जनवरी-दिसंबर 2021

रैंक	देश	मात्रा (एमटी)*	गत वर्ष की इसी अवधि में % परिवर्तन
1	चीन	1032.8	-3
2	भारत	118.1	17.8
3	जापान	96.3	15.8
4	अमेरिका	86	18.3
5	रूस (अनु.)	76	6.1
6	दक्षिण कोरिया	70.6	5.2
7	तर्की	40.4	12.7
8	जर्मनी	40.1	12.3
9	ब्राजील	36	14.7
10	ईरान (अनु.)	28.5	-1.8
	शीर्ष 10	**1624.8**	**2.09**
	विश्व	**1950.5**	**3.7**

स्रोत : विश्व इस्पात संघ। *अनंतिम
'अनु' का अर्थ अनुमानित है

नोट : एशिया तथा ओशेनिया क्षेत्र में 9 देश हैं – आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, ताइवान तथा वियतनाम।

विश्व के कुल उत्पादन में प्रमुख कच्चे इस्पात उत्पादक देशों का हिस्सा

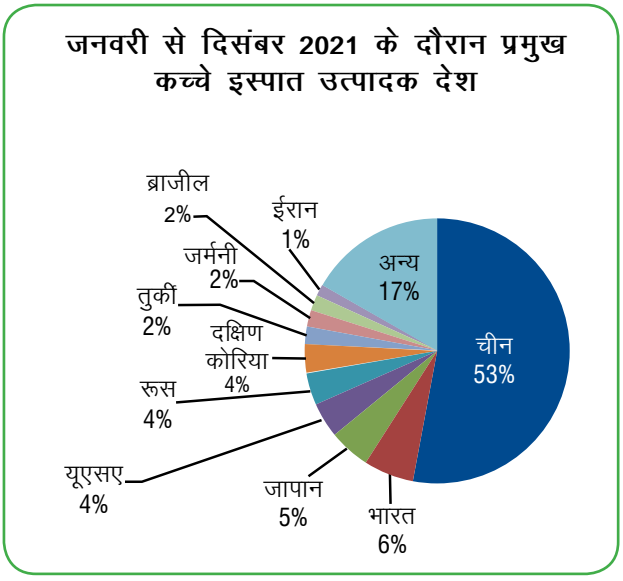

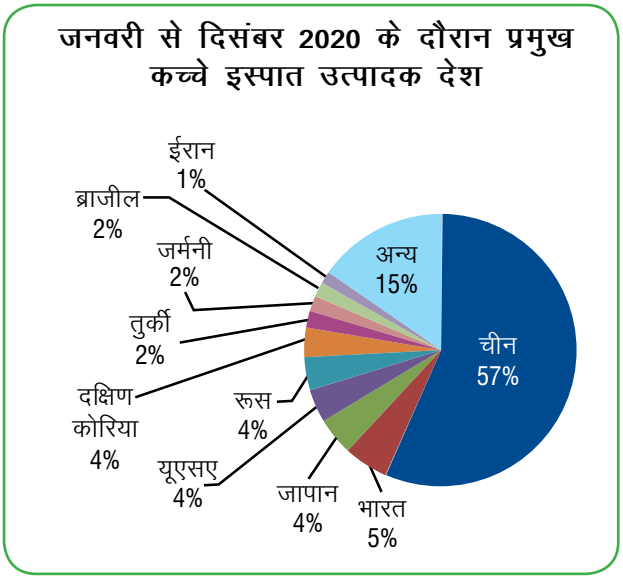

3.4 इस्पात: वर्ष 2021 के दौरान भारतीय इस्पात क्षेत्र के तथ्य:

भारतीय इस्पात दृश्य 2021*

कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु + गैर-मिश्र धातु)	मात्रा (एमटी)	% परिवर्तन**
उत्पादन	111.858	21.3
आयात	5.001	12.0
निर्यात	12.799	26.1
खपत	106.134	18.8
कच्चा इस्पात		
उत्पादन	118.134	17.8
क्षमता उपयोग (%)	77	-

स्रोत : जेपीसी : *अनंतिम, **गत वर्ष की इसी अवधि में

देश के प्रमुख खनिज समृद्ध क्षेत्रों में कोयला आधारित स्पंज आयरन इकाइयों के विकास से घरेलू स्पंज आयरन उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे देश वैश्विक बाजार में नंबर एक की स्थिति को प्राप्त करने और बनाए रखने में सक्षम हो गया। कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में कई विस्तार परियोजनाओं के साथ, भारतीय इस्पात उद्योग का भविष्य आशावादी है। इस्पात क्षेत्र के उत्पादन, खपत, आयात, निर्यात आदि से संबंधित आंकड़े अनुलग्नक III–XI में हैं।

3.5 उत्पादन, निजी/सार्वजनिक क्षेत्र में रुझान

निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कच्चे इस्पात उत्पादन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर प्रकाश डाला गया है:

भारतीय कच्चा इस्पात उत्पादन						
क्षेत्र	**इकाई**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021***
सार्वजनिक क्षेत्र	एमटी	19.215	21.191	21.014	18.948	22.849
निजी क्षेत्र	एमटी	82.240	88.059	90.330	81.308	95.286
कुल उत्पादन	**एमटी**	**101.455**	**109.250**	**111.344**	**100.256**	**118.135**
सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी	%	18.9	19.4	18.9	18.9	19.3

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम; (जनवरी–दिसम्बर, 2021)

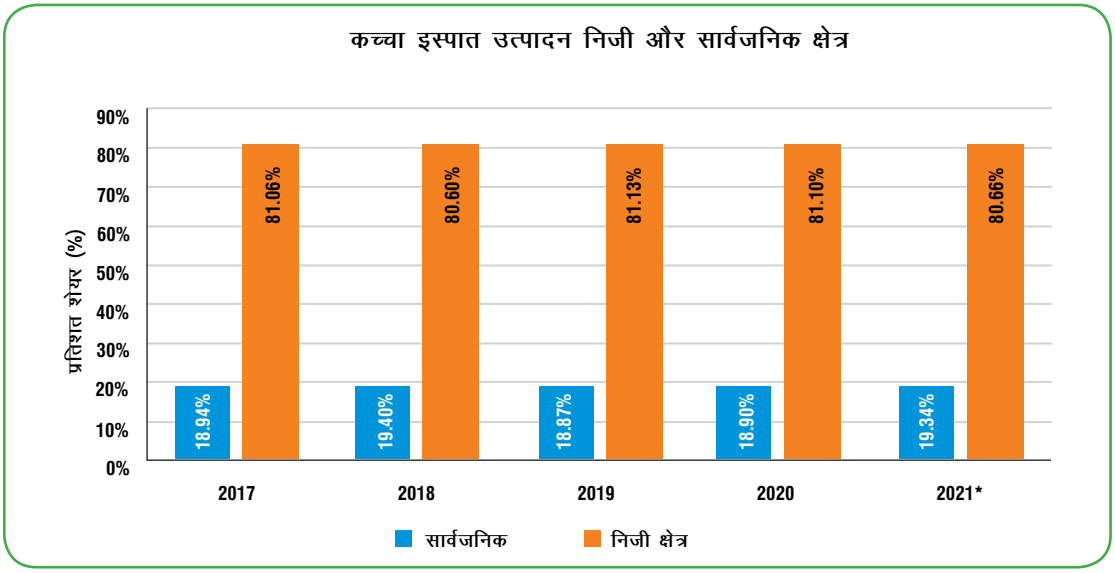

3.6 वार्षिक योजना 2021-22

मंत्रालय की वार्षिक योजना संशोधित प्राक्कलन 2021–22 के आधार पर 13443.88 करोड़ रुपये के लिए है। इसमें 13439.07 करोड़ रुपये का आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) और 4.81 करोड़ रुपये का सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वार्षिक योजना 2021-22 के लिए योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	पीएसयू/संगठन का नाम	आईईबीआर	जीबीएस	कुल
क. पीएसयू की योजनाएं				
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	8000.00	0.00	8000.00
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	730.00	0.00	730.00
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	3720.00	0.00	3720.00
4.	केआईओसीएल लिमिटेड	653.60	0.00	653.60
5.	मॉयल लिमिटेड	293.71	0.00	293.71
6.	मेकॉन लिमिटेड	12.50	0.00	12.50
7.	एमएसटीसी लिमिटेड	17.40	0.00	17.40
8.	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	11.00	0.00	11.00
9.	सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	0.86	0.00	0.86
	कुल-क	**13439.07**	**0.00**	**13439.07**
ख. इस्पात मंत्रालय की योजना				
10.	लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं	0.00	4.81	4.81
	कुल-ख	**0.00**	**4.81**	**4.81**
	कुल योग : क + ख	**13439.07**	**4.81**	**13443.88**

3.7 भारत सरकार द्वारा सांविधिक निकायों/स्वायत्त संगठन/समाज/निजी/स्वैच्छिक संगठन/सार्वजनिक निगम/जेवी/संगठन आदि को प्रदान की गई निधियां/अनुदान

वित्तीय वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान इस्पात मंत्रालय ने आईसीएआर–आईएआरआई (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन), पीईसी चंडीगढ़ (सार्वजनिक वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान) और बिट्स पिलानी (निजी शैक्षणिक संस्थान) जैसे तीन संस्थानों को कुल 87.97 लाख रुपये जारी किए हैं। यह राशि मंत्रालय की अनुसंधान और विकास योजना अर्थात् 'लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन की योजना' के तहत जारी की गई है। उक्त योजना के तहत वर्ष 2021–21 के दौरान जारी निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक–XVI में दिया गया है।

अध्याय-4

इस्पात नीतियाँ, नई पहल और कोविड-19 महामारी का प्रभाव

4.1 राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017

एनएसपी 2017 का लक्ष्य एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना, कच्चे माल की सुरक्षा में सुधार करना, अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को बढ़ाना, आयात निर्भरता को कम करना और उत्पादन की लागत को कम करना है, और इस प्रकार ''तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग का विकास करना है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके व उत्पादन में आत्म–निर्भरता हासिल करना, कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता के साथ निवेश और लागत कुशल उत्पादनों को सुविधा प्रदान करके वैश्विक रूप से किफायती इस्पात निर्माण क्षमताओं को विकसित करना है।

अनुसंधान और विकास पर ध्यान देने के साथ, अगले दशक में सबसे अधिक ध्यान प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होगा और एमएसएमई इस्पात संयंत्र, भारत के खपत आधारित विकास और समग्र उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण चालक होंगे।

एनएसपी 2017 के अपेक्षित प्रभाव/परिणाम

एनएसपी–2017 में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं : –

क्र. सं.	पैरामीटर	अनुमान (2030-31)
1.	कुल कच्चे इस्पात की क्षमता (एमटीपीए में)	300
2.	कुल कच्चे इस्पात की मांग/उत्पादन (एमटीपीए में)	255
3.	कुल तैयार इस्पात की मांग/उत्पादन (एमटीपीए में)	230
4.	स्पंज लौह की मांग/उत्पादन (एमटीपीए में)	80
5.	पिग आयरन की मांग/उत्पादन (एमटीपीए में)	17
6.	प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की खपत (किलोग्राम में)	158

अन्य अपेक्षित प्रभाव निम्नानुसार हैं:

क) ऊर्जा दक्षता और संधारणीयता में भारत का विश्व में अग्रणी होना

इस्पात मंत्रालय, उपयुक्त एजेंसियों के सहयोग से देश के अंदर वैश्विक सर्वोत्तम प्रणालियों के साथ इस्पात संयंत्रों के तकनीकी–आर्थिक प्रदर्शन की लगातार निगरानी करेगा। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से आटोमोटिव इस्पात और अन्य विशेष इस्पात का उत्पादन और वैश्विक उत्पादकों के साथ संयुक्त उद्यमों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ख) लागत प्रभावी और गुणवत्तापरक इस्पात लक्ष्य

एक सौ पैंतालीस (145) इस्पात उत्पादों को बीआईएस की अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन मार्क योजना के तहत अधिसूचित किया गया है। अतिरिक्त इस्पात उत्पादों को लाने का प्रयास किया जाएगा, जिनका उपयोग मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य योजना के तहत महत्वपूर्ण अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में किया जाता है।

ग) औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में वैश्विक मानकों को प्राप्त करना

मंत्रालय इस्पात कंपनियों के कर्मचारियों के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु इस्पात कंपनियो के साथ समन्वय कर रहा है।

घ) उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट पर्याप्त रूप से कम करना

पर्यावरण संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए, इस्पात मंत्रालय पर्यावरण प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने के लिए इस्पात उत्पादकों को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही उद्योग के लिए अपशिष्ट प्रबंधन योजना के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

ड.) घरेलू स्तर पर उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव इस्पात, इलेक्ट्रिकल इस्पात, विशेष इस्पात और मिश्र धातुओं की कुल मांग को पूरा करना।

4.2 सरकारी खरीद में घरेलू रूप से विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई और एसपी) को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति

सरकार ने 8 मई, 2017 को सरकारी निविदाओं में घरेलू और लौह सामग्री को प्राथमिकता देने के लिए डीएमआई और एसपी नीति की शुरुआत की थी। इसके अलावा, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नीति को 29 मई, 2019 और 31 दिसंबर, 2020 को संशोधित किया गया। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

- यह नीति सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई और एसपी) को प्राथमिकता प्रदान करती है।
- नीति में लौह और इस्पात के 49 निर्मित उत्पादों की सूची शामिल है। यह नीति लौह और इस्पात के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुएं भी कवर करती है।
- जबकि पहले लौह और इस्पात के 49 उत्पादों पर घरेलू सामग्री को 15–50 प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, 49 उत्पादों की नई सूची में न्यूनतम निर्धारित मूल्यवर्धन 20–50 प्रतिशत के बीच है, जिससे सरकारी अनुबंधों के लिए घरेलू बोली लगाने वालों को आयातित इस्पात के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया है।
- प्रत्येक मंत्रालय या सरकार के विभाग और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी एजेंसियों/संस्थाओं को इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिसूचित डीएमआई और एसपी नीति के दायरे में रखा गया है। सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस)/केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) जिसके लिए राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा खरीद की जाती है, इस नीति के दायरे में आते हैं, यदि वह परियोजना/योजना भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से वित्त पोषित है।
- यह नीति उन परियोजनाओं पर लागू होती है जहाँ लौह और इस्पात उत्पादों का खरीद मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक है। यह नीति अन्य खरीद (गैर–परियोजना) के लिए भी लागू होती है, जहाँ उस सरकारी संगठन के लिए लौह और इस्पात उत्पादों का वार्षिक खरीद मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक है। तथापि, खरीद करने वाली संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस नीति के प्रावधानों से बचने के उद्देश्य से खरीद को विभाजित नहीं किया जाता है।
- यह नीति निजी एजेंसियों द्वारा लौह और इस्पात उत्पादों की खरीद के लिए एक ईपीसी अनुबंध और/अथवा मंत्रालय या सरकार या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की किसी भी अन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए और निर्धारित गुणवत्ता स्तर के अनुपालन में लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के लिए भी लागू होती है।
- लौह और इस्पात उत्पादों की खरीद से संबंधित निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा जांच (जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी। व्यय विभाग द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अलावा 200 करोड़ रुपये तक के अनुमानित मूल्य वाले लौह और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं की खरीद से संबंधित निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा जांच (जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी।
- इस नीति में ऐसी सभी खरीदों के लिए छूट का प्रावधान है, जहाँ देश में इस्पात के विशिष्ट ग्रेड का विनिर्माण नहीं किया जाता है, या परियोजना की मांग के अनुसार मात्रा घरेलू स्रोतों के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकती है।

इस नीति की परिकल्पना घरेलू इस्पात उद्योग के विकास और विकास को बढ़ावा देने और सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में कम गुणवत्ता और कम लागत (अनुचित कारोबार) आयातित इस्पात के उपयोग के झुकाव को कम करने के लिए की गई है।

इस नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बचत प्रदान की है और आयात प्रतिस्थापन के लिए घरेलू क्षमता विकसित करने के साथ–साथ सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में कम गुणवत्ता और सस्ते आयातित इस्पात के उपयोग को प्रतिबंधित करने की आशा जागृत की है। डीएमआई एंड एसपी नीति के परिणामस्वरूप अब तक 22,400 करोड़ रुपये के इस्पात आयात प्रतिस्थापन हुआ है।

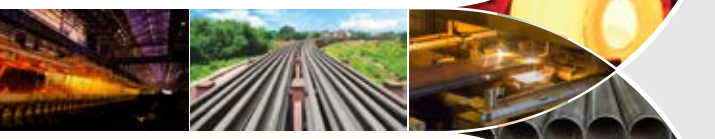

4.3 आयात डेटा प्रसार के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस्पात आयात के बारे में अंतिम उपयोग, आईएस ग्रेड आदि जैसे ग्रेनुलर डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध रहे, भारत में ऐसे आयातों के प्रवेश से पहले, एक इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को 5 सितम्बर, 2019 को डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित किया गया और 1 नवंबर, 2019 से लागू किया गया है। एसआईएमएस के लिए आयातक को 8–अंकीय एचएस कोड स्तर पर सभी इस्पात टैरिफ लाइनों के आयात के लिए अग्रिम सूचना ऑनलाइन जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसमें उन्हें आयात करने के लिए एक स्वचालित पंजीकरण संख्या मिलती है। एसआईएमएस ने शुरू में अध्याय 72, 73 और 86 के केवल 284 एचएस कोड को कवर किया था, लेकिन तब से आईटीसी एचएस कोड के अध्याय 72, 73 और 86 के तहत सभी मदों में इसका विस्तार किया गया है। एसआईएमएस भारतीय घरेलू इस्पात उद्योग के लिए बाजार की स्थितियों का अधिक गतिशील तरीके से जवाब देने में बहुत उपयोगी है।

4.4 इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का दायरा बढ़ाना

इस्पात मंत्रालय ने 2015 के बाद से इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (एसक्यूसीओ) पर प्रमुख जोर दिया, जिससे उप–मानक/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित बीआईएस मानकों के अनुरूप केवल गुणवत्ता वाला इस्पात अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो। पिछले पांच वर्षों के दौरान, कार्बन इस्पात, मिश्र धातु इस्पात और स्टेनलेस स्टील को कवर करने वाले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 115 भारतीय मानकों को अधिसूचित किया गया है। इससे गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत कवर किए गए भारतीय मानकों की कुल संख्या 145 हो गई है।

मंत्रालय, एक नीति के रूप में, इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के साथ धोखे को रोकने के लिए अधिसूचना में अब कच्चे माल के साथ–साथ इस्पात से बने सामान और वस्तुएं जैसे स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब, लेमिनेशन/ट्रांसफार्मर के कोर, टिन प्लेट और टिन मुक्त इस्पात के उत्पाद आदि शामिल करता है।

समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से इस्पात के एक विशेष ग्रेड पर एसक्यूसीओ की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण/छूट प्राप्त करने के लिए आवेदनों को संसाधित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया गया है।

4.5 नई पहलें

4.5.1 इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना

कच्चा माल लौह और इस्पात उद्योग में निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। लौह अयस्क और कोयले में कच्चे माल की सुरक्षा के मामले में उद्योग को छोटी और लंबी दोनों अवधि में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस्पात मंत्रालय ने संबंधित मुद्दों को खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया है।

लौह अयस्क

एनएसपी, 2017 के अनुसार, इस्पात मंत्रालय ने 2030–31 तक 255 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात उत्पादन के साथ 300 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 437 मीट्रिक टन लौह अयस्क की आवश्यकता है। वित्त वर्ष 2021–22 में एनएमडीसी को अपने लौह अयस्क का उत्पादन पिछले वर्ष के 34.15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 47 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य दिया गया है और सेल को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अपने उत्पादन को 30.06 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 40 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य दिया गया है।

कर्नाटक में एनएमडीसी की दोणिमलै लौह अयस्क खदान का लंबे समय से लंबित मुद्दा, जिसे नवंबर, 2018 से निलंबित कर दिया गया था, आखिरकार सुलझा लिया गया है। कर्नाटक सरकार ने 01.12.2020 को आदेश जारी कर एनडीएमसी लिमिटेड को कर्नाटक के बेल्लारी जिले में अपनी दोणिमलै खदानों में खनन कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। 18 फरवरी, 2021 से दोणिमलै लौह अयस्क खदान में खनन कार्य फिर से शुरू हुआ। डोनिमलाई लौह अयस्क खदानों के प्रचालन से देश में वार्षिक लौह अयस्क उत्पादन में 7 एमटीपीए की वृद्धि होगी।

कोयला और इस्पात पर स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार, इस्पात मंत्रालय ने खान मंत्रालय से बेनीफिकेशन और एग्लोमेरेशन उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार करने और देश में शून्य अपशिष्ट खनन की ओर बढ़ने के लिए बेनीफिकेशन और पेलेटाइजेशन के लिए निम्न–श्रेणी के जुर्माने के अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। खान मंत्रालय ने ''देश में निम्न और हल्के ग्रेड के लौह अयस्क संसाधनों के उपयोग'' के संबंध में मुद्दे की जांच के लिए भारतीय खान ब्यूरो में एक समिति का गठन किया है।

कोयला

कोकिंग कोल की सम्पूर्ण मांग घरेलू उत्पादन से पूरी नहीं होती है क्योंकि देश में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले/कोकिंग कोल (लो–ऐश–कोल) की आपूर्ति सीमित है। तदनुसार, भारतीय इस्पात उद्योग काफी हद तक आयातित कोकिंग कोल पर निर्भर रहा है।

देश में घरेलू स्तर पर उत्पादित अधिकांश कोकिंग कोयले में राख की मात्रा बहुत अधिक होती थी, जिससे इस्पात के विनिर्माण में यह अनावश्यक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019–20 में 51.83 मीट्रिक टन और 2020–21 में 51.20 मीट्रिक टन कोकिंग कोल का आयात करना पड़ा। चालू वित्त वर्ष में सितंबर, 2021 तक 28.02 मीट्रिक टन कोकिंग कोल का आयात किया गया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोकिंग कोल इस्पात उत्पादन में 42% का एक प्रमुख लागत कारक है, इस्पात मंत्रालय आयात स्थलों में विविधता लाकर कोकिंग कोल पर आयात बिल को कम करने का प्रयास कर रहा है। इस्पात निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कोकिंग कोल के संबंध में भारत सरकार के इस्पात मंत्री और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्री के बीच 14.10.2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन से कोकिंग कोल के स्रोतों में विविधता के कारण भारतीय इस्पात क्षेत्र को लाभ होगा, जिससे भारत को उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल (2035 तक 40एमटी तक) की आपूर्ति की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के कारण इस्पात कंपनियों के लिए इनपुट लागत में कमी आ सकती है। इस समझौता ज्ञापन में कोकिंग कोल क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं/वाणिज्यिक गतिविधियों के कार्यान्वयन की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें कोकिंग कोल डिपोजिट का विकास और लॉजिस्टिक्स विकास, कोकिंग कोल उत्पादन प्रबंधन में अनुभव साझा करना, खनन की तकनीक, लाभकारी, प्रसंस्करण के साथ–साथ प्रशिक्षण भी शामिल है। इसके अलावा, इस समझौता ज्ञापन में दोनों देशों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

4.5.2 रूस के साथ समझौता ज्ञापन: इस्पात बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोल के क्षेत्र में सहयोग के लिए 14 अक्टूबर, 2021 को इस्पात मंत्रालय और रूसी संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन से कोकिंग कोल के स्रोतों में विविधता आने से भारतीय इस्पात क्षेत्र को लाभ होगा, जिससे भारत को उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल (2035 तक 40 एमटी तक) की आपूर्ति की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के कारण इस्पात कंपनियों के लिए इनपुट लागत में कमी आ सकती है।

माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने इस्पात निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कोकिंग कोल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर रूस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

4.5.3 लौह और इस्पात निर्माण में कोयला गैसीकरण के माध्यम से डीआरआई निर्माण

लौह और इस्पात बनाने के लिए आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करने हेतु कोयला गैसीकरण का उपयोग करने और देश में उपलब्ध प्रचुर मात्रा में गैर–कोकिंग कोयले के उपयोग को अधिकतम करने में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में 16.09.2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा/विचार–विमर्श किया गया जिसमें इस्पात उद्योग के विशेषज्ञ जैसे सेल, टाटा स्टील, जेएसपीएल; सलाहकार जैसे मेकॉन, दस्तूर्कोय अनुसंधान संगठन जैसे सीएसआईआर–सीआईएमएफआर आदि शामिल थे। सीआईएस–सीआईएमएफआर ने बताया कि नीति आयोग की मेथनॉल इकोनॉमी परियोजना के तहत सीआईएमएफआर में 1.5 टीपीडी क्षमता का फ्लूडाइज्ड बेड गैसीफायर स्थापित किया गया है और विभिन्न प्रकार के कोयले का परीक्षण किया जा रहा है। सीआईएमएफआर ने यह भी बताया कि उन्होंने कोयला गैसीकरण के लिए उपयुक्त ब्लॉकों की पहचान के लिए भारत के सभी कोयला ब्लॉकों की मैपिंग भी की है। यद्यपि कम राख वाला कोयला गैसीकरण के लिए सबसे उपयुक्त है, मेकॉन जैसी कंपनियों के परामर्श से और जेएसपीएल के

प्रचालन अनुभव के आधार पर उच्च राख वाले कोयले का उपयोग करने के लिए एक तकनीक विकसित की जा सकती है। बैठक के अंत में, यह निर्णय लिया गया कि ऐसी स्वदेशी कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता जो स्वदेशी रूप से उत्पादित कोयले के लिए उपयुक्त हो। अध्यक्ष ने हितधारकों से प्रौद्योगिकी के विकास में एक साथ आने का आग्रह किया, जिसका उपयोग इस्पात उद्योग द्वारा लाभकारी रूप से किया जा सके और आयातित कोयले की निर्भरता को कम करने तथा ''आत्मनिर्भर भारत'' को बढ़ावा देने में मदद मिल सके।

4.6 आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रमुख पहल

4.6.1 विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) योजना: 6322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई है और 20 अक्टूबर, 2021 को विस्तृत दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं। यह योजना पहचान की गई 5 उत्पाद श्रेणियों और 19 उपश्रेणियों में वृद्धिशील उत्पादन पर 4% – 12% के बीच तीन प्रोत्साहन स्लैब (स्लैब ए, बी, सी) में प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना के लिए चिन्हित विशेष इस्पात की पांच व्यापक श्रेणियां लेपित/प्लेटेड इस्पात उत्पाद; उच्च शक्ति/टूट–फूट रोधी इस्पात; स्पेशलिटी रेल; मिश्र धातु इस्पात उत्पाद और इस्पात तार तथा इलेक्ट्रिकल इस्पात हैं। इन इस्पात उत्पादों का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है जिनमें सफेद वस्तुएं, ऑटोमोबाइल बॉडी और घटक, तेल तथा गैस के परिवहन के लिए पाइप, बॉयलर, बैलिस्टिक और आर्मर शीट, हाई–स्पीड रेलवे लाइन, टरबाइन घटक, वितरण और बिजली ट्रांसफार्मर शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप 25 मीट्रिक टन क्षमता की वृद्धि, लगभग 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश और 5.25 लाख रोजगारों का सृजन होगा, जिसमें से लगभग 68,000 रोजगार प्रत्यक्ष होंगे, और शेष अप्रत्यक्ष रोजगार होंगे।

नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना पर संगोष्ठी में माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह।

पीएलआई योजना पर संगोष्ठी के दौरान इन्वेस्ट इंडिया द्वारा तैयार इस्पात के लिए पीएलआई पर रिपोर्ट का विमोचन।

4.7 अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषताएं

4.7.1 कैपेक्स : आर्थिक गतिविधियों में कोविड–19 प्रेरित संकुचन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को उच्च प्राथमिकता दे रही है। पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सीपीएसई द्वारा या तो अपने स्वयं के संसाधनों से या सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से किया जाता है। इस्पात मंत्रालय के तहत सीपीएसई के कैपेक्स को पूरी तरह से अपने स्वयं के संसाधनों यानी आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2020–21 में इस्पात सीपीएसई ने 7,215.96 करोड़ रुपये का कैपेक्स हासिल किया। चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2021–22) के दौरान, इस्पात मंत्रालय के सीपीएसई के लिए कैपेक्स लक्ष्य को बढ़ाकर 13,302 करोड़ रुपये (बीई) कर दिया गया है।

इस्पात सीपीएसई द्वारा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक में माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह।

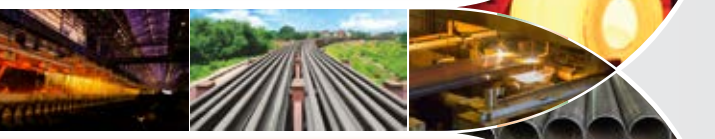

4.7.1.1 महामारी के बाद की अवधि में अवसंरचना को मजबूत करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में कैपेक्स के महत्व और पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के लिए कैपेक्स के लिए निर्धारित उच्च लक्ष्य को देखते हुए, मंत्रालय नियमित रूप से सीपीएसई के साथ कैपेक्स की निगरानी कर रहा है। केंद्रीय इस्पात मंत्री सेल, एनएमडीसी, आरआईएनएल, केआईओसीएल, मॉयल और मेकॉन के सीएमडी और इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस्पात सीपीएसई की कैपेक्स परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। इस्पात सीपीएसई को अपने कैपेक्स की गति बढ़ाने और गहन निगरानी तथा समयबद्ध परियोजना कार्यान्वयन के लिए दैनिक लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। लक्ष्यों की यह उपलब्धि कार्यबल को प्रेरित करेगी, भारत के इस्पात उत्पादन को बढ़ाएगी और उच्च विकास को बढ़ावा देगी। उन्होंने आगे सीएमडी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों को दो गुना करने का निर्देश दिया है कि वर्ष 2021–22 के लिए परियोजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए।

4.7.1.2 कैपेक्स में तेजी लाने के लिए स्टील सीपीएसई को प्रोत्साहित करने तथा निर्देशित करने के अलावा, मंत्रालय सीपीएसई द्वारा कैपेक्स परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए अंतर–मंत्रालयी मुद्दों पर भी ध्यान दे रहा है। इसके अलावा, इस्पात सीपीएसई को भी नियमित रूप से अपने निदेशक मंडल को कैपेक्स की प्रगति की रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है।

4.7.1.3 सीपीएसई-वार कैपेक्स की प्रगति निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	सीपीएसई	2020-21 में वास्तविक	बजट अनुमान 2021-22	31 जनवरी, 2022 तक अनुमानित
1.	सेल	4283.00	8000.00	4869.00
2.	एनएमडीसी	2031.00	3720.00	1670.00
3.	आरआईएनएल	737.37	595.00	575.17
4.	मॉयल	136.66	293.50	176.47
5.	केआईओसीएल	41.05	653.60	262.60
6.	अन्य	37.62	39.90	32.76
	कुल	**7266.70**	**13302.00**	**7586.00**

4.7.2 एनआईपी परियोजनाओं को सुविधा: इस्पात मंत्रालय अंतर–मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी) की बैठकों के माध्यम से संबंधित केंद्र/राज्य सरकार, मंत्रालयों/विभागों के साथ इस्पात कंपनियों की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को सक्रिय रूप से उठा रहा है और 2021 के दौरान मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिए आईएमएससी की 03 बैठकें आयोजित की गयीं।

4.7.3 जीईएम : इस्पात सीपीएसई द्वारा जीईएम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, अप्रैल–नवंबर, 2021 के दौरान ऑर्डर का मूल्य विगत वर्ष की समान अवधि से 4943.14% अधिक है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस्पात सीपीएसई द्वारा जीईएम पोर्टल के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद का विवरण चालू वित्त वर्ष के दौरान 21 नवंबर तक विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में निम्नलिखित है:

	अप्रैल-नवंबर 2020		अप्रैल-नवंबर 2021	
संगठन	**आदेशों की संख्या**	**आदेशों का मूल्य (रु. करोड में)**	**आदेशों की संख्या**	**आदेशों का मूल्य (रु. करोड में)**
इस्पात सीपीएसई	2116	72.15	7068	3638.63

4.7.4 एमएसएमई भुगतान: इस्पात मंत्रालय के सीपीएसई द्वारा एमएसएमई को लंबित भुगतान की स्थिति की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालू वित्त वर्ष के अप्रैल–नवंबर के दौरान 30 दिनों के भीतर भुगतान के 97.4% के साथ इस तरह के भुगतान के लिए 45 दिनों की समय सीमा के भीतर समयबद्ध और उचित प्रकार से भुगतान जमा किया जा रहा है। अप्रैल–नवंबर 2021 के दौरान, इस्पात सीपीएसई ने एमएसएमई को 3358.61 करोड़ रुपये का भुगतान किया है जो कि गत वर्ष की संगत अवधि के दौरान किए गए 2041.61 करोड़ रुपये के भुगतान से 64.5% अधिक है।

4.8 कोविड-19 से निपटने की कार्यवाही:

- **इस्पात कंपनियों द्वारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) की आपूर्ति:** कोविड–19 की दूसरी लहर के दौरान देश की एलएमओ आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस्पात क्षेत्र इस अवसर पर आगे आया। इस्पात संयंत्रों ने 01.04.2021 से 31.12.2021 तक 22 राज्यों को 2.96 लाख टन एलएमओ की आपूर्ति की। इस्पात संयंत्रों से एलएमओ की आपूर्ति, जो 01.04.2021 को मुश्किल से 538 टन थी, 13.05.2021 को 4749 टन के शिखर को छू गई। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के इस्पात संयंत्रों ने एलएमओ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तरल नाइट्रोजन और तरल आर्गन के उत्पादन को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए, जिससे हजारों लोगों की कीमती जान बच गई। इस्पात संयंत्रों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने उत्पादन को भी कम कर दिया कि अतिरिक्त गैसीय ऑक्सीजन, जो अन्यथा इस्पात बनाने के लिए उपयोग की जाती है, को एलएमओ में परिवर्तित किया जा सके और कोविड रोगियों को उपलब्ध कराया जा सके।

- **जंबो कोविड देखभाल सुविधा:** मौजूदा अस्पताल की अवसंरचना पर भार को कम करने और कोविड रोगियों के लिए एलएमओ पर निर्भरता को और कम करने के लिए, दिसंबर, 2021 तक जंबो कोविड देखभाल सुविधाओं के अंग के रूप में 5378 बिस्तरों को इस्पात संयंत्रों के आसपास गैसीय ऑक्सीजन का उपयोग करके स्थापित किया गया। कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन के साथ–साथ चिकित्सा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने में एक लंबा सफर तय किया गया है।

अध्याय-5

सार्वजनिक क्षेत्र

5.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) हैं। सीपीएसई और उनकी प्रमुख सहायक कंपनियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

5.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, और एक 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) है। भिलाई (छत्तीसगढ़), राउरकेला (ओडिशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखंड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में इसके पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं। सेल के पास तीन विशेष और मिश्रधातु इस्पात संयंत्र, अर्थात दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में मिश्र धातु इस्पात प्लांट, सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम (तमिलनाडु) और भद्रावती (कर्नाटक) में विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात संयंत्र हैं। सेल के पास कई इकाईयां भी हैं, अर्थात लौह एवं इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसीआईएस), अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी केंद्र (सीईटी), प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) और सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) जो सभी रांची में स्थित हैं, कोइलरी प्रभाग धनबाद में स्थित है, पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग (ईएमडी) और लॉजिस्टिक तथा अवसंरचना विभाग (एल एंड आई) कोलकाता में स्थित है, सेल ग्रोथ वर्क्स, कुलती में तथा सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट का मुख्यालय बोकारो में स्थित है। चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र (सीएफपी) चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, देशभर में कम्पनी के विपणन और वितरण का समन्वय करता है।

चंडीगढ़ में ग्राहक बैठक में माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह।

5.2.1 पूंजी संरचना

सेल की अधिकृत पूंजी 5,000 करोड़ रु. है। दिनांक 31.12.2021 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त पूंजी 4130.53 करोड़ रु. है, जिसमें से 65% भारत सरकार के पास है और शेष 35% वित्तीय संस्थानों, जीडीआर धारकों, बैंकों, कर्मचारियों, अलग–अलग व्यक्तियों, आदि के पास है।

5.2.2 वित्तीय प्रदर्शन

अप्रैल–दिसम्बर 2021 के दौरान कम्पनी ने 72,220 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान 68,452 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया था। कर पश्चात लाभ अप्रैल–दिसम्बर, 2021 के दौरान 9,597 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 3,850.02 करोड़ रुपये था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए रु 4.00 प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के अपने दौरे के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, एएसपी और आईएसपी की समीक्षा बैठक में।

5.2.3 उत्पादन प्रदर्शन

वास्तविक उत्पादन का विवरण इस प्रकार है:

(मिलियन टन में)

	2019-20	2020-21	2021-22*
गर्म धातु	17.438	16.582	13.816
कच्चा इस्पात	16.155	15.215	12.770
बिक्री योग्य इस्पात	15.147	14.602	12.455

* दिसम्बर, 2021 तक

वित्त वर्ष 20–21 की पहली तिमाही के दौरान, कोविड–19 (दूसरा चरण) के गंभीर प्रसार के मद्देनजर, सभी इस्पात संयंत्रों / इकाइयों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार / संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण सेल के इस्पात संयंत्रों के उत्पादन को विनियमित किया गया था।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में मीडियम स्ट्रक्चरल मिल में माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह।

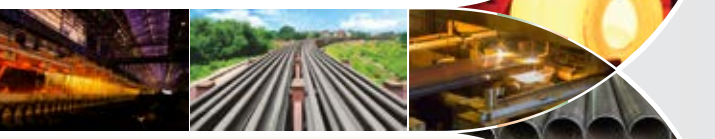

5.2.4 कच्चा माल

वर्ष 2021 के दौरान, सेल ने अपनी कैप्टिव खदानों से 34.63 मिलियन टन (एमटी) लौह अयस्क का उत्पादन करके अपने इस्पात संयंत्रों की लौह अयस्क की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा किया। कैप्टिव खदानों से फ्लक्स (चूना पत्थर और डोलोमाइट) का उत्पादन 1.88 एमटी था और सेल की कैप्टिव कोलियरियों से कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन 0.26 एमटी था। चसनाला वाशरी में 0.91 एमटी कच्चे कोयले को संसाधित किया गया, जिसे सेल कोयला खदानों से प्राप्त किया गया था और सीआईएल स्रोतों से खरीदा गया था और 0.45 एमटी वाश्ड कोकिंग कोयले का उत्पादन किया गया था।

खान मंत्रालय के दिनांक 16.09.2019, 03.12.2019 एवं 04.01.2020 के दिशा–निर्देशों के तहत दिनांक 31.03.2020 तक विभिन्न लौह अयस्क व्यापारिक खनन पट्टों की समाप्ति के कारण लौह अयस्क की आपूर्ति में संभावित व्यवधान से बचने के लिए, सेल ने संगत वर्ष 2021 के दौरान खुले बाजार में 4.31 एमटी लौह अयस्क फाइन्स/डंप्स/टेलिंग्स उपलब्ध की।

5.2.5 जन शक्ति

दिनांक 01.01.2022 के अनुसार सेल में कर्मचारियों की संख्या 62,960 (कार्यपालक 10632/गैर–कार्यपालक 52328) थी। 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक 2,604 कर्मचारी कम हो गए।

5.2.6 क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजनाएं

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर स्थित अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों तथा विशेष इस्पात संयंत्र, सेलम में आधुनिकीकरण और विस्तार योजना (एमईपी) का काम किया। इस योजना के तहत कच्चे इस्पात उत्पादन क्षमता के 12.8 मिलियन टन प्रति वर्ष से 21.4 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की परिकल्पना की गयी। तथापि सेल की वर्तमान प्रचालित कच्चे इस्पात क्षमता 19.51 एमटीपीए है।

भिलाई, राउरकेला, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो और सेलम इस्पात संयंत्रों में आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम पूरा हो चुका है और विभिन्न सुविधाएं परिचालन, स्थिरीकरण और वृद्धि के तहत हैं। एमईपी के तहत बीम ब्लैंक कॉस्टर के रूप में परिकल्पित भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस–III में 4 कैस्टर में से एक ब्लूम–कम–बीम ब्लैंक कॉस्टर में परिवर्तित हो रहा है।

परिवर्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन (एएमआर) परियोजनाएं

आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं के अलावा, सेल समय–समय पर एएमआर योजनाओं के तहत पूंजी निवेश करता है। वर्ष 2021 के दौरान शुरू की गई/पूरी की गई बड़ी परियोजनाओं (लागत 50 करोड़ रुपये से अधिक) की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

पूरी की गयी सुविधाएं:

- दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में स्टील मेल्टिंग शॉप के तीनों कन्वर्टर्स में कन्वर्टर शेल्स का प्रतिस्थापन।
- दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 2x20 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र के लिए बिजली निकासी।
- भिलाई इस्पात संयंत्र में बीएफ–4 के लिए स्टोव का उन्नयन।

दिये गये ऑर्डर :

- भिलाई इस्पात संयंत्र की डल्ली माइंस के सीएसडब्ल्यू संयंत्र (क्रशिंग स्क्रीनिंग वाशिंग प्लांट) के वाशिंग सर्किट में परिवर्तन।
- बोकारो इस्पात संयंत्र में प्रस्तावित 2000 टीपीडी बीओओ ऑक्सीजन संयंत्र के लिए बिजली आपूर्ति व्यवस्था।

5.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत देश का पहला तट–आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र और नवरत्न सीपीएसई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र की कॉर्पोरेट इकाई है और इसका पंजीकृत कार्यालय विशाखापट्टणम में है।

आरआईएनएल के पास विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश में 7.3 एमटीपीए तरल इस्पात क्षमता का एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इसके अलावा, कंपनी आंध्र प्रदेश में जग्ग्यापेटा खान (चूना पत्थर), गर्भम (मैंगनीज) खान और तेलंगाना राज्य में माधराम खान (डोलोमाइट) नामक तीन खदानों का संचालन करती है। आरआईएनएल के पास आंध्र प्रदेश के किंतदा और सारेपल्ली में क्रमशः क्वार्टजाइट और रिवर सैंड खदानें भी हैं।

51% शेयरधारिता के साथ कंपनी की एक सहायक इकाई ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल) है जिसकी 2 सहायक कंपनियां मेसर्स ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) और मैसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) हैं। ये तीनों कंपनियां दिनांक 19.03.2010 से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बन गईं और इन कंपनियों का मुख्यालय भुवनेश्वर (ओडिशा) में है।

आरआईएनएल अपने उत्पादों का विपणन 5 क्षेत्रीय कार्यालयों/स्टॉक यार्डों के एक विस्तृत विपणन नेटवर्क के माध्यम से कर रहा है जो देश भर में वितरण आवश्यकताओं को पूरा करता है।

आरआईएनएल ने आयात प्रतिस्थापन के लिए भारतीय रेलवे की आवश्यकता को पूरा करने हेतु लालगंज, उत्तर प्रदेश में फोर्ज्ड व्हील प्लांट (एफडब्ल्यूपी) की स्थापना की। परियोजना परीक्षण/ट्रायल के चरण में है।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आरआईएनएल के फोर्ज्ड व्हील प्लांट के दौरे के दौरान माननीय केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते।

5.3.1 पूंजी संरचना

आरआईएनएल–वीएसपी इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 8000 करोड़ रुपये है और दिनांक 31.12.2021 तक 4889.85 करोड़ रुपये जारी/अभिदत्त/पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी है।

5.3.2 वित्तीय प्रदर्शन

आरआईएनएल ने अप्रैल 2021 से दिसम्बर 2021 की अवधि के दौरान 19,401 करोड़ रुपये (अनंतिम) का कारोबार दर्ज किया और उत्पादन, बिक्री तथा योगदान मार्जिन में समग्र सुधार के साथ गत वर्ष की समान अवधि (सीपीएलवाई) के दौरान 1,839 करोड़ रुपये की तुलना में दिसम्बर, 2021 तक 790 करोड़ रुपये (अनुमानित) का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

5.3.3 उत्पादन प्रदर्शन

(मिलियन टन में)

उत्पादन	2019-20	2020-21	2021-22*
गर्म धातु	5.161	4.682	4.428
कच्चा इस्पात	4.759	4.302	4.010
बिक्री योग्य इस्पात	4.452	4.163	3.885

* दिसम्बर, 2021 तक अनंतिम

5.3.4 कच्चा माल

आरआईएनएल के पास प्रमुख कच्चे माल लौह अयस्क और कोकिंग कोयले के लिए कैप्टिव खदान नहीं हैं। कंपनी मुख्य रूप से एनएमडीसी और आंशिक रूप से नीलामियों/निविदाओं से लौह अयस्क की खरीद कर रही है। कोकिंग कोयले मुख्य रूप से वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त होता है।

5.3.5 जन शक्ति

31 दिसम्बर, 2021 के अनुसार आरआईएनएल में कर्मचारियों की संख्या 15928 (कार्यपालक 5258 और गैर–कार्यपालक 10670) थी, जिसमें 31 दिसम्बर, 2021 तक 786 कर्मचारियों को कम कर दिए गए।

5.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की एक 'नवरत्न' कंपनी है, जो मुख्य रूप से उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए खनिजों की खोज और खदानों के विकास में लगी हुई है। यह इस्पात बनाने और अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों की दिशा में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है।

माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह की एनएमडीसी खदान का दौरा।

15 नवंबर, 1958 को निगमित, एनएमडीसी छह दशकों से राष्ट्र के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है और राष्ट्र निर्माण की अपनी यात्रा में मजबूती प्रदान कर रहा है। एकल–उत्पाद–एकल–ग्राहक कंपनी से एनएमडीसी घरेलू इस्पात उद्योगों के लिए एक प्रमुख लौह अयस्क आपूर्तिकर्ता बन गया है।

एनएमडीसी देश में बेलाडिला (छत्तीसगढ़) और दोनिमलाई (कर्नाटक) में बड़ी मशीनीकृत लौह अयस्क खदानों का प्रचालन करता है। एनएमडीसी का डायमंड माइन पन्ना (मध्य प्रदेश) में स्थित है। एनएमडीसी की स्पंज आयरन इकाई पलोंचा, तेलंगाना में और 1.2 एमटी क्षमता का पेलेट संयंत्र कर्नाटक में स्थित है।

5.4.1 पूंजी संरचना

कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 400 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.12.2021 के अनुसार प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 293.07 करोड़ रुपये थी जिसमें से 60.79 प्रतिशत भारत सरकार के पास है और शेष 39.21 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/बैंकों/व्यक्तियों/कर्मचारी आदि के पास है।

5.4.2 वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2021–22 (दिसम्बर 2021 तक) में कम्पनी ने 19,179 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया। इस वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ 7,583 करोड़ रुपये था (अनंतिम, दिसम्बर 2021 तक)।

5.4.3 उत्पादन प्रदर्शन

वास्तविक उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

मदें	2019-20	2020-21	2021-22*
लौह अयस्क (एमटी में)	31.49	34.15	28.33

*दिसंबर 2021 तक वास्तविक

5.4.4 जन शक्ति

दिनांक 31.12.2021 के अनुसार एनएमडीसी की जन शक्ति 5464 थी।

5.4.5 प्रमुख विस्तार/पहल:

- एनएमडीसी जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ के निकट नगरनार में 3.0 एमटीपीए का एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहा है। संयंत्र पूरा होने के अंतिम चरण में है और लगभग 98% सिविल कार्य, 98% संरचनात्मक निर्माण और 96% उपकरण निर्माण पूरा हो चुका है। प्री–कमीशनिंग गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं और विभिन्न अवसंरचना जैसे पानी, बिजली, सामग्री की आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक आदि के कार्य पूरे हो गए हैं।

- एनएमडीसी ने स्लरी पाइपलाइन परियोजना का निर्माण शुरू किया है जिसमें नगरनार में 2.0 एमटीपीए पेलेट संयंत्र, बचेली में 2.0 एमटीपीए अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र और छत्तीसगढ़ राज्य में बचेली से नगरनार तक 130 किलोमीटर स्लरी पाइपलाइन और इसकी सहायक प्रणाली शामिल है। स्लरी पाइपलाइन लेयिंग पैकेज, स्लरी पंप हाउस पैकेज और मुख्य सबस्टेशन पैकेज जैसे प्रमुख पैकेज दिए गए हैं और साइट पर काम प्रगति पर है। एनएमडीसी पेलेट और अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र के प्रौद्योगिकी पैकेज जैसे शेष पैकेजों के लिए एजेंसियां तय करने की अंतिम प्रक्रिया में है।

- एनएमडीसी ने किरंदुल कॉम्प्लेक्स, बेलाडीला, छत्तीसगढ़ में 12.0 एमटीपीए स्क्रीनिंग संयंत्र–III की स्थापना शुरू की है। ड्राई सर्किट पैकेज, सबस्टेशन पैकेज, बिल्डिंग पैकेज जैसे प्रमुख पैकेज दिए गए हैं और साइट पर काम प्रगति पर है। एनएमडीसी वेट सर्किट और आरडब्ल्यूएलएस पैकेज जैसे शेष पैकेज के लिए एजेंसियां तय करने की अंतिम प्रक्रिया में है।

एनएमडीसी निम्नलिखित अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाओं को स्थापित करके अपने उत्पादन और निकासी क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया में भी है:

- मौजूदा स्क्रीनिंग संयंत्र–II में 5वीं स्क्रीनिंग लाइन का निर्माण और किरंदुल कॉम्प्लेक्स, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में डाउनस्ट्रीम कन्वेयर का उन्नयन कार्य जनवरी–21 में शुरू किया गया है और संयंत्र चालू है।

- मौजूदा स्क्रीनिंग संयंत्र में 5वीं स्क्रीनिंग लाइन का निर्माण और डिपोजिट–5, बचेली कॉम्प्लेक्स, बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में साइट पर डाउनहिल कन्वेयर सिस्टम का उन्नयन कार्य प्रगति पर है।

- दोणिमलै कॉम्प्लेक्स, कर्नाटक में 7.0 एमटीपीए स्क्रीनिंग और बेनेफिसिएशन संयंत्र–II की स्थापना। एनएमडीसी इस परियोजना के लिए सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। समानांतर रूप से निविदा दस्तावेजों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह, एनएमडीसी के दोणिमलै लौह अयस्क में 7.0 एमटीपीए स्क्रीनिंग और बेनिफिशिऐशन संयंत्र की आधारशिला रखते हुए।

- जमा कार्य के आधार पर किरंदुल–जगदलपुर (लगभग 150 किमी) के बीच किरंदुल–कोट्टावलासा लाइन का ईस्ट कॉस्ट रेलवे के माध्यम से दोहरीकरण। 85 किलोमीटर का दोहरीकरण पूरा हो गया है और प्रचालन में है। इसके अलावा, और 21 किमी का दोहरीकरण शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। शेष 44 किलोमीटर के दोहरीकरण (किरंदुल और दंतेवाड़ा के बीच) को दिसंबर, 2022 तक उत्तरोत्तर पूरा करने की योजना है।

एनएमडीसी लिमिटेड की सौर परियोजनाएं

- विभिन्न उत्पादन इकाइयों में ''रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट (1 मेगावाट)'' की स्थापना पूरी हो चुकी है और जुलाई 2019 से प्रचालन में है। एनएमडीसी बचेली टाउनशिप, दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ में 425 किलोवाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया में भी है।

5.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल एक अनुसूची–ए मिनीरत्न श्रेणी–1 सीपीएसई है। मॉयल घरेलू उत्पादन में लगभग 48 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। मॉयल ने लगभग 1500 एमटीपीए क्षमता का इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) का निर्माण करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित एक संयंत्र की स्थापना की है। यह उत्पाद मुख्य रूप से शुष्क बैटरी सेल के निर्माण में उपयोग किया जाता है। मॉयल द्वारा उत्पादित ईएमडी अच्छी गुणवत्ता का है और बाजार द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। मॉयल द्वारा मूल्यवर्धन के लिए 12,000 एमटीपीए की वर्तमान क्षमता का एक फेरो मैगनीज संयंत्र भी 1998 से संचालित किया जा रहा है।

विगत में, नागपुर और भंडारा जिलों में पूर्वेक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 814.71 हेक्टेयर क्षेत्र मॉयल के पक्ष में आरक्षित किया गया था। हाल ही में, गवेषण और अपेक्षित मंजूरी के बाद, कोडेगांव में 126.84 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) दी गई है, जो मॉयल की गुमगांव खदान से सटा हुआ है। चूंकि पहचाने गए संसाधन सतह से 200 मीटर से अधिक की गहराई पर उपलब्ध हैं, इसलिए भूमिगत खनन का सहारा लेना होगा। इसे देखते हुए, मॉयल खदान के लिए जमीन की खरीद और अन्य सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस बीच, एक नए शाफ्ट की सिंकिंग के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। यह एक नई खदान होगी – कंपनी की 12वीं खदान और स्थापना के बाद से पहली नई भूमिगत खदान होगी।

मॉयल की तिरोड़ी खदान में चिकला माइन, माइन हॉस्पिटल्स और प्रशासनिक भवन में दूसरे वर्टिकल शाफ्ट के उद्घाटन के दौरान माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह और माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी।

मॉयल ने मध्य प्रदेश के चार जिलों, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर और झाबुआ के रिमोट सेंसिंग अध्ययन के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत मैंगनीज युक्त क्षेत्रों की पहचान की है। रिपोर्ट के आधार पर, इन चार जिलों के संभावित क्षेत्रों में मॉयल ने क्षेत्र सर्वेक्षण किया है और मध्य प्रदेश के सरकार से कोर ड्रिलिंग की अनुमति के लिए आवेदन किया है। हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार ने गवेषण कार्य करने के लिए बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में क्रमशः 850 वर्ग किमी और 487 वर्ग किमी क्षेत्र आरक्षित किए हैं। इससे मॉयल, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों के आरक्षित क्षेत्रों में गवेषण परियोजना शुरू की जा सकेगी। अन्य दो जिलों अर्थात जबलपुर और झाबुआ के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह बालाघाट भूमिगत खदान के अपने दौरे के दौरान।

5.5.1 पूंजी संरचना

31 दिसम्बर 2021 के अनुसार कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 300.00 करोड़ रुपये और 237.33 करोड़ रुपये है। मॉयल को 15 दिसम्बर 2010 को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज और बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार की चालू शेयरधारिता क्रमशः 53.84 प्रतिशत, 5.40 प्रतिशत और 5.11 प्रतिशत है, तथा शेष 35.65 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में है।

5.5.2 वित्तीय प्रदर्शन

(करोड रु में)

मानदंड	2019-20	2020-21	2021-22*
कुल आय	1219.18	1279.85	1028.15
कर पूर्व लाभ	340.49	240.11	282.46
कर पश्चात लाभ	248.22	176.63	211.37

*दिसम्बर, 2021 तक अनंतिम

5.5.3 उत्पादन प्रदर्शन

मान	2019-20	2020-21	2021-22*
मैंगनीज अयस्क (लाख मीट्रिक टन)	12.77	11.43	8.59
ई.एम.डी.(मीट्रिक टन)	925	1070	879
फेरो मैंगनीज (मीट्रिक टन)	10421	8851	7618

*दिसम्बर, 2021 तक अनंतिम

5.5.4 जन शक्ति

दिनांक 31.12.2021 के अनुसार मॉयल की जन शक्ति 5802 थी।

5.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय के तहत एक मिनिरत्न सीपीएसई, धातु और खनन, ऊर्जा (विद्युत, तेल और गैस), अवसंरचना, पर्यावरण इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित/विविध क्षेत्रों में एक अग्रणी बहु–अनुशासनात्मक डिजाइन, इंजीनियरिंग, परामर्श और अनुबंधात्मक अनुबंध संगठन है जिसके पास व्यापक विदेशी अनुभव है। मेकॉन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए टर्नकी कार्यान्वयन सहित अवधारणा से लेकर अधिग्रहण तक आवश्यक सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। मेकॉन एक आईएसओ 9001 मान्यता प्राप्त कंपनी है और यह विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, यूरोपीयन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एड डेवलपमेंट और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ पंजीकृत है। मेकॉन ने बदलते व्यापार परिदृश्य से उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यवसाय के नए क्षेत्रों में भी कदम रखा है।

5.6.1 वित्तीय प्रदर्शन

(करोड़ रुपये में)

मानदंड	2019-20	2020-21	2021-22*
कारोबार	561.17	718.00	280.10
प्रचालन लाभ	38.68	(25.34)	(106.37)
पीबीटी	87.03	19.11	(82.27)
पीएटी	69.00	6.24	(82.27)

*दिसम्बर, 2021 तक अनंतिम

5.6.2 जन शक्ति

दिनांक 31.12.2021 के अनुसार मेकॉन की जन शक्ति क्षमता 1138 थी।

5.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत 9 सितंबर, 1964 को कोलकाता में ''मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड'' के रूप में निगमित किया गया था। एमएसटीसी लिमिटेड वर्ष 1982–83 में पीएसयू बना। यह फरवरी 1992 तक कार्बन स्टील के पिघलने वाले स्क्रैप, स्पंज आयरन, हॉट ब्रिकेटेड आयरन और री–रोलेबल स्क्रैप के आयात के लिए कैनालाइजिंग एजेंसी थी। यह पुराने जहाजों को तोड़ने लिए के भी डिकैनालाइजिंग एजेंसी थी और इस प्रकार के सामानों के आयात अगस्त 1991 से शुरू हुआ था। बाद में कम्पनी मुख्य रूप से ई–नीलामी/ई–प्रापण सेवाओं में विविधीकृत हो गयी। इस खंड के तहत, कंपनी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों से लौह और अलौह स्क्रैप, अधिशेष भंडार, प्रयोग में न रहे संयंत्रों, खनिजों, कृषि और वन उपज आदि का निपटान करती है। व्यापार प्रभाग आयात के साथ–साथ वास्तविक उपयोगकर्ताओं सहित व्यापारियों के लिए थोक में औद्योगिक कच्चे माल की घरेलू आपूर्ति भी करता है। यह विभाग निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों की ओर से इस्पात, तेल और गैस, पावर सेक्टरों में कम राख धातुकर्म कोक, एचआर कॉइल, नेफ्था, कच्चा तेल, कोकिंग कोल, स्टीम कोयला, लाइन पाइप आदि जैसे औद्योगिक कच्चे माल की सोर्सिंग, खरीद और बिक्री की देखरेख करता है। प्रमुख गतिविधियों में निम्नानुसार शामिल हैं:

ई-कॉमर्स: व्यापार के इस खंड के तहत, एमएसटीसी विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों और अन्य निजी संस्थाओं के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष बिक्री और खरीद को सुनिश्चित करने के लिए एक स्टैंडअलोन और तटस्थ ई–कॉमर्स सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। एमएसटीसी पूरी तरह से घरेलू संचालन के साथ व्यापार के इस खंड के तहत एकमात्र पीएसयू के रूप में विकसित हुआ है और ई–कॉमर्स क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बन गया है।

पुनर्चक्रण: एमएसटीसी ने एंड–ऑफ–लाइफ व्हीकल (ईएलवी) से स्क्रैप के प्रसंस्करण के लिए भारत में पहला मैकेनाइज्ड ऑटो श्रेडिंग प्लांट स्थापित किया है। एक संयुक्त उद्यम कंपनी महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया है। ग्रेटर नोएडा में एंड–ऑफ–लाइफ वाहनों (ईएलवी) के लिए कंपनी के पहला संग्रहण और विघटन संयंत्र ने दो वर्ष के संचालन को पूरा कर लिया है। चेन्नई स्थित कंपनी के दूसरे संयंत्र ने फरवरी 2020 से प्रचालन शुरू कर दिया है। पुणे में एक और संयंत्र का प्रचालन शुरू हुआ। आने वाले वर्षों में कम्पनी की योजना इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद तथा कोलकाता में इसी प्रकार के संयंत्र स्थापित करने की है।

एमएसटीसी लिमिटेड के नए कॉर्पोरेट कार्यालय भवन, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता में, माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह, द्वारा 26 अगस्त, 2021 को माननीय केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया।

5.7.1 पूंजी संरचना

दिनांक 31.12.2021 के अनुसार कम्पनी की अधिकृत पूंजी 150.00 करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी 70.40 करोड़ रुपये है। भारत सरकार के पास इसका 64.75 प्रतिशत हिस्सा है और शेष 35.25 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक एवं अन्य के पास है।

5.7.2 भौतिक प्रदर्शन

(करोड़ रुपए में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22*
ई–कॉमर्स	126238.91	128796.31	105000.98
ट्रेडिंग	1152.32	189.59	326.85
कुल व्यापार की मात्रा	127391.23	128985.90	105327.83

* दिसंबर, 2021 तक अनंतिम

5.7.3 वित्तीय प्रदर्शन

(करोड़ रुपए में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22*
टर्नओवर	830.71	427.75	411.50
परिचालन लाभ	131.53	117.16	133.84
कर पूर्व लाभ	129.49	114.68	131.34
कर पश्चात लाभ	75.20	101.07	85.39

* दिसंबर, 2021 तक अनंतिम

5.7.4 जन शक्ति

दिनांक 31.12.2021 के अनुसार एमएसटीसी की जन शक्ति क्षमता 318 थी।

5.8 केआईओसीएल लिमिटेड

इस्पात मंत्रालय के तहत अनुसूची–क, ''मिनी–रत्न–श्रेणी–I'' सीपीएसई केआईओसीएल लिमिटेड (पूर्व की कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड) को कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरु जिले में कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान से निम्न ग्रेड मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन तथा लाभ के उद्देश्य से दिनांक 02.04.1976 को निगमित किया गया था। भारत सरकार के पास कम्पनी की इक्विटी का 99.03 प्रतिशत हिस्सा है। यह कम्पनी वर्तमान में मेंगलुरू में 3.5 एमटीपीए पेलेटाइसेशन संयंत्र तथा 0.216 एमटीपीए मिनी ब्लास्ट फर्नेस यूनिट के अपने विनिर्माण से लौह अयस्क पेलेट तथा फाउंड्री ग्रेड पिग आयरन के विनिर्माण एवं बिक्री का व्यवसाय करती है। कंपनी के पास मेंगलुरू में अपने कैप्टिव बर्थ और जहाज–लोडिंग की सुविधा है। विनिर्माण सुविधाओं को आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 से मान्यता प्राप्त है।

नकारात्मक योगदान के कारण ब्लास्ट फर्नेस यूनिट का संचालन दिनांक 05.08.2009 से निलंबित कर दिया गया था। कंपनी अपने संचालन को व्यवहार्य बनाने के लिए मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस यूनिट अर्थात कोक ओवन प्लांट और डक्टाइल आयरन स्पन पाइप (डीआईएसपी) प्लांट के फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के रूप में अतिरिक्त उत्पादन सुविधाओं को जोड़ने की प्रक्रिया में है।

यह कंपनी विविधीकरण गतिविधियों के तहत संचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान कर रही है।

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत केआईओसीएल को गवेषण इकाई के रूप में अधिसूचित किया। तदनुसार, कंपनी ने देश के लिए खनिज भंडार की खोज के व्यवसाय में कदम रखा है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27.02.2020 के पत्र के माध्यम से मंगलुरू में ब्लास्ट फर्नेस के मौजूदा परिसर में कोजेन कैप्टिव पावर प्लांट (10 मेगावाट) और डक्टाइल आयरन स्पन पाइप (डीआईएसपी) (0.2 एमटीपीए)

के साथ नॉन–रिकवरी कोक ओवन संयंत्र (0.18 एमटीपीए) की स्थापना के लिए पर्यावरण मंजूरी दी थी। केआईओसीएल ने मुख्य पैकेजों के लिए वैश्विक निविदाएं जारी की हैं।

कर्नाटक सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 17 क (2) के तहत लौह और मैंगनीज अयस्क के खनन के लिए केआईओसीएल के पक्ष में देवदारी रेंज, संदूर तालुक, बेल्लारी जिले में 470.40 हेक्टेयर लौह अयस्क ब्लॉक के आरक्षण के लिए दिनांक 23.01.2017 में राजपत्र अधिसूचना जारी की। केआईओसीएल ने खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अधिकारियों से सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस दिशा में, केआईओसीएल लिमिटेड के पक्ष में देवदारी हिल रेंज में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के खनन के लिए 401.5761 हेक्टेयर वन भूमि के डाइवर्जन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), भारत सरकार ने अपने दिनांक 24 जून, 2021 पत्र द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के चरण–I / सैद्धांतिक अनुमोदन की सूचना दी।

5.8.1 भौतिक प्रदर्शन

(मिलियन टन में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22*
लौह अयस्क पेलेट का उत्पादन	2.375	2.210	1.385
लौह अयस्क पेलेट की बिक्री	2.356	2.311	1.261

* दिसंबर, 2021 तक अनंतिम

5.8.2 वित्तीय प्रदर्शन

(करोड रु में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
प्रचालनों से राजस्व	1,887.71	1,937.65	2,383.61	1868
कर पूर्व लाभ	184.12	63.68	410.23	102.64
कर पश्चात लाभ	111.86	43.48	301.17	76.81

* दिसंबर, 2021 तक अनंतिम

5.8.3 जन शक्ति

दिनांक 31.12.2021 के अनुसार केआईओसीएल की जन शक्ति क्षमता 709 थी।

5.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल, एमएसटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसकी प्रदत्त पूंजी 3200 लाख रुपए है। एफएसएनएल पूरे भारत में संयंत्रों के लिए स्क्रैप और स्लैग प्रबंधन की अपनी विशेष सेवाएं प्रदान कर रहा है। एफएसएनएल का मुख्य उद्देश्य लोहा और इस्पात बनाने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न स्लैग और स्क्रैप को कचरे के रूप में पुनर्चक्रित करके ''अपशिष्ट से धन'' उत्पन्न करना है। एफएसएनएल न केवल देश के मूल्यवान खनिज संसाधनों को बचा रहा है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान दे रहा है। इसके अलावा, कंपनी स्लैब के स्काफिंग और हॉट स्लैग पिट प्रबंधन जैसी इस्पात मिल सेवाएं भी प्रदान कर रही है।

एफएसएनएल मल्टी लोकेशनल कंपनी है जिसका भिलाई–छत्तीसगढ़ में पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय है और वर्तमान में सेल–राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, सेलम, आरआईएनएल–विशाखापट्टणम, में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड हाजीरा और मिधानी–हैदराबाद को सेवाएं प्रदान कर रहा है।

भौतिक प्रदर्शन

मद	2019-20	2020-21	2021-22*
स्क्रैप की रिकवरी (लाख मीट्रिक टन)	48.59	34.37	27.36
उत्पादन का बाजार मूल्य (करोड रुपए में)	4275.94	3024.79	2407.64

* दिसंबर, 2021 तक अनंतिम

वित्तीय प्रदर्शन

(लाख रुपए में)

मद	2019-20	2020-21	2021-22*
कुल टर्नओवर अर्थात सर्विस चार्ज, जिसमें विविध आय आदि भी शामिल हैं	40989.64	36496.85	30585
ब्याज और मूल्यहास से पहले सकल मार्जिन	6186.21	4851.82	5444
ब्याज और मूल्यहास	1584.53	1645.33	1205
कर पूर्व लाभ	4601.68	3206.49	4239
कर पश्चात लाभ	3058	2275	3172

* दिसंबर, 2021 तक अनंतिम

5.10 ईआईएल, ओएमडीसी तथा बीएसएलसी

क. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहायक कंपनी ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ईआईएल), इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक उद्यम है। ईआईएल एक निवेश कंपनी है और दो खनन कंपनियों यानी ओएमडीसी और बीएसएलसी की होल्डिंग कंपनी है।

भौतिक प्रदर्शन

(करोड रुपए में)

मापदंड	2021-22*
कुल आय	0.78
व्यय	0.36
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	0.42
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	0.33

* दिसंबर, 2021 तक अनंतिम

ख. ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी)

ओडिसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) एक खनन कंपनी है, जो ओडिशा के जिला क्योंझर में अपनी खदानों से लौह और मैंगनीज अयस्क के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। ओएमडीसी 19.03.2010 से आरआईएनएल की सहायक कंपनी बन गई और इस्पात मंत्रालय के तहत एक अनुसूचित 'बी' पीएसयू है।

वित्तीय प्रदर्शन

(करोड रु. में)

विवरण	2020-21*
आय	77.54
व्यय	59.99
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	17.55
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	14.05

* दिसंबर, 2021 तक अनंतिम

ग. बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी)

बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) एक खनन कंपनी है, जो ओडिशा के जिला सुंदरगढ़ में अपनी खदानों से डोलोमाइट और चूना पत्थर के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। बीएसएलसी दिनांक 19.03.2010 से आरआईएनएल की सहायक कंपनी बन गई और इस्पात मंत्रालय के तहत एक अनुसूची 'सी' पीएसयू है।

भौतिक प्रदर्शन

(टन में)

उत्पादन	2020-21*
चूना पत्थर	54,871
डोलोमाइट	9,16,092
डिस्पैच	
चूना पत्थर	3,869
डोलोमाइट	8,94,825

* दिसंबर, 2021 तक अनंतिम

भौतिक प्रदर्शन

(करोड रु में)

विवरण	2020-21*
आय	84.62
व्यय	77.72
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	5.95
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	5.8

* दिसंबर, 2021 तक अनंतिम

अध्याय-6

निजी क्षेत्र

6.1 प्रस्तावना

इस्पात उद्योग का निजी क्षेत्र वर्तमान में देश में इस्पात के उत्पादन एवं इस्पात उद्योग में वृद्धि करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निजी क्षेत्र की इकाइयों में एक ओर तो बड़े पैमाने के इस्पात उत्पादक और दूसरी ओर स्पंज लौह संयंत्रों, मिनी–ब्लास्ट फर्नेश यूनिटों, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेश, रि–रोलिंग मिलें, कोल्ड–रोलिंग मिलें तथा कूलिंग इकाइयों जैसी अपेक्षाकृत लघु एवं मध्यम पैमाने की इकाइयाँ दोनों शामिल होती हैं। वे न केवल प्रमुख एवं द्वितीयक इस्पात के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अपितु गुणवत्ता, नवीनता एवं लागत संबंधी प्रभावकारिता के संदर्भ में पर्याप्त मूल्य संवर्धन भी करती हैं।

6.2 निजी क्षेत्र में अग्रणी इस्पात उत्पादक और उनकी क्षमताओं के बारे में नीचे सारणी में दिया गया है:–

क्र. सं.	इस्पात कंपनी का नाम	वर्ष 2021-22 के लिए मौजूदा क्षमता (एमटीपीए में)
1.	टाटा स्टील लिमिटेड	23.00
2.	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	19.40
3.	आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इण्डिया लिमिटेड	9.60
4.	जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड	8.00
5.	ईएसएल स्टील लिमिटेड	1.88
6.	जिन्दल स्टैनलैस लिमिटेड	1.10
7.	जिन्दल स्टैनलैस (हिसार) लिमिटेड	0.78

स्रोत : जेपीसी

नोटः ऊपर यथा उपलब्ध आंकड़े अनंतिम हैं तथा जेपीसी द्वारा अन्तिम रूप से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के संशोधन के अध्यधीन हैं। संबंधित कंपनी के द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के साथ ही ये आंकड़े बदल सकते हैं।

6.3 टाटा स्टील समूह

टाटा स्टील ग्रुप प्रति वर्ष 33 मिलियन टन कच्चे इस्पात क्षमता के साथ अग्रणी वैश्विक इस्पात कंपनियों में से एक है। विश्व में प्रचालन एवं वाणिज्यिक विद्यमानता के साथ यह विश्व के भौगोलिक दृष्टि से सबसे अधिक विविधता उत्पन्न करने वाले इस्पात उत्पादकों में से एक है। इस समूह ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 1,56,294 करोड़ रु. का समेकित कारोबार दर्ज किया। वर्ष 2021 में, टाटा स्टील के जमशेदपुर संयंत्र को वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम द्वारा ग्लोबल लाइटहाउस के रूप में मान्यता दी गई थी। टाटा स्टील लिमिटेड की मौजूदा क्षमता 14 मिलियन टन की है। टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड और टाटा स्टील लॉग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को मिलाकर टाटा स्टील की कुल उत्पादन क्षमता भारत में 20.6 मिलियन टन की है।

6.4 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड भारत में एक अग्रणी एकीकृत इस्पात कम्पनी है, जिसकी संस्थापित क्षमता 28 एमटीपीए है तथा भारत और विदेश में इसका विस्तार करने की योजना है। विजयनगर कर्नाटक स्थित जेएसडब्ल्यू स्टील की विनिर्माण इकाई भारत में सबसे बड़ी एकमात्र स्थल इस्पात – उत्पादन इकाई है और इसकी क्षमता 12 एमपीटीए है। दीर्घकालीन विकास की नीवं रखते समय यह कम्पनी अत्याधुनिक, कटिंग–एज प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवोन्मेष के क्षेत्र में सबसे आगे रही है। निर्माण, ऑटोमोबाइल, यंत्रों एवं अन्य क्षेत्रों में विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु उच्च मूल्य विशेष इस्पात उत्पाद प्रदान करने के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकी की अग्रणी कंपनियों के साथ रणनीतिक सहयोग करती है।

कर्नाटक में जिन्दल विजयनगर इस्पात संयंत्र में दौरा करते समय माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह।

6.5 आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इण्डिया (एएम/एनएस इण्डिया)

10 मिलियन टन की वर्तमान वार्षिक क्षमता के साथ आर्सेलर मित्तल और निप्पन स्टील के बीच एक संयुक्त उद्यम एएम/एनएस इण्डिया की स्थापना दिसंबर, 2019 में की गई थी। एएम/एनएस इण्डिया लौह–अयस्क से रेडी–टू–मार्केट उत्पादों तक एक एकीकृत फ्लैट कार्बन इस्पात विनिर्माता है। कम्पनी की भारत में फैली विनिर्माण इकाइयों में लोहा तैयार करने, इस्पात तैयार करने तथा डाउनस्ट्रीम सुविधाएं शामिल हैं। एएम/एनएस इण्डिया इस्पात के 300 से अधिक ग्रेड प्रदान करती है, जो सभी अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होते है तथा भारत और विदेश में ग्राहकों के लिए एक उत्तरदायी एवं विश्वसनीय प्रदाता मानी गई है। उनके उत्पादों को भारतीय एवं वैश्विक उद्योग निकायों द्वारा मान्यता दी गई है। यह कम्पनी 20 मिलियन टन की मौजूदा वार्षिक क्षमता के साथ महत्वपूर्ण लौह अयस्क पैलेटाइजेशन सुविधाओं का भी प्रचालन करती है।

6.6 जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड

जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड एक औद्योगिक बिजली घर है तथा महत्वपूर्ण वैश्विक मौजूदगी के साथ भारतीय इस्पात उद्योग की अग्रणी कम्पनियों में से एक है। यह विश्व में सबसे बड़े कोयला आधारित स्पंज लौह–संयंत्र का प्रचालन करती है और घरेलू विद्युत, खनन एवं अवसंरचना क्षेत्रों में इसकी मजबूत स्थिति है। कम्पनी की भौगोलिक पदचिन्ह एशिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और मध्य एशिया में फैली हुई हैं।

कंपनी बैकवार्ड और फारवर्ड एकीकरण के माध्यम से सस्ती और उपयुक्त इस्पात एवं विद्युत का उत्पादन करती है। कम्पनी का उत्पाद पोर्टफोलियों में व्यापक चौड़े फ्लैट उत्पादों से लेकर सम्पूर्ण रेंज के लम्बे उत्पादों और रेलों तक की इस्पात मूल्य चैन हैं। जेएसपीएल के पास 4554 M3 आयतन वाली ब्लास्ट फर्नेश 2.75 एमटीपीए न्यू इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन फर्नेश (एनईओएफ), 5 मीटर चौड़ी प्लेटों से लेकर भारत में अब तक निर्मित व्यापक चौड़ी प्लेटों का उत्पादन करने में सक्षम उन्नत प्लेट मिल, 9 एमटीपीए पैलेटाइजेशन परिसर, सिन गैस आधारित डीआरआई संयंत्र और स्वदेशी कोयला पर आधारित इस्पात बनाने हेतु कोल गैसीफिकेशन संयत्र और 2.4 एमटीपीए रेबार मिल है।

6.7 वेदान्ता (ईएसएल स्टील लिमिटेड)

ईएसएल स्टील लिमिटेड (पहले इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड के रूप में जानी जाने वाली), एक वेदान्ता ग्रुप कम्पनी, एक एकीकृत इस्पात निर्माता है जिसे बोकारो, झारखंड भारत में प्रचालनों के साथ एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था। जून, 2018 में वेदान्ता लिमिटेड ने निगम दिवाला समाधान के माध्यम से ईएसएल का प्रबंध नियंत्रण प्राप्त किया। कम्पनी की वर्तमान वार्षिक क्षमता 1.88 एमटीपीए की है। इसकी इकाई में मुख्य रूप से सिन्टर संयंत्र, कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेश, ऑक्सीजन संयंत्र, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेश, बिलेट कॉस्टर, और वॉयर रॉड मिल, बार मिल, डाक्टिल आयरन पाइप्स संयत्र और एक विद्युत संयंत्र शामिल है। कम्पनी की उत्पाद श्रृंखला में टीएमटी बार्स, वॉयर राड्स, डक्टिल आयरन पाइप, पिग आयरन और बिलेट्स शामिल हैं।

6.8 जिन्दल स्टेनलैस लिमिटेड (जेएसएल)

जिन्दल स्टेनलैस लिमिटेड (जेएसएल) स्टेनलैस स्टील की भारत की सबसे बड़ी विनिर्माता कंपनी है जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1.1 मिलियन टन की है। यह भारत के पूर्वीतट पर ओडिशा राज्य में स्थित है। विनिर्माण परिसर में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और उपकरणों सहित 2,50,000 टन प्रति वर्ष फैरो अलॉय सुविधाएं शामिल हैं। केप्टिव विद्युत उत्पादन सुविधा (264 एमडब्ल्यू) से सुसज्जित इस परिसर को प्रति वर्ष 3.2 मिलियन टन स्टेनलैस स्टील का उत्पादन तक अन्ततः बढ़ाया जा सकता है। रेल–लिंक इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो (आईसीडी) का भी जयपुर इकाई में प्रचालन किया जाता है जिसकी क्षमता माल और कच्ची सामग्री को लाने–ले जाने के लिए 4,500 बड़े–बड़े कन्टेनरों का रखरखाव करने की है।

6.9 जिन्दल स्टेनलैस (हिसार) लिमिटेड (जेएसएचएल)

जेएसएचएल एक पूर्णतः एकीकृत स्टेनलैस स्टील संयंत्र है जिसकी क्षमता 0.8 एमटीपीए है। यह रेजर ब्लेडों के लिए स्टेनलैस स्टील की स्ट्रिप्स का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भी है तथा भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय टकसालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉयन (सिक्के) ब्लैंक्स का भारत का सबसे बड़ा निर्माता भी है। जेएसएचएल का अत्याधुनिक स्पेशियलिटी प्रोडक्ट डिवीजन (एसपीडी) प्रतिष्ठित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की हाई–एण्ड प्रीसीजन एवं स्पेशियलिटी स्टेनलैस स्टील संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। इसकी उत्पाद रेंज में स्टेनलैस स्टील स्लैब और ब्लूम, हॉट रोल्ड कॉयल, स्ट्रिप्स, प्लेटें, कॉयन ब्लैंक्स प्रिसीजन स्ट्रिप्स, और कोल्ड रोल्ड कॉयलें शामिल होती हैं। जेएसएचएल रक्षा क्षेत्र के लिए हाई–नाइट्रोजन इस्पात का भी विनिर्माण करती है जो आर्मर (कवच) अनुप्रयोगों में सामग्री की दक्षता में सुधार लाती हैं।

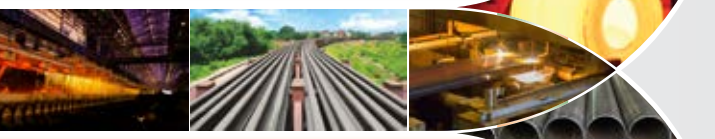

अध्याय-7

क्षमता निर्माण, तकनीकी संस्थान और कौशल विकास

7.1 ऑन बोर्डिंग मिशन कर्मयोगी

सरकार ने "मिशन कर्मयोगी" को "राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम" (एनपीसीएससीबी) का अनुमोदन दिया है जो सिविल सेवकों के व्यवहार, अधिकार–क्षेत्र और कार्यशील क्षमता का निर्माण करके सांझा संसाधनों का एक फ्रेमवर्क बनाते हुए तथा लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए सिविल सेवा के लिए नियम आधारित मॉडल से भूमिका आधारित मॉडल बनाने के लिए उनकी क्षमता में अभिवृद्धि करने तथा भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा बनाने के लिए एक प्रतिमान है। यह कार्यक्रम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑन–लाइन आई–जीओटी कर्मयोगी ई–लर्निंग प्लेटफार्म के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, जो सभी सरकारी पदाधिकारियों के लिए सीखने के लिए किसी समय कहीं पर भी विश्व स्तर तक समान रूप से पहुंच प्रदान करता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी पद पर सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अपेक्षित व्यवहार एवं कार्यात्मक दक्षता को अंतर्निविष्ट करना है तथा उसे अपने कर्त्तव्यों का सर्वोत्तम ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक सभी ज्ञान से सुसज्जित करना है। कार्यक्रम में ई–एचआरएमएस, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन तथा योग्यता संबंधी ढांचे के एकीकरण के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन सहित प्रशिक्षण के कई पहलुओं को शामिल किया जाएगा। योग्यता एफआरएसी नामक ढांचे–व्यावहारिक कार्यशील एवं अधिकार क्षेत्र सहित भूमिका, गतिविधियों और योग्यता के ढांचे पर आधारित होगी। कार्यान्वयन में तीन प्रकार की प्रणालियां शामिल होंगी: एफआरएसी के माध्यम से भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों की पहचान, सामग्री सृजन एवं मूल्यांकन।

मंत्रालय में मिशन कर्मयोगी को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय में सभी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण की प्रगति की मानीटरिंग करने तथा आई–जीओटी–कर्मयोगी प्लेटफार्म पर ऑन–बोर्डिंग क्षमता के साथ–साथ कार्यक्रम को रोल–आउट करने तथा कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय के नेतृत्व में एक क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) का गठन किया गया है। इस्पात मंत्रालय ने आई–जीओटी–कर्मयोगी प्लेटफार्म पर वर्ष 2021 के दौरान "लौह एवं इस्पात निर्माण" तथा "निवारक सतर्कता" पर दो विषय–वस्तुओं को ऑन–बोर्ड किया है।

7.2 तकनीकी संस्थान

7.2.1 इस्पात क्षेत्र में कार्यबल के तकनीकी कौशल का निरंतर उन्नयन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना की गई है:

7.2.2 नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ सैकेण्डरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी)

प्रशिक्षित तकनीकी जन–शक्ति, औद्योगिक सेवाएं, परीक्षण सुविधाएं, ऊर्जा दक्षता के लिए परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा प्रदूषण स्तर कम करते हुए उद्योग और शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों के बीच पारस्परिक–क्रिया हेतु एक प्लेटफार्म तथा द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लिए अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 18 अगस्त, 1987 को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सैकेण्डरी स्टील टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी। अपर सचिव, इस्पात मंत्रालय इस समय इस संस्थान के अध्यक्ष हैं।

एनआईएसएसटी नीचे दिए अनुसार विभिन्न क्रियाकलाप करता है:–

- औद्योगिक परामर्श प्रशिक्षण और कौशल विकास
- ऊर्जा लेखा–परीक्षा (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्रत्यायोजन)।
- सुरक्षा संबंधी निरीक्षण (सुरक्षा संबंधी निरीक्षणों के लिए पंजाब सरकार और संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव एवं दादर नगर हवेली के सुरक्षा निरीक्षण के सक्षम व्यक्ति)।
- प्रयोगशाला परीक्षण (मैकेनिकल और रासायनिक प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायोजन एवं बीआईएस मान्यता)।

एनआईएसएसटी लौह और इस्पात क्षेत्र में कलस्टर विकास कार्यक्रम करने के लिए एमएसएमई के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है। इस्पात क्षेत्र के एसएमई इस संस्थान के प्रशंसनीय योगदान करते हैं और समझते हैं। एनआईएसएसटी राष्ट्रीय इस्पात नीति को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकलापों और प्रयासों पर बल देता है।

मण्डी गोविन्दगढ़ स्टील क्लस्टर के दौरे के दौरान माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह।

लुधियाना स्थित वर्धमान विशेष इस्पात संयंत्र में अपने दौरे के दौरान माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह।

7.2.3 बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई)

इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए कार्यबल द्वारा विकसित संकल्पना योजना के आधार पर प्रशिक्षण–सह–सेवा–अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के रूप में एक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान पंजीकृत किया गया था और 1 जनवरी, 2002 से यह कार्यरत है। जेपीसी से पूंजीगत वित्तीय व्यवस्था से एक पूर्णरूपेण संस्थान के रूप में पुरी में बीपीएनएसआई की स्थापना करने के लिए मंत्रिमंडल ने 20 फरवरी, 2004 को अनुमोदन दिया था। भारत सरकार की पूर्वोदय योजना के अनुरूप इस्पात क्षेत्र में एक फिनिशिंग स्कूल होने के विजन को प्राप्त करने के लिए तथा युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए संस्थान को 1 मार्च, 2021 से ओडिशा के मेगा इस्पात क्लस्टर कलिंगनगर में अन्तरित किया गया था। वर्ष 2021 की अवधि के दौरान संस्थान ने वर्चुअल मोड के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन पर पोलीटेक्नीक से 597 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया था।

7.2.4 इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलेपमेंट एण्ड ग्रोथ (आईएनएसडीएजी)

इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलेपमेंट एण्ड ग्रोथ (आईएनएसडीएजी) की वर्ष 1996 में स्थापना की गई थी और वर्ष 1999 से इसने कार्य आरम्भ कर दिया था। सेल, आरआईएनएल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, एस्सार स्टील और जेएसपीएल जैसे देश के प्रमुख इस्पात उत्पादकों के साथ–साथ इस्पात मंत्रालय द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था। इस संस्थान का उद्देश्य इंजीनियरी कालेजों के छात्रों, संकायों, अकादमियों, व्यावसायिकों, वास्तुकारों और संरचनात्मक इंजीनियरी के लिए इस्पात आधारित डिजाइनों, इस्पात संबंधी संहिता एवं मानकों के बारे में तकनीकी प्रकाशनों, और सुरक्षा रिपोर्टों, ज्ञान के प्रसार के द्वारा देश में इस्पात की खपत को बढ़ावा देना है।

आईएनएसडीएजी ने भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को लक्षित करते हुए कम लागत के मकान से संबंधित एक नवीन डिजाइन पद्धति विकसित की है। पूरी भारत के कुछ स्थलों पर मॉडल मकान बनाए गए हैं। एमओएस और सेल की पहल पर एनआईआरडी और पीआर, हैदराबाद के परिसर में एक ऐसा मॉडल घर सफलतापूर्वक बनाया गया है। इस घर में 800 किग्रा. संरचनात्मक इस्पात, आरसीसी नींव में रि–इनफोर्समेंट (टीएमटी) और 0.3 अनुपात के रूप में इस्पात से लेकर सीमेंट के कुल अनुपात वाले एफ.सी. पैनलों में फेरस संबंधी तत्वों सहित लगभग 1550 किग्रा. इस्पात लगती है। आईएनएसडीएजी ने इस्पात से कम लागत के मकान, आंगनवाड़ी केन्द्र, पंचायत हाल, सामुदायिक प्रसाधन आदि वाले मॉडल ग्रामीण गॉव के ब्यौरों का डिजाइन विकसित किया। ये डिजाइन लागत प्रभावी हैं तथा ग्रामीण/अर्ध–ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से कार्यान्वित किए जाने योग्य हैं।

7.3 कौशल विकास

7.3.1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी)

देश के 24 राज्यों नामतः असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण कार्य मुख्य रूप से पहले पूरा किया गया। 45 प्रशिक्षण साझीदारों के माध्यम से आईआईएसएसएससी के कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देने वालों में कुल 129 प्रशिक्षण केन्द्रों ने भाग लिया। उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य बल स्कूल छोड़ने वालों (आठवीं/दसवीं उत्तीर्ण) पर था तथा गरीब जनसंख्या को लक्षित करने के लिए प्रवेश लेते समय अभ्यर्थियों के लिए था। प्रशिक्षण ऐसे दूरदराज के जिलों में आयोजित किए गए थे जो पिछड़े और कम विकसित जिले थे।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से दिसंबर, 2021 के लिए पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीटीपी):

क्र. सं.	वर्ष	नामांकित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	उत्तीर्ण	प्रमाणित	नियोजित
1	2015–16	28301	28301	27873	23971	22732	2730
2	2016–17	कार्यक्रम को आस्थागित किया गया था।					
3	2017–18	12912	9678	8373	7733	7536	1937
4	2018–19	4888	5209	5200	5199	5365	4056
5	2019–20	8122	8015	7451	6512	6453	3198
6	2020–21		800	2546 (वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्रशिक्षित सहित)	2475	2565 (वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान उत्तीर्ण परंतु इस वित्तीय वर्ष के प्रमाणित सहित)	1290
7	अप्रैल 2021 से 24 दिसंबर 2021 तक	1104	1104	970	940	940	चल रहे
	कुल	**55327**	**53107**	**52413**	**46830**	**45591**	**13211**

टिप्पणी 1. पीएमकेवीवाई 2.0 (2016–20) की कुल अवधि के लिए लक्ष्य जारी हैं तथा एनएसडीसी द्वारा दिए गए हैं।

7.3.2 वर्ष 2021–22 में शिक्षण से पूर्व मान्यता (आरपीएल) संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत भारतीय लौह एवं इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद (आईआईएसएसएससी) के कार्यकलापों को कोविड–19 महामारी की वजह से बहुत कम कर दिया गया है। परिषद 6000 अभ्यर्थियों को प्रमाणित कर सकी। सेल, आरआईएनएल, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यू इस्पात संयत्र और हिन्दुस्तान यूनीलिवर कोलकाता जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में उनकी मौजूदा जनशक्ति का उन्नयन करने तथा शिक्षण से पूर्व उन्हें प्रमाणित करने के लिए वहां पर प्रशिक्षण कार्य किया गया था। एसएमई ने भी अपने मौजूदा कार्यबल के लिए आईआईएसएसएससी के तहत प्रशिक्षण में भाग लिया।

वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक गैर-पीएमकेवीवाई के तहत शिक्षण से पूर्व मान्यता और एसटीटी

क्र. सं.	योजना	प्रशिक्षण दिया गया	अभ्युक्ति
1	**वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से 15 जनवरी 2021):-** आरपीएल के तहत पीएसयू प्रशिक्षण (सेल–बोकारो इस्पात संयंत्र–20, एएम/एनएस –32, आरआईएलएल–114, हिन्दुस्तान यूनीलीवर कोलकाता –17)	183	मौजूदा कर्मचारियों को पुनः कुशल बनाया जा रहा है।
2	**वित्तीय वर्ष 2020-21:** एसएमई क्षेत्र और प्रशिक्षण (सीटीटीसी–30)	30	मौजूदा कर्मचारियों को पुनः कुशल बनाया जा रहा है।
3	**वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से 15 जनवरी, 2021):** अन्य योजनाएं (एनएसकेएफडीसी–573, एनएसएफडीसी–230)	803	अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी)
4	**वित्तीय वर्ष 2021-22:** एसएमई क्षेत्र और प्रशिक्षण (टीवीएसएससीएस सीपीआर प्रभाग–20)	20	मौजूदा कर्मचारियों को पुनः कुशल बनाया जा रहा है।
5	**वित्तीय वर्ष 2021-22 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2021):** आरपीएल के तहत पीएसयू का प्रशिक्षण (आरआईएनएल–117):	158	मौजूदा कर्मचारियों को पुनः कुशल बनाया जा रहा है।
	अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक आरपीएल के तहत पीएसयू का प्रशिक्षण: (सेल – 41)		
6	**वित्तीय वर्ष 2021-22 (अप्रैल 2021 से 24 दिसंबर 2021 तक): अन्य योजनाएं** (डीडीयू जीकेवाई–87, गैर–पीएमकेवीवाई–16, यूपीएसडीएम–150)	253	अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी)
	कुल	**1447**	

7.3.3 प्रशिक्षुता

सेल और आरआईएनएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम नए पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षुता प्राप्त कर रहे हैं। संयंत्र मुख्य तौर पर डीजीटी पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षुता ले रहे हैं। जेएसडब्ल्यू बेल्लारी ने आईआईएसएसएससी द्वारा जांच किए जाने वाले लगभग 500 नए प्रशिक्षुओं की आवश्यकता शामिल की है तथा प्रशिक्षुता पोर्टल से लिंक की है। आईआईएसएसएससी ने 700 अभ्यर्थियों की सूची शामिल की है और जांच (स्क्रीनिंग) प्रक्रिया शुरु की जा रही है ताकि सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षुता के लिए लिंक किया जा सके। वैकल्पिक ट्रेड पर एनएपीएस (राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना) में भाग लेने के लिए आईआईएसएसएससी व्यक्तियों तथा एसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित कर रही है। वैकल्पिक ट्रेड के बारे में आईआईएसएसएससी ने पहले ही 4 मॉडयूल विकसित किए थे। योजना को बढ़ावा देने के लिए आईआईएसएसएससी तीसरे पक्षकार समूह (एग्रीगेटर) (टीपीए) की सहायता ले रही है।

अध्याय-8

अनुसंधान और विकास

8.1 पृष्ठभूमि

भारत में विभिन्न हितधारकों अर्थात सीएसआईआर के तहत आरएंडडी प्रयोगशालाओं (एनएमएल और आईएमएमटी), अकादमिक संस्थानों (आईआईटी और एनआईटी) तथा सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एएमएनएस जैसी अग्रणी इस्पात कम्पनियों द्वारा लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास किया जाता है। अग्रणी इस्पात कम्पनियां स्वयं अपनी निधियों से अनुसंधान कर रही हैं। इस्पात मंत्रालय एक सरकारी वित्त–पोषित योजना "इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का संवर्धन" के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके इस्पात क्षेत्र के अनुसंधान और विकास के पहल संबंधी प्रयासों में योगदान दे रहा है।

8.2 इस्पात मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ अनुसंधान एवं विकास

- इस्पात मंत्रालय इस क्षेत्र के समक्ष आ रही प्रौद्योगिकीय समस्याओं के समाधान के लिए और साथ ही प्रक्रियाओं/प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास के लिए आरएंडडी को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु "लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन" नामक एक आरएंडडी योजना चला रहा है।
- देश में लौह एवं इस्पात के लाभ के लिए आरएंडडी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों/अनुसंधान प्रयोगशालाओं और भारतीय इस्पात कंपनियों से आरएंडडी परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

8.2.1 सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र

- लौह अयस्क फाइंस और नॉन कोकिंग कोल का उपयोग करने के लिए नवीन/अग्रगामी प्रौद्योगिकियों का विकास।
- लौह अयस्क, कोयले आदि जैसी कच्ची सामग्री को लाभकारी बनाना तथा उसका संचय करना।
- इण्डक्शन फर्नेस रुट सहित इस्पात तैयार करने के विभिन्न तरीकों से उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- इस्पात संयंत्र और खनन अपशिष्ट जिसमें एल.डी./ई.ए.एफ/आई.एफ स्लॉग शामिल हैं, उनके उपयोग के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य प्रौद्योगिकी का विकास करना।
- उत्पादकता, गुणवत्ता, कच्चे माल की खपत, ऊर्जा की खपत, जल की खपत, रिफ्रैक्टरी खपत में वैश्विक बेंचमार्क प्राप्त करने के लिए आरएंडडी।
- जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों का विकास करना।
- अनुप्रवाह प्रक्रियाओं सहित लौह और इस्पात बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं में अपशिष्ट उष्मा में प्रभावी सुधार लाने के लिए नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी का विकास करना।
- इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए आरएंडडी कार्य करना।
- लौह और इस्पात उद्योग के समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवोन्मेषी हल निकालना।
- लौह और इस्पात क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के किसी अन्य विषय पर आरएंडडी कार्य करना।

8.2.2 सहायता के कार्य-क्षेत्र

- प्रयोगशाला स्केल/बेंच स्केल में आरएंडडी कार्य तथा प्रायोगिक स्केल/प्रदर्शन संयंत्रों को आगे बढ़ाने के लिए सहायता की जाएगी।
- योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराने के लिए अन्य प्रयोगशालाओं/संस्थानों/उद्योग के साथ संयुक्त प्रस्ताव वांछनीय होते हैं।

- अनुसंधान प्रयोगशालाओं एवं अकादमी संस्थानों द्वारा प्रयोगशाला स्केल अनुसंधान के मामले में कुल लागत के 70% तक वित्तीय व्यवस्था करने की अनुमति होती है।
- औद्योगिक/वाणिज्यिक संगठनों के मामले में कुल लागत के 50% तक वित्तीय व्यवस्था करने की अनुमति होती है।
- प्रायोगिक/प्रदर्शन स्केल आरएंडडी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता कुल लागत के 40% तक सीमित होगी और शेष की व्यवस्था औद्योगिक साझीदार को करनी होगी।

8.2.3 सहायता की मात्रा

विगत 5 वर्षो के दौरान आरएंडडी परियोजनाओं के लिए निधीकरण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	वर्ष	सरकारी निधि (करोड़ रु. में)
1	2016–17	15.00
2	2017–18	14.00
3	2018–19	15.00
4	2019–20	15.00
5	2020–21	0.54
6	2021–22 (दिसंबर 2021 तक)	0.88
	कुल (करोड़ रुपए में)	**60.42**

- "लौह और इस्पात के क्षेत्र में आरएंडडी का संवर्धन" योजना के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक–XVI पर है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए योजना हेतु आवंटित बजट 4.81 करोड़ रु. है तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 4.49 करोड़ रु. है।

8.2.4 आरएंडडी परियोजनाओं का अनुमोदन एवं मानीटरिंग तंत्र

- भारत सरकार, डीआरडीओ के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, डीएसटी, प्रमुख अकादमिक संस्थान और उद्योग के सदस्यों वाले एक मूल्यांकन समूह, योजना के तहत वित्तीय व्यवस्था करने हेतु प्राप्त हुए आरएंडडी प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है।
- अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुमोदन एवं मानीटरिंग समिति (पीएएमसी) और संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, निदेशक, आई.आई.टी. खड़गपुर, निदेशक आईआईएमटी, निदेशक एनएमएल मूल्यांकन समूह द्वारा सिफारिश किए गए आरएंडडी प्रस्तावों के लिए द्वितीय चरण अनुमोदन निकाय है।
- व्यय विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना की लागत के आधार पर अन्तिम अनुमोदन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है।
- परियोजना समीक्षा समिति नियमित आधार पर जारी परियोजनाओं की प्रगति की मानीटरिंग करती है।

8.2.5 योजना के तहत जारी आरएंडडी परियोजनाएं

- इस योजना के तहत आरएंडडी परियोजनाओं के लिए निधियां, आई.आई.टी खड़गपुर, आई.आई.टी. कानपुर, आई.आई.टी. मद्रास, आई.आई.टी. बीएचयू, एमएनआईटी जयपुर आदि जैसे कुछ अकादमिक संस्थानों के अलावा सभी मुख्य हितधारकों अर्थात् सेल, सीएसआईआर प्रयोगशालाएं अर्थात सीएसआईआर–एनएमएल, सीएसआईआर – आईएमएमटी, सीएसआईआर –सीबीआरआई, सीएसआईआर–सीआरआरआई आदि के लिए उपलब्ध करायी गई हैं।
- योजना के अन्तर्गत शामिल प्रमुख परियोजनाओं में भारतीय कम ग्रेड/अपर्याप्त ग्रेड के लौह अयस्क तथा भारतीय कोकिंग/नॉन–कोकिंग कोयला का उन्नयन करने के लिए विशिष्ट आरएंडडी पहलों को शामिल करना और इंडक्शन फर्नेस में कम फास्फोरस से गुणवत्ता की इस्पात का उत्पादन करने के तरीके ढूंढना, लौह बनाने के विकल्प तैयार करना, जलवायु परिवर्तन के विषयों का समाधान करते हुए इस्पात स्लैग जैसे इस्पात संयंत्र के अपशिष्ट का उपयोग करना शामिल करना होता है।

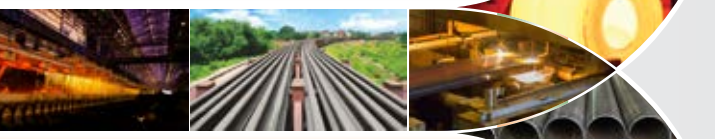

8.2.6 इस्पात कम्पनियों द्वारा आर एंड डी (सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र)

8.2.6.1 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा पहलें

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

लौह और इस्पात के लिए अनुसंधान और विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) की कारपोरेट आरएंडडी इकाई है। वर्षों से आरडीसीआईएस ने फैरस धातु–विज्ञान के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के एक आरएंडडी केन्द्र होने की विश्वसनीयता अर्जित की है।

यह मूलभूत अनुसंधान, उत्पाद विकास, संयंत्र निष्पादन में सुधार, वैज्ञानिक अन्वेषण एवं डिजाइन तथा तकनीकी सेवाओं की श्रेणियों के अन्तर्गत लौह और इस्पात प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरु करता है। प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास, ऊर्जा की खपत को कम करने तथा अवशिष्ट के उपयोग करने के बारे में अनुसंधान और विकास भी किया गया है। अपशिष्ट उपयोग करने के क्षेत्र में विशेष तौर पर तैयार की गई परियोजनाएं ये हैं– सिन्टरिंग (आरडीसीआईएस) के माध्यम से ठोस अपशिष्ट का उपयोग करना, अपशिष्ट प्लास्टिक, प्लास्टिक ऑयल का उपयोग करना, कोक बनाने (आरडीसीआईएस) में सीडीसीपी डस्ट, बीओएफ स्लज तथा अनुरूप इस्पात संयंत्र अपशिष्ट को ब्रिकेट करने के लिए प्रयोगशाला अध्ययन, डीएसपी में बीओएफ स्टील मेकिंग स्लैग की ऑफ–साइट अनुप्रयोग की संभावना में सुधार करना।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल):

संयंत्र की वर्तमान और भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए आरआईएनएल में आरएंडडी पहल की जाती है। सहयोग अनुसंधान के तहत आन्तरिक रूप से तथा बाह्य अनुसंधान संगठनों में प्रक्रिया सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन, नए उत्पाद विकास, लागत कम करने, पर्यावरण सुरक्षा आदि के क्षेत्रों में कार्यक्रम शुरु किए जाते हैं।

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी के अनुसंधान और विकास केन्द्र में खनिज बेनिफिसियेशन एवं प्रसंस्करण से जुड़ी परियोजना, खनिज विज्ञान संबंधी अध्ययन, लौह अयस्क और कोयले के रखरखाव एवं भण्डारण, धातु–विज्ञान संबंधी अध्ययन, रासायनिक विश्लेषण आदि करने की सामर्थ्य एवं क्षमता है। आरएंडडी केन्द्र एनएमडीसी की मौजूदा और आने वाली परियोजनाओं के लिए अपनी व्यापक सहायता प्रदान करता है। आरएंडडी केन्द्र की विशेषज्ञता का भी लौह अयस्क एवं अन्य संबद्ध वैश्विक क्षेत्रों में लगे अन्य संगठनों (सार्वजनिक और निजी दोनों) द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अनुसंधान संबंधी पहलें संगठन के विज़न और मिशन की दिशा में की जाती हैं। आरएंडडी केन्द्र अपशिष्ट उपयोग, खनन, बेनिफिसियेशन के क्षेत्र एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विश्व भर के प्रतिष्ठित संगठनों एवं संस्थानों के साथ सहयोगी परियोजनाएं भी शुरु करता है।

एनएमडीसी ने आईआईटी–हैदराबाद परिसरों में आई–टीआईसी फाउन्डेशन के सहयोग से एनएमडीसी नवीन एवं उष्मायन केन्द्र (एनआईसीई) की स्थापना की है, जिसमें डीप टेक्नोलॉजी के नए एवं नवीन विचारों से स्टार्ट–अप–कम्पनियों को प्रोत्साहित एवं इन्कूबेट करने पर जोर दिया है। आरएंडडी केन्द्र को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा भी मान्यता दी गई है। रासायनिक विश्लेषण के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल आईएसओ 17025:2017) द्वारा रासायनिक प्रयोगशाला को प्रमाणित किया गया है।

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने रिफ्रैक्टरी लाइनिंग के क्षरण होने की वजह से लेडर बन्द होने के कारण इस्पात संयंत्रों में बड़ी–बड़ी दुर्घटनाओं को होने से रोकने के लिए इंफ्रारेड कैमरा आधारित लैडल/टोरपीडो लैडल कंडीशन मानीटरिंग सिस्टम का विकास किया है। इस्पात मंत्रालय एवं सेल द्वारा वित्त–पोषित आरएसपी में इस सिस्टम की पहले ही स्थापना कर ली गई है।

मॉयल लिमिटेड

किए गए विशिष्ट अनुसंधान और विकास: हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग (जिसकी धंसने से बचने के लिए खनिज उत्खनन के बाद भूगत खदान को भरने के लिए आवश्यकता होती है) के लिए हैवी–ड्यूटी पम्पों को आन्तरिक स्तर पर तैयार करना, जो अधिक मिट्टी और कम पानी के अनुपात को बनाए रखने के लिए काफी दक्ष होता है। इससे पानी की कम खपत और ऊर्जा संरक्षण होता है।

केआईओसीएल लिमिटेड

उत्पादन की लागत कम करने के लिए मौजूदा प्रक्रिया प्रणाली में सुधार करने तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत आधार पर आवश्यकता के अनुरूप केआईओसीएल में आरएंडडी कार्यकलाप एवं नवीन पहल विभागीय स्तर पर की जा रही हैं।

8.2.6.2 निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा पहलें

टाटा स्टील लि. (टीएसएल)

जारी कुछ परियोजनाओं (वित्त वर्ष 2021–22) का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

- ब्लास्ट फर्नेस ऑफ गैस से CO_2 कैप्चर हेतु प्रायोगिक सुविधा का विकास।
- वैकल्पिक लौह बनाने की प्रक्रिया के लिए मॉडलिंग।
- मोल्टेन स्लेगों से हाई ग्रेड सेन्सिबल हीट रिकवरी।
- लौह अयस्क फाइन्स के चिपचिपेपन को कम करने की प्रक्रिया।
- कोक संयंत्र के लिए कोयले के मिश्रण बनाने को इष्टतम करना।
- लौह बनाने की प्रक्रिया का डिकार्बनाइजेशन।

जेएसडब्ल्यू स्टील लि.

आर एंड डी के ध्यान केंद्रित क्षेत्र:

- नए उत्पाद विकास, उत्पाद का विशेष रूप से निर्माण करना एवं नए अनुप्रयोग।
- प्रक्रिया दक्षता सुधारों के माध्यम से गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार।
- प्रक्रिया अपशिष्ट उपयोग और मूल्य संवर्धित उत्पादों का विकास।
- प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नई प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी विकास।
- अधिकतम संसाधन उपयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
- प्रमुख संसाधनों तथा अनुसंधान केन्द्रों के सहयोग से अनुसंधान सीमा में बढ़ोत्तरी करना।

आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील (एएमएनएस)

आरएंडडी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान पर बल देकर और लागू करके आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इण्डिया लि. को भारत में इस्पात का एक अग्रणी एवं संधारणीय उत्पादक बनाना है:–

- नए एवं नवीन इस्पात उत्पाद
- इस्पात संयंत्र के द्वितीयक उत्पादन
- प्रक्रिया सुधार
- नई एवं स्थानीय कच्ची सामग्री

आरएंडडी, डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित एक 'आन्तरिक आरएंडडी' है। इस समय 25 आरएंडडी अभियन्ता अनुसंधान और विकास में लगे हुए हैं। प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन के लिए आरएंडडी, ऊर्जा की खपत कम करने, अपशिष्ट का उपयोग, संसाधनों अर्थात कच्चा माल, जल आदि का संरक्षण तथा उनके परिणामों/नतीजों/उपलब्धियों/व्यापारीकरण के बारे में विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास कार्य किए गए।

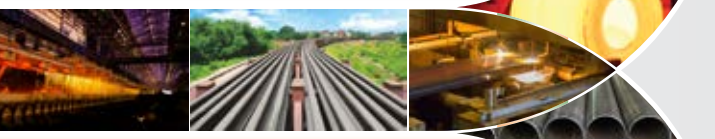

अध्याय-9

इस्पात उपयोग का संवर्धन

9.1 पृष्ठभूमि

- इस्पात की खपत जीडीपी के साथ एक सशक्त परस्पर संबंध को दर्शाती है, विशेष तौर पर राष्ट्र निर्माण की अवधि के दौरान दर्शाती है तथा किसी राष्ट्र के पर्यावरण की दृष्टि से अविलम्ब निरन्तर आर्थिक विकास करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में भी, इस्पात उद्योग, भारत को विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

- सरकार द्वारा राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 जारी की गई थी, जिसका उद्देश्य देश को सभी किस्म के इस्पात में आत्म–निर्भर तथा भारत को लौह और इस्पात उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। इस्पात मंत्रालय इस्पात उत्पादन की क्षमता को घरेलू स्तर पर बढ़ाने और साथ ही साथ इस्पात की घरेलू मांग और उपयोग को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है।

- डब्ल्यू.एस.ए. के अनुसार निर्माण कार्य इस्पात उपयोग के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है, जिससे विश्व की इस्पात मांग 50 प्रतिशत से अधिक होती है। घरों से लेकर कार पार्किंग, स्कूलों के भवन तथा गगनचुम्बी इमारतें अपनी मजबूती के लिए इस्पात पर निर्भर करती हैं। इस्पात का उपयोग छतों तथा बाहरी दीवारों पर परत चढ़ाने (क्लैडिंग) के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या, जो इस समय 7.7 बिलियन है, अगले 30 वर्षों में, अर्थात वर्ष 2050 में 2 बिलियन बढ़कर 9.7 बिलियन हो जाने की संभावना है। इसके साथ ही तेजी से शहरीकरण होगा। चूंकि भवनों तथा अवसंरचना सुविधा की आवश्यकता विश्व व्यापी रूप से बढ़ना जारी रहा है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों की कम होती खपत एवं संबद्ध उत्सर्जन भावी संधारणीयता के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि वैश्विक CO_2 उत्सर्जन का 28 प्रतिशत उत्सर्जन भवनों से होता है, इसलिए वे भी उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु परिवर्तन को न्यूनतम करने के लिए बहुत अवसर देते हैं। विश्व भर के इस्पात निर्माता बढ़–चढ़ कर निर्माण करने के ऐसे समाधान उपलब्ध करा रहे हैं जिनसे ऊर्जा–दक्ष और निम्न–कार्बन निष्क्रिय निर्माण सक्षम बनते हैं।

- विभिन्न क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस्पात मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में इस्पात के बढ़ते हुए उपयोग के लाभों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए संयुक्त रूप से कार्यशालाएं/वेबिनारों का आयोजन कर रहा है। लम्बे फैले (30 मी., 35 मी., और 40 मी.) इस्पात आधारित पुलों के लिए डिजाइन तैयार करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने आईएनएसडीएजी, आईआईटी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) तथा उद्योग विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति भी बनायी है। 30 मी. की डिजाइन को अन्तिम रूप देने के लिए विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है।

- घरेलू स्तर पर निर्मित इस्पात का तेल और गैस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से गठित समिति ने अगस्त 2021 में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस्पात ढांचे के समानुरूप मकान का मानकीकृत डिजाइन और रूपरेखा तैयार करने के लिए आवास और निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग में बढ़ावा देने हेतु आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एचयूए), कौशल विकास मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, बीआईएस, सीपीडब्ल्यूडी, तकनीकी संस्थानों (आईआईटी) और उद्योग के सदस्यों वाले एक संयुक्त कार्य बल (जेडब्ल्यूजी) की भी स्थापना की गई है।

- इस्पात न केवल सस्ती, तत्काल उपलब्ध और सुरक्षा वाली होती है, अपितु ताकत, अस्थिरता, टिकाऊ और शत–प्रतिशत पुनर्चक्रण जैसी इसकी मूलभूत विशेषताओं की वजह से परियोजनाओं की संपूर्ण कार्य–अवधि के दौरान पर्यावरण संबंधी उन्नत निष्पादन किया जा सकता है। स्टील–प्लेट के अनुप्रयोगों में प्रयुक्त उन्नत अधिक क्षमता वाले इस्पातों का बहुत से संबद्ध उद्योगों में भी उपयोग होता है। ऑफ–शोर आर्यल रिग्स, पुलों, सिविल इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य मशीनों, रेल कैरेजों, टैंकों तथा प्रेशर वैशल्स, न्यूक्लीयर, ताप–विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों – इन सभी अनुप्रयोगों को आधुनिक इस्पात के गुणों से लाभ मिलता है। तथापि, उन्नत राष्ट्रों की तुलना में हमारे देश में इस्पात की खपत कम है और विभिन्न क्षेत्रों में इस्पात के उपयोगों में सुधार करने की काफी गुंजाइश है।

9.2 भारत में इस्पात के उपयोग का परिदृश्य

9.2.1 विगत 5 वित्तीय वर्षों के दौरान भारत में इस्पात की खपत नीचे दिए अनुसार रही है:

कुल परिष्कृत इस्पात (अलॉय/स्टेनलैस + नॉन-अलॉय) खपत		
वर्ष	मात्रा (एमटी)	परिवर्तन (%)
2017–18	90.71	7.9
2018–19	98.71	8.8
2019–20	100.17	1.5
2020–21	94.89	-5.3
2021–22*	76.646	–

*दिसंबर, 2021 तक अनंतिम

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान इस्पात की खपत कोविड–19 महामारी के वजह से कम हुई थी।

9.2.2 भारत में, इस्पात की खपत मुख्य तौर पर विकास करने वाले क्षेत्रों जैसे आवास और निर्माण (43 प्रतिशत), अवसंरचना विकास (25 प्रतिशत), इंजीनियरी और पैकेजिंग (22 प्रतिशत), ऑटोमोटिव्स (8–9 प्रतिशत) और रक्षा (1–2 प्रतिशत) में होती है।

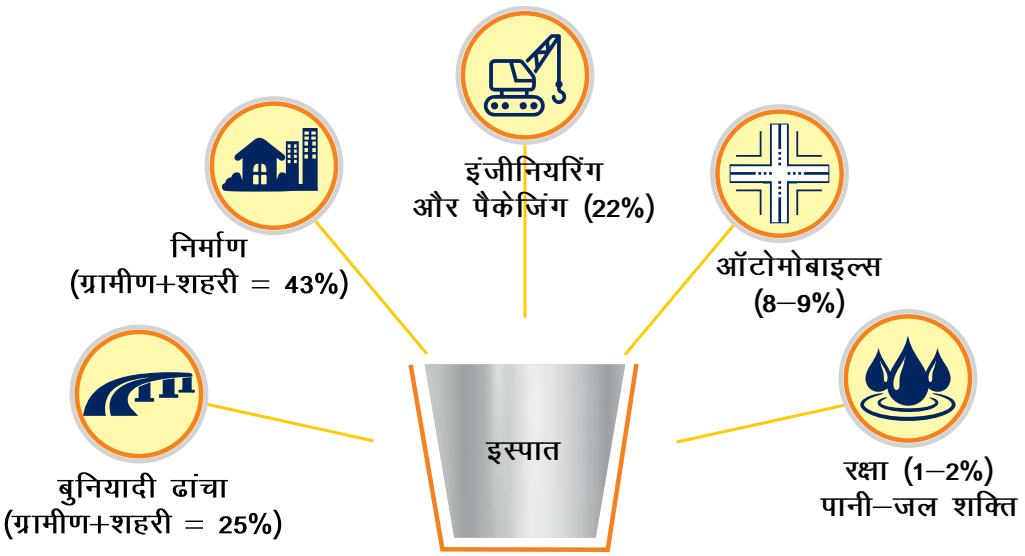

9.2.3 वर्ष 2020–21 के दौरान देश में इस्पात की कुल खपत 94.89 मिलियन टन थी। तथापि, वर्ष 2020–21 के दौरान भारत की इस्पात की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत 70 किग्रा. है और वैश्विक औसत (227.5 किग्रा) का एक–तिहाई है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 21.3 कि.ग्रा. है जो राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है। विभिन्न क्षेत्रों में इस्पात के उपयोगों में सुधार करने की काफी गुंजाइश है।

9.3 भारत की इस्पात मांग संबंधी संभावना

9.3.1 भारत की कुल इस्पात मांग वित्तीय वर्ष 2031 के अन्त तक 7.2 प्रतिशत सीएजीआर बढ़ने की संभावना है और ~ 230 एमटी तक पहुंचने की संभावना है। यह बढ़ोत्तरी भवन और निर्माण (बढ़ती हुई शहरीकरण दर), और अवसंरचना क्षेत्रों (सड़कों, रेलवे और एयरपोर्टों में निवेश, इस्पात की बढ़ती मात्रा) से होगी।

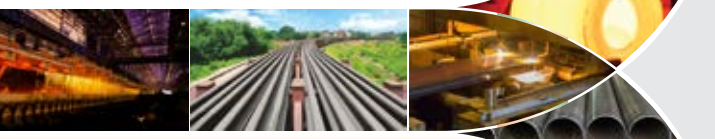

9.4 इस्पात उपयोग संबंधी सरकारी पहल

9.4.1 गति शक्ति मास्टर प्लान और अवसंरचना विकास

अगले 5 वर्षों में अवसंरचना विकास करने के लिए हाल ही में घोषित गति शक्ति मास्टर प्लान सरकार की 100 लाख करोड़ रु. की निवेश योजना को पूरा करेगा। गति शक्ति मास्टर प्लान 100 लाख करोड़ रु. के निवेश को कार्यान्वित एवं लागू करने के लिए क्षेत्र–विशिष्ट विकास के लिए एक सम्पूर्ण पहल को पूरा करता है। निम्नलिखित पहलों से विभिन्न क्षेत्रों में इस्पात की मांग में बढ़ोत्तरी होगी और उससे इस्पात के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा:

- **भारतमाला:** सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के 2 लाख कि.मी. के मार्ग को वर्ष 2024–25 तक प्राप्त करना होगा। तटीय क्षेत्रों के साथ–साथ 5590 कि.मी. के 4 और 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को वर्ष 2024–25 तक पूरा करना होगा। पूर्वोत्तर में सभी राज्यों की राजधानियों को वर्ष 2024–25 तक या तो 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग से अथवा प्रत्येक के समानुरूप 2 लेन के दो विकल्प में सीधा जोड़ना होगा।
- वर्ष 2024–25 तक, कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पूरा हो जाने की वजह से भारतीय रेल को 51 प्रतिशत तक भीड़भाड़ कम (डिकंजेशन) हो जाने की उम्मीद है। भारतीय रेल द्वारा वर्ष 2020 में संभालने वाले कार्गो की मात्रा 1210 मिलियन टन से बढ़कर 1600 मिलियन टन हो जाएगी। मालगाड़ियों की तेजी से आवाजाही के लिए वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडीकेटिड फ्रेट कॉरिडोर पूरी करनी होगी।
- **सागरमाला:** जहाजरानी क्षेत्र पत्तनों पर कार्गो क्षमता में अभिवृद्धि करेगा जो वर्ष 2020 में प्रति वर्ष 1282 एमएमटीपीए थे, उसे वर्ष 2024–25 तक 1759 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष किया जाएगा। सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही वर्ष 2020 में 74 एमएमटी थी, उसे बढ़ाकर वर्ष 2024–25 तक 95 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) किया जाएगा। गंगा नदी पर कार्गो की आवाजाही वर्ष 2024–25 तक 9 एमएमटी से बढ़ाकर 29 एमएमटी करना निर्धारित है।
- **क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़ान:** नागर विमानन क्षेत्र वैश्विक स्तर पर विमानन में बढ़ोतरी करने के लिए 220 एयरपोर्ट, पोर्ट तथा वाटर एयरड्रमों का वर्ष 2024–25 तक प्रचालन किया जाएगा। 51 हवाईपट्टियों समेत 109 एयरपोर्ट, 18 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 12 वाटर एयरड्रम तथा 28 हेलीपोर्टों को वर्ष 2024–25 तक विकसित करना होगा।
- नई और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को वर्ष 2024–25 तक 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट करना होगा। भारत की विद्युत उत्पादन की 50 प्रतिशत क्षमता वर्ष 2024–25 तक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से पूरी की जाएगी।
- वर्ष 2024–25 तक विद्युत पारेषण नेटवर्क को 4,25,500 सर्किट कि.मी. से बढ़ाकर 4,54,200 सर्किट कि.मी. करना होगा। पारेषण नेटवर्क का निष्पादन सर्वोत्तम वैश्विक मानकों के अनुरूप है।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में, उद्योगों के लिए प्रमुख मांग और आपूर्ति केन्द्रों को जोड़ते हुए 17000 कि.मी. लम्बी ट्रंक पाइपलाइन वर्ष 2024–25 तक जोड़नी होगी, जिससे देश भर में पाइपलाइन की कुल लम्बाई 34,500 कि.मी. हो जाएगी। वर्ष 2027 तक सभी राज्यों को ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
- दूरसंचार के क्षेत्र में, वर्ष 2024–25 तक 35,00,000 कि.मी. कुल लम्बाई का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया जाएगा। वर्ष 2022 तक सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को हाई–स्पीड इंटरनेट और 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।

9.4.2 उपर्युक्त के अलावा, मौजूदा सरकारी पहलों, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और ग्रामीण, मेक–इन–इण्डिया, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), स्मार्ट सिटी विकास, अमृत और स्वच्छ गंगा मिशन के लिए इस्पात मांग आधारित होगी।

9.4.3 सरकार ने मेक–इन–इण्डिया कार्यक्रम भी शुरु किया है जिसका उद्देश्य विभिन्न नीतिगत पहलों और प्रोत्साहनों के माध्यम से देश के विनिर्माण और खनन क्षेत्र के लिए प्रेरणा–शक्ति उपलब्ध कराना है, जिससे घरेलू इस्पात उद्योग को लाभ मिलने की संभावना है।

9.4.4 जल–शक्ति मंत्रालय के "जल–जीवन मिशन – नल से जल" कार्यक्रम में प्रमुख जल (मुख्य लाइन) के लिए इस्पात के पाइपों (हल्की–सी लेपित मृद इस्पात अथवा डक्टाइल लोहे के पाइपों) का उपयोग करने से इसके सशक्त रूप से जंग और क्षयरोधी होने के कारण चिरस्थायी वितरण नेटवर्क उपलब्ध होगा, भारतीय घरों के लिए पाइप से पेय जल का सुरक्षित एवं चिरस्थायी वितरण लम्बे समय तक हो सकें।

9.5 इस्पात का प्रयोग बढ़ाने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयास

इस्पात मंत्रालय विभिन्न हितधारकों के साथ जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करके तथा अनुकूल माहौल उपलब्ध करा कर इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

9.5.1 जागरुकता कार्यक्रम:

इस्पात मंत्रालय ने क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए "इस्पाती इरादा" अभियान चालू किया है। "**इस्पाती इरादा**" एक सहयोगी ब्राण्डिंग अभियान है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं में इस्पात के उपयोग के लाभों का संवर्धन करना है तथा यह बताना है कि यह किस प्रकार देश में नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है।

निर्माण और अवसंरचना में इस्पात के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया योग्य शिक्षा के लिए जापान जैसे राष्ट्रों के साथ सक्रिय सहयोग किया गया है।

9.5.2 विभिन्न क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, हाउसिंग डेवलपर डिजाइनर, वास्तुविद – अकादमिक और उद्योग जैसे ऐसे विभिन्न मंत्रालयों के साथ **संयुक्त कार्यशाला/वेबिनार** आयोजित की गई, जो देश में अवसंरचना विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।

क्षेत्रवार पहलें नीचे दी गई हैं:

I. भवन, निर्माण और अवसंरचना क्षेत्र:

- इस्पात मंत्रालय ने जापान के विशेषज्ञों को नियोजित करके मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनामी, ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री (एमईटी), जापान के सहयोग से वेबिनार का आयोजन किया।
- देश में, विशेषकर निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय डेवलपरों/बिल्डरों/डिजाइनरों, परामर्शदाताओं, फैब्रिकेटरों, आईआईटी के अकादमियों तथा इस्पात उत्पादकों के साथ वेबिनार के माध्यम से गोलमेज विचार–विमर्श का आयोजन किया था।
- आवास निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया।
- आवास और निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, बीआईएस, सीपीडब्ल्यूडी, तकनीकी संस्थानों (आईआईटी) और उद्योग के सदस्यों वाले **एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी)** की भी स्थापना की गई है। जेडब्ल्यूजी को सौंपे गए मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:
  - सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परिचालन हेतु मकानों तथा राज्यों की योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में यथा स्वीकार्य अनुमानित लागत से इस्पात ढांचे के अनुरूप आवास के मानकीकृत डिजाइन और रूपरेखा तैयार करना। इस संबंध में आईआईटी/एनआईटी के सहयोग से एक साफ्टवेयर तैयार किया जा सकता है।
  - पीएमएवाई, स्मार्ट सिटीज विभाग जैसी विभिन्न योजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता और गति को बढ़ाने के लिए लाइट गॉज हाउस, कम्पोजिट और प्री–इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंगों को बढ़ावा देना।
- जेडब्ल्यूजी ने दिनांक 10.8.2021 और 23.12.2021 को बैठक आयोजित की थी। पीएमएवाई के इस्पात के मकानों के डिजाइन का कार्य शुरू किया गया था।

II. ऑटोमोबाइल क्षेत्र:

इस्पात मंत्रालय, भारत में ऑटो ग्रेड इस्पात का प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर घरेलू स्तर पर विनिर्माण करने एवं प्राप्त करने की संभावना के बारे में समझने के लिए भारतीय इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी), विविध ऑटोमोबाइल कम्पनियों तथा भारतीय इस्पात कम्पनियों के साथ बहु–प्रयोजन विचार–विमर्श में लगा हुआ है।

III. रेलवे और रक्षा क्षेत्र:

इस्पात मंत्रालय ने रेलवे और रक्षा क्षेत्र में घरेलू स्तर पर निर्मित इस्पात को प्रोत्साहन देने के लिए नई दिल्ली में फरवरी 2020 में रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें ऐसे मुद्दे और चुनौतियां सामने आयीं जो इन क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर निर्मित इस्पात के उपयोग में बाधा डाल रही हैं।

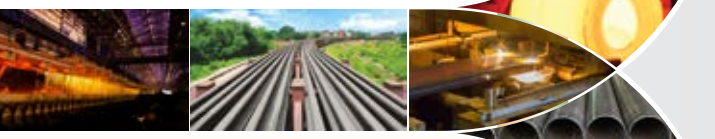

IV. तेल और गैस क्षेत्र:

इस्पात मंत्रालय ने तेल और गैस क्षेत्र में घरेलू स्तर पर निर्मित इस्पात को प्रोत्साहित करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से एक वेबिनार का आयोजन किया। इससे ऐसे मुद्दे और चुनौतियां सामने आयी जो तेल और गैस क्षेत्र में घरेलू स्तर पर निर्मित इस्पात के उपयोग में बाधा डाल रही हैं। तेल और गैस क्षेत्र में घरेलू इस्पात के संवर्धन के लिए एक रोड़मैप तैयार करने हेतु पीएनजी मंत्रालय के साथ सितंबर, 2020 में संयुक्त रूप से एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने अन्तिम रिपोर्ट अगस्त, 2021 में प्रस्तुत कर दी है।

V. ग्रामीण भारत:

शहरी क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का उपयोग काफी कम रहा है। देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 70 कि.ग्रा. के अखिल भारत औसत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2020–21 में 21.3 कि.ग्रा. रहा है। इस्पात मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ाने के अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहा है। खाद्यान्न भण्डारण के लिए स्टील साइलो में बढ़ोतरी तथा ग्रामीण वाहन उपकरण अधिक होने के साथ–साथ ग्रामीण भारत में कृषीय उपकरण आने (ट्रेक्टर, कम्बाइन हार्वेस्टर आदि), प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत स्थायी मकान बनाने से ग्रामीण भारत में इस्पात के उपयोग में बढ़ोत्तरी हो सकेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, डेयरी और पशु–पालन विभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ दिनांक 20.10.2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया था।

9.5.3 अधिकार देने संबंधी माहौल

इस्पात मंत्रालय ऐसी नीतियों/दिशा–निर्देशों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ कार्य कर रहा है जिनसे इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने में सुगमता होगी। मुख्य पहलों में ये शामिल हैं:

- **इस्पात आधारित निर्माण डिजाइन संहिताओं में संशोधन/वृद्धि:-** इस्पात मंत्रालय ने इस्पात आधारित निर्माण करने के लिए बीआईएस भारतीय मानक संहिताओं जैसे आईएस:800 (इस्पात में सामान्य निर्माण करने के लिए संहिता); आईएस:801 (सामान्य भवन निर्माण में कोल्ड फोर्म्ड लाइन गॉज इस्पात ढांचे के अंशों के लिए संहिता); आईएस:4000 (इस्पात ढांचे में प्रयुक्त हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के लिए संहिता) और आईएस: 13174 (लाइफ साइकिल कास्ट विश्लेषण के लिए शब्दावली और पद्धति के लिए संहिता) की अद्यतन आवश्यकताओं में संशोधन एवं अद्यतन करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ मामले को उठाया है। बीआईएस ने सूचित किया है कि इस्पात गहन निर्माण कार्य के लिए संहिताओं की वृद्धि/संशोधन करने के बारे में संबंधित मंत्रालयों/विभागों, उद्योग, आईआईटी, आईएनएसडीएजी, सेल के प्रतिनिधियों वाली विशेषज्ञों की एक समिति पहले ही बना ली गई है। समिति द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।

- **सीपीडब्ल्यूडी में इस्पात गहन निर्माण की मदों और कार्य की दरों को शामिल करना:-** सीपीडब्ल्यूडी की प्लिन्थ एरिया दर (पीएआर) में इस्पात गहन निर्माण प्लिन्थ एरिया दर (पीएआर) लागत को जोड़ने की जरूरत होती है। इससे देश में इस्पात गहन निर्माण कार्य की स्वीकार्यता में सुधार होगा। इस्पात मंत्रालय ने जेडब्ल्यूजी के माध्यम से इसे सीपीडब्ल्यूडी के साथ उठाया था। सीपीडब्ल्यूडी ने इस्पात गहन भवन निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी–पीएआर में प्लिन्थ एरिया दर (पीएआर) को शामिल करने की सहमति दी है।

  इसके अलावा, दिल्ली अनुसूची दरों (डीएसआर) में इस्पात के ढांचागत कार्य लागत अनुमानों के न होने के साथ–साथ इस्पात ढांचागत निर्माण और तैयार मद की दरों को शामिल न करने से सरकारी निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमोदन में विलम्ब हो जाता है। इस्पात मंत्रालय ने इस्पात ढांचागत कार्य दरों और डीएससआर में मदों को शामिल करने के लिए मामले को सीपीडब्ल्यूडी के साथ भी उठाया था। सीपीडब्ल्यूडी ने इसके लिए सहमति दे दी है।

- **इस्पात गहन निर्माण कार्य तथा पुलों के लिए डिजाइन गाइड तैयार करना:-** इस्पात मंत्रालय ने लम्बे फैलाव (30 मी., 35 मी. और 40 मी.) के इस्पात आधारित पुलों के लिए डिजाइन तैयार करने के लिए आईएनएसडीएजी, आईआईटी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) तथा उद्योग विशेषज्ञों से विशेषज्ञों की एक समिति भी बनायी है। 30 मी. के पुल के तैयार करने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है तथा समिति द्वारा अन्तिम ड्राइंगें दिनांक 4.1.2022 को प्रस्तुत कर दी गई हैं।

- **सड़क तथा पुल बनाने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों और बीआईएस संहिताओं में संशोधन/अभिवृद्धि:-** राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के लिए इंण्डियन रोड कांग्रेस दिशानिर्देशों (आईआरसी – एसपी 84, आईआरसी–87) में क्रेश बैरियर को समुचित रूप से लागू करने के लिए एमओआरटीएच द्वारा दिशा–निर्देश निर्धारित कर दिए गए हैं। इससे इस्पात के उपयोग में बढ़ोत्तरी होगी और देश में घातक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी आएगी।

- **कुशल जनशक्ति का विकास:-** इस्पात मंत्रालय ने प्रमाणित डिजाइन, फैब्रीकेशन और वेल्डिंग पाठ्यक्रमों के संवर्धन के लिए जेडब्ल्यूजी के माध्यम से कौशल विकास मंत्रालय के साथ मामले को उठाया है।

- **इस्पात ढांचागत डिजाइन के लिए सहायक अनुसंधान और विकास:** पीएमएवाई आदि के लिए इस्पात आधारित डिजाइनें तैयार करने के कार्य को जेडब्ल्यूजी के माध्यम से इस्पात मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया गया है।

9.6 इस्पात प्रयोग संवर्धन के लिए सीपीएसई द्वारा पहल

9.6.1 सेल

अतिरिक्त मात्रा वाले उत्पादों की बिक्री करने के लिए नए बाजारों तथा नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सेल द्वारा विभिन्न पहल की जा रही हैं। सेल द्वारा प्रस्तुत उत्पाद की नई रेंज के बारे में ग्राहकों को अवगत कराने के लिए केन्द्रीय विपणन संगठन (सीएमडी) और संयंत्रों के प्रतिनिधियों वाली समर्पित क्रास फंक्शनल टीमें बनायी गई हैं। निर्माण/फैब्रीकेशन उद्योग की आवश्यकताओं के बारे में बेहतर जानकारी रखने के लिए तथा सेल द्वारा विनिर्माण किए जा रहे उत्पादों के बारे में ज्ञान साझा करने के लिए अन्तिम प्रयोक्ताओं, वास्तुविदों, संरचना–डिजाइनरों तथा परामर्शदाता आदि के साथ सेमिनार, कार्यशालाएं तथा बल देने संबंधी बैठकों का आयोजन किया गया है। एक ओर अन्तिम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के बारे में परस्पर बेहतर समझ के लिए तथा दूसरी ओर उत्पादन क्षमताओं के बारे में ग्राहकों और संयंत्र समूहों के बीच में परस्पर–क्रिया सत्रों का आयोजन किया गया है।

- परिवर्तनशील बाजार में ग्राहकों की जरूरतों को अधिक कुशलतापूर्वक पूरा कर सकने के लिए सेल ने टीयर–II और टीयर–I वितरकों की नियुक्ति करके खुदरा क्षेत्र पर महत्व बढ़ाते हुए मुख्य लेखा प्रबंधन (केएएम) जैसी विपणन पहलें की हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सीएमओ द्वारा की गई कुछ अन्य पहलों में मिशन पूर्वोदय के तहत एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन योजना का संवर्धन करना शामिल है। सेल ने भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर स्थित अपने पांचों एकीकृत इस्पात संयंत्रों में औद्योगिक ईको–सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए "इस्पाती इलाकों का विकासः सेल के साथ" नाम अपनी पहल शुरु की थी। इस योजना का उद्देश्य, जिन जिलों में इस्पात संयंत्र स्थित हैं, उन जिलों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योगदान देना, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित एवं विकसित करके वाणिज्यिक कार्यकलापों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करना है। सेल ने ईईपीसी के एमएसएमई सदस्यों के लिए निर्यात समानता कीमतों को भी स्वीकार किया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने तथा स्वीकृति बनाने में सहायता करने के लिए सेल ने गांव स्तर पर पब्लिक निर्णयकर्ताओं, राय देने वालों, राजमिस्त्रियों, बिल्डरों आदि के साथ काम करने के लिए "गांव की ओर"(जीकेओ) अभियान के तहत एक जारी कार्यक्रम बनाया है। वर्ष 2017–18 में शुरु किया गया "गांव की ओर" अभियान तब से ही जारी है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ऐसी कुल 179 जीकेओ कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 117 जीकेओ कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। कोविड–19 महामारी के प्रतिबंधों की वजह से यह संख्या कम थी। सम्पूर्ण वर्ष के लिए 180 कार्यशालाओं के लक्ष्य के साथ वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर 2021 तक 52 जीकेओ कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
- वर्तमान वर्ष में दिसंबर 2021 तक सेल की टीएमटी और गेल्वानाइज्ड इस्पात शीटों का उपयोग बढ़ाने के लिए 5,00,000 वर्गफुट से अधिक वॉल–पेंटिंग की गई।
- खुदरा ब्राण्ड सेल एसईक्यूआर टीएमटी साथ ही आईएनएसडीएजी की सक्रिय भागीदारी के संबंध में अच्छे इस्पात की कैसे पहचान की जाए और इस्पात के समुचित उपयोग के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए टियर–II वितरकों और ग्रामीण में अवस्थित राजमिस्त्रियों के समूहों के साथ ऑन–सॉइट और वर्चुअल बैठकें आयोजित की गई हैं।
- सेल अपने वितरक/डीलर नेटवर्क के माध्यम से बिक्री करते समय विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलापों में लगा हुआ है। ऐसे कुछ कार्यकलापों में गैर–शहरी क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थापना–स्थलों पर अलग–अलग उत्पादों को दिखाने वाली वॉल–पेंटिंग, रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापन, राजमार्गो, हवाई–अड्डों, शहरों में महत्वपूर्ण स्थापना–स्थलों, ट्रैफिक क्योस्क और समाचार–पत्रों आदि पर होर्डिंग आदि शामिल होते हैं। इंजीनियरिंग संस्थानों में बैठकें, सेमिनारों के आयोजन के अलावा, इस्पात के विभिन्न उत्पादों एवं प्रयोगों को दर्शाने वाले मेलों एवं प्रदर्शनियों में सेल भाग ले रहा है।
- इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सेल में ग्राहकों द्वारा यथा अपेक्षित विशिष्ट अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए नए उत्पाद तैयार करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। विगत हाल ही में, प्री–इंजीनियर्ड बिल्डिंगों के लिए हाई स्ट्रेंथ स्टील; सीसमिक क्षेत्रों में बिल्डिंगों का निर्माण करने के लिए सीसमिक ग्रेड टीएमटी छड़े; स्पेशल स्टील प्लेट्स सब–मैरिन इन डिफेंस, हाई टेंसिल स्ट्रक्चरल फॉर कन्सट्रक्शन; रक्षा के लिए उन्नत तन्यता (डक्टिलिटी) से हाई टेंसिल प्लेटें आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए नए उत्पाद विकसित किए गए थे। तेल और गैस पाइपलाइन के लिए विभिन्न ग्रेड के ए.पी.आई; ई.एम.ई. क्षेत्र के लिए हाई टेंसिल ग्रेड्स; आईएस–7904 हाई कार्बन वॉयर रॉड, आईएस 2879 इलेक्ट्रोड क्वालिटी एमआईजी वॉयर रॉड्स; वायर ड्राइंग के लिए बोरोन ग्रेड्स को सेल द्वारा विकसित किया गया है और उद्योगों के लिए इनकी आपूर्ति की जा रही है।

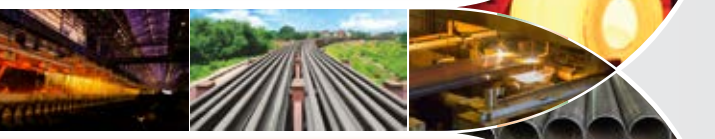

- राष्ट्रीय महत्व की कई प्रतिष्ठित इमारतों एवं परियोजनाओं अर्थात् रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न डेडीकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन, वेस्टर्न डेडीकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मुंबई, एनपीसीआईएल फतेहाबाद, हरियाणा, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, बाडमेर, नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन परियोजना, लोअर सुवनश्री जल–विद्युत परियोजना, असमय महात्मा गांधी सेतु बिहार, गंगा वाटर लिफ्ट बिहार; त्रिपुरा में अगरतला–अखोडा रेल लिंक परियोजना, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट,एम्स गुवाहाटी, 52 सुरंगों और 149 पुलों वाली जिरिबाम–टुपुल–इम्फाल को जोड़ने वाली 111 कि.मी. लम्बी बीजी विस्तार परियोजना, हाल ही में उद्घाटन किया गया पूर्वांचल एक्सप्रैसवे के लिए सेल ने इस्पात की आपूर्ति की है। सेल अपने देश में 10 शहरों में मैट्रो रेल परियोजनाओं के लिए इस्पात के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक था।

9.6.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- आरआईएनएल अपने बाजार में और उत्पादों के संवर्धनात्मक एवं ब्राण्डिंग कार्यकलापों के माध्यम से सदैव सामने रहा है। यह ग्रामीण डीलर नेटवर्क (आरडीएस) के माध्यम से इस्पात उपलब्ध कराकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु इस्पात उपभोक्ता को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

- ग्रामीण भारत में इस्पात की खपत को प्रोत्साहन/बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में समुदाय अवसंरचना में आरआईएनएल उत्पादों के उपयोग और उनके लाभों को दर्शाने के लिए सह–सक्रिय अभियान चलाया जाता है। नए क्षेत्रों में विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर तथा अपने प्रचालनों का विस्तार करके आरआईएनएल में ग्रामीण डीलरशिप योजना में सुधार किया है। जो ग्रामीण डीलर होर्डिंग, वाल पेंटिंग, समाचार–पत्र/केबल टीवी विज्ञापन आदि लेते हैं, वे संवधर्नात्मक कार्यकलापों की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होते हैं।

- आरआईएनएल ने ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रयुक्त बाजारों के पॉकेट तक आरआईएनएल की पहुंच का विस्तार करने के लिए भारत के 67 जिलों में विपणन अनुसंधान संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की है।

- आरआईएनएल ने 297 ग्रामीण डीलरों की नियुक्ति की थी और उनको 13,162 मी.टन इस्पात की आपूर्ति की थी।

- आरआईएनएल ने अर्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए वास्तुविद, बिल्डर्स और निर्माण अभियंताओं के सम्मेलन (एबीसी सम्मेलन), अच्छे निर्माण कार्यों पर कार्यशालाएं (राजमिस्त्री सम्मेलन), विशेष इस्पात उपभोक्ता सम्मेलन तथा मूल उपस्कर विनिर्माता सम्मेलन (ओईएम) जैसे विविध संवर्धन अभियानों का आयोजन किया है।

इस्पात की खपत को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के लिए आरआईएनएल द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए अनुसार हैं:–

- शहरी और ग्रामीण बाजारों में अधिक प्रभाव के लिए आरआईएनएल द्वारा दो–स्तरीय वितरण एवं ग्रामीण वितरक नीति को लागू करना।

- आरआईएनएल वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान घरेलू बिक्री कारोबार के मौजूदा 23 प्रतिशत स्तर को 30 प्रतिशत तक करने के लिए अपने एचईवीएएस उत्पादन को बढ़ाने की परिकल्पना कर रहा है।

- ओईएम/टियर–2/टियर–3 विक्रेताओं के माध्यम से महत्वपूर्ण उत्पादों की आपूर्ति में सुधार करके ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए ओईएम पंजीकरण एवं व्यापक उपभोक्ता आधार हेतु अवसरों पर विचार करते हुए प्रभाव योजना को अन्तिम रूप देना। इससे विशिष्ट इस्पातों के लिए पीएलआई योजना को नई लागू की गई योजना को बढ़ावा मिलेगा।

- केएएम संकल्पना को लागू करके ग्राहक वचनबद्धताओं को बढ़ाने की पहुंच पर बल देना।

- देश के दूरदराज के क्षेत्रों की पूर्ति के लिए "ई–सुविधा" नामक एक नया पोर्टल शुरु किया गया है। पंजीकृत ग्रामीण डीलरों (आरडीएस) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूर्ति की ओर विशेष महत्व देना।

- 9(नौ) और स्थापना स्थलों पर वितरक/डीलर नेटवर्क नियुक्त करके वितरक/डीलर नेटवर्क का विस्तार करना, जो दो स्थापना–स्थलों पर इस समय प्रचालित किए गए वितरकों के अलावा है।

- लगभग 3.85 मिलियन की मात्रा (घरेलू क्षेत्र की लक्षित बिक्री की 85 प्रतिशत मात्रा) के लिए घरेलू उपभोक्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन।

- एनई क्षेत्र में उपस्थिति में सुधार लाने के लिए वाटरवेज और तटीय लदान द्वारा सामग्री लाने–ले जाने को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

- सरकारी उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति करने हेतु जीईएम पोर्टल का उपयोग करना।
- मैट्रो, सिंचाई परियोजनाओं, आवास परियोजनाओं जैसी देश में शुरु की गई प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय महत्व की अन्य परियोजनाओं के लिए आपूर्ति जारी रखी गई।
- इस्पात स्क्रैप की रिसाइकिलिंग करने के लिए गुणवत्ता की स्थिति का कार्यान्वयन।
- महत्व वाली पहल रखने के लिए ओईएम की आवश्यकता की जानकारी एवं विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में कार्रवाई करने हेतु एवं आरआईएनएल में इन्हें लागू करने के लिए एक क्रास–फंक्शनल टीम का गठन किया है। इसके अलावा, एसएमई की जरूरतों के बारे में विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उत्पाद संवर्धन कार्यकलाप

- भारत की मुख्य शटलर सुश्री पी वी सिंधु के साथ सेलीब्रिटी एन्डोर्समेंट।
- "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए आकाशवाणी, विशाखापट्टनम के साथ ब्राण्डिंग अभ्यास कार्य के रूप में जुड़ना।
- ग्राहक/डीलर सम्मेलन का संवर्धन और ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से इसे अखिल भारत का स्वरूप देना।
- विभिन्न व्यावसायिक निकायों के सेमिनार/सम्मेलनों/वर्चुअल प्रदर्शनी में शामिल होने के जरिए ब्राण्ड निर्माण।
- भारत की अग्रणी इस्पात पत्रिका के साथ विज्ञापन।

भावी कार्ययोजना

- विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर विज्ञापन।
- आरआईएनएल की विपणन एवं सम्प्रेषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल एजेंसी किराए पर लेना।

9.6.3 एमएसटीसी लिमिटेड

स्क्रैप की ई–नीलामी की संगठित एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एमएसटीसी इस्पात और अन्य सामग्री का पुनर्चक्रण करने को बढ़ावा देती है। इससे ऊर्जा की बचत होती है तथा कार्बन उत्सर्जन कम होता है और देश के सतत् विकास को बढ़ावा मिलता है।

अपनी सहायक कम्पनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के माध्यम से एमएसटीसी विभिन्न प्रमुख इस्पात संयंत्रों के लिए लौहचूर्ण (स्लैग) का पुनर्चक्रण करती है। इसके अलावा, अपनी संयुक्त उद्यम (जेवी) कम्पनी महिन्द्रा एमएसटीसी पुनर्चक्रण प्रा. लि. (एमएमआरपीएल) के माध्यम से इस्पात स्क्रैप की रिसाइकिलिंग करने के लिए समाप्त हो रहे वाहनों के पुर्जों (एण्ड –ऑफ लाइफ) (ईएलवी) को पर्यावरण अनुकूल तरीके से अलग–अलग किया जा रहा है।

अध्याय-10

ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन

10.0 प्रस्तावना

पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता मिलकर लौह एवं इस्पात उद्योग का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण मानक हैं। इस्पात मंत्रालय विभिन्न विनियमों और योजनाओं के द्वारा इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा की खपत और पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन को कम करने के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है। इस्पात मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंचों और तंत्र के जरिए उठाए जा रहे कुछ कदम/पहलें इस प्रकार हैं:–

10.1 सरकार की पहलें

10.1.1 जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी)

जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती से निपटने के लिए 2008 में शुरू किया गया है। एनएपीसीसी 8 राष्ट्रीय मिशनों को रेखांकित करता है जिसमें से राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) एक है। एनएमईईई के तहत कार्यनिष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना है। पीएटी एक बाजार आधारित तंत्र है जो ऊर्जा बचत के प्रमाणन के जरिए क्रियान्वित होता है और जिसका व्यापार किया जा सकता है। पीएटी अप्रैल, 2012 से प्रभावी हो गया है। नामित उपभोक्ता के रूप में पहचाने जाने वाले लौह और इस्पात क्षेत्र में किसी भी इकाई के लिए 20000 टन तेल (टीओई) समकक्ष की सीमा को कटऑफ सीमा मानदंड के रूप में चिन्हित किया गया है।

पीएटी योजना के तहत 163 लौह एवं इस्पात संयंत्रों को अधिसूचित किया गया है जिन्हें अपने बेसलाइन मूल्य से विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) कम करनी पड़ेगी। इनमें से 67 नामित उपभोक्ताओं (डीसी) ने पीएटडी–I पूरा कर लिया है और साथ ही नए डीसी के साथ पीएटी–II चक्र में प्रवेश कर लिया है। इस समय, 71 डीसी ने पीएटी 2 चक्र में भाग लिया है, जो मार्च, 2019 में पूरा हो गया है। बीईई द्वारा पीएटी III, पीएटी IV, पीएटी V चक्र और पीएटी VI भी क्रमशः वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 में अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें पीएटी चक्र III में 29 नए डीसी, पीएटी चक्र IV में 35 नए डीसी और पीएटी चक्र V में 23 नए डीसी और पीएटी चक्र VI में 5 नए डीसी हैं।

पीएटी चक्र- I उपलब्धियां- पीएटी चक्र–I में नामित उपभोक्ताओं द्वारा लौह और इस्पात क्षेत्र द्वारा प्राप्त कुछ बचतें 2.10 मिलियन टीओई थीं। इसे प्राप्त करने के लिए, डीसी ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों में 5199 करोड़ रुपए निवेश किए हैं।

पीएटी चक्र II उपलब्धियां- लौह एवं इस्पात क्षेत्र द्वारा चक्र–II में नामित ग्राहकों द्वारा हासिल की गई कुल बचत 2.913 मिलियन टीओई है। इसे प्राप्त करने के लिए डीसी ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों में 4396 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

लौह एवं इस्पात क्षेत्र

क्र. सं.	पीएटी चक्र	इकाइयों की संख्या	कुल उत्पादन (मी. टन)	कुल ऊर्जा खपत (मी. टीओई)	ऊर्जा बचत लक्ष्य (मी. टीओई)	बचत (मी. टीओई)
1	पीएटी चक्र-1	67	42.55	25.32	1.486	2.10 (प्राप्त)
2	पीएटी चक्र-2	71	64.49	40.44	2.37	2.913 (प्राप्त)
3	पीएटी चक्र-3	29	10.67	7.64	0.456	-
4	पीएटी चक्र-4	35	4.86	3.22	0.192	-
5	पीएटी चक्र-5	23	4.70	2.82	0.168	-
6	पीएटी चक्र-6	5	1.64	0.515	0.031	-

स्रोतः बीईई

पीएटी चक्र–2 में प्रति इंगित इकाईयों की संख्या में पीएटी चक्र–1 की इकाईयां भी शामिल हैं।

10.1.2 ऊर्जा दक्षता सुधारने के लिए नीडो मॉडल परियोजनाएं

जापान की सरकार अपने आर्थिक व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के जरिए अपनी हरित सहायता योजना (जीएपी) के तहत भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से निधियां अर्थात विदेशी विकास सहायता (ओडीए) के लिए इस्पात सहित विभिन्न क्षेत्रों में मॉडल परियोजनाओं के रूप में ज्ञात ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराती है। इन परियोजनाओं के जापान के नीडो (नवीन ऊर्जा एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन) द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता है। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में इन परियोजनाओं का समन्वय इस्पात मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अभी तक आरंभ की गई और चल रही परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

- बीएफ स्टोव वेस्ट हीट रिकवरी: टाटा स्टील में पूर्ण
- कोक ड्राई क्वेंचिंग: टाटा स्टील में पूर्ण
- सिंटर कूलर वेस्ट हीट रिकवरी: राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में पूर्ण
- आईएसपी बर्नपुर, सेल में ऊर्जा निगरानी और प्रबंधन प्रणाली प्रगति पर है

10.1.3 लौह एवं इस्पात स्लैग का उपयोग

बीएफ स्लैग सहित स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस) सहित एकीकृत इस्पात संयंत्रों से निकलने वाले प्रमुख अपशिष्टों में इनकी हिस्सेदारी आईएसपी में तैयार प्रत्येक टन इस्पात में करीब आधा टन से अधिक की होती है। ज्यादातर इस्पात संयंत्र लौह के इस अपशिष्ट का 100 प्रतिशत उपयोग (ज्यादातर सीमेंट निर्माण में और कुछ हिस्सा एग्रिगेट के तौर पर, बीआईएस या आईआरसी मानकों विनिर्देशों में इन दोनों की में अनुमति दी गई है) कर रहे हैं, जबकि अन्य 100 प्रतिशत उपयोग के स्तर पर पहुंचने के करीब हैं।

एमएमएस (खासकर एलडी) स्लैग का उपयोग निम्न कारणों से सीमित है:

- फास्फोरस की मात्रा;
- मुक्त चूने की उच्च मात्रा; और
- उच्च विशिष्ट वजन

इन मुद्दों का समाधान करने के लिए, इस्पात मंत्रालय इस्पात स्लैग के उपयोग हेतु उपाय ढूंढने के लिए अनुसंधान और विकास पहलों को वित्तपोषित कर रहा है:

- सीएसआईआर – सीआरआरआई द्वारा सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिजाइन दिशा–निदेशों और विनिर्देशनों का विकास।
- आईआईटी खड़गपुर द्वारा इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील मेकिंग स्लैग से ग्रीन बिलाइट सीमेंट बनाने की एक नई विचारधारा।
- सीएसआईआर – सीबीआरआई द्वारा रसायनिक रूप से सक्रिय एलडी स्लैग का प्रयोग करते हुए नई सीमेंटेड सामग्रियों का विकास।
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) (विचाराधीन) द्वारा संधारणीय कृषि और समावेशी विकास के लिए स्टील स्लैग आधारित लागत प्रभावी पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों का विकास।

10.1.4 पर्यावरण परिवर्तन का समाधान करने के लिए पेरिस समझौते के तहत की गयी भारत की वचनबद्धताओं का समर्थन करने के लिए इस्पात क्षेत्र में गहन डिकार्बोनाइजेशन के लिए की गई पहलें:

- समय बीतने के साथ–साथ, भारतीय इस्पात उद्योग ने अपनी विशिष्ट ऊर्जा खपत में महत्वपूर्ण कमी की है जिसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन तीव्रता में समानुपातिक कमी हुई है। भारतीय इस्पात उद्योग की औसत CO_2 उत्सर्जन तीव्रता 2005 में 3.1 टी/टीसीएस से कम हो कर 2020 में लगभग 2.6 टी/टीसीएस हो गई। सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक (बीएटी) को व्यापक रूप से अपनाने के और स्क्रैप आधारित इस्पात निर्माण के प्रति अधिक स्थानांनतरण के साथ, भारतीय इस्पात उद्योग 2030 तक 2.4 टी/टीसीएस के अनुमानित लक्ष्य के आगे भी प्राप्त करने के लिए ऊर्जा खपत और उत्सर्जन के स्तरों में और महत्वपूर्ण कमी कर सकता है।
- तथापि, शताब्दी के उतरार्ध तक लगभग निवल कार्बन न्यूट्रेलिटी को प्राप्त करने के लिए, इस्पात निर्माण प्रौद्योगिकियों में मौलिक परिवर्तनों की जरूरत है जैसे लौह और इस्पात निर्माण प्रौद्योगिकियों पर आधारित H_2 को अपनाना और इस समय, वैश्विक रूप से इस क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान और विकास प्रयास जारी हैं।

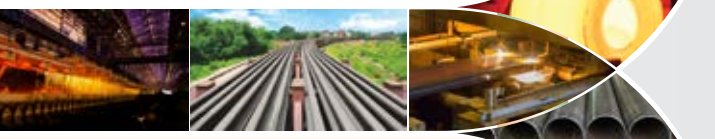

- निम्न कार्बन फुटप्रिंट के साथ आर्थिक रूप से H_2 का बड़े पैमाने पर उत्पादन एक चुनौती है। इस समय, H_2 उत्पादन के लिए प्रक्रिया स्थापित है अर्थात् स्टीम मिथेन रिफार्मिंग (एसएमआर), कोल गैसीफिकेशन (सिनगैस) आदि। तथापि, दोनों रूट उत्सर्जन गहन हैं और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सीसीएस/सीसीयूएस की जरूरत है जो अत्यधिक पूंजी प्रधान हैं।

- नवीकरणीय बिजली के जरिए जल के इलैक्ट्रोलिसिस से उत्पादित H_2 इस समय व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। तथापि, नवीकरणीय विद्युत उत्पादन और इलैक्ट्रोलिसिस की गिरती हुई लागतों के साथ, भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लागत प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है।

- उपर्युक्त पृष्ठभूमि के साथ, इस्पात क्षेत्र लौह और इस्पात निर्माण प्रक्रिया में ग्रीन हाइड्रोजन के परिनियोजन को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी मिशन में एक महत्वपूर्ण हितधारक बन गया है। इस पहल के तहत, डीआरआई उत्पादन में ग्रीन H_2 का प्रयोग करने के लिए सरकारी और निजी साझेदारी के तहत दो प्रमुख संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

- उपर्युक्त के अनुसरण में, इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र के गहन डिकार्बोनाइजेशन के लिए एक रोडमैप तैयार किया है जिसे एमएनआरई और एमओईएफ एंड सीसी के साथ साझा किया गया है। रोडमैप नीचे दिया गया है:

डीआरआई रूट:

चरण 1: 2030 तक

- डीआरआई संयंत्रों पर आधारित वर्तमान गैस में प्राकृतिक गैस से ग्रे/ब्राउन हाइड्रोजन के उत्पादन/उपयोग को 70% बढ़ाना।

- ग्रीन हाइड्रोजन खपत बाध्यताओं (जीएचसीओ) को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन इन्फ्यूजिंग करने के लिए मुख्य संयंत्र स्थापित करना।

- 2% ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लैंडिंग करने के लिए, एनजी का प्रयोग करते हुए दो मुख्य संयंत्र एक एएमएनएस द्वारा और एक अन्य जेएसडब्ल्यू द्वारा–स्थापित किए जाने हैं।

चरण 2: 2030 के बाद

- एनजी आधारित डीआरआई उद्योग द्वारा 2% ग्रीन हाइड्रोजन के साथ ब्लैंडिंड प्राकृतिक गैस के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, सफल प्रौद्योगिकी की प्रतिकृति तैयार करना जो प्रमुख परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उभर कर सामने आती है।

बीएफ रूट:

चरण 1: 2030 तक

- वर्तमान बीएफ क्षमता लगभग 80 एमटीपीए है और 2030 तक और 50 एमटीपीए क्षमता के जुड़ने की संभावना है।

- इस समय, ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस/हाइड्रोजन गैस के अंतर्वेशन के लिए कोई सिद्ध प्रौद्योगिकी नहीं है।

- तथापि, जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए और कोकिंग कोल की महत्वपूर्ण निर्भरता को भी कम करने के लिए सभी ब्लास्ट फर्नेसों में हॉट मेटल स्टील के 200–220 कि.ग्रा. प्रतिटन तक पीसीआई के अंतर्वेशन के प्रयोग को सुनिश्चित किया जाएगा। यह उपाय कोक दर को हॉट मेटल के लगभग 450–500 कि.ग्रा. प्रतिटन से कम करके लगभग 300–350 कि.ग्रा. प्रति टन तक करेगा, जिसके द्वारा CO_2 उत्सर्जन में लगभग 15% तक कमी करेगा।

चरण 2: 2030 के बाद

- हाइड्रोजन का प्रयोग करके CO_2 उत्सर्जन को इथानोल/मीथानोल में बदलने के लिए ब्लस्ट फर्नेसों में मुख्य सीसीयू संयंत्रों की स्थापना।

- यदि यह सफल होता है तो इसे संपूर्ण उद्योग द्वारा दोहराया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप वर्तमान में उत्सर्जित होने वाली ब्लस्ट फर्नेसों से 50% से अधिक CO_2 उत्सर्जन में कमी आएगी।

अध्याय-11

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और जम्मू व कश्मीर का विकास

11.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय को उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए अपने बजटीय आवंटन/जीबीएस का 10% निर्धारित करने की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।

11.2 माननीय इस्पात मंत्री (एचएसएम) ने 24–25 सितंबर, 2021 को अगरतला, त्रिपुरा का दौरा किया। दौरे के दौरान, एचएसएम ने इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित एक इस्पात उपभोक्ता बैठक में अध्यक्षता करने के अलावा त्रिपुरा के माननीय गवर्नर और माननीय मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जिनमें इस्पात मंत्रालय एक सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है।

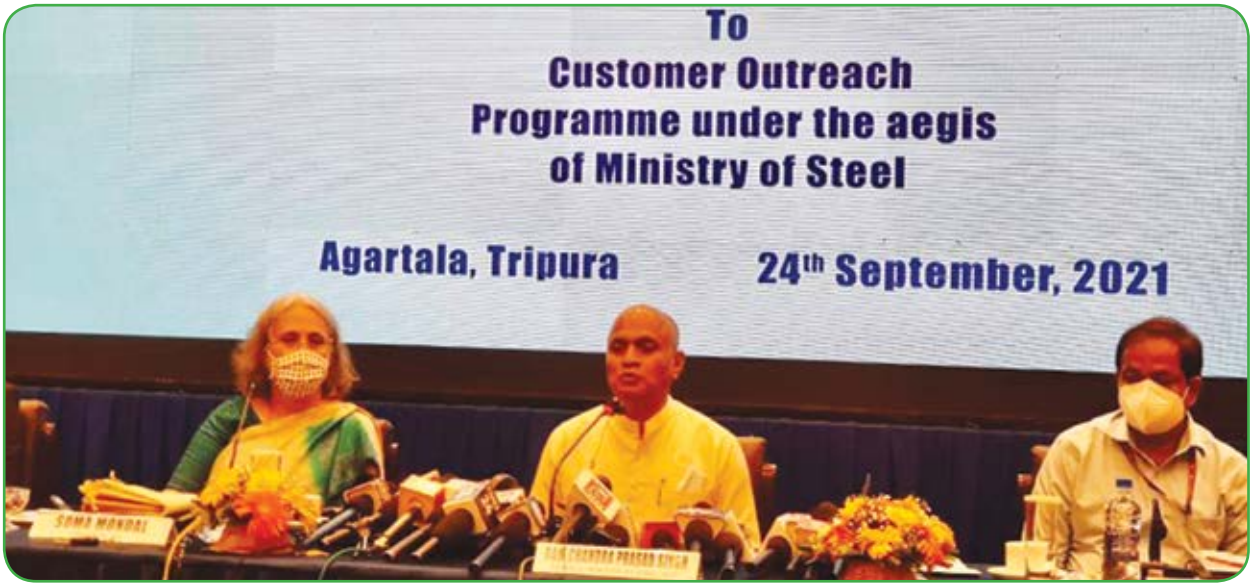

अगरतला, त्रिपुरा में ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के दौरान माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह।

अगरतला, त्रिपुरा में ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह बातचीत करते हुए।

11.3 एचएसएम ने जम्मू और कश्मीर के आउटरीच कार्यक्रम के भाग के रूप में 7–8 अक्तूबर, 2021 को जम्मू का दौरा किया। 7 अक्तूबर, 2021 को, एचएसएम ने गवर्नमेंट हायर सैकेंडरी स्कूल (बालक), अखनूर में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने 3 विकासात्मक कार्यों का उद्घाटन किया: (I) संगल पलयारी ब्लॉक, अखनूर में जल आपूर्ति योजना, (II) गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, अखनूर में अतिरिक्त ब्लॉक, और (III) पंचायत संगल, लोअर–सी ब्लॉक, अखनूर में पंचायत घर और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ भोगियों को स्वीकृति पत्र/ सहायता भी वितरित किए। सेल ने 7 अक्तूबर, 2021 की दोपहर में जम्मू में एक ग्राहक सभा आयोजित की। एचएसएम ने सेल के विभिन्न ग्राहकों और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दिए गए प्रमुख सुझावों और मुद्दों को नोट किया। 8 अक्तूबर, 2021 को, एचएसएम ने विस्तार में मुद्दों को समझने के लिए सरकारी प्रतिनिधियों और वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स के सदस्यों, औद्योगिक एसोसिएशन के सदस्यों, ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों और विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की। जम्मू और कश्मीर सरकार और भारत सरकार के अन्य संगत मंत्रालयों/विभागों के साथ विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की गई।

जम्मू और कश्मीर में आउटरीच कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह बातचीत करते हुए।

11.4 उत्तर पूर्व में इस्पात सीपीएसई द्वारा की गई पहलें

11.4.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमि. (सेल)

सेल ने उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में एक विपणन नेटवर्क स्थापित किया है। इसका गुवाहाटी में शाखा बिक्री कार्यालय है जो पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस्पात उत्पादों के विपणन का काम देखता है। शाखा बिक्री कार्यालय के अलावा, गुवाहाटी में परेषण प्रबंधन एजेंसी (सीएचए) और सिल्चर और ईटानगर में दो परेषण एजेंसी (सीए) वेयरहाउस स्थित हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान, सेल ने अप्रैल से दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान एनई क्षेत्र में 1.7 लाख टन से अधिक की बिक्री की है और पिछले वर्षों के दौरान प्रगति के पथ पर है।

एनई क्षेत्र में, सेल भारतीय रेलवे, एनएचपीसी, एनएचए आई और रक्षा मंत्रालय द्वारा निष्पादित की जा रही राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं का प्रबंध कर रहा है। सेल कोल्ड रिड्यूसर्स, एलपीजी विनिर्माता, इलैक्ट्रॉड विनिर्माता, वायर ड्राईंग और बहुत से अन्य उद्योगों को इस्पात की आपूर्ति करने के द्वारा क्षेत्र की औद्योगिक वृद्धि में योगदान कर रहा है।

राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख परियोजनाओं, जिनमें सेल एक प्रमुख आपूर्ति हितधारक है, वे गेरुका मुख स्थित एनएचपीसी सुबनसिरी लोअर 2000 मे.वा. हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना, ब्रह्मपुत्र नदी पर फूलबारी चार लेन वाली सड़क पुल, जो 19 कि.मी. मीटर लंबा भारत का सबसे लंबा विस्तारित नदी सड़क पुल होगा, गुवाहाटी के उत्तरी और दक्षिणी किनारे को जोड़ने वाला ब्रह्मपुत्र नदी

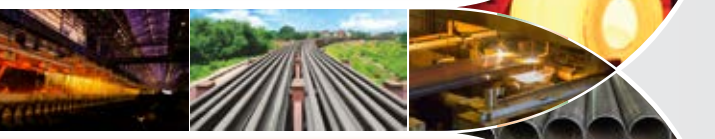

पर 6 लेन वाला अतिरिक्त डोज रिवर ब्रिज, बांगलादेश को अगरतला से जोड़ने वाला 15.6 कि. मी. की अगरतला – आखुरा रेल लिंक परियोजना, गुवाहाटी में 750 बिस्तरों वाला एम्स, 52 सुरंगों और 149 पुलों सहित जिरीबम–तुपुल–इम्फाल को जोड़ने वाली 111 कि.मी. लंबी बीजी विस्तार परियोजना, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज एवं 2 अस्पताल, नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना आदि।

परियोजनाओं और उद्योगों को बिक्री के अतिरिक्त, सेल गुवाहाटी स्थित सिंगल टियर डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए मध्यम एवं छोटे ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा, खुदरा जरूरतों के लिए, सेल ने एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करते हुए, डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़े वितरकों और डीलरों को शामिल करते हुए दो टियर वाला वितरण खुदरा चैनल नेटवर्क स्थापित किया है। योजना का मुख्य उद्देश्य एक कुशल वितरण चैनल के जरिए खुदरा क्षेत्र में अंतिम ग्राहक तक पहुंचना और उत्पादों, वितरण और सेवाओं में मूल्यवर्धन के जरिए उपभोक्ताओं/ग्राहकों को उच्च मूल्य प्रदान करना है। दो–टियर वितरण प्रणाली पहाड़ी क्षेत्रों में अंतिम मील की दुकानों तक सामग्री पहुचाने में सहायता करेगी, जो सामान्य तौर पर छोटी मात्रा, कठिन भू भाग और दूरस्थ स्थानों के कारण संभार तंत्र संबंधी मुद्दों का सामना करते है।

उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में इस्पात की जरूरत को ध्यान रखने के इसके प्रयास के लिए, गुवाहाटी में नियुक्त वितरक और डीलर नेटवर्क असम राज्य के विस्तृत क्षेत्र के अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय राज्यों, की जरूरत को पूरा करते हैं। गुवाहाटी स्थित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नियुक्त वितरक मुख्य रूप से टीएमटी की खुदरा बिक्रियों के लिए जिम्मेदार हैं और दिसंबर, 2021 तक, वितरक सूची में 209 डीलर हैं और यह एनई के सभी सात राज्यों को कवर करता है।

वितरक ने ग्रामीण जागरुकता बैठकों, राजमिस्त्री बैठक, वॉल पेंटिंग और अन्य ब्रांड प्रोमोशन गतिविधियों के रूप में विभिन्न प्रचार गतिविधियों को अंजाम दिया है।

11.4.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमि. (आरआईएनएल)

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र हाइड्रो पॉवर, थर्मल पावर स्टेशनों, कोयला एवं प्राकृतिक गैस सुविधाओं के संदर्भ में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु संभावना वाले केन्द्रित क्षेत्रों में से एक है क्योंकि इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचूर मात्रा उपलब्ध है। आरआईएनएल सामग्री के जरिए इस क्षेत्र की अधिकतर जरूरतों को पूरा करता है जो आरआईएनएल के कोलकाता स्थित स्टॉकयार्ड से प्राप्त होता है। आरआईएनएल सिलीगुड़ी और गुवाहाटी स्थित ग्रामीण डीलरों के जरिए इस क्षेत्र में सामग्री आपूर्ति कर रहा है। भविष्य में, आरआईएनएल की 2–टियर बिक्री और वितरण प्रणाली के जरिए उत्तर–पूर्वी क्षेत्र को आउटरीच के विस्तार की संभावना है।

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में उपस्थिति में सुधार करने के लिए, आरआईएनएल ने आईडब्ल्यूएआई (भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) के साथ गुवाहाटी स्थित उनकी भूमि पर स्टॉकयार्ड प्रचालन के लिए समझौता किया है। हैंडलिंग कॉन्ट्रेक्टर को नियुक्त किया गया है और बिक्री आरंभ की गई है।

11.4.3 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ग्राहकों की मद्द करने के लिए गुवाहाटी में एक शाखा कार्यालय स्थापित किया है। पिछले कई वर्षों से, किसानों की आजीविका में सुधार करने में सहायता करने के लिए कृषि और बागवानी क्षेत्रों में ई–कॉमर्स को लागू करने के लिए कई गतिविधियां अपनाई गई हैं। एमएसटीसी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप मेघालय से कोयले की बिक्री के लिए पोर्टल का भी विकास किया है।

अध्याय-12

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12.1 ओईसीडी इस्पात समिति और भारत

इस्पात क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहकार्यता महत्वपूर्ण है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) इस्पात समिति प्रतिभागियों को वैश्विक इस्पात उद्योग के सामने आ रही चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान करने और इस्पात उद्योग के लिए खुले और पारदर्शी बाजार को बढ़ावा देने के लिए उपायों का पता लगाने हेतु सक्षम बनाती हैं। ये विभिन्न देशों को इस्पात क्षेत्र के साथ–साथ वैश्विक इस्पात बाजार के दृष्टिकोण, क्षेत्रीय इस्पात बाजार के उतार चढ़ावों, आर्थिक सहायता और सरकारी समर्थन उपायों के अन्य प्रकारों और उनके प्रभाव, नीतिगत हस्तक्षेपों और इस्पात एवं प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों से संबंधित विषयों पर सूचना एकत्र करने में सक्षम बनाते हैं। ये ऊपर उल्लिखित विषयों और इस्पात क्षेत्र से संबंधित अन्य विषयों पर भली–भांति शोध किए गए दस्तावेजों को प्रकाशित और परिचालित भी करते हैं। इस मंच पर विश्व इस्पात संघ अर्धवार्षिक क्षेत्रीय प्रस्तुति भी देता है।

भारत ओईसीडी इस्पात समिति का वर्ष 2000 से एक "प्रतिभागी" है। प्रतिभागी के रूप में, भारत को इस्पात समिति की बैठकों में सभी अगोपनीय एजेंडा मदों में भाग लेने और इसके विचार विमर्शों में योगदान करने के लिए आंमत्रित किया जाता है।

भारत यह सुनिश्चित करने के लिए ओईसीडी इस्पात समिति में नियमित रूप से भाग लेता रहा है कि वैश्विक समुदाय के समक्ष भारतीय घरेलू इस्पात उद्योग के हितों को उचित रूप से प्रस्तुत कर सके और भारतीय इस्पात उद्योग और इसके विकास के बारे में कोई गलत निष्कर्ष नहीं निकाला जाए। इस्पात समिति का 90वां सत्र 22–24 सितंबर, 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। समिति का 91वां सत्र 30–31 मार्च, 2022 को आयोजित किया जाना निर्धारित है।

12.2 लौह और इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए आयोजित की गई निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/संगोष्ठियों में इस्पात मंत्रालय ने नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार भाग लिया:

(i) भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 22–24 सितंबर, 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित 90वीं ओईसीडी इस्पात समिति की बैठक में भाग लिया।

(ii) मंगोलिया से कोकिंग कोल की अधिप्राप्ति की संभावना पर भारत और मंगोलिया के बीच पहली संयुक्त कार्यकारी समूह बैठक 25 मार्च, 2021 को आयोजित की गई। बैठक की सह–अध्यक्षता संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार और महानिदेशक, खनन और भारी उद्योग मंत्रालय (मंगोलिया) द्वारा संयुक्त रूप से की गई और इसमें भारत में मंगोलिया के राजदूत, मंगोलिया में भारत के राजदूत, कोयला एवं एमईए मंत्रालय, भारत के अधिकारियों, भारतीय इस्पात कंपनियों (सरकारी एवं निजी) के वरिष्ठ कार्यपालकों, मंगोलियन कोकिंग कोल सप्लायरों और मंगोलियन कोयला एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मंगोलियन प्रतिमंडल के साथ बैठक के दौरान माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह।

(iii) मंगोलिया की संसद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में मंगोलियन संसद सदस्यों का दौरा करने वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने 01 दिसंबर, 2021 को माननीय इस्पात मंत्री से भेंट की। विचार विमर्श में कोकिंग कोयले के वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों का सृजन करने और भारतीय इस्पात कंपनियों के लिए आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कच्चे माल के प्रतिभूतिकरण और कोकिंग कोयले की कीमत स्थिरता का पता लगाने के लिए कोयला क्षेत्र में सहयोग करना शामिल था।

अध्याय-13

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

13.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय और इसके पीएसयू आईसीटी अवसंरचना, सेवाओं और अनुप्रयोग विकास से संबंधित मामलों पर अद्यतन रहने का लगातार प्रयास करते हैं।

- मंत्रालय में कंप्यूटर सेंटर जिसमें हाई एंड सर्वर, ग्राहक व्यवस्था, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन), वीडियों कांफ्रेंसिंग सुविधा और वाई–फाई सुविधा है, इस्पात मंत्री, इस्पात राज्य मंत्री, सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को आईसीटी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रचालनरत है।
- मंत्रालय की सारी वेब अनुप्रयोग और सेवाएं पीएएएस (प्लेटफार्म एज ए सर्विस) का प्रयोग करते हुए एनआईसी क्लाउड में होस्ट की जाती हैं।
- मंत्रालय में गीगाबाइट आप्टिकल फाइबर (ओएफसी) बैकबोन लगभग 250 नोड्स का एक एलएएन प्रचालन कर रहा है।
- मंत्रालय के सभी अधिकारियों/प्रभागों को एनआईसी/जीओवी डोमेन के तहत ईमेल सुविधा के साथ एनआईसीएनईटी आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है।

मंत्रालय में पेपरलैस कार्यालय की संकल्पना का संवर्धन करने के लिए मंत्रालय में कार्यान्वित ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन्स

- डीएआरपीजी की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में मॉड्यूल्स में निर्मित "**ई-ऑफिस**" सॉफ्टवेयर (भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना) जैसे इलेक्ट्रॉनिक फाइल मैनेजमेंट प्रणाली, नॉलेज प्रबंधन प्रणाली, लीव मैनेजमेंट प्रणाली और **एसपीएआरआरओडब्ल्यू (ई-एपीएआर)** को मंत्रालय में लेस–पेपर ऑफिस पहल को प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित किया गया है।
- मंत्रालय में एक मिनिस्ट्री–वाइड इंट्रानेट पोर्टल भी प्रचालन कर रहा है।
- मंत्रालय के इंट्रानेट पोर्टल के जरिए ई–रिक्वीजीशन, स्टॉक एंड इंवेंट्री प्रबंधन प्रणाली प्रचालित और सुलभ है। ई–रिक्वजीशन, स्टॉक एंड इंन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली की प्रक्रिया को स्वचालित करने, और व्यवस्था सामान्य अनुभाग द्वारा इसके अनुमोदन और तत्पश्चात स्टॉक एवं इंन्वेंट्री के रखरखाव के लिए विकसित किया गया है।
- मंत्रालय में एलएएन का ईमेल, फाइल शेयरिंग, नेटवर्क प्रिंटर्स पर प्रिंटिंग, इंटरनेट, वीडियो कांफ्रेंसिंग, ई–ऑफिस फाइल मैनेजमेंट, आवतियों, फाइलों की ट्रैकिंग, वीआईपी/पीएमओ संदर्भों और कैबिनेट नोट्स आदि के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका छुट्टी प्रबंधन प्रणाली, जानकारी प्रबंधन और सूचना प्रसार, वार्षिक रिपोर्टों के लिए सूचना/सामग्री को एकत्र करने, संसदीय प्रश्नों, लंबित मामलों, आवेदनों (न्यायालीय मामलों, लेखा परीक्षा पैराओं और संसदीय आश्वासनों आदि) की प्रभागों से ट्रैकिंग/मॉनीटरिंग के लिए सूचना/सामग्री एकत्र करने के लिए भी किया जाता है।
- हाई–डेफनिशन वीसी सेटअप माननीय इस्पात मंत्री, माननीय राज्य मंत्री और सचिव (इस्पात) के चैम्बर्स में काम कर रहे हैं। इस्पात कांफ्रेंसिंग रूम भी वीसी सिस्टम से सज्जित है। माननीय प्रधानमंत्री के मासिक प्रगति वीसी और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य वीसी भी इन वीसी सिस्टम का प्रयोग करते हुए आयोजित की जाती हैं। वर्ष के दौरान लगभग 1000 वीसी सत्र आयोजित किए गए हैं।
- **ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, निम्नलिखित केंद्रीकृत सिटिजन सेंट्रिक वेब आधारित सिस्टम भी मंत्रालय में कार्यान्वित किए गए हैं:**
  - ❖ मंत्रालय और इसके पीएसयू सार्वजनिक और पेंशनर्स की शिकायतों को सुसाध्य बनाने के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)।
  - ❖ सूचना का अधिकार अधिनियम – प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीआई–एमआईएस) – आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त अनुरोधों और अपीलों की मॉनीटरिंग को सुगम बनाती है। इस प्रणाली को मंत्रालय और इसके पीएसयू में क्रियान्वित किया गया है।

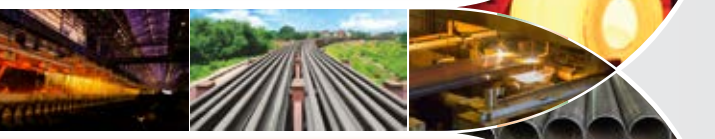

- ❖ सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), एक वित्तीय प्रबंधन मंच जिसे मंत्रालय में क्रियान्वित किया गया है।
- ❖ प्रगति – सक्रिय अभिशासन और समय पर क्रियान्वयन के लिए एक मंच।
- ❖ समय पर सेवानिवृत्ति बकाया राशियों की अदायगी और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को जारी करने के लिए ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली 'भविष्य'।
- ❖ कानूनी सूचना प्रबंधन एवं सार सूचना प्रणाली (एलआईएमबीएस)।
- ❖ अनुभव – सरकार के साथ काम करने के अनुभव को साझा करने के लिए सेवा निवृतियों के लिए एक मंच।
- ❖ भर्ती नियम निर्माण, संशोधन और मॉनीटरिंग प्रणाली (आरआरएफएएमएस)।
- ❖ सीएसीएमएस, भारत सरकार की मॉनीटरिंग व्यवस्था (आरआरसीपीएस) में पोस्ट और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व।
- ❖ एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली (एवीएमएस)।
- ❖ ई–विजिटर्स मॉनीटरिंग प्रणाली (ई–वीएमएस)।
- ❖ ई–समीक्षा पोर्टल निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकार्डिंग ऑनलाइन।
- ❖ एपीएआर और वार्षिक संपत्ति विवरणियों को ऑनलाइन दायर करने के लिए एसपीएआरआरओडब्ल्यू (स्मार्ट निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकार्डिंग ऑनलाइन विंडों) का भी क्रियान्वयन किया गया है।

- वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों (एसओएम) की रिकार्ड की गई टिप्पणियों और माननीय इस्पात मंत्री और सचिव (इस्पात) द्वारा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों की विचाराधीनता की स्थिति को मॉनीटर करने के लिए इस्पात मंत्रालय में एक कार्यबल प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गई है।
- एनआईसी वीडियो कांफ्रेंसिंग/वेब आधारित वीसी प्रणालियों के जरिए इंट्रा या अंतः मंत्रालयी स्तरों पर व्यापक वर्चुअल बैठकें आयोजित करता है और ई–ऑफिस तक पहुँच बनाने के लिए मंत्रालय के सभी अधिकारियों को वीपीएन सेवाएं उपलब्ध कराता है और देश में कोविड–19 महामारी के कारण अभिभावी लॉकडाउन की स्थितियों के बीच वर्क फ्राम होम को सुसाध्य बनाने में मदद करता है।

मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

- सामग्री प्रबंधन ढांचे (सीएमएफ) मंच पर विकसित इस्पात मंत्रालय की द्विभाषिक वेबसाइट (http://steel.gov.in), जो इस्पात मंत्रालय और इसके अन्य कार्यालयों/पीएसयू का विस्तृत ब्यौरा और कामकाज का विवरण प्रदान कर रही है।

मंत्रालय का पुरस्कार पोर्टल

- **पुरस्कार पोर्टल:** राष्ट्रीय धातुकर्मी दिवस के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए दिनांक 07.08.2021 को इस्पात मंत्रालय द्वारा एक अवार्ड पोर्टल (https://awards.steel.gov.in) आरंभ किया गया। आवेदनों को प्राप्त करने और प्रक्रियाबद्ध करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को एनआईसी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह पोर्टल प्राप्ति से प्रेषण तक एक संपूर्ण कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली है। आवेदक पोर्टल पर पुरस्कारों की एक या अधिक श्रेणियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करते हैं। सभी आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय किए गए मापदंड के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रियाबद्ध किया जा रहा हैं। आवेदक अपने आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक और समीक्षा कर सकते हैं।

मंत्रालय का टीसी- क्यूसीओ पोर्टल

- **टीसी-क्यूसीओ पोर्टल:** अधिसूचित इस्पात ग्रेडों पर स्पष्टीकरण के लिए आयातकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को प्रक्रियाबद्ध करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली (https://tc-qco.steel.gov.in/tc-qco) को एनआईसी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

मानीटरिंग डैशबोर्ड

- **मंत्रालय का विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड:** इस्पात मंत्रालय का स्टील डैशबोर्ड 2.0 दिनांक 20.09.2021 को आरंभ किया गया था। डैशबोर्ड एक संवादात्मक और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफार्म है जो इस्पात क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पैरामीटरों पर निष्पादन को ग्रहण करता है जैसे इस्पात क्षमता उपयोग, उत्पादन और खपत, कीमतें, कच्चे माल का उत्पादन, व्यापार, स्टॉक और रेल उत्पादन आदि। डैशबोर्ड इस्पात क्षेत्र के विभिन्न केपीआई के लिए वास्तविक काल के आधार पर इस्पात

कंपनियों के निष्पादन को मॉनीटर और विश्लेषण करने में सहायता करेगा। स्टील डैशबोर्ड 2.0 (https://analytics.steel.gov.in/) इस्पात क्षेत्र निष्पादनों पर एक विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड है जिसे विशिष्ट कारोबार आसूचना (बीआई) उपकरणों का प्रयोग करते हुए डिजाइन किया गया है। विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- तैयार इस्पात, कच्चा इस्पात, स्पंज आयरन और पिग आयरन उत्पादन, मासिक रुझान विश्लेषण, सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र का उत्पादन विश्लेषण, श्रेणीवार, उत्पादकवार और फर्नेसवार उत्पादन विश्लेषण का मासिक, तिमाही और वार्षिक विश्लेषण।
- कच्चा इस्पात, स्पंज आयरन और पिग आयरन क्षमता उपयोग का मासिक, तिमाही और वार्षिक विश्लेषण, उपयोग की मासिक प्रवृत्ति, सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र और उत्पादकवार क्षमता उपयोग विश्लेषण।
- व्यापार (आयात और निर्यात) का दैनिक, मासिक, तिमाही और वार्षिक रुझान विश्लेषण और व्यापार संतुलन विश्लेषण, शीर्ष आयातक और निर्यातक देश, श्रेणी–वार और उपश्रेणी–वार विश्लेषण।
- तैयार और मूल्य–वर्धित इस्पात के खपत विश्लेषण का मासिक, तिमाही और वार्षिक विश्लेषण, श्रेणी–वार और उपश्रेणी–वार विश्लेषण।
- देश में चार महानगरों में इस्पात की वस्तुओं की कीमतें, इस्पात की वस्तुओं की पाक्षिक कीमत संबंधी रुझान।
- उत्पादक–वार और क्षेत्र–वार मासिक स्टॉक विश्लेषण।
- दैनिक रेल उत्पादन।
- सीपीएसई खानों से कच्चेमाल के प्रारक्षित भंडार की प्रास्थिति और कच्चे माल की दैनिक उत्खनन मात्रा।
- कंपनी की राय और सीपीएसई के निष्पादन पर सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों, प्रकार की चेतावनी।
- कच्चा इस्पात और तैयार इस्पात का उत्पादन, क्षमता उपयोग और व्यापार से संबंधित पिछले 10 वर्षों का एतिहासिक डाटा विश्लेषण।

- **डैशबोर्ड का पीएम डेशबोर्ड-केपीआई का एकीकरण:** पीएम डैशबोर्ड इस्पात ऑफ डैशबोर्ड प्रयासः में मंत्रालय के लिए केपीआई का एकीकरण, इस्पात मंत्रालय के लिए केपीआई को पीएम डैशबोर्ड ऑफ डैशबोर्ड्स प्रयास के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अवलोकन के लिए इनके केपीआई पर अंतरदर्शी संकल्पना को विकसित किया गया है। एसआईएमएस केपीआई से उत्पादन खपत, व्यापार (आयात और निर्यात) डाटा को एकीकृत किया गया है।
- **नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ योजनाओं का एकीकरण:** इस्पात मंत्रालय ने एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ एकीकरण के लिए योजना "लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का संवर्धन", की पहचान की है। योजना को नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ सफलता पूर्वक एकीकृत किया गया है।

13.2 लेखों का कंप्यूटरीकरण

- **लेखों का संकलन और कंप्यूटरीकरण:** एनआईसी द्वारा विकसित पीएफएमएस में इसके भुगतान नियंत्रण के तहत डीडीओ, यदि कोई हो, के भुगतान और प्राप्तियों को शामिल करने के बाद पीएओ द्वारा महीने के दौरान किए गए लेनदेनों के लिए पीएओ द्वारा मासिक लेखों का संकलन किया जाता है।
- पीएओ से मासिक लेखों की प्राप्ति पर, प्रधान लेखा कार्यालय सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की सहायता से पूरे मंत्रालय के लेखों को संकलित करता है। इस प्रकार संकलित किए गए मासिक लेखों को ई–लेखा (http://164.100.12.160/Elekha/elekhaHome.asp) पर ऑनलाइन सी.जी.ए. कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है।
- **ई-लेखा:** वर्ष के दौरान किसी भी समय मंत्रालय के व्यय और प्राप्तियों को देखने के लिए ई–लेखा वेबसाइट (http://164.100.12.160/Elekha/elekhaHome.asp) दैनिक लेखासार, ई–डीडीजी की ऑनलाइन प्रस्तुति, उचित लेखों (चरण I और II), एससीटी को सफलतापूर्वक अपलोड किया जाता है।
- **ई-भुगतान :** लेखा महानियंत्रक के कार्यालय ने इलैक्ट्रॉनिक मोड के जरिए वेतन और लेखा कार्यालय में भुगतान प्रभावित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। ई–भुगतान प्रणाली को कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) और पीएफएमएस (ई–भुगतान गेटवे) के मध्य एक ही मंच पर स्थापित किया गया है। ई–भुगतान प्रणाली को पीएओ और इस्पात मंत्रालय में भी क्रियान्वित किया गया है और सभी भुगतान ई–भुगतान प्रणाली के जरिए किए जा रहे हैं।
- **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस):** सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सभी योजनागत स्कीमों, सभी प्राप्तकर्ता एजेंसियों के लिए एक डाटाबेस स्थापित करने, बैंक संभाल योजना निधियों के कोर बैंकिंग

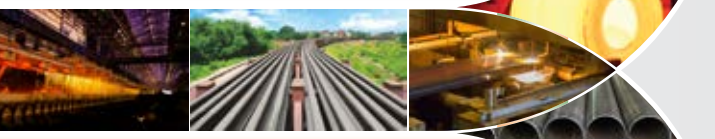

समाधान के साथ एकीकरण करने, राज्य राजकोष के साथ एकीकरण और सरकार की योजना स्कीम के लिए क्रियान्वयन के न्यूनतम स्तर पर निधियों की प्रभावी ट्रैकिंग के लिए एक वित्तीय प्रबंधन मंच है। यह निधि उपयोग पर देश में सभी योजना स्कीमों/क्रियान्वयन एजेंसियों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराता है जिसके परिणामस्वरूप योजना स्कीमों के क्रियान्वयन में सरकारी जवाबदेही को बढ़ाने के लिए बेहतर मॉनीटरिंग समीक्षा और निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करता है। पीएफएमएस ने क्रमशः प्रशासन और प्रबंधन कार्यक्रम व्यवस्था में प्रवाह की कमी, लाभ भोगियों को सीधे भुगतान और सरकारी निधि के प्रयोग में बेहतर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए सुधार किए हैं। तत्पश्चात निम्नलिखित कार्यक्षमताओं को शामिल करने के लिए अनुप्रयोग में विस्तार किया गया:

- ❖ लेखों का संकलन
- ❖ बजट मॉड्यूल
- ❖ लेखों का समाधान
- ❖ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एजेंट मंत्रालयों/विभागों को निधियों का प्राधिकार देना, उनके द्वारा कार्यों का निष्पादन आदि। चरणबद्ध रॉल आउट योजना के तहत, सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों में अभी तक उपर्युक्त कार्य क्षमताओं के साथ विस्तारित पीएफएमएस को क्रियान्वित किया गया है।

योजनागत स्कीम के तहत सभी भुगतानों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (http://pfms.nic.in) के जरिए किया जाना होता है। इसे इस्पात मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) में अपनाया जा रहा है।

- **गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी):** गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य भारत सरकार को देय गैर–कर प्राप्तियों को ऑनलाइन जमा करने के लिए नागरिकों/कॉरपोरेट्स/अन्य प्रयोक्ताओं को वन–स्टॉप विंडो उपलब्ध कराना है। एनटीआरपी पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर (पीजीए) की कार्य नीतियों का प्रयोग करता है। अतः, कोई जमाकर्ता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का प्रयोग करके या पीजीए के साथ एकीकृत बैंकों में से किसी की भी नेट बैंकिंग का प्रयोग ऑनलाइन राशि जमा कर सकता है। इस समय एसबीआई ई–पे एनटीआरपी के लिए पीजीए है। एनटीआरपी विभिन्न मंत्रालयों के मान्य बैंकों के साथ जुड़ा है। इसलिए, इसके जरिए किया गया कोई डिपॉजिट संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) के लेखों में भी अभिग्रहित हो जाएगा। यह पोर्टल भारत सरकार के उन सभी विभागों/मंत्रालयों की मद्द करेगा जिनके पास उनकी प्राप्तियों के ऑनलाइन संग्रहण के लिए कोई वर्तमान समाधान नहीं है। एनटीआरपी पोर्टल को दिनांक 15 फरवरी, 2016 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा औपचारिक रूप से आरंभ किया गया था। एनटीआरपी पोर्टल इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में, एनटीआरपी लेने–देनों के जरिए 1971.61 करोड़ रुपए गैर–कर राजस्व का संग्रहण किया गया था।
- **अंतरण के विरुद्ध व्यय (ईएटी मॉड्यूल):** ईएटी मॉड्यूल का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा एजेंसियों/पीएसयू को अंतरित निधि पर कड़ी नजर रखना है। ईएटी मॉड्यूल के अंतर्गत पीएफएमएस के जरिए प्रयुक्त की गई/अप्रयुक्त निधि को मॉनीटर किया जाता है।

13.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमि. (सेल)

सेल ने डिजिटल कायापलट का कार्य शुरू कर दिया है और व्यापार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने एवं लागत को अनुकूलित करने के लिए उद्योग 4.0 मानकों को अपनाना शुरू कर दिया है। ईआरपी को इसके सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों, विपणन ढाँचे और निगमित कार्यालय में क्रियान्वित और स्थिर किया गया है। मजबूत आईटी अवसंरचना प्रचालनों में पारदर्शिता प्राप्त करने, दक्षता लाने, प्रचालन संबंधी लागतों में कमी करने और ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाने में सहायता करता है।

- सेल के लिए आईटी रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें संगठन के लिए आईटी विजन को रेखांकित किया गया है।
- मुख्य कोविड–19 संबंधी पहलों में से एक पहल केंद्रीय सरकार के ऑक्सीजन डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम (ओडीटीएस) पोर्टल के साथ संयंत्र से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रेषण का स्वीकरण था जो ऑक्सीजन टैंकर्स की ऑनलाइन ट्रैकिंग में मदद करता है।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने और विभिन्न केपीआई को मॉनीटर करने के लिए शीर्ष प्रबंधन के लिए देखने में आकर्षक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं जो प्रमुख कार्य क्षमताओं को शामिल करते हुए संगठन का 360–डिग्री का दृश्य उपलब्ध कराता है।
- उत्पादन की सही लागत प्राप्त करने के लिए प्रमुख संयंत्रों में ईआरपी का लागत निर्धारण मॉड्यूल क्रियान्वित किया गया था। यह वास्तविक समय के आधार पर उत्पादन की लागत की निगरानी करने और उसमें कमी करने और उसे इष्टतम करने के लिए उपायों को अपनाने में सक्षम है।

- पेपरलेस कार्यालय की तरफ एक कदम के रूप में, ऑनलाइन नोटशीट अनुमोदन प्रणाली ने विभिन्न सेल संयंत्रों/इकाईयों में फाइलों की भौतिक गतिविधि को कम किया है जिसका परिणाम तीव्रता से निर्णय लेने, गोपनीयता और प्रस्तावों की आसानी से ट्रैस करने में हुआ है। कोविड महामारी के समय के दौरान संपर्क रहित कार्य करने में सुविधा हुई है।
- व्यक्तियों और दस्तावेजों की भौतिक गतिविधि को कम करने के लिए और पारदर्शिता और नियंत्रण के साथ गेटपास को तेजी से जारी करने के लिए संयंत्रों में संविदा श्रमिकों के लिए कार्य प्रवाह आधारित डिजिटल स्थायी गेट पास प्रणाली क्रियान्वित की गई।
- भारतीय रेलवे के साथ तीव्र और सही सूचना विनिमय के लिए रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) के साथ सूचना एकीकरण किया गया।
- कुछ प्रमुख शॉप्स में लेवल–2 स्वचालन प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रचालनों को शामिल करते हुए एमईएस प्रणाली क्रियान्वित की गई है जिसने गुणवत्ता में सुधार किया है, उत्पादकता को बढ़ाया है और प्रचालन संबंधी रखरखाव को कम किया है।
- नई विशेषताओं और प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए ऑनलाइन कार्यपालक निष्पादन प्रबंधन प्रणाली में वृद्धि की गई है जिसने न केवल प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तीव्र बनाने में सहायता की है बल्कि संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ कर्मचारी की उपलब्धियों के सुयोजन में भी सुधार किया है।
- सेल के कानूनी और माध्यस्थम मामलों की डिजिटल मॉनीटरिंग के लिए ऑनलाइन कानूनी सूचना प्रबंधन प्रणाली आरंभ की गई है और यह सुविधा इस्पात मंत्रालय में भी प्रदान की गई है।
- सेल संयंत्रों से नीलामी संबंधी विवरणों को स्थानांतरित करने के लिए और एम/एस एम जंक्शन से एच1 बोलीदाता विवरण प्राप्त करने के लिए ईआरपी और एम/एस एम जंक्शन के बीच प्रणाली एकीकरण।
- ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए ग्राहक आर्डर ट्रैकिंग के लिए सीएमओ प्रणाली के साथ सिस्टम एवं इंटरफेस का विकास और कार्यान्वयन।
- सेल में कॉरपोरेट सतर्कता के लिए कॉरपोरेट शिकायत निगरानी पोर्टल (सुविधा) का क्रियान्वयन।

13.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमि. (आरआईएनएल)

आरआईएनएल आईटी अवसंरचना और विभिन्न आईटी प्रणालियों और अनुप्रयोगों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- रायबरेली, उत्तर प्रदेश में फोर्ज्ड व्हील प्लांट के लिए एसएपी–उत्पादन आयोजना (पीपी) और बिक्री एवं संवितरण (एसडी) मॉड्यूल क्रियान्वित किए गए।
- मिल क्षेत्र में: रोल्ड उत्पादों के लिए निरीक्षण मॉड्यूल को एसटीएम में क्रियान्वित किया गया। फर्नेस और कूलिंग सहित एसबीएम में प्रक्रिया डाटा अधिग्रहित करने तथा अद्वितीय आईडी सहित बिलेट के साथ संलग्न करने तथा केंद्रीय डाटाबेस को स्थानांनतरित करने एवं एसबीएम उत्पादन पोर्टल पर प्रदर्शित करने के लिए एक एप्लीकेशन को क्रियान्वित किया गया। बंडल्स के लिए एसबीएम में यार्ड प्रबंधन मॉड्यूल को विकसित किया गया और लेवल 2 सिस्टम में क्रियान्वित किया गया।
- टैपिंग स्टार्ट टाइम के अनुसार, प्रत्येक उत्पादन श्रृंखला और अनुभाग में एसएमएस 2 पर विश्लेषण को ट्रेक करने और कन्वर्टर–वार स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए एक एप्लीकेशन को क्रियान्वित किया गया।
- सीडीवाई से प्रेषण के पूर्व उत्पादों के टैग पर क्यूआर कोड्स को स्कैन करने, डिवाइस पर सेव करने तथा डाटाबेस पर अपलोड करने, एचएचटी से ईआरपी इंटरफेस टेबल्स पर डाटा को स्थानांतरित करने के लिए एक मोबाइल एप क्रियान्वित किया गया।
- ईटीपी और टीपीपी से एफ्लुएंट क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम से डाटा प्राप्त करने और ईएनएमडी सर्वर को स्थानांतरित करने तथा एनविजन वेबपेज पर प्रदर्शित करने के लिए एप्लीकेशन क्रियान्वित किया गया।
- कार्य प्रक्रिया को आसान करने, डाटा तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने और फ्लाई एश की निपटान प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए फ्लाई एश स्विफ्ट ट्रांजिट सिस्टम (एफएएसटी) का विकास और क्रियान्वित किया गया।
- अधिप्राप्तियों के लिए एसएपी में यांकि नीलामी प्रणाली क्रियान्वित की गई। बीएसएलसी उत्पादों के लिए नीलामी एसएपी एसआरएम मॉड्यूल में समनुरूप की गई। निपटान स्टोर्स की सामग्रियों के लिए अग्रेषित नीलामियों को समनुरूप किया गया और एसआरएम प्लेटफार्म पर क्रियान्वित किया गया। एसआरएम पर जीईएम के साथ ईआरपी सिस्टम का नए विशेष विवरणों के साथ एकीकरण किया गया।

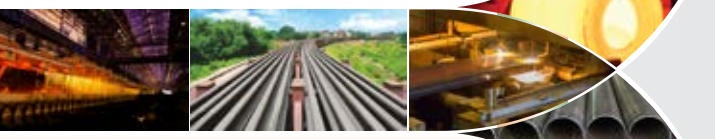

- बेहतर मालसूची नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए तीव्रता से गतिशीलता वाली मदों के लिए परिकलन और मालसूची को निर्धारित करने के लिए एक एसएपी मॉड्यूल क्रियान्वित किया गया।
- ग्राहकों से आदेश प्राप्त करने के लिए ई–सुविधा पोर्टल का विकास और क्रियान्वित किया गया।
- संग्रहित मालसूची मामले (घरेलू रेक से पत्तन) के लिए परीक्षण प्रमाणपत्र (टीसी) की प्राप्ति को क्रियान्वित किया गया।
- ईपीएमएस की प्रक्रिया में लॉग इन करने के दौरान प्रत्येक स्तर पर ग्राहक के विवरणों को प्राप्त किए जाने को क्रियान्वित किया गया।
- कोविड वेक्सीनेशन मॉड्यूल, वार्ड मैनेजेमेंट सिस्टम, क्रेडिट डायग्नोस्टिक स्वीकृति और बिलिंग सिस्टम, आयकर भत्ते और प्रत्यक्ष बचत उप–मॉड्यूल और बकाया मॉड्यूल को विकसित और क्रियान्वित किया गया।

13.5 एनएमडीसी लिमि.

ईआरपी का क्रियान्वयन (एसएपी): ईआरपी परियोजना "कल्पतरू" ने एसएपी एस/4 एचएएनए मंच पर उद्यम संसाधन आयोजना को क्रियान्वित करने के लिए भारत में पहला सीपीएसई एनएमडीसी बनाया है। यह परियोजना एक सुदृढ़ ईआरपी बैकबोन के जरिए एनडीएमसी कोर व्यापार अनिवार्यताओं का पता लगाने के लिए अपनाई गई थी जो संगठन के सभी कारोबार संबंधी कार्यों को सम्मिलित करने के लिए एक पूर्ण एकीकृत समाधान उपलब्ध कराएगा। यह एनएमडीसी की डिजीटल यात्रा में एक परिवर्तनकारी प्रगति है जो कंपनी की संपूर्ण व्यापार प्रक्रिया में सुधार करेगी। यह खनन क्षेत्र के लिए एक लाइटहाउस परियोजना के रूप में भी कार्य करेगी और ऑटोमेशन और डिजीटलाइजेशन संचालित विकास के युग की ओर ले जाएगी। कोविड–19 महामारी द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों के बावजूद, एक बिग बैंग विचारधारा में 11 जनवरी, 2021 को 21 महीनों में समाधान प्रस्तुत किया गया और कंपनी के सभी स्थानों में नियोजित किया गया। गो–लाइव के पश्चात सभी लीगेसी सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गए और सभी लेनदेन एसएपी में पहले दिन से ही होने लगे।

उद्योग की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने के द्वारा ईआरपी पहलों ने प्रक्रिया परिवर्तन की शुरुआत की है जिसके परिणाम स्वरूप एनएमडीसी में कार्यदक्षता और बेहतर पारदर्शिता में सुधार हुआ है। यह प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईओटी, डाटा विश्लेषण, एआई के साथ समाधानों को एकीकृत कर एनएमडीसी को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पहुंचाता है।

अन्य पहलें:

- एनआईएसपी नागरनार के विसंबद्ध होने के लिए एक वर्चुअल डाटा रूम (वीडीआर) सृजित किया गया है। यह विभिन्न विभागों को विभिन्न दस्तावेजों को अपलोड करने की अनुमति देता है ताकि हितधारक इन्हें देख सकें।
- 2 अलग–अलग इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से सब्सक्राइब्ड डीडीओएस सुरक्षा के साथ 500 एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाइन।
- बचेली में रिवार्ड प्वाइंट प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गई है। इस प्रणाली का उद्देश्य संविदा श्रमिक मैनुअल फूड कूपन जारी करने/निष्क्रिय करने के काम को स्वचालित करना है। यह पारदर्शिता लाता है और सुनिश्चित करता है कि अभिप्रेरित व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
- एक फेशियल बायोमीट्रिक आधारित उपस्थिति रिकार्डिंग प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए एक कार्य आदेश जारी किया गया है। क्रियान्वयन प्रगति पर है।

13.6 मॉयल लिमि.

कंपनी ने अपने सभी कार्यात्मक क्षेत्रों के प्रभावी कंप्यूटरीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्णतः विकसित प्रणाली विभाग स्थापित किया है। एक पूर्ण विकसित आईटी अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए, सिस्टम विभाग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- इसके सभी कार्यालयों और खानों/संयंत्रों में कंप्यूटरों और अन्य आईटी उपकरणों की स्थापना।
- मुख्यालय नागपुर और कंपनी की सभी खानों में विंडोज पर इंथरनेट आधारित लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) और लिनक्स मंच स्थापित किए गए हैं।
- नियमित आधार पर एप्लीकेशनों, डाटाबेसों/सूचना और अन्य संसाधनों की प्रभावी साझेदारी के लिए, सभी खानों और मुख्यालय को एमपीएलएस वीपीएन और लीज्ड लाइन में वीपीएन के जरिए जोड़ा गया है।
- लगातार जानकारी के अधिग्रहण, ई–मेलिंग और अंतर–इकाई डाटा स्थानांतरण सुविधाओं के लिए, मुख्यालय के सभी संबंधित अधिकारियों को ओएफसी पर इंटरनेट लीज्ड लाइन के जरिए इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। सभी खानों को ओएफसी पर लीज्ड लाइन इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

- अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए एमएसटीसी की ई–अधिप्राप्ति पोर्टल के जरिए माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति।
- कंपनी में ईआरपी के क्रियान्वयन कोर मॉड्यूल्स अर्थात एसएपी के एफआईसीओ, एमआईएम, एसडी, पीपी, पीएम, एचआरएम के अतिरिक्त, कंपनी ने फाइल, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली और कर्मचारी स्वयंसेवा पोर्टल भी क्रियान्वित किया है।
- निगमित कार्यालय, नागपुर में ईआरपी के लिए नवोन्नत डाटा केंद्र डिजाइन और आरंभ किया गया है।
- प्रभावी फाइल ट्रैकिंग और पेपरवर्क में कमी के लिए फाइल लाइफ साइकिल प्रबंधन (एफएलएम)।
- ग्राहक पोर्टल का क्रियान्वयन, जिसमें ग्राहक को कीमतों, एक ही स्थान पर वस्तु की उपलब्धता के संबंध में विभिन्न सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त होगी।
- विक्रेता इनवॉयस ट्रैकिंग सिस्टम जहां विक्रेता अपने इनवॉयस को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और इसकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
- सभी रिकार्डों की स्कैनिंग/डिजिटाइजिंग और उन्हें इलैक्ट्रॉनिक इन्डैक्स में स्टोर करना। यह कार्यालय में जगह उपलब्ध कराएगा और रिकार्ड की पुनप्राप्ति को अत्यधिक दक्ष बनाएगा।
- खानों, मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के साथ संप्रेषण के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग का प्रयोग।

13.7 मेकॉन लिमि.

संगठन स्तर पर मेकॉन में निम्नलिखित डिजिटल पहलें अपनाई गई हैं:

- रांची हाउसिंग हाई एंड ब्लेड सर्वर्स, एसएएन (स्टोरेज एरिया नेटवर्क), एनएएस (नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज), यूटीएम (यूनीफाइड थ्रेट मैनेजमेंट) में केंद्रीकृत डाटा सेंटर और विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के जरिए इंटरनेट से जोड़े गए।
- कारोबार प्रचालनों के लिए हाई–एंड व्यैक्तिक कंप्यूटर्स/लैपटॉप/टेबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। 2डी/3डी डिजाइन और विश्लेषण के लिए न्यू ऐज इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सहित वर्क स्टेशनों और विशाल डिस्प्लेज प्रयोग किया जाता है।
- प्रमुख इंजीनियरिंग और स्थल कार्यालयों में पूरे कैम्पस में नेटवर्किंग।
- व्यापार और समीक्षा संबंधी बैठकें आयोजित करने के लिए प्रमुख इंजीनियरिंग और स्थल कार्यालयों में प्रयुक्त एचडी वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम।
- कार्मिक, एचआरडी, क्रय, निगमित वित्त, विपणन, परियोजना प्रबंधन और परियोजना वित्त आदि जैसे विभागों की सभी सेवाओं के लगातार एकीकरण के लिए इन–हॉइस विकसित सॉफ्टवेयर।
- ऑनलाइन वेब मंच में निम्नलिखित सेवाएं भी उपलब्ध हैं:
  - निष्पादन प्रबंधन प्रणाली
  - ई–स्वास्थ्य अस्पताल प्रबंधन प्रणाली
  - शहर प्रशासन प्रबंधन प्रणाली
  - हार्ड कॉपी दस्तावेज और ड्राईंग का डिजिटाइजेशन
- **व्यापार करने में आसानी के लिए अपनाई गई डिजिटल पहलें:** वर्षों में मेकॉन ने कारोबार संबंधी वातावरण में सुधार करने और व्यापार करने में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपायों को अधिनियमित करने की कोशिश की है, नीचे पिछले कुछ वर्षों में "व्यापार करने में सुविधा" के प्रति मेकॉन लिमिटेड द्वारा अपनाई गई नई पहलें दी गई हैं:
  - मेकॉन द्वारा एक नई ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम कार्यान्वित की गई है जो आदाता द्वारा भुगतान के डिजिटल मोड के लिए आसान तरीका उपलब्ध कराता है। यह समय पर भुगतान प्राप्त करने और आदाता और मेकॉन के बीच पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा। वेंडर पंजीकरण, भर्ती और निविदा शुल्कों आदि से संबंधित भुगतान गेटवे

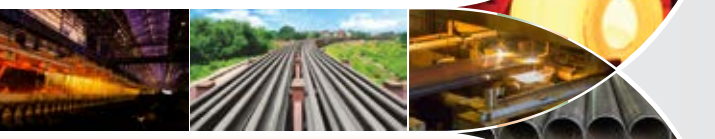

के जरिए प्राप्त किए जाते हैं। ऑनलाइन गेटवे सुविधाएं लेनदेन को सुरक्षित करती हैं, ग्राहक आधार का विस्तार करती हैं, लेनदेन प्रक्रिया को तीव्र बनाती हैं और किसी भी समय भुगतान करने की सुविधा को शामिल करती हैं।

- ❖ फाइलों के समय पर सहमति/अनुमोदन और ट्रेकिंग के लिए एक नया फाइल ट्रेकिंग सिस्टम सुनिश्चित किया गया है। निर्धारित योजना के अनुसार सिस्टम में फाइल नम्बर सृजित किए जाते हैं और सहयोगी दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं। फाइल गतिविधि के लिए कार्य प्रवाह परिरोध समनुरूप है और इसे परिभाषित कार्यप्रवाह के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है। यह दस्तावेजों की सुरक्षा, फाइल की आसान पुनः प्राप्ति और विभागों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ाता है जो आवश्यक सहमति और स्वीकृतियों के लिए अपनाए गए संपूर्ण समय अवधि में कमी करता है। इससे किसी भी बिन्दु पर हुए विलंब का पता लगाया जा सकता है समाधान किया जा सकता है।
- ❖ सीएसआर प्रोपोजल सिस्टम के लिए एक नए ऑनलाइन अनुरोधों का विकास किया गया है और मेकॉन में क्रियान्वित किया गया है। प्रस्ताव करने वाले पक्षकार पोर्टल के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों के लिए रजिस्टर और आवेदन कर सकते हैं। प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इन प्रस्तावों की एक ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मेकॉन अधिकारियों द्वारा संवीक्षा और अनुमोदन किया जाता है। प्रस्तावों की स्थिति को प्रस्ताव करने वाले पक्षकारों द्वारा भी ट्रैक किया जा सकता है। इस ऑनलाइन सिस्टम ने सीएसआर गतिविधियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बना दिया है। सूचना किसी भी समय अब पहले से ही उपलब्ध है और कार्यान्वयन स्थिति को भी चैक किया जा सकता है।
- ❖ मेकॉन द्वारा आपूर्तिकर्ताओं और कांट्रेक्टर बिलों के लिए वेंडर बिल ट्रेकिंग सिस्टम को क्रियान्वित किया गया है। वेंडर्स मेकॉन कॉरपोरेट वेबसाइट पर ई–मेल के जरिए भेजे गए रसीद नंबरों का प्रयोग करते हुए बिलों को ट्रेक करने में सक्षम हैं। आपूर्तिकर्ताओं और संविदाकार को कटौतियों सहित की गई विस्तृत भुगतान सूचना उपलब्ध है। यह अनुमोदन प्रवाह को सुव्यवस्थित करता है, त्रुटियों को कम करता है। किसी बिल की यात्रा को दर्शाने वाला एक नया प्रावधान आरंभ किया गया है। यह समय पर भुगतान को सुनिश्चित करता है जो संबंधों का निर्माण करता है और पारदर्शिता सृजित करता है।
- ❖ इंस्पेक्शन कॉल मैनेजमेंट वेंडर पोर्टल कहीं से भी निरीक्षण और छूट कालों को बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन मंच है। पिछले एक वर्ष में, वेंडर द्वारा सिस्टम में दस्तावेजों को अपलोड करने के द्वारा हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की जरूरत समाप्त हो गई है। इस समय, इंस्पेक्शन कॉल मैनेजमेंट पेपरलैस है। हार्ड कॉपी को प्रस्तुत करने के रद्द होने के कारण, दस्तावेज अब अधिक सुव्यवस्थित हैं और हितधारकों द्वारा आसानी से दायर और पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। यह डाटा सुरक्षा और तीव्र संप्रेषण को भी सुनिश्चित करता है।
- ❖ विक्रेता रजिस्ट्रेशन पोर्टल, विक्रेता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए मेकॉन द्वारा आरंभ किया गया है जहां विभिन्न उद्योगों से संबंधित विनिर्माता तेल और गैस तथा गैर–तेल और गैस श्रेणी के तहत विभिन्न मदों के लिए अपने–आप को पंजीकृत कर सकते हैं। वे ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और पंजीकरण के नवीकरण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

- **जारी नई डिजिटल पहलें:** मेकॉन में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) और डाक्युमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (डीएमएस) का क्रियान्वयन। मेकॉन में ईआरपी और डीएमएस क्रियान्वयन का उद्देश्य ईआरपी उत्पाद द्वारा प्रस्तावित सर्वोत्तम उद्योग और व्यापार पद्धतियों को अपनाना होगा। परियोजना में ईआरपी समाधान के सख्त एकीकरण के साथ डीएमएस का क्रियान्वयन शामिल है। डीएमएस सिस्टम उद्यम स्तर पर दस्तावेजों/ड्राईंग्स/फाइलों के लिए कार्य प्रवाह/अभिलेखीय आवश्यकताओं के लिए एक पेपरलैस मंच उपलब्ध कराएगा।

13.8 एमएसटीसी लिमि.

- आईएसओ 27001:2013 प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया गया है और यह एसटीक्यूसी, कोलकाता द्वारा वार्षिक निगरानी लेखा परीक्षा के अधीन है और प्रमाणपत्र 27.8.2023 तक वैध है।
- आईएसओ 9001:2015 प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया गया है और प्रमाणपत्र 9.12.2023 तक वैध है।
- एमएसटीसी सिस्टम डिवीजन 2013 के बाद से मूल्यांकित लेवल 3 सीएमएमआई है। इसे नवीनीकृत किया गया है और यह 18.9.2022 तक वैध है।
- एमएसटीसी कारपोरेट वेबसाइट https://www.mstcindia.co.in के लिए जीआईजीडब्ल्यू (भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशा निर्देश) पर एसटीक्यूसी 4 फरवरी, 2022 तक वैध है।
- एमएसटीसी कॉरपोरेट वेबसाइट https://www.mstcindia.co.in के लिए जीआईजीडब्ल्यू (भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश) पर एसटीक्यूसी प्रमाणिकरण 4 फरवरी, 2022 तक वैध है।
- एमएसटीसी ने आईएसटीएमएस, पीएनए, बिल ट्रैकिंग, ऑनलाइन वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट आदि सहित डेशबोर्ड के आंतरिक सिस्टम, प्रोजेक्ट ट्रेकिंग सिस्टम, एयर टिकट मैनेजमेंट सिस्टम, ई–ऑफिस को भी विकसित किया है।

- एमएमडीआर अधिनियम, 2015 के तहत खनिज ब्लॉकों के आबंटन के लिए ई–निलामी सेवाओं पर एसटीक्यूसी प्रमाणीकरण 20.12.2023 तक वैध है।
- एमएसटीसी ने अपने डाटा केंद्र को न्यूटाउन, कोलकाता स्थित अपने स्वयं के भवन में स्थानांतरित किया है।

13.9 केआईओसीएल लिमि.

केआईओसीएल में सभी संयंत्रों और कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है। निम्नलिखित एप्लीकेशन्स, जहां कुछ आंतरिक दलों द्वारा विकसित किए गए हैं और वहीं कुछ बाहरी विक्रेताओं द्वारा विकसित किए गए हैं, साइलोज में कार्य कर रहे हैं:

- वित्त एवं लेखाकरण।
- मालसूची प्रणाली।
- क्रय विभाग के लिए आईएमआईएस एप्लीकेशन।
- निर्णय समर्थन प्रणाली।
- प्रशिक्षण आसूचना पोर्टल।
- ऑनलाइन एसीआर प्रणाली।
- कर्मचारियों के मास्टर डाटाबेस के लिए एचआरएमआईएस प्रणाली।

एकीकृत आसूचना प्रणाली को प्राप्त करने के लिए अन्य मॉड्यूल/कार्यों सहित वित्त (एफआईसीओ), एचआर (एचसीएम), सामग्री (एमएम), योजना अनुरक्षण (पीएम), उत्पादन, आयोजना और गुणवत्ता (पीपी एंड क्यूएम) और परियोजना प्रणाली (पीएस) जैसे मुख्य मॉड्यूल्स के लिए ईआरपी एसएपी 4 एचएएनए होस्टिंग ऑनलाइन क्लाउड का क्रियान्वयन कार्य प्रगति पर है।

13.10 फैरो स्क्रैप निगम लिमि. (एफएसएनएल)

एप्लीकेशन्स की सुरक्षा लेखा परीक्षा (एफएएसटी, सीएएमएमएस, पे रोल सिस्टम, कार्यपालक निष्पादन प्रबंधन प्रणाली, ई–अधिप्राप्ति प्रणाली, कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल और वेंडर बिल ट्रैकिंग सिस्टम) को सफलतापूर्वक सर्ट–इन पैनलबद्ध कंपनी द्वारा पूरा किया गया। ई–ऑफिस और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) सॉफ्टवेयर पैकेज कार्यान्वयाधीन है।

13.11 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी ने सभी निविदाओं/ईओएल को कंपनियों की कॉरपोरेट वेबसाइट और केंद्रीय सरकार अधिप्राप्ति पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) में प्रकाशित करने की पहल की है। टेली आधारित लेखा पैकेज का उपयोग विक्रेता बिलों के भुगतान और आरटीजीएस और ई–भुगतान मोड के जरिए विभिन्न कर्मचारी हकदारिता के लिए किया जा रहा है। ओएमडीसी मुख्यालय और खदानों के कार्यालयों में बायोमीट्रिक आधारित उपस्थिति को स्थापित किया गया है। ओएमडीसी और बीएसएलसी सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए जीईएम पोर्टल का प्रयोग कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, भूमि संबंधी अभिलेखों और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के प्रति विशेष पहलें अपनाई गई थीं और प्रभावी फाइल ट्रैकिंग और स्टोरेज के लिए भी ई–ऑफिस आरंभ किया गया था।

अध्याय-14

सुरक्षा

14.1 पृष्ठभूमि

लोहा और इस्पात उद्योग में जटिल प्रक्रियाओं और बड़े पैमाने पर प्रचालन का संयोजन शामिल है जो खतरनाक प्रकृति की हैं। उद्योग के काम करने के माहौल में संभावित खतरे निहित हैं जिनसे इसके कर्मचारी एक्सपोज होते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग में चोटों और दुर्घटनाओं को रोकने और अपने कार्यबल को एक स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

14.2 इस्पात मंत्रालय की पहल

- किसी भी उद्योग के कार्य में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न केवल अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए बल्कि पर्यावरण और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। लोहा और इस्पात उत्पादन एक जटिल और खतरनाक गतिविधि होने के कारण, चोटों और दुर्घटनाओं को रोकने, स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने हेतु ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।
- लौह और इस्पात उद्योग के कार्य करने के माहौल को सुरक्षित बनाने के लिए, इस्पात मंत्रालय ने लौह और इस्पात बनाने वाले उद्योग में मौजूद खतरों और दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों को पहचानने हेतु हितधारकों के साथ गहन विचार–विमर्श किया है।
- इस्पात उद्योग के हितधारकों और इसके संघों और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के साथ बातचीत और इस उद्देश्य के लिए गठित कार्य समूह के प्रयासों के परिणाम स्वरूप, लोहा और इस्पात क्षेत्र के लिए 25 सामान्य न्यूनतम सुरक्षा दिशानिर्देशों का सेट तैयार किया गया था।
- ये सुरक्षा दिशानिर्देश वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं। यह लोहा और इस्पात उद्योग में सुरक्षा पर आईएलओ की कार्य संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप है। ''सुरक्षा और स्वास्थ्य सिद्धांतों और परिभाषाओं'' पर विश्व इस्पात संगठन के मार्गदर्शन दस्तावेज से भी इनपुट लिए गए हैं।
- इन दिशानिर्देशों का अनावरण माननीय इस्पात मंत्री द्वारा 17 फरवरी, 2020 को ''लोहा और इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश'' नामक एक पुस्तक के रूप में किया था और इन्हें इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।
- भारतीय इस्पात उद्योग के हितधारकों और इसके संघों से आग्रह किया गया है कि वे इन दिशानिर्देशों को पूरे दिल से अपनाए ताकि कार्यबल के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय से लोहा और इस्पात उद्योग द्वारा सुरक्षा, दिशानिर्देशों को अनिवार्य रूप से अपनाने की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि ये व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) संहिता 2020 की धारा 18 के तहत मानकों को तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है।

14.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमि. (सेल)

सेल प्रबंधन अपने सभी कर्मचारियों, ठेकेदारों और इसके कार्यवाही से जुड़े सभी हितधारकों/लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें इसके संयंत्रों, खदानों और इकाइयों के निकट में रहने वाले लोग भी शामिल हैं और अन्य व्यवसायिक कार्यों के मध्य इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

14.3.1 प्रबंधन प्रतिबद्धता

सेल की व्यापक सुरक्षा नीति है जो हमारे सबसे मूल्यवान संसाधनों अर्थात मानव संसाधन और मशीनरी से संबंधित इस महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति शीर्ष प्रबंधन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सुरक्षा मुद्दों की संरचित निगरानी को सक्षम करने के लिए कंपनी में सुरक्षा के विभिन्न स्तर निम्नानुसार हैं:

- **बोर्ड स्तर:** स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) पर अनुपालन, प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करने, दिशानिर्देश जारी करने और बोर्ड को अवगत कराने के लिए बोर्ड उप समिति (बीएससी) है।
- **कॉर्पोरेट स्तर:** सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) जो निदेशक (तकनीकी, परियोजना और कच्चे माल) सेल के तहत है, संयंत्रों/इकाइयों की सुरक्षा संबंधी गतिविधियों का समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने और दिशा–निर्देश तैयार करने के लिए है।

- **संयंत्र स्तर:** प्रभारी निदेशकों/इकाइयों के प्रमुख के तहत सुरक्षा और विभागीय प्रमुखों के माध्यम से सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन सहित सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की रणनीति बनाने/सुविधा प्रदान करने के लिए है।

14.3.2 सुरक्षा उपाय और नई पहलें

घटनाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से ठेकेदार के श्रमिकों सहित सभी स्तरों के कर्मचारियों के मध्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण पर जोर देने और सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए संयंत्रों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें सुरक्षा जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, सुरक्षा मानकों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं को तैयार करना; बाहरी ऑडिट सहित सुरक्षा निरीक्षण और ऑडिट करना; कार्मिक सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और सुरक्षा उपकरणों, घटना की जांच और विश्लेषण आदि के उपयोग को लागू करना शामिल है।

नई पहल: कुछ नई सुरक्षा पहलों में सुरक्षा संस्कृति में सुधार लाने के लिए भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों में प्रतिष्ठित सुरक्षा परामर्शदाताओं की नियुक्ति करना; पुरस्कार योजनाओं अर्थात 'एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार (आई–एसईए)' और 'नियर मिस रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च सुरक्षा पुरस्कार', को प्रारंभ करना। सुरक्षा चेतावनी संदेशों (एसएएम) और अच्छी सुरक्षा प्रथाओं (जी–एसएपी) का प्रसार, ओएचएसएएस–18001 : 2007 से आईएसओ 45001: 2018 में माइग्रेशन करना शामिल है जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन आदि के लिए एक नया अंतरराष्ट्रीय मानक है।

14.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमि. (आरआईएनएल)

प्रबंधन प्रतिबद्धता

आरआईएनएल ने एक एकीकृत नीति अपनाई है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अनुरूप सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति शामिल है। आरआईएनएल का शीर्ष प्रबंधन ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत है जो कर्मचारियों और श्रमिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करे। शून्य दुर्घटना प्राप्त करने और कंपनी में सुरक्षा संस्कृति में सुधार के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अन्य निदेशकों के साथ सुरक्षा प्रदर्शन की समीक्षा के लिए मासिक बैठक आयोजित करते हैं।

आरआईएनएल में सुरक्षा व्यवस्था

आरआईएनएल में आईएसओ 45001:2018 प्रणाली, निवारक सुरक्षा प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करती है और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा समिति और 31 विभागीय सुरक्षा समितियां हैं जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों और प्रबंधन प्रतिनिधियों की समान भागीदारी के साथ मौजूद हैं।

आरआईएनएल के लिए सुरक्षा सूचना प्रणाली मौजूद है जिसके माध्यम से कर्मचारी असुरक्षित कार्यों/स्थितियों और नीयर मिस चूकों की ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं।

14.5 एनएमडीसी लिमि.

एनएमडीसी की सभी परियोजनाओं में इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं। वे खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के तहत आवश्यक अवसंरचना से लैस हैं। ये केंद्र बुनियादी प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण और कुशल श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण की जरूरतों और ड्यूटी पर घायल हुए लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं।

एनएमडीसी की प्रत्येक खनन परियोजना में वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार खनन ऑपरेशनों, यांत्रिक और विद्युत संस्थापित के लिए पर्याप्त संख्या में कामगार निरीक्षकों को नामित/नियुक्त किया जाता है।

प्रत्येक ऑपरेटिंग खदान में सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है और सुरक्षा मामलों और कार्य वातावरण से संबंधित सुधारात्मक कार्यों पर चर्चा करने के लिए हर महीने सुरक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

सभी परियोजनाओं में खदान स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस बैठक को वर्ष में एक बार परियोजना स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों, संघ के प्रतिनिधियों और डीजीएमएस अधिकारियों के साथ आयोजित किया जाता है जिसमें सुरक्षा प्रदर्शन और उसका मूल्यांकन किया जाता है और सिफारिशों को लागू किया जाता है। कॉर्पोरेट स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें वर्ष में एक बार प्रधान कार्यालय में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

वर्ष 2021–22 के लिए दिसंबर, 2021 तक, काम किए गए प्रति 1 लाख मानव दिवसों में मानव दिवस की हानि 1.06 है।

सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

सभी खदानों में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है और सभी खदानों में जोखिम मूल्यांकन अध्ययन नियमित रूप से किए जाते हैं।

परियोजनाओं का आंतरिक सुरक्षा ऑडिट, परियोजनाओं की आंतरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा किया जाता है और टिप्पणियों को अनुपालन के लिए परियोजनाओं को भेजा जाता है और इसकी निगरानी आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा की जाती है।

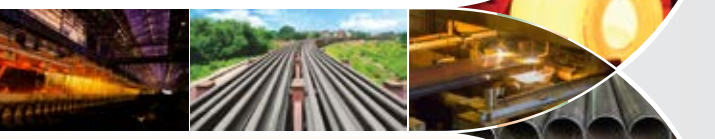

14.6 मॉयल लिमि.

खदान साथी, खदान फोरमैन और योग्य खनन इंजीनियर जैसे सक्षम पर्यवेक्षक नियमित रूप से खदानों में सभी कामकाज का पर्यवेक्षण करते हैं। वर्किंग शिफ्ट के दौरान कामगार सुरक्षा निरीक्षण भी करते हैं।

निरीक्षक, सुरक्षा अधिकारी, खदान प्रबंधक और एजेंट, प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक (सुरक्षा) की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा संगठन डीजीएमएस के साथ समन्वय करते हैं और समय–समय पर खानों का निरीक्षण करता है।

खदानों में नियमित सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं जहाँ श्रमिकों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ दिन–प्रतिदिन के सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की जाती है। किसी भी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए असुरक्षित कार्यों और खदान दुर्घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है।

14.7 मेकॉन लिमि.

मेकॉन ने सुरक्षा नीति वक्तव्य तैयार किया है जिसे नियमित रूप से अभिमुखता प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को प्रेषित किया जाता है। सुरक्षा नीति वक्तव्य की कुछ विशेषताओं को कंपनी के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों में शामिल किया गया है ताकि सुरक्षा नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। मेकॉन में दुर्घटना की कोई रिपोर्ट योग्य घटना नहीं हुई है। मेकॉन में अत्यावश्यकताओं से निपटने के लिए अच्छी तरह से प्रलेखित आपदा प्रबंधन योजना भी है।

14.8 एमएसटीसी लिमि.

एमएसटीसी एक ई–कॉमर्स संगठन है और इसका कोई संयंत्र/निर्माण इकाई नहीं है। हालांकि आग, प्राकृतिक आपदा, महामारी आदि के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाता है।

14.9 केआईओसीएल लिमि.

केआईओसीएल के पास अपने संयंत्रों में अच्छी तरह से डिजाइन की हुई और व्यापक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है। केआईओसीएल पेलेट संयंत्र और ब्लास्ट फर्नेस इकाइयाँ फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं और सभी सुरक्षा मापदंडों, मानकों का अनुपालन नियम और विनियमों के अनुसार किया जाता है जिसमें फैक्टरी अधिनियम 1948 और उसके बाद के संशोधन शामिल हैं।

केआईओसीएल एसओपी का पालन कर रहा है और संयंत्र के प्रत्येक विभाग की अपनी मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं जिनका अनुपालन किया जा रहा है। पेलेट संयंत्र में उत्पादन प्रक्रिया में शामिल विभागों के आधार पर, संबंधित विभागों द्वारा इन सुरक्षा प्रथाओं का सावधानीपूर्वक पालन करने के लिए सुरक्षा विभाग से पेलेट संयंत्र में ''सुरक्षा व्यवहार संहिता'' पर एक पुस्तिका तैयार की गई है। हमारे पेलेट संयंत्र में उपयोग में आने वाले उपकरणों से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर अधिक जोर दिया गया है।

केआईओसीएल भी आईएसओ प्रमाणित कंपनी है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 45001–2018 प्रमाणन के साथ मान्यता प्राप्त है।

केआईओसीएल ने इस्पात मंत्रालय की सलाह के अनुसार पेलेट संयंत्रों में सुरक्षित कामकाज के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं जो मंत्रालय द्वारा अपलोड किए गए मानक सुरक्षा कोड से जुड़े हैं।

14.10 फेरो स्क्रैप निगम लिमि. (एफएसएनएल)

एफएसएनएल द्वारा मानव संपत्ति की सुरक्षा और बचाव को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सुरक्षा सावधानियों और सुरक्षित कार्य प्रथाओं के अनुपालन के लिए कर्मचारियों को निरंतर प्रेरित किया जाता है। पूरे वर्ष के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और संबंधित पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं जिनकी प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आदि जैसी प्रसिद्ध एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा और संबद्ध विषयों पर कर्मचारियों का उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

14.11 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

खनन कंपनियों अर्थात ओएमडीसी और बीएसएलसी ने खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) से समय–समय पर प्राप्त नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में, खनन और संबद्ध गतिविधियों में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए खान अधिनियम, 1952 और धातुयुक्त खान विनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा सावधानियों के अनुपालन के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरणों, औजार और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। खनन कार्यों में विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सुरक्षित प्रथाओं को स्थानीय स्तर पर और साथ ही क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा प्रदर्शनियों में श्रमिकों की भागीदारी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। समान खदानों की नियमित रूप से विजिट करके, नई प्रथाएं अपनाई जा रही हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा खदानों में विभिन्न विषयों तथा परिचालन गतिविधियों के श्रमिकों को बुनियादी और पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है।

अध्याय-15

समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

15.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। दिनांक 31.12.2021की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय में 246 की स्वीकृत संख्या की तुलना में 190 कर्मचारियों की कुल श्रमशक्ति में से, 44 अनुसूचित जाति (23.15%), 7 अनुसूचित जनजाति (3.68%), 46 अन्य पिछड़ा वर्ग (24.21%) और 1 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (0.53%) से थे। केंद्रीय सचिवालय सेवाओं (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवाओं और केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा से संबंधित पदों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भरा जाता है और भारतीय उद्यम विकास सेवा (आईईडीएस) से संबंधित पदों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा भरा जाता है।

15.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमि. (सेल)

सेल, भर्ती और प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करता है। दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार, 62960 की कुल जनशक्ति में से 10,521 अनुसूचित जाति (16.71%), 9,776 अनुसूचित जनजाति (15.53%) और 9,706 अन्य पिछड़ा वर्ग (15.42%) से संबंधित हैं। अ.पि.व. के लिए आरक्षण 08/09/1993 से प्रभावी हुआ है और इससे पहले अ.पि.व. से संबंधित जो उम्मीदवार शामिल हुए थे, उन्हें भर्ती किया गया था और उन्हें अनारक्षित (यूआर) श्रेणी में दिखाया गया है।

खदानों सहित सेल संयंत्र और इकाइयाँ देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं। इसलिए, सेल ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शैक्षिक और अन्य सुविधाओं के समग्र विकास में योगदान दिया है। योगदान में से कुछ निम्न हैं:

- गैर–कार्यकारी कर्मचारियों की भर्ती, जिसमें कुल कर्मचारियों का लगभग 83 प्रतिशत शामिल है, संयंत्र/इकाई स्तर पर की जाती है जिनमें ज्यादातर क्षेत्रीय उम्मीदवार आकर्षित होते हैं और इसलिए, सेल में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्ग के व्यक्ति रोजगार का लाभ प्राप्त करते हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में, इस्पात संयंत्रों के आस–पास सहायक उद्योगों का एक बड़ा समूह भी उभर कर सामने आया है। इससे स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार और उद्यमिता के विकास के अवसर पैदा हुए हैं।
- अस्थायी और रुक–रुक कर होने वाले कार्यों के लिए, आमतौर पर ठेकेदार स्थानीय क्षेत्रों से कामगारों को नियुक्त करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं।
- सेल द्वारा विकसित स्टील टाउनशिप में सर्वोत्तम चिकित्सा, शिक्षा और नागरिक सुविधाएं हैं, जिनका लाभ बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है।
- सेल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कई पहलें की हैं जो मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं:
- पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थानों पर विशेष रूप से गरीब, वंचित बच्चों के लिए विशेष स्कूल शुरू किए गए हैं। प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में मुफ्त शिक्षा, मध्याह्न का भोजन, वर्दी जिसमें जूते, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी मदें, स्कूल बैग, पानी की बोतलें और कुछ मामलों में परिवहन शामिल हैं।
- कंपनी द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों (सेल कर्मचारियों के बच्चों या गैर–कर्मचारी बच्चों) से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है।
- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर (गुटगुटपारा) में गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों की परिधीय आबादी को मुफ्त चिकित्सा परामर्श, दवाएं आदि प्रदान करते हैं।
- सेल संयंत्रों ने आदिवासी बच्चों को गोद लिया है। उन्हें आवासीय छात्रावासों जैसे सारंडा सुवन छात्रावास किरीबुरु, ज्ञानोदय छात्रावास, भिलाई और लगभग विलुप्त हो चुके बिरहोर जनजाति के लिए विशेष ज्ञान ज्योति योजना के तहत,

उनके समग्र विकास के लिए मुफ्त शिक्षा, वर्दी, पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी, भोजन, बोर्डिंग, आवास और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

- कौशल विकास और बेहतर रोजगार के लिए, परिधीय गांवों के युवाओं और महिलाओं को नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एलएमवी ड्राइविंग, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण, उन्नत कृषि, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, आचार/पापड़/अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाना, स्क्रीन प्रिंटिंग, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, यार्न बुनाई, सिलाई, सिलाई और कढ़ाई, दस्ताने, मसाले, तौलिए, गनी बैग, सस्ते सैनिटरी नैपकिन, स्वीट बॉक्स, साबुन, धुआं रहित चूल्हा बनाना आदि क्षेत्रों में विभिन्न आईटीआई, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक और विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का कार्यान्वयन

- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों के उपयुक्त अनुपालन हेतु राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- संपर्क अधिकारी, उन्हें रिपोर्ट करने वाले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों का ध्यान रखते हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित एक सदस्य, सभी डीपीसी/चयन समितियों से जुड़ा हुआ है। भर्ती बोर्ड/चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का पर्याप्त वरिष्ठ स्तर का अधिकारी नामित किया जाता है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारियों और सेल संयंत्रों/इकाइयों के अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए किसी बाहरी विशेषज्ञ के माध्यम से नियमित अंतराल पर आंतरिक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ताकि उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य संबंधित मामलों में आरक्षण नीति पर अद्यतन रखा जा सके।
- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ हैं जो आरक्षण नीति और अन्य मुद्दों के कार्यान्वयन पर संपर्क अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मुद्दों का समन्वित तरीके से प्रतिनिधित्व करने के लिए सेल में एक शीर्ष स्तर का व्यापक निकाय अर्थात् अ. जा./अ.ज.जा. कर्मचारी संघ भी मौजूद है।

15.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमि. (आरआईएनएल)

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, आरआईएनएल की कुल जनशक्ति 15928 है, जिसमें 2554 अनुसूचित जाति (16.03%), 1195 अनुसूचित जनजाति (7.5%) और 3113 अ.पि.व. (19.54%) शामिल हैं।

''डॉ. बी आर अंबेडकर श्रेष्ठता मान्यता योजना – अ. जा. और अ.ज.जा. श्रेणियों के तहत अनुदान'' – आरआईएनएल अनुदान विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए है। इस योजना के तहत, पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए रु. 1500/– प्रति माह उन बच्चों को दिया जाता है जो 12वीं कक्षा या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और इंजीनियरिंग/ वास्तुकला/चिकित्सा/पशु चिकित्सा/दंत चिकित्सा/कृषि विज्ञान/फार्मेसी/कानून में डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहते हैं। इस तरह के कुल 8 पुरस्कार अ.जा. कर्मचारियों के बच्चों को और 4 ऐसे पुरस्कार अ.ज.जा. कर्मचारियों के बच्चों को दिए जाते हैं।

15.4 एनएमडीसी लिमि.

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार एनएमडीसी में कुल कर्मचारियों की संख्या 5464 थी जिसमें से 825 अनुसूचित जाति (15.10%), 1252 अनुसूचित जनजाति (22.91%) और 1099 अ.पि.व. (20.11%) के थे।

नीति के अनुसार, किसी भी बैकलॉग रिक्ति को अगले वर्ष में निरंतर आधार पर भरने का प्रयास किया जाता है और कंपनी अब तक आरक्षित रिक्तियों को भरने में सक्षम रही है। कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी परियोजनाओं में राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक सदस्य सभी डीपीसी से जुड़ा हुआ है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संपर्क अधिकारियों, विभिन्न परियोजनाओं के अधिकारियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ के प्रतिनिधियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य संबंधित मामलों के लिए आरक्षण नीति पर अद्यतन रखने के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इकाइयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघों और उनके शीर्ष निकाय के साथ कॉर्पोरेट स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

15.5 मॉयल लिमि.

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार कुल जनशक्ति 5802 (पुरुष 4980, महिला 822) है जिसमें से 1135 अनुसूचित जाति (19.56%), 1463 अनुसूचित जनजाति (25.22%) और 2071 अ.पि.व. (35.69%) से संबंधित हैं।

कल्याणकारी गतिविधियाँ

कर्मचारियों के साथ–साथ दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित खदानों के आस–पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लाभ के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। ऐसी योजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

- आवासीय क्वार्टरों का निर्माण किया गया है और अधिकांश कर्मचारियों को आवंटन किया गया है।
- खदान कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है।
- रियायती दर पर बिजली का प्रावधान।
- अस्पतालों/स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का प्रावधान।
- कमजोर वर्गों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों को सहायता। बच्चों को हाई स्कूल/कॉलेज के लिए, आसपास के क्षेत्रों में ले जाने हेतु, सभी खदानों पर स्कूल बसें उपलब्ध कराई जाती हैं।
- खनन क्षेत्रों से सटे स्कूल को वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, किताबें आदि उपलब्ध कराना।
- स्वरोजगार योजना के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन।
- आदिवासी महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए अन्य कल्याणकारी उपाय जैसे सिलाई कक्षाएं, वयस्क साक्षरता कक्षाएं, एड्स जागरूकता कार्यक्रम, पोस्टर, नोटिस और बैनर प्रदर्शित करके ऐसे अन्य कार्यक्रमों का प्रचार, कुष्ठ जागरूकता कार्यक्रम आदि करना।
- मॉयल लि. की सभी इकाइयों में कोविड अभियान चलाया गया है।

15.6 मेकॉन लिमि.

दिनांक 01.12.2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कुल 1120 कर्मचारियों में से 235 कर्मचारी अनुसूचित जाति (20.98%), 111 अनुसूचित जनजाति (9.91%) और 143 अन्य पिछड़ा वर्ग (12.77%) से संबंधित हैं। मेकॉन, समाज के कमजोर वर्ग के विकास और कल्याण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत है। मेकॉन ने उनके हितों और कल्याण की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए अलग से प्रकोष्ठ है।

15.7 एमएसटीसी लिमि.

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार कुल जनशक्ति 318 है जिसमें से 50 अनुसूचित जाति (15.72%), 19 अनुसूचित जनजाति (5.97%) और 82 ओबीसी (25.78%) और 09 पीडब्ल्यूडी (2.83%) से संबंधित हैं।

सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, छूट, रियायत आदि के संबंध में समय–समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का विधिवत पालन किया जाता है। कमजोर वर्गों की भर्ती और पदोन्नति से संबंधित मामलों में, निर्देशों का विधिवत पालन किया जाता है। वर्ष के दौरान गठित सभी विभागीय पदोन्नति समितियों और चयन समितियों (भर्ती के मामले में) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि थे।

वर्ष के दौरान, कंपनी के 6 अ.ज.जा., 11 अ.जा., 22 अ.पि.व. और 5 पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को आंतरिक और संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एमएसटीसी अ. जा./अ.ज.जा. कर्मचारी परिषद को हर संभव सहयोग और सहायता प्रदान की गई, जो मुख्य रूप से कंपनी के कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है।

15.8 केआईओसीएल लिमि.

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार केआईओसीएल में, कर्मचारियों की कुल संख्या 709 है जिसमें से 112 व्यक्ति अनुसूचित जाति (15.80%), 48 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति (6.77%), 95 व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (13.40%) और 2 व्यक्ति ईडब्ल्यूएस (0.28%) से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, 23 महिलाएं (3.24%) और 11 दिव्यांग व्यक्ति (1.55%) हैं।

कंपनी ने आधुनिक टाउनशिप, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाओं आदि की स्थापना करके कुद्रेमुख और मंगलुरु में पूर्ण सुविधाओं की स्थापना की है। ''क'' और ''ख'' प्रकार के क्वार्टरों में 10% और ''ग'' और ''घ'' प्रकार के क्वार्टरों में 5% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान (31 दिसंबर, 2021 तक) समूह 'क' में 9 स्नातक इंजीनियरिंग (प्रशिक्षु) की भर्ती की गई थी। हालांकि, किसी भी अन्य समूह 'ख', 'ग', 'घ' और डी(एस) (पर्यवेक्षक और गैर–कार्यकारी) में कोई भर्ती नहीं की गई है।

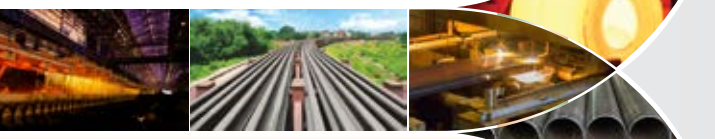

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान (31 दिसंबर, 2021 तक) 'क', 'ख', 'ग', 'घ' और डी (एस) में, कुल मिला कर 159 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया जिनमें से 22 कर्मचारी एससी श्रेणी के हैं और 04 कर्मचारी एसटी श्रेणी के हैं।

कुद्रेमुख, मंगलुरु और बेंगलुरु में प्रबंधन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ के साथ नियमित बातचीत होती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा की जाती है और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 दिशानिर्देशों और इकट्ठा होने पर प्रतिबंधों के कारण, 14 अप्रैल 2021 को सभी जगहों पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती को संक्षेप में मनाया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, 709 कर्मचारियों में से (31.12.2021 तक), 454 कर्मचारी अर्थात 64% (2718 प्रशिक्षित मानव दिवस) को विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया है जिनमें से 105 कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग, 63 कर्मचारी ओबीसी श्रेणी, 1 कर्मचारी ईडब्ल्यूएस से और 285 कर्मचारी सामान्य श्रेणी के हैं।

15.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमि. (एफएसएनएल)

31.12.2021 को एफएसएनएल की कुल जनशक्ति 587 है जिसमें से 110 अनुसूचित जाति (18.74%), 59 अनुसूचित जनजाति (10.05%) के हैं। समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के उपाय के रूप में, सीधी भर्ती में, जब की जाती है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार पदों का आरक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा अपनाई गई पदोन्नति नीति और विभिन्न कल्याणकारी उपायों के माध्यम से, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों के कमजोर वर्गों के कर्मचारियों के कल्याण का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है।

15.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

31.12.2021 को ओएमडीसी की कुल जनशक्ति 257 है जिसमें से 29 अनुसूचित जाति (11.28%), 53 अनुसूचित जनजाति (20.62%) और 62 ओबीसी (24.12%) से संबंधित हैं।

31.12.2021 को बीएसएलसी की कुल जनशक्ति 513 है जिसमें से 122 अनुसूचित जाति (23.78%), 251 अनुसूचित जनजाति (48.92%) और 52 ओबीसी (10.13%) के हैं।

ईआईएल की नामावली पर केवल एक जनशक्ति है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी आदि के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है।

अध्याय-16

सतर्कता

16.1 इस्पात मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की गतिविधियां

मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह पर संयुक्त सचिव के स्तर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है। एक उप सचिव, एक अवर सचिव और सहायक स्टाफ के साथ सीवीओ, सचिव, इस्पात के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, मंत्रालय के सतर्कता ढांचे में केन्द्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। अन्य बातों के अलावा सतर्कता इकाई, अपने प्रशासनिक नियंत्रण में इस्पात मंत्रालय और सीपीएसई के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है:

- संवेदनशील पदों की पहचान सुनिश्चित करना और संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों का सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार रोटेशन सुनिश्चित करना।
- सतर्कता शिकायतों की जांच करना और उपयुक्त जांच उपायों को शुरू करना।
- जहां कहीं आवश्यक हो, वहाँ बोर्ड स्तर के अधिकारियों की जांच करना/जांच रिपोर्ट पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मंत्रालय की टिप्पणियां/तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- जहां भी आवश्यक हो, वहाँ सीवीसी की प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह लेना;
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएण्डटी) और सीवीसी के परामर्श से सीपीएसई में सीवीओ की नियुक्ति करना।
- निवारक/प्रणालीगत सुधार उपायों सहित सतर्कता संबंधी मुद्दों के संबंध में इस्पात सीपीएसई के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।
- बोर्ड स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण, सेवा विस्तार आदि के संबंध में सतर्कता अनापत्ति प्राप्त करना।
- सीवीसी/डीओपीटी को आवधिक रिपोर्ट/विवरणियाँ भेजना।

सभी सीपीएसई में सतर्कता विभागों का नेतृत्व, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस्पात मंत्रालय में सतर्कता विभाग सीवीओ के पद की स्थिति की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए डीओपीटी को नियमित रूप से अपडेट करता है कि सीवीओ के पद पर कोई रिक्ति नहीं है। वर्ष 2021 के दौरान, केआईओसीएल और एमओआइएल में दो नए सीवीओ, प्रत्येक में एक–एक की नियुक्ति की गई।

मंत्रालय ने इस्पात के सीपीएसई में सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा बैठकों और मासिक जाँचसूचियों, आवधिक विवरणों और सीवीओ द्वारा भेजे गए विवरणों के माध्यम से की। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने मामलों की भी समीक्षा की और जहां भी आवश्यक था, संबंधित सीपीएसई के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ, मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए, विचार–विमर्श किया। सीवीसी आदि से प्राप्त सतर्कता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर निर्देशों और दिशानिर्देशों वाले परिपत्रों को अनुपालन हेतु सीपीएसई के सीवीओ को परिचालित किया जाता है।

वर्ष 2021 (01.01.2021 से 31.12.2021 तक) के दौरान, सतर्कता विभाग को विभिन्न स्रोतों से 87 शिकायतें प्राप्त हुईं। प्राप्त 87 शिकायतों में से 67 शिकायतों का उचित रूप से निपटारा कर दिया गया और शेष 20 शिकायतों/संदर्भों के संबंध में उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 16 मामलों में तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणियां सीवीसी को भेजी गई थीं। साथ ही 3 मामलों की रिपोर्ट कैबिनेट सचिवालय को भेज दी गई है। सीवीसी की सलाह के अनुसार, दो इस्पात के सीपीएसईज के बोर्ड स्तर के अधिकारियों/बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों से जुड़े 2 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। वर्ष 2021 के दौरान बोर्ड स्तर के 28 अधिकारियों के संबंध में सतर्कता निकासी प्रस्ताव सीवीसी को भेजे गए थे।

मंत्रालय ने 26.10.2021 से 01.11.2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया। इस अवसर पर सचिव (इस्पात) द्वारा सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। कार्यालय परिसर में प्रमुख स्थानों पर बैनर/पोस्टर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त, ''सुशासन का सार'' विषय पर भाषण प्रतियोगिता और ''भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में शिक्षा की भूमिका'' विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाले सीपीएसई ने भी इस अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

16.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमि. (सेल)

सेल सतर्कता, आकस्मिक जांच, फाइलों की संवीक्षा, मौजूदा प्रणालियों की निरंतर जांच/समीक्षा के माध्यम से निवारक सतर्कता पर बल और प्रणाली में सुधार का सुझाव देता है जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ती है। संगठन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 'ई–सतर्कता' और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर दिया जा रहा है। सेल सतर्कता द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गई हैं:

प्रशिक्षण कार्यक्रम: सेल में अपनाई जाने वाली प्रणाली और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेल के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में कुल 156 प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 2104 प्रतिभागी शामिल हुए। सेल सतर्कता द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- नए प्रवेशकों और मध्य–कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रेरण कार्यक्रमों में 2 दिवसीय निवारक सतर्कता मॉड्यूल शामिल किया गया।
- चौबीस समर्पित दो दिवसीय निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 149 नए प्रवेशकों सहित कुल 1204 कार्यपालकों को शामिल किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, सेल ने विभिन्न सेल संयंत्रों/इकाइयों में आयोजित किए जा रहे ऐसे दो दिवसीय निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 800 मध्य–स्तरीय अधिकारियों/नए प्रवेशकों को शामिल करने की योजना बनाई है। दिसंबर, 2021 तक ऐसे चौंतीस समर्पित दो दिवसीय निवारक सतर्कता कार्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं जिनमें 98 नए प्रवेशकों सहित सेल के कुल 719 अधिकारियों को शामिल किया गया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021: सेल में 26 अक्तूबर से 1 नवंबर 2021 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह की शुरुआत 26 अक्तूबर को सेल कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ–साथ सभी संयंत्रों/इकाइयों में सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाने और गणमान्य व्यक्तियों के संदेशों को पढ़ने के साथ हुई। सप्ताह के दौरान, सेल के कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं/सुग्राहीकरण कार्यक्रम, ग्राहक बैठकें, प्रश्नोत्तरी, निबंध, स्लोगन और ड्राइंग/पोस्टर, वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। आउटरीच उपायों के रूप में, सेल टाउनशिप में स्कूल/कॉलेज के छात्रों के लिए भाषण/वक्तत्व प्रतियोगिता, निबंध/स्लोगन प्रतियोगिता आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सप्ताह के दौरान, आयोजित गतिविधियों को व्यापक प्रचार हेतु ट्विटर हैंडल और सेल के फेसबुक अकाउंट जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। सप्ताह के दौरान कर्मचारियों, उनके परिवारों, छात्रों, ग्राहकों, विक्रेताओं आदि को ई–प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सेल सतर्कता के प्रमुख क्षेत्र: वर्ष 2021 के लिए सेल सतर्कता के प्रमुख क्षेत्र निम्न थे:

- डीलिंग अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों पर विशेष जोर देने के साथ सीजीएम और निचले स्तर के अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के अंदर खरीद फाइलों की जांच।
- निर्धारित समय–सीमा के पालन पर विशेष जोर देने के साथ मौजूदा दिशानिर्देशों/सांविधिक प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम देयों के निपटान–मामलों की जांच।
- रुपये 50.00 लाख और अधिक मूल्य के ऑर्डर के लिए रिपीट ऑर्डर और संबंधित मात्रा भिन्नता की जांच।

निवारक जाँच: सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों के संवेदनशील क्षेत्रों में फाइल संवीक्षा और संयुक्त जाँच सहित कुल 2261 निवारक जाँच की गईं जिनमें से 29 मामलों में विस्तृत जाँच की गई जबकि 434 मामलों में निवारक/प्रणाली सुधार की सिफारिशें की गईं।

प्रणाली सुधार परियोजनाएं: संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने के बाद, सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में कुल 13 प्रणाली सुधार परियोजनाएं (एसआईपी) शुरू की गईं।

गहन परीक्षण: विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में गहन जांच के लिए कुल 14 मामले लिए गए। गहन परीक्षण के दौरान, उच्च मूल्य की खरीद/अनुबंधों की व्यापक जांच की गई और सुधार हेतु सुझावों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक सिफारिशें की जाती हैं।

एसीवीओ मीट: अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारियों (एसीवीओ) के साथ नियमित बातचीत को बनाए रखने के एक हिस्से के रूप में, संयंत्र/इकाई स्तर पर जो सतर्कता विभागों के प्रमुख हैं, सीवीओ ने नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कीं जिन्हें एसीवीओ मीट के रूप में जाना जाता है। बैठक के दौरान सेल सतर्कता के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों द्वारा केस स्टडी/सतर्कता संबंधी अन्य मामलों पर प्रस्तुतियां दी गईं जिससे सभी के द्वारा अच्छी प्रथाओं/प्रक्रियाओं को अपनाना सुनिश्चित किया जा सके।

सतर्कता जांच के कारण प्रणाली में सुधार: सतर्कता द्वारा दी गई प्रणाली सुधार सलाह के आधार पर, भिलाई इस्पात संयंत्र ने ठेकेदारों के पंजीकरण के दौरान और एनआईटी के नियमों और शर्तों में विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या को शामिल करने

की प्रक्रिया विकसित की है। विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या 18 अंकों की प्रणाली है जो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित/अभिप्रमाणित दस्तावेजों के लिए अद्वितीय संख्या उत्पन्न करती है। यूडीआईएन से संबंधित दिशा–निर्देशों को सेल के अन्य संयंत्रों/इकाइयों तक विस्तारित किया जा रहा है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के दौरान सेल कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों के लिए अध्यक्ष, सेल प्रशासन सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा।

16.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमि. (आरआईएनएल)

सतर्कता विभाग ने जहां भी आवश्यक हो, मौजूदा प्रक्रिया और प्रणालियों में सुधार के लिए विस्तार क्षेत्र सहित खरीद, बिक्री और अनुबंध प्रदान करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर प्रणाली अध्ययन किया। ठेकों/क्रय आदेशों की गहन जांच की गई और लेखापरीक्षा पैरा/आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। संवेदनशील पदों के रोटेशन, निगरानी जांच करने, बिलों की यादृच्छिक/रेंडम जांच आदि के संबंध में पहचान और अनुवर्ती कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा, प्रबंधन के लिए निष्पक्षता और समानता लाने हेतु एक कार्यात्मक उपकरण के रूप में कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बीच सुरक्षात्मक सतर्कता पर जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष सतर्कता जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। ई–नीलामी, ई–रिवर्स नीलामी और 100% ई–भुगतान आदि जैसी ई–इनीशिएटिव्ज/पहलों के माध्यम से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया था। पारदर्शिता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां की गईं :

- 130 प्रणाली निगरानी जांच की गई जिसमें 25 गुणवत्ता जांच और चिकित्सा सेवाओं पर 2 आवधिक औचक जांच शामिल हैं।
- 290 कर्मचारियों को कवर करते हुए सुरक्षात्मक सतर्कता पर भौतिक रूप से 7 सत्र, 319 कर्मचारियों को कवर करने वाले 5 हाइब्रिड सत्र और 67 कर्मचारियों को कवर करने वाला एक ऑनलाइन सत्र आयोजित किया गया।
- प्रक्रियाओं, नियमों, नीतियों, दिशानिर्देशों आदि में सुधार के लिए 17 प्रणाली/सिस्टम अध्ययन किए गए और संबंधित विभागों को सतर्कता टिप्पणियों/सिफारिशों से अवगत कराया गया।
- **सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2021** ''स्वतंत्र भारत@75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता'' विषय का पालन साथ सख्ती से किया गया। कई कार्यक्रम जैसे; कर्मचारियों, उनके आश्रितों और अन्य हितधारकों की भागीदारी को शामिल करते हुए शपथ ग्रहण, पोस्टरों का प्रदर्शन, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी और भाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया।
- ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' के दौरान शासन में नैतिक मूल्य, व्यावसायिक निर्णयों में पारदर्शिता, भारत के लिए आत्मनिर्भरता हेतु परिचालन उत्कृष्टता, भूमि की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ और अतिक्रमण की रोकथाम विषयों पर सुरक्षात्मक सतर्कता हेतु जागरूकता के लिए ऑनलाइन और मिश्रित/हाइब्रिड सत्र भी आयोजित किए गए थे।
  – भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और भूमि की सुरक्षा और अतिक्रमण की रोकथाम के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग
  – सीमाओं का भू–संदर्भ और भूमि पार्सल की डिजिटल मैपिंग।

16.4 एनएमडीसी लिमि.

एनएमडीसी सतर्कता विभाग ने वर्ष के दौरान कई पहल की हैं। सुपरिभाषित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त जांच और संतुलन पर जोर दिया गया। निगम के कर्मचारियों के लिए सतर्कता मामलों पर जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। परियोजनाओं में सतर्कता अधिकारियों ने सतर्कता मामलों पर कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कक्षाएं संचालित की हैं। प्राप्त शिकायतों को जांच की गई और जहां कहीं आवश्यक हो आवश्यक सुधारात्मक उपाय/अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई।

निरीक्षण/जांच : सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष के दौरान उत्पादन परियोजनाओं/प्रधान कार्यालय में कुल 42 औचक निरीक्षण और 45 नियमित निरीक्षण किए गए।

शिकायत निवारण : सतर्कता विभाग में 33 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित विभाग को सुधारात्मक कार्रवाई/प्रणाली में सुधार के लिए 03 सुझाव दिए गए हैं। दिनांक 01.01.2022 से प्रभावी एनएमडीसी की शिकायत निवारण नीति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और सभी हितधारकों के व्यापक प्रचार और जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

सतर्कता विभाग के लिए आईएसओ प्रमाणन: एनएमडीसी सतर्कता विभाग को आईएसओ 9001:2015 प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवधिक लेखापरीक्षा मैसर्स वेक्सिल द्वारा की गई थी और गुणवत्ता लेखा परीक्षक के सुझावों के आधार पर सतर्कता विभाग के कामकाज में आवश्यक सुधार लागू किए गए हैं।

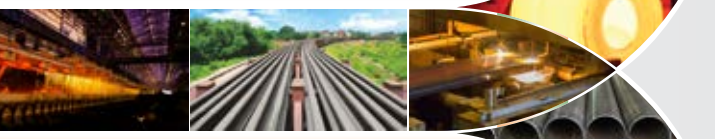

कार्यशालाएं/सम्मेलन: एनएमडीसी के 72 व्यक्तियों के लिए सीबीआई अकादमी के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए आईओ/पीओ विकसित करने पर 14–16 दिसंबर, 2021 तक तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सुरक्षात्मक सतर्कता (पीवी) मॉड्यूल के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम: सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुरूप, एनएमडीसी नियमित रूप से सुरक्षात्मक सतर्कता प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार अपने कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था कर रहा है। हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुरक्षात्मक सतर्कता के तहत 02 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेशण स्तर के 56 कर्मचारियों को शामिल करते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी और मध्य–कैरियर स्तर के 365 कर्मचारियों को कवर करने के लिए 32 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई थी। सभी उत्पादन परियोजनाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के कुल 421 कर्मचारियों को सुरक्षात्मक सतर्कता के तहत प्रशिक्षण दिया गया था।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना/उत्तोलन प्रौद्योगिकी: बेड़े प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन प्रगति पर है। यह प्रणाली न केवल परिचालन दक्षता को बढ़ाएगी बल्कि साथ ही यह उपकरणों के परिचालन आंकड़ों को भी एकत्रित कर लेगी।

सत्यनिष्ठा संधि का कार्यान्वयन: एनएमडीसी ने नवंबर 2007 से सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन को अपनाया है। सतर्कता विभाग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार, खरीद और अनुबंध दोनों के लिए दिनांक 07.09.2018 से प्रारंभिक मूल्य को घटाकर रु 1.0 करोड़ कर दिया गया है। सभी अनुबंध जिनमें प्रारंभिक/थ्रेशोल्ड सीमा के अनुसार सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किए जाने थे, का पालन किया गया था और अनुबंधों के कुल मूल्यों के 92% से अधिक को सत्यनिष्ठा संधि के तहत कवर किया गया था।

सतर्कता अधिकारियों के साथ प्रमुख सतर्कता अधिकारियों/सीवीओ की त्रैमासिक समीक्षा बैठक: एनएमडीसी के सतर्कता अधिकारियों की तिमाही समीक्षा बैठक नियमित रूप से आयोजित की गई। इन तिमाही बैठकों के दौरान नियमित और आकस्मिक निरीक्षण, सीटीई निरीक्षण और विभिन्न परिचालन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए सुझाए गए सिस्टम सुधार सहित सतर्कता मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा/साझा किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू): ''स्वतंत्र भारत@75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता'' विषय पर सभी परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों और एनएमडीसी के प्रधान कार्यालय में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के उद्घाटन के दिन कंपनी कार्यालय के कर्मचारियों को सीएमडी द्वारा और एनएमडीसी की उत्पादन परियोजनाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में परियोजना प्रमुखों/आरएम द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। सप्ताह के दौरान, 28.10.2021 को प्रधान कार्यालय में सार्वजनिक उपक्रमों में कॉर्पोरेट प्रशासन, उत्तोलन प्रौद्योगिकी और व्हिसल ब्लोअर तंत्र पर एक सत्र आयोजित किया गया था। कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं/गतिविधियों जैसे भाषण, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी और सर्वश्रेष्ठ हाउस–कीपिंग गतिविधियों के लिए अंतर–विभागीय प्रतियोगिता, वीएडब्ल्यू थीम पर स्किट, मैराथन/वॉकथॉन और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। वीएडब्ल्यू थीम के प्रचार और जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया गया।

16.5 मॉयल लिमि.

सतर्कता विभाग के कामकाज में सुरक्षात्मक सतर्कता शामिल है जिसमें संगठन के सिस्टम सुधार पर मुख्य जोर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रबंधन को अधिकतम उत्पादकता मिले। सतर्कता विभाग की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ इस प्रकार हैं: –

आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन: सतर्कता विभाग ने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से आईएसओ–9001: 2015 प्रमाणपत्र प्राप्त किया है जोकि मॉयल लिमिटेड के प्रबंधन को सतर्कता सेवाएं प्रदान करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हेतु ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त प्रत्यायन प्रणाली द्वारा मान्यता प्राप्त है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज द्वारा जारी प्रमाणपत्र आईएएफ (अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच) द्वारा दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। दिनांक 14.12.2021 को आईसीएस द्वारा निगरानी लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी।

निरीक्षण: अनुबंध के निष्पादन के दौरान मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने और प्रणाली में सुधार का सुझाव देने के लिए नियमित / आवधिक और आकस्मिक निरीक्षण नियमित रूप से किए जा रहे हैं। 11 आवधिक और 9 औचक निरीक्षण किए गए हैं। निरीक्षण के आधार पर प्रबंधन को 2 एडवाइजरी जारी की गई हैं।

शिकायत निवारण: सतर्कता विभाग ने कुल 43 शिकायतों पर कार्रवाई की है, जिनमें से मंत्रालय और सीवीसी को उनके निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

प्रक्रियाओं और प्रणालियों की जांच: सतर्कता विभाग ने खरीद, बोली प्रक्रिया आदि से संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन किया है और जांच के आधार पर प्रबंधन को सुधारात्मक कार्रवाई और प्रणाली में सुधार के लिए 2 सलाह जारी की गई हैं।

मोबाइल ऐप 'विजिलेंस मॉयल': इन–हाउस टीम के साथ मॉयल विजिलेंस द्वारा विकसित मोबाइल ऐप विजिलेंस मॉयल गूगल ऐप स्टोर पर किसी भी समय, किसी भी स्थान से मुफ्त डाउनलोड करने और शिकायत करने के लिए उपलब्ध है।

टोल फ्री नंबर: आम जनता को सतर्कता संबंधी सहायता देने के लिए एक टोल फ्री नंबर 18002333606 उपलब्ध कराया गया है।

जीईएम-खरीद: जीईएम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध खरीद और सेवा अनुबंधों के लिए जीईएम खरीद/GeM-Procurement किया जा रहा है।

प्रबंधन के साथ संरचित बैठक: सीवीसी और इस्पात मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, सीएमडी मॉयल की उपस्थिति में मॉयल प्रबंधन के साथ सतर्कता विभाग की 3 संरचित बैठकें वर्ष 2021 के दौरान की गई हैं जिसमें जीईएम खरीद, नियमावली का अद्यतन, खदान में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, नामांकन के आधार पर ठेका देने, संपदा अधिकारी की नियुक्ति, अभिलेखों का डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दों और अन्य कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई।

उत्तोलन प्रौद्योगिकी: सीवीसी के परिपत्र के संदर्भ में, सतर्कता विभाग ने नियामक, प्रवर्तन गतिविधियों और शिकायतों से निपटने में वेबसाइट के प्रभावी उपयोग और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर दिया। प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए मुख्य क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद है। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिल भुगतान और निविदा की स्थिति नियमित रूप से वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है। सभी पदोन्नति सूची, स्थानांतरण सूची, नोटिस और अन्य प्रो–फॉर्मा मॉयल इंट्रानेट पर पोस्ट किए जाते हैं।

नियमावली का अद्यतनीकरण: विभिन्न नियमावली जैसे खरीद नियमावली, कार्य और अनुबंध नियमावली, कार्मिक नियमावली, आदि तैयार किए गए हैं और व्यवहार में लाए गए हैं। खरीद नियमावली और कार्य एवं अनुबंध नियमावली, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कार्मिक नियमावली मॉयल इंट्रानेट पर उपलब्ध है। विपणन नियमावली और लेखा नियमावली तैयार की जा रही है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम : सतर्कता विभाग ने कॉरपोरेट गवर्नेंस में नैतिकता पर प्रधान कार्यालय में 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम और मुनसर माइन्स में पीआईडीपीआई संकल्प पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 90 कर्मचारियों को शामिल किया गया।

जॉब रोटेशन: संवेदनशील पदों पर 3 साल से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के रोटेशन के लिए संवेदनशील पदों की पहचान की गई है और प्रबंधन के साथ उनका अनुसरण किया जाता है। रोटेशन के लिए चिन्हित किए गए 300 पदों में से अब तक 253 तबादले किए जा चुके हैं।

प्रणाली में सुधार: शिकायतों, अध्ययन, निरीक्षण आदि से संबंधित जांच के परिणाम स्वरूप, प्रबंधन को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रणाली में सुधार के लिए सलाह और सुझाव दिए गए थे:

- चोरी की आशंका वाले क्षेत्र जैसे ओ/सी माइन्स में, चारदीवारी का निर्माण और सुरक्षा कर्मियों की पुनर्नियुक्ति।
- खदानों में उपस्थिति के लिए बायोमीट्रिक प्रणाली।
- भर्ती में चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एसओपी।
- कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाइल और सेवा पुस्तिका का नियमित अद्यतनीकरण।
- सूचना प्रणाली की सुरक्षा यानी ईआरपी/एसएपी और डेटा संसाधन प्रबंधन नियंत्रण। ईआरपी का थर्ड पार्टी ऑडिट।
- विक्रेताओं की ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग प्रणाली।
- पुराने रिकॉर्ड को नीति के अनुसार हटा दिया जाएगा।
- अभिलेखों का डिजिटलीकरण।
- संपदा अधिकारी की नियुक्ति।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह: 26 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2021 तक मॉयल लिमिटेड के सभी खदानों/कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसमें सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार ''स्वतंत्र भारत @ 75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता'' विषय पर निम्नलिखित गतिविधियां की गईं। सतर्कता जागरूकता वॉकथॉन, निबंध, कविता और स्लोगन लेखन तथा पोस्टर, कार्टून ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं। जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प मुनसर खदान में आयोजित किया गया था, पीआईडीपीआई पर पोस्टर लोगों को पीआईडीपीआई शिकायतों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यालय और खान में विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किए गए थे।

16.6 मेकॉन लिमि.

मेकॉन का सतर्कता प्रतिष्ठान, वर्तमान में प्रधान कार्यालय, रांची में स्थित मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के अधीन कार्य कर रहा है। मेकॉन के सतर्कता विभाग ने कई पहल की हैं, जिनका संक्षेप में नीचे उल्लेख किया गया है:

- मेकॉन लिमिटेड द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 दिनांक 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 तक ''स्वतंत्र भारत@75: सत्यनिष्ठा से स्वंत्रता'' (स्वतंत्र भारत@75: सत्यनिष्ठा के साथ आत्म निर्भरता) विषय के साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश के अनुरूप बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मेकॉन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) का आयोजन 26 अक्टूबर 2021 को शपथ समारोह के साथ शुरू हुआ। ''पीआईडीपीआई (सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा) के तहत शिकायत'' के बारे में जागरूकता फैलाने और अभियान के लिए मेकॉन लिमिटेड के विभिन्न कार्यालयों के प्रमुख स्थानों पर सीवीसी परिपत्र के अनुसार दो पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे और प्रस्तुतियाँ, वार्ता तथा पैनल चर्चा जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गई थीं। मेकॉन कर्मचारियों और उनके बच्चों (पति/पत्नी और बच्चों) को शामिल करते हुए निबंध, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियां भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गईं। मेकॉन के कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। भ्रष्टाचार विरोधी संदेशों के प्रसार और आउटरीच गतिविधियों के रूप में सतर्क भारत की आवश्यकता पर जोर देने के लिए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान बीएसएनएल की बल्क पुश एसएमएस सेवा का उपयोग किया गया था।
- औचक और नियमित जांच, फाइलों की जांच, वार्षिक संपत्ति विवरणी की जांच आदि जैसे सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं।
- प्रबंधन के साथ सतर्कता की नियमित संरचित बैठक आयोजित की जा रही है और बोली दस्तावेजों के मानकीकरण, संगठन की प्रक्रियाओं और नियमावली के अद्यतन, संपत्ति प्रबंधन/भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, सेवानिवृत्त अधिकारियों की जांच अधिकारी (आईओ) के रूप में नियुक्ति, कम्प्यूटरीकृत फाइल ट्रैकिंग से संबंधित मुद्दों, प्रणाली (एसएपी/ईआरपी कार्यान्वयन सहित) आदि पर चर्चा की गई है।
- मेकॉन ने 250 आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के साथ सत्यनिष्ठा समझौते (आईपी) पर हस्ताक्षर किए हैं (ईपीसी परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक तथा नगर प्रशासन के लिए 25 लाख या उससे अधिक इन–हाउस खरीद हेतु व्यापक कवरेज के लिए सीमा मूल्य कम किया गया है)।

16.7 एमएसटीसी लिमि.

एमएसटीसी के सतर्कता ढांचे का नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करता है। एमएसटीसी सतर्कता पारदर्शी प्रणाली और प्रक्रियाओं के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर देती है, जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। प्राप्त शिकायतों को जहां कहीं आवश्यक हो, जांच के लिए लिया जाता है और प्रबंधन को प्रणाली में सुधार/अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आवश्यक सुझावों की सिफारिश की जाती है। अनुबंध/खरीद आदेशों की जांच की जाती है और लेखापरीक्षा पैराओं की जांच की जाती है। संवेदनशील पदों की पहचान, निगरानी जांच का संचालन, बिलों की यादृच्छिक जांच के साथ–साथ संपत्ति रिटर्न (> 20%) भी किया जाता है। जनवरी–दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार हैं:–

- 89 शिकायतें प्राप्त हुईं; 82 का निपटारा किया गया, 03 शिकायतों की विस्तृत जांच की गई और 03 मामलों में प्रबंधन को उचित कार्रवाई हेतु सिफारिश की गई।
- 16 अनुबंधों/फाइलों की जांच की गई; परिणामस्वरूप 01 की जांच हुई और 02 के परिणामस्वरूप प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया गया।
- सतर्कता विभाग द्वारा 20 औचक निरीक्षण और 7 निरीक्षण किए गए।
- संविदा/परामर्श के आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया, विक्रेताओं/नियमों द्वारा स्वीकृत लॉट को मनमाने ढंग से रद्द करने, अधिकारियों के लिए सतर्कता मंजूरी/स्थिति प्राप्त करने (बोर्ड स्तर से नीचे) और गैर–डीपीसी/पदोन्नति के दौरान कार्यपालक, सीपीएसई में सतर्कता/व्हिसल ब्लोअर तंत्र की प्रभावोत्पादकता और ई–नीलामी प्रणाली में मैन्युअल हस्तक्षेप जांच पर संगठनों द्वारा 05 प्रणाली अध्ययन हाथ में लिए गए थे। एमएसटीसी की व्हिसल ब्लोअर तंत्र/सतर्क नीति, सतर्कता मंजूरी/स्थिति, सीडीए नियम, स्क्रैप ई–नीलामी पोर्टल में बोलीदाता/विक्रेता के लॉगिन के सुरक्षा पहलुओं, एचआरएमएस नीति जैसे मुद्दों पर सतर्कता टिप्पणियों/सिफारिशों को लागू किया गया है।

- सतर्कता जांच/अध्ययन के आधार पर प्रबंधन को कई निम्नलिखित सिफारिशें भी की गईं:–
  - ❖ एफआर 56(जे)/(i) के तहत अधिकारियों का आकलन।
  - ❖ नियमों/प्रिंसीपल्स द्वारा स्वीकृत लॉट रद्द किए जाने की स्थिति में शुल्क लगाना।
  - ❖ गैर–गंभीर बोलीदाताओं को हतोत्साहित करने के लिए बोली–पूर्व ईएमडी के अलावा, प्रत्येक ई–नीलामी के लिए भागीदारी शुल्क लगाना।
  - ❖ व्यापारिक लेन–देन पर प्रतिबंध लगाने, संपत्ति को अनुपयोगी सिद्ध करने, फ्लैट आवंटन आदि की नीति।
  - ❖ विक्रेता बिल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए प्रभावशीलता, नियंत्रण और पर्यवेक्षण पहल।
  - ❖ बेहतर पारदर्शिता के लिए नीलामियों के परिणाम प्रकाशित करना।
  - ❖ गुटबंदी में शामिल होने के संदेह में विशिष्ट बोलीदाताओं के खिलाफ कार्रवाई करना।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** सतर्कता विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से एक ग्राहक शिकायत निवारण बैठक का आयोजन किया गया। एमएसटीसी के लगभग 150 कर्मचारियों को कवर करते हुए संपत्ति विवरणी पर 02 सतर्कता जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2021 को "स्वतंत्र भारत@75: सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता; भारत@75: सत्यनिष्ठा स्वाधीनता" एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में मनाया गया। साथ ही, संगठन की वेबसाइट में प्रदर्शित करने के साथ–साथ वॉकथॉन और कैंडल लाइट विजिल मार्च का आयोजन करके व्हिसल ब्लोअर तंत्र और पीआईडीपीआई पहल का व्यापक प्रचार किया गया। कॉर्पोरेट कार्यालय और पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए थीम पर स्किट प्ले का आयोजन किया गया था। निबंध, स्लोगन और पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताएं और एमएसटीसी कर्मचारियों और उनके बच्चों को शामिल करते हुए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गईं।

16.8 केआईओसीएल लिमि.

सुरक्षात्मक सतर्कता, सतर्कता विभाग का मुख्य क्षेत्र रहा है। भ्रष्टाचार और कदाचार के दुष्परिणामों के बारे में सभी स्तरों पर अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए सुरक्षात्मक सतर्कता का माहौल तैयार किया गया है। प्रबंधन के साथ सतर्कता की नियमित रूप से संरचित बैठक आयोजित की जा रही है और ई–गवर्नेंस, उत्तोलन प्रौद्योगिकी/प्रौद्योगिकी से लाभ उठाना, निविदा प्रबंधन, कार्यों का अधिनिर्णय/अवार्ड, प्रणालीगत सुधार, आचरण नियमों की समीक्षा, कंपनी के अनुशासन और अपील नियमों की समीक्षा, संवेदनशील पदों के अधिकारियों के रोटेशन से संबंधित मुद्दों, सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन आदि पर चर्चा की गई है।

- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता विभाग आईएसओ प्रमाणन 9001–2015 मानकों के अनुपालन के लिए प्रमाणित है।
- केआईओसीएल लिमिटेड के सभी स्थानों/कार्यालयों में 26 अक्टूबर से 01 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान वेब आधारित/हाइब्रिड मोड के माध्यम से कोविड–19 रोकथाम दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, अतिथि व्याख्यान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्मचारियों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच निबंध, नारा लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- ई–प्रोक्योरमेंट प्रचलन में है और इसके लिए सीमा मूल्य रु. 2 लाख और उससे अधिक निर्धारित किया गया है। सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए जा रहे हैं।
- 150 कार्य/खरीद/बिक्री आदेश सत्यनिष्ठा संधि खंड को शामिल करते हुए जारी किए गए हैं, जिसमें मूल्य के अनुसार 98.58% अनुबंध शामिल हैं। सत्यनिष्ठा समझौते के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- इस अवधि के दौरान 53 जांच, 27 निरीक्षण, 17 औचक जांच और 6 सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए गए और यदि कोई सुझाव दिया गया है तो सुधारात्मक कार्रवाई की गई। वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।
- सतर्कता विभाग ने वर्चुअल/हाइब्रिड मोड के माध्यम से कर्मचारियों के लिए 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, साइबर अपराध और सार्वजनिक खरीद आदि जैसे विषयों को कवर किया गया।
- सीवीसी पीवी प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार मध्य–कैरियर स्तर के कर्मचारियों के लिए सुरक्षात्मक सतर्कता पर 920 घंटे के तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस/हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित किए गए थे।

16.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमि. (एफएसएनएल)

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में एफएसएनएल के सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों को संस्थागत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एफएसएनएल सतर्कता पारदर्शी प्रणाली और प्रक्रियाओं के लिए प्रणालीगत

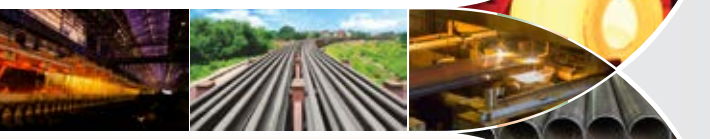

परिवर्तन और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर देती है जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। ठेकों/खरीद आदेशों की जांच की गई और लेखापरीक्षा पैरा/आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अवलोकन किया गया। संवेदनशील पदों की पहचान, औचक जांच करना, वार्षिक संपत्ति विवरण/रिटर्न की यादृच्छिक जांच भी की गई। सीबीआई की संबंधित स्थानीय शाखा के साथ सहमत सूची पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रबंध निदेशक के साथ सीवीओ की संरचित बैठक नियमित आधार पर आयोजित की जा रही है। सतर्कता विभाग सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। सतर्कता विभाग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार हैं:–

- **प्रक्रियाओं और प्रणालियों की संवीक्षा:** सतर्कता विभाग ने निम्नलिखित प्रक्रिया/नीतियों/नियमों का अध्ययन किया है और जांच के आधार पर प्रबंधन को निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव दिया गया है:
  - अनुबंध/खरीद आदेश।
  - ''पूंजीगत माल/वस्तुओं की खरीद'' पर एक अभिनव सुरक्षात्मक अध्ययन, पीवी–चेज (भ्रष्टाचार जोखिम मूल्यांकन और प्रणाली संवर्धन के माध्यम से सुरक्षात्मक सतर्कता) अध्ययन।
  - कंपनी के सीडीए नियम।
- **उत्तोलन प्रौद्योगिकी/ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:**
  - वार्षिक संपत्ति विवरणी दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है और जनवरी 2021 से ''गो लाइव हो'' बनाया गया है।
  - ई–ऑफिस क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** सेल के माध्यम से संयुक्त रूप से प्रवेशण स्तर और मध्य कैरियर स्तर के अधिकारियों के लिए सुरक्षात्मक सतर्कता प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
- **प्रणाली में सुधार:** अध्ययन, निरीक्षण आदि के परिणाम के रूप में, व्यवस्था में सुधार के लिए प्रबंधन को दी गई सलाह और सुझावों को निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू किया जाता है: –
  - कर्मचारियों के बीच ईमानदारी और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर समीक्षा पर डीओपीटी समेकित दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप एफएसएनएल के मौजूदा सीडीए नियमों को संशोधित करना।
  - ''पूंजीगत माल/वस्तुओं की खरीद'' पर पीवी–चेज (भ्रष्टाचार जोखिम मूल्यांकन और प्रणाली वृद्धि के माध्यम से सुरक्षात्मक सतर्कता) अध्ययन के आधार पर, स्टोर और खरीद नियमावली में उपयुक्त संशोधन के लिए दी गई सिफारिशें।
  - यह सुनिश्चित करने के लिए कि निविदा पूछताछ सही ईमेल आईडी के साथ जारी की जाती है और विक्रेताओं द्वारा प्राप्त की जाती है तथा आगे के संदर्भ के लिए प्रासंगिक फाइल में ईमेल के माध्यम से प्रेषण का प्रमाण है।
  - भण्डार एवं क्रय नियमावली के अनुसार निविदा की प्रक्रिया करते समय एमएम और एफ एंड ए अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से तुलनात्मक विवरण पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया का पालन करना।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह: कंपनी में 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक ''स्वतंत्र भारत @75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता'' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पालन पर सीवीसी दिशानिर्देशों में दर्शाए गए अनुसार आंतरिक (हाउसकीपिंग) गतिविधियों को शुरू किया गया था। सप्ताह के दौरान कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता पैदा करने के लिए स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, ड्राइंग/कार्टून पूरा करना, सार्वजनिक स्थानों पर पर्चे वितरण, कर्मचारियों द्वारा शपथ लेना, वेंडर मीट, सुरक्षात्मक सतर्कता पर कार्यशाला आदि जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं थी।

16.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ओएमडीसी और बीएसएलसी के लिए सतर्कता नीतियां लागू हैं। कंपनियों में सतर्कता विभाग आरआईएनएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में होते हैं और मुख्यालय, भुवनेश्वर में एक सतर्कता अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, ओएमडीसी खानों, ठकुरानी और बीएसएलसी खानों, बीरमित्रपुर में सतर्कता अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) नियुक्त किए गए हैं। सतर्कता विभाग के कार्यों में कंपनी की सभी खानों और भुवनेश्वर में कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए निवारक और दंडात्मक कार्रवाई दोनों शामिल हैं। कंपनी का सतर्कता विभाग कामकाज में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्थित सुधार के अपने प्रयास जारी रखे हुए है और कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार, कंपनियां हर साल ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' मनाती हैं।

अध्याय-17

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान

17.1 मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जन शिकायतों को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)/सीपीग्राम लागू की गई है। [सीपीजीआरएएमएस] एनआईसीएनईटी पर एक ऑनलाइन वेब–सक्षम प्रणाली है, जिसे एनआईसी ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से विकसित किया है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा शिकायतों का त्वरित निवारण और प्रभावी निगरानी करना है। शिकायत निवारण अभियान का पूरा जीवन चक्र है (i) एक नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज करना, (ii) संगठन द्वारा शिकायत की स्वीकृति की पावती/रसीद देना, (iii) अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में शिकायत का आकलन, (iv) अग्रेषण और स्थानांतरण, (v) अनुस्मारक और स्पष्टीकरण और (vi) मामले का निपटान।

एक संशोधित सेवोत्तम अनुपालन नागरिक/ग्राहक चार्टर को अंतिम रूप दिया गया है और इस्पात मंत्रालय में लागू किया गया है। मंत्रालय और इस्पात सार्वजनिक उपक्रमों में 'नागरिक केंद्रित–सेवोत्तम के लिए सात चरण मॉडल' को अपनाने की विस्तृत स्थिति अनुबंध XV में दी गई है।

01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के लिए सीग्राम/सीपीजीआरएएमएस में निपटाई गई शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

मंत्रालय/सीपीएसई	01.01.2021 को बकाया	01.01.2021 से 31.12.2021 के दौरान प्राप्त	01.01.2021 से 31.12.2021 के दौरान निपटान	31.12.2021 को लंबित
इस्पात मंत्रालय	136	2186	2289	33
सेल	07	531	522	16
आरआईएनएल	8	44	52	0
एनएमडीसी लिमिटेड	0	58	56	2
मेकॉन लिमिटेड	0	49	49	0
मॉयल लिमिटेड	0	10	10	0
केआईओसीएल लिमिटेड	0	4	4	0
एमएसटीसी लिमिटेड	0	45	42	3
एफएसएनएल	0	4	4	0
ओएमडीसी	0	1	1	0

17.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

अधिकारियों और गैर–कार्यकारियों के लिए अलग–अलग सेल संयंत्रों और इकाइयों में प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है।

सेल संयंत्रों/इकाइयों में शिकायतों को 3 चरणों में निपटाया जाता है और कर्मचारियों को वेतन अनियमितताओं, काम करने की स्थिति, स्थानांतरण, छुट्टी, कार्य असाइनमेंट और कल्याण सुविधाओं आदि से संबंधित विभिन्न चरणों में शिकायतों को उठाने का अवसर दिया जाता है। ऐसे मुद्दों को शिकायत प्रबंधन की समय–परीक्षित/(टाईम–टेस्टिड) प्रणाली में प्रभावी ढंग से निपटाया जाता है। तथापि, इस्पात संयंत्रों में विद्यमान पर्यावरण की सहभागी प्रकृति को देखते हुए अधिकांश शिकायतों का समाधान अनौपचारिक रूप से किया जाता है। प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुई है।

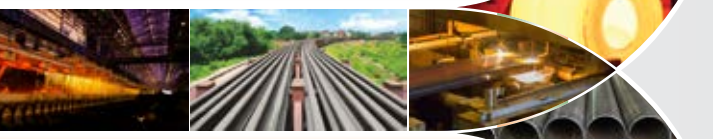

17.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में, कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संरचित शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद है। गैर–अधिकारियों के लिए औपचारिक शिकायत निवारण प्रक्रिया में, एक श्रमिक प्रतिनिधि, समिति में मौजूद होता है। इसके अलावा, शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायतों के निवारण के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। जन शिकायतों से निपटने के लिए महाप्रबंधक के स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। कार्यपालकों और गैर–कार्यकारियों के लिए एक अलग शिकायत निवारण तंत्र है।

17.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में शिकायत निवारण तंत्र का नेतृत्व प्रधान कार्यालय में एक मुख्य महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है जो शिकायत निवारण तंत्र लिए नोडल अधिकारी भी होता है और चार उत्पादन परियोजनाओं में से प्रत्येक में परियोजना प्रमुख की निगरानी में मशीनरी संतोषजनक ढंग से काम कर रही है। शिकायत दर्ज करने के लिए एनएमडीसी की वेबसाइट के होम पेज पर भारत सरकार के लोक शिकायत पोर्टल का लिंक दिया गया है। जब भी कोई जन शिकायत (प्रेस सहित) प्राप्त होती है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

17.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल के शिकायत निवारण तंत्र में प्रत्येक इकाई/खदान/प्रधान कार्यालय के लिए नामित एक शिकायत अधिकारी होता है। प्रधान कार्यालय में नामित नोडल अधिकारी इकाई/खदान/प्रधान कार्यालय में शिकायत अधिकारियों के साथ उनके प्रभावी प्रदर्शन के लिए समन्वय स्थापित करता है। खदानों और कॉर्पोरेट कार्यालयों में नामित लोक शिकायत अधिकारियों द्वारा मासिक/त्रैमासिक शिकायतों की समीक्षा और निपटारा किया जाता है और निर्धारित अवधि के साथ निपटारा किया जाता है। इकाईयों में शिकायतों से संबंधित आंकड़े इकाई शिकायत अधिकारियों द्वारा मासिक/त्रैमासिक रिटर्न में मुख्यालय को प्रस्तुत किए जाते हैं।

17.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने जन शिकायतों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के तहत नोडल अधिकारी नामित किया है और कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय की वेबसाइट में नोडल अधिकारी का नाम प्रकाशित किया गया है। अपने कर्मचारियों की शिकायत के निवारण के लिए त्रिस्तरीय शिकायत प्रक्रिया है। कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने और निवारण के लिए सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक शिकायत सलाहकार समिति कार्यरत है।

17.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी में लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ हैं। संगठन के क्षेत्रों और शाखाओं में कुल आठ प्रकोष्ठ हैं और प्रधान कार्यालय में एक नोडल प्राधिकरण तथा एक लोक शिकायत अधिकारी है। कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है। एमएसटीसी ने जन शिकायतों की ऑनलाइन प्राप्ति और निपटान के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) भी लागू की है ताकि शिकायत को तुरंत सुलझाया जा सके और कार्रवाई की जा सके। कुछ शिकायतें डाक से भी प्राप्त होती हैं। संगठन से बाहर वाले और संगठन के कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों के समाधान और निवारण के लिए कार्रवाई की जाती है। प्रकोष्ठों के अलावा प्रधान कार्यालय में एक शिकायत समिति का भी गठन किया गया है। शिकायत समिति, संबंधित विभाग/क्षेत्र/शाखा से प्राप्त शिकायतों और टिप्पणियों की जांच के बाद सिफारिशें करती है। मामलों की समीक्षा के लिए समय–समय पर शिकायत समिति की बैठक होती है। मुख्यालय द्वारा कंपनी के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली/सीपीग्राम (सीपीजीआरएएमएस) तथा लोक शिकायत साइट की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

17.8 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में विवाद समाधान तंत्र सहित एक अच्छी तरह से संरचित और बहुस्तरीय लोक शिकायत निवारण तंत्र है। केआईओसीएल में स्थापित सार्वजनिक समाधान को कॉर्पोरेट कार्यालय, बैंगलोर से सभी उत्पादन इकाइयों, परियोजना कार्यालयों और संपर्क कार्यालयों में पेश किया गया है। शिकायत या शिकायत रखने वाले विक्रेता और हितधारक जन शिकायत/विवाद निपटान के लिए निम्नलिखित के माध्यम से संगठन के साथ बातचीत कर सकते हैं।

सभी स्थानों पर लोक शिकायत अधिकारी मनोनीत किए गए हैं। सेवोत्तम अनुपालन नागरिक चार्टर का विकास कॉर्पोरेट वेबसाइटः www.kioclltd.in पर किया गया है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के पोर्टल को शिकायत दर्ज करने और निवारण के लिए एक लिंक प्रदान किया है।

17.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

कंपनी निर्धारित समय के भीतर शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करती है। कंपनी ने ''शिकायत निवारण योजना'' नामक एक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत, शिकायतों, यदि कोई हों, का तीन चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से समयबद्ध कार्यक्रम में निवारण किया जाता है। यदि आवेदक तीन चरणों की प्रक्रिया के परिणाम के बाद संतुष्ट नहीं है, तो वह कंपनी के प्रबंध निदेशक को अपील कर सकता है, जो बदले में, उपरोक्त सभी 3 चरणों में की गई कार्रवाई की फिर से जांच करता है, शिकायत का विश्लेषण करता है और अपील प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर संबंधित कर्मचारी/जनता को अपने निर्णय की सूचना देता है।

17.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी में इकाई स्तर और कॉर्पोरेट स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। ऑनलाइन शिकायतों की स्वीकृति को शामिल करने के लिए इसके दायरे को विस्तृत करके लोक शिकायत निवारण की प्रणाली को व्यवस्थित किया गया है। इसके लिए नोडल अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। अधिकारी का नाम और पदनाम कंपनी की वेबसाइट यानी www.birdgroup.co.in पर पोस्ट किया गया है। कंपनियों ने शिकायतों की ऑनलाइन प्राप्ति और सेवोत्तम मॉडल के अनुसार निपटान के लिए प्रणाली शुरू की है। जन शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए वेबसाइट www.birdgroup.co.in पर ''सेवोत्तम'' का सात चरण मॉडल उपलब्ध कराया गया है। जनता की शिकायतों का अक्सर सीपीजीआरएम/सीपीग्राम पोर्टल के माध्यम से निपटारा किया जाता है।

17.11 लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम)

- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 2 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था।
- विशेष अभियान का फोकस क्षेत्र, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, अंतर–मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी), संसदीय आश्वासनों, लोक शिकायतों, अपीलों, नियमों के सरलीकरण/अनुपालन संबंधी कार्यकार आदि के लंबित संदर्भों को दूर करने पर था। यह अभियान मंत्रालय/विभागों को पुराने अभिलेखों की समीक्षा करके अभिलेख प्रबंधन में सुधार करने का आदेश भी देता है जिसमें फाइलों को हटाने, कबाड़ का निपटान शामिल है, जिससे कार्यालय की जगह खाली हो जाती है और सरकारी कार्यालयों की समग्र सफाई सुनिश्चित होती है।
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपरोक्त सूचीबद्ध कार्रवाई बिंदुओं में से प्रत्येक पर प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित एससीडीपीएम पोर्टल शुरू किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उक्त पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाना था और उसके बाद दैनिक आधार पर इसकी निगरानी की जानी थी।
- इस्पात मंत्रालय के तहत विभिन्न डिवीजनों/विंगों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना/इनपुट के आधार पर पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार अभियान के अंत में विभिन्न मानकों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

एक्शन प्वाइंट	अपलोड किए गए	31.10.2021 की स्थिति के अनुसार का निपटान		लंबित स्थिति
1	**2**	**3**		**4=(2-3)**
सांसदों के सदर्भ	62	62		0
संसदीय आश्वासन	1	1		0
सीपीग्राम	22	22		0
रिकॉर्ड प्रबंधन	समीक्षा के लिए फाइलों की संख्या	निराई/विडिंग के लिए पहचानी गई फाइलों की संख्या	हटाई गई फाइलों की संख्या	खाली की गई जगह (वर्ग फुट में)
	975	568	568	1000
लोक शिकायत अपील	12	12		0

17.12 केआईओसीएल लिमिटेड

इस्पात मंत्रालय के तहत सीपीएसई द्वारा लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान भी लागू किया गया है। सीपीएसई द्वारा क्रियान्वित फाइलों, कबाड़ निपटान, स्वच्छता अभियानों की समीक्षा/वीड आउट की गई फाइलों की स्थिति नीचे दी गई है (नवंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार) :

i) **फाइलों की समीक्षा/वीड आउट करना:-**

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	समीक्षा के लिए पहचानी गई फाइलों की संख्या	समीक्षा की गई फाइलों की संख्या	निराई/वीड आउट के लिए पहचानी गई फाइलों की संख्या	हटाई गई फाइलों की संख्या
1	सेल	19609	19609	9455	9455
2	आरआईएनएल	12002	8877	7381	7381
3	एनएमडीसी लिमिटेड	1020	1020	310	310
4	मॉयल लिमिटेड	512	512	5	5
5	मेकॉन लिमिटेड	10000	14190	13291	13291
6	केआईओसीएल लिमिटेड	1985	1450	400	400
7	एमएसटीसी लिमिटेड	16005	14965	7205	7205
	कुल	**61133**	**60623**	**38047**	**38047**

ii) **स्क्रैप निपटान:-**

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	कुल राजस्व सृजित (लाख रुपए में)	फाइलों की छंटाई आदि के माध्यम से मुक्त हुआ स्थान (वर्ग फुट में)
1.	सेल	25715.61	89367
2.	आरआईएनएल	1324.53	1234
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	0.10065	70
4.	मॉयल लिमिटेड	8.16	120
5.	केआईओसीएल लिमिटेड	25.31	13500
6.	एमएसटीसी लिमिटेड	11.68108	10678
	कुल	**27085.39**	**114969**

iii) **स्वच्छता अभियान:-**

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	नियोजित किए गए स्वच्छता अभियानों की संख्या	आयोजित किए गए अभियानों की संख्या
1.	सेल	130	145
2.	आरआईएनएल	56	56
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	44	44
4.	मॉयल लिमिटेड	11	11
5.	मेकॉन लिमिटेड	20	20
6.	केआईओसीएल लिमिटेड	6	6
7.	एमएसटीसी लिमिटेड	2	2
	कुल	**269**	**284**

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के बाद के निर्देशों के अनुसार, एससीडीपीएम पोर्टल पर डेटा अपलोड करना जारी रखा जाना है और मासिक आधार पर किया जाना है तथा मंत्रालयों / विभागों द्वारा नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा की जानी है।

अध्याय-18

दिव्यांग और इस्पात

18.1 इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) के कार्यान्वयन के संबंध में सरकारी नियमों का पालन किया जाता है। दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक, पांच दिव्यांग व्यक्तियों (एक श्रवण दिव्यांग (एचएच), एक नेत्रहीन (वीएच) और तीन अस्थि दिव्यांग (ओएच)) को इस्पात मंत्रालय में नियुक्त किया गया है।

18.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- दिव्यांग अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के संदर्भ में, सेल के संयंत्रों/इकाइयों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाता है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्य स्थल पर अवरोध मुक्त वातावरण के निरंतर प्रयास किए जाते/गए हैं।
- सेल के किसी भी कर्मचारी के भाई या बहन को भी, यदि वे अक्षम हैं और कर्मचारी पर निर्भर हैं, तो उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।
- संयंत्र के स्थानों पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। संयंत्र के कुछ स्थानों पर दिव्यांगों के लिए अलग से खेल के मैदान बनाए गए हैं।
- सेल द्वारा अपने कर्मचारियों के शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को, उनकी शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- दिव्यांग कर्मचारियों को क्वार्टर आबंटित करने में विशेष रियायत दी जाती है। ऐसे कर्मचारियों को भूतल आबंटित करने पर ध्यान दिया जाता है।

18.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- आरआईएनएल द्वारा, समूह क, ख और ग में, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार पदों का नियत प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार, जब भी भर्ती की जाती है तो आरआईएनएल द्वारा आरक्षण लागू किया जाता है। पीडब्ल्यूडी को ऊपरी आयु सीमा (10 वर्ष), आवेदन शुल्क में छूट, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत की छूट, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को चयन परीक्षा के अंकों में 10 प्रतिशत छूट जैसे रियायतें और छूटें दी गई हैं।
- अधिनियम के लागू होने के बाद से, आरआईएनएल ने विभिन्न दिव्यांगता वाले 214 व्यक्तियों (मेरिट के आधार पर भर्ती 10 व्यक्तियों को छोड़कर) को नियोजित किया है।
- कानून के अनुसार दी जाने वाली सुविधाओं में नौकरियों की पहचान, पद पर भर्ती और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण, कार्य स्थल पर सहायता/सहायक उपकरण, पहुंच और कार्य स्थल पर बाधा रहित वातावरण प्रदान करना, कंपनी के क्वार्टर के आबंटन में वरीयता देना, शिकायत निवारण, दिव्यांग व्यक्तियों के मामलों हेतु संपर्क अधिकारी की नियुक्ति, विशेष आकस्मिक अवकाश और स्थानांतरण/तैनाती में वरीयता देना शामिल हैं।
- ऐसे कुछ कार्य रैंप–वे, भवन की लिफ्टों में श्रवण संकेत प्रदान करना, स्वागत कक्ष में व्हील–चेयर के प्रावधान किए गए हैं जो मुख्य प्रशासनिक भवन/कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए किए गए हैं।

18.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी, एक खनन संगठन होने के नाते, खनन अधिनियम के प्रावधानों और इसके नियमों और विनियमों द्वारा प्रशासित होता है और सुरक्षा कारकों को देखते हुए, खनन/संयंत्रों में काम वाली नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार देना संभव नहीं है। जबकि, उन क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है जहाँ फील्ड कार्य शामिल नहीं है और इस समय, एनएमडीसी में विभिन्न पदों पर 100 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं।

एनएमडीसी ने कंपनी के कार्यालयों में आने–जाने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि रैंप–वे, लिफ्टों में श्रवण संकेत आदि प्रदान करना। परियोजनाओं में ऐसे कर्मचारी, जो सेवा करते समय दिव्यांग हो जाते हैं, उनको चिन्हित पदों पर पुनः नियुक्त किया जाता है।

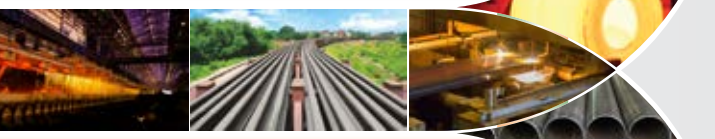

18.5 मॉयल लिमिटेड

कार्यस्थल पर कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा में सुधार हेतु कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

इसलिए दिव्यांग कर्मचारियों के लिए निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुरूप सुविधाएं जैसे लिफ्ट/एलिवेटर्स, शौचालय, पीने का पानी, व्हील चेयर, बैसाखी, पहुंच की सीमा, पथ/चलने के रास्ते, शारीरिक रूप से निःशक्तता भत्ता आदि प्रदान किए गए हैं।

विभिन्न पदों के लिए नि:शक्त व्यक्तियों के चयन का तरीका : निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों पर भर्ती की जाती है, भारत सरकार के दिशा निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार बेंचमार्क निःशक्त व्यक्तियों को आरक्षण, छूट और रियायतें प्रदान की जाती हैं।

स्थानांतरण और तैनाती में वरीयता : जहां तक संभव हो, निःशक्त व्यक्तियों को चक्रानुक्रम स्थानांतरण नीति/स्थानांतरण से छूट दी गई है।

रिहाइशी आवास/अतिथि गृह के आबंटन में वरीयता : मॉयल निःशक्त व्यक्तियों को कंपनी की टाउनशिप में सुलभ आवास प्रदान करने के लिए वरीयता देता है।

18.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है। 31.12.2021 को मेकॉन की कुल कर्मचारी संख्या 1138 है, जिसमें से विभिन्न पदों पर निःशक्त/शारीरिक रूप से निःशक्त वर्ग के व्यक्ति 10 हैं। 'दिव्यांग' व्यक्तियों के लिए सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए, स्क्रीन रीडर प्रौद्योगिकी को स्थापित करके कंपनी की वेबसाइट को दृष्टिबाधित लोगों हेतु प्रयोक्ता के अनुकूल बनाया गया है। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कार्यालय परिसर में प्रवेश के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है।

18.7 एमएसटीसी लिमिटेड

31 दिसंबर 2021 तक, एमएसटीसी में 09 कर्मचारी हैं जो निःशक्त या दिव्यांग हैं।

18.8 केआईओसीएल लिमिटेड

31 दिसंबर 2021 तक, केआईओसीएल में 11 कर्मचारी हैं जो निःशक्त या दिव्यांग हैं।

18.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल एक सेवा संगठन है जो स्क्रैप प्रबंधन और संबद्ध जॉब में ग्राहक संयंत्रों को अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है। एफएसएनएल की प्रचालन गतिविधियां, सभी मौसमों में खुले क्षेत्र में संचालित की जाती हैं। साथ ही, एफएसएनएल द्वारा भारी उपकरण जैसे कि बॉलिंग क्रेन, मैग्नेटिक सेपरेटर, डोजर्स, डंपर्स आदि ऐसे भारी अर्थ मूविंग उपकरणों का उपयोग प्रचालन गतिविधियों के लिए किया जाता है। इस प्रकार, एफएसएनएल का माहौल/कामकाजी स्थिति दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल नहीं है और इसलिए ऐसी फील्ड नौकरियों के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति उनके लिए सुरक्षित नहीं है। जबकि, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, एफएसएनएल ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यकारी और गैर–कार्यकारी श्रेणियों में से प्रत्येक में तीन पदों, समूह–क और समूह–ग श्रेणियों के तहत नेत्रहीन निःशक्त (वीएच), श्रवण निःशक्त (एचएच) और अस्थि निःशक्त (ओएच) के लिए एक–एक की पहचान की है। इसके अलावा, स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजी को स्थापित करके कंपनी की वेबसाइट को दृष्टिबाधित लोगों हेतु प्रयोक्ता के अनुकूल बनाया गया है। कार्यालय परिसर में रैंप और रेलिंग की व्यवस्था की गई है और विशेष रूप से संशोधित/संगत शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।

अध्याय-19

हिन्दी में प्रगामी प्रयोग

19.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय ने संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा तैयार और जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2021–22 के दौरान सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग में काफी प्रगति की है।

19.1.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति : मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति काम कर रही है। यह समिति मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इस अवधि के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में हिंदी की प्रगति की समीक्षा की जाती है और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जाता है।

19.1.2 हिंदी सलाहकार समिति : हिंदी सलाहकार समिति केंद्रीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में काम करती है जिसका मुख्य कार्य, मंत्रालय को इसके सरकारी काम में हिंदी के प्रगामी उपयोग के संबंध में सलाह देना है। समिति का पुनर्गठन किया गया है तथा इस आशय का एक प्रस्ताव 11 अक्तूबर, 2021 को जारी किया गया था।

19.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का कार्यान्वयन : भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3), के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाते हैं। क्षेत्र ''क'', ''ख'' और ''ग'' में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय में विभिन्न जांच बिन्दु तैयार किए गए हैं।

19.1.4 हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा

सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु 14 सितंबर, 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय इस्पात मंत्री और माननीय इस्पात राज्य मंत्री द्वारा अपील जारी की गई थी। मंत्रालय में 1 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान, सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु पांच हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता के साथ–साथ माह के दौरान एक 'हिंदी कार्यशाला' और 'हिंदी संगोष्ठी' का भी आयोजन किया गया। ये सभी कार्यक्रम वर्चुअल रूप से आयोजित किए गए थे। इन प्रतियोगिताओं में कुल 46 अधिकारियों कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

19.1.5 हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए नकद पुरस्कार योजना : इस्पात मंत्रालय के तहत इस्पात से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक किताबें लिखने के लिए नकद पुरस्कार योजना जारी है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार क्रमशः 25,000 रुपए, 20,000 रुपए और 15,000 रुपए का है। इस योजना का उद्देश्य लेखकों को हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

19.1.6 मंत्रालय/संसदीय राजभाषा समिति के अधिकारियों द्वारा राजभाषा निरीक्षण : संसदीय राजभाषा समिति ने 15.04.2021 को आरआईएनएल, गाजियाबाद का निरीक्षण किया और बैठक में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व था। उन कार्यालयों में राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग का जायजा लेने हेतु मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सीपीएसई के निरीक्षण की योजना बनाई गई है।

19.1.7 हिंदी कार्यशालाएं

मंत्रालय में नियमित अंतराल पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। 22.09.2021 को 'कंठस्थ के प्रयोग में आने वाली समस्याएं और उनका समाधान' पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में मंत्रालय के अधिकारियों और सीपीएसयू के राजभाषा अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

19.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- सेल ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर बल देना जारी रखा है। राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए, सेल द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दैनिक सरकारी कामकाज में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए सेल के कर्मचारियों को मासिक हिंदी प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। "**आज का शब्द**" और "**आज का विचार**" सेल पोर्टल पर दैनिक आधार पर उपलब्ध है।
- सेल के कंप्यूटर यूनिकोड सक्षम हैं और कर्मचारियों को दिन–प्रतिदिन के आधिकारिक कार्य हिंदी में करने हेतु उनके कौशल में सुधार करने के लिए समय–समय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के बीच हिंदी को लोकप्रिय बनाने हेतु हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- सेल निगम कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा 14 से 28 सितंबर, 2021 तक राजभाषा पखवाड़ा आयोजित किया गया था। विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं जैसे सचित्र अभिव्यक्ति, संस्मरण लेखन, कविता पाठ, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, श्रुतलेख और निबंध लेखन, "स्वतंत्रता संग्राम से आधुनिक भारत तक – हिंदी की प्रकृति और महत्व" पर कार्यशाला के केंद्र मेंन "आजादी का अमृत महोत्सव" को रखा गया था।

19.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में की गई पहलें और प्राप्त सम्मान इस प्रकार हैं :

- **प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं :** हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्रज्ञा पाठयक्रमों के तहत 163 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 57 कर्मचारियों को यूनिकोड के माध्यम से हिन्दी में कम्प्यूटर पर कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। 471 कर्मचारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से मुख्यालय, खानों, क्षेत्रीय / शाखा बिक्री कार्यालयों / संपर्क कार्यालयों और सहायक कंपनियों में आयोजित अभ्यास आधारित हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया।
- **निरीक्षण :** उक्त अवधि के दौरान मुख्यालय में 31 विभागों और 3 क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा बिक्री कार्यालय, पटना, हैदराबाद और आरओ (उत्तर), नई दिल्ली का भौतिक निरीक्षण किया गया और 13 बीएसओ नामतः भुवनेश्वर, इंदौर, चंडीगढ़, कोच्चि, जयपुर, देहरादून, कोयंबटूर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कानपुर, लुधियाना, पुणे और बैंगलोर का ऑनलाइन निरीक्षण किया गया। इस्पात मंत्रालय द्वारा शाखा बिक्री कार्यालय, इंदौर; संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा शाखा बिक्री कार्यालय, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त सुझावों/सिफारिशों का अनुपालन किया गया।
- **प्रकाशन :** त्रैमासिक हिंदी आंतरिक पत्रिका 'सुगंध' के दो अंक प्रकाशित हुए।

19.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने अपने मुख्यालयों, परियोजनाओं और इकाइयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने और उसका अनुपालन करने के अपने प्रयासों को प्रभावी तरीके से जारी रखा।

- कोविड–19 महामारी के मद्देनजर सभी सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए टीम के ऐप के माध्यम से पारंगत हिंदी प्रशिक्षण जारी रहा। वर्ष के दौरान मुख्यालय और विभिन्न परियोजनाओं में प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का ऑनलाइन आयोजन किया गया। मुख्यालयों के साथ–साथ परियोजनाओं में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें ऑनलाइन आयोजित की गईं।
- एनएमडीसी मुख्यालय में डिजिटल मोड के माध्यम से हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। परियोजनाओं में भी हिन्दी सप्ताह/पखवाड़े/माह के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- मुख्यालय की राजभाषा गृह पत्रिका "खनिज भारती" का प्रकाशन किया गया। परियोजनाओं से विभिन्न हिंदी/द्विभाषी/त्रिभाषी पत्रिकाओं जैसे बैला समाचार, बचेली समाचार, दोनी समाचार, हीरा समाचार का भी प्रकाशन किया गया। किरंदुल परियोजना से "सर्जन" और "तकनीकी क्षितिज" पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं।
- बैलाडीला लौह आयरन खदान, किरंदुल कॉम्प्लेक्स, बचेली कॉम्प्लेक्स, हीरा खनन परियोजना, पन्ना और एसआईयू, पलोनचा में राजभाषा तकनीकी संगोष्ठी आयोजित की गई।
- हीरा खनन परियोजना, पन्ना ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक के रूप में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया।

19.5 मॉयल लिमिटेड

- मॉयल लिमिटेड की मॉयल भारती पत्रिका को हिंदी पखवाड़ा 2021 के अवसर पर माननीय गृह मंत्री द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- सभी खदानों सहित मॉयल लिमिटेड में अधिकतम पत्राचार हिंदी में किया जाता है और सभी प्रोसेसर में 97 प्रतिशत यूनिकोड प्रणाली लागू की गई है। कंपनी ने सभी कंप्यूटर सिस्टम में हिंदी से संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 में निहित प्रावधानों को प्रोत्साहित करने के लिए, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, स्वच्छता अभियान, कौमी एकता दिवस और सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर विभिन्न प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
- हिंदी कार्यशालाएं, काव्य गोष्ठी और राजभाषा संगोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं।

19.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन अपने सरकारी कामकाज में, भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन, प्रभावी तरीके से कर रहा है। यह राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। इस काम के लिए, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। मेकॉन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रांची का महत्वपूर्ण सदस्य है और सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

19.7 एमएसटीसी लिमिटेड

राजभाषा निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया है। कार्यालय में आंतरिक रूप से विकसित ई–कार्यालय सॉफ्टवेयर द्विभाषी रूप में डिजाइन किया गया है और यह पीडीएफ के माध्यम से द्विभाषी नोट शीट जारी करने हेतु पर्याप्त सुविधा प्रदान करता है। राजभाषा प्रोत्साहन योजना हेतु आंतरिक रूप से एक द्विभाषी ई–प्रपत्र विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से राजभाषा प्रोत्साहन प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया गया है। वित्तीय वर्ष में राजभाषा निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया है।

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों में शामिल हैं :

- एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में "**ई-राजभाषा त्रिमास-2021**" का आयोजन ऑनलाइन किया गया। इस दौरान मुख्यालय, क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में हिंदी टाइपिंग, नोटिंग एवं ई–मेल प्रतियोगिताएं तथा राजभाषा का महत्व एवं आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारगंत प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों का नामांकन।
- वार्षिक सतर्कता पत्रिका 2021–22 का हिन्दी में प्रकाशन किया गया है।
- राजभाषा प्रकोष्ठ ने सभी कर्मचारियों के लिए कार्यालय के काम में हिंदी के उपयोग हेतु कार्यालय 365 के उपयोग को बढ़ावा दिया और देवनागरी कीबोर्ड वितरित करने के साथ–साथ प्रेरण प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

19.8 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल के राजभाषा विभाग को राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वर्ष के दौरान, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के वार्षिक कार्यक्रम, 2021–22 के लक्ष्य के अनुसार राजभाषा विभाग ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों, कार्यशालाओं का आयोजन और राजभाषा निरीक्षण आयोजित किया।

राजभाषा विभाग ने हिंदी पखवाड़ा, 2021 के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए ऑनलाइन विधि के साथ–साथ ऑफलाइन विधि के माध्यम से विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों के सभी समूहों ने भाग लिया। केआईओसीएल लिमिटेड, मंगलुरु की पेलेट प्लांट यूनिट द्वारा एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें केआईओसीएल कर्मचारियों के साथ टीओएलआईसी, मंगलुरु के सदस्य कार्यालयों के प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संस्थान में हिन्दी में मूल कार्य हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की गई है तथा इस वर्ष कुल 38 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

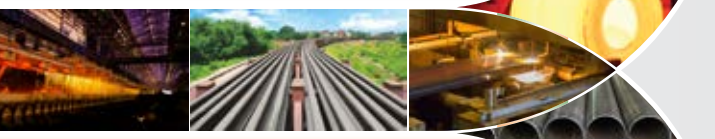

केआईओसीएल लिमिटेड 'श्रीगंधा' की ई–पत्रिका तिमाही आधार पर प्रकाशित की गई थी और इसे ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किया गया था। ई–पत्रिका का लिंक ई–पुस्तकालय खंड के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइट और राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के वेब–पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया था।

वर्ष के दौरान निगम कार्यालय, बेंगलुरु के कर्मचारियों को ऑनलाइन विधि के माध्यम से संचालित नियमित कक्षाओं के लिए नामित किया गया था और पेलेट प्लांट यूनिट, मंगलुरु के कर्मचारियों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी शिक्षण योजना के पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए नामित किया गया था।

19.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में समय–समय पर जारी सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाता है। राजभाषा के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ब्यूरो प्रमुखों के लिए "सेवा संकल्प सम्मान" कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- कर्मचारियों को 01 सितंबर, 2021 को "राजभाषा शपथ" दिलाकर "राजभाषा माह" की शुरुआत हुई। कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ–साथ इकाइयों में कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, पर्यावरण और गुणवत्ता पर 23 सितंबर, 2021 को "राजभाषा तकनीकी" कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा की भूमिका पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। प्रतिभागियों के लिए हिंदी सुंदर हस्तलेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।
- हिंदी में टेलीफोन निर्देशिका, त्रिभाषी निर्देशिका और तकनीकी निर्देशिका का उद्घाटन 24 नवंबर, 2021 को किया गया।
- संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर 2021 को राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया।

19.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

कंपनियां अर्थात् ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी, राजभाषा अधिनियम के अनुसार श्रेणी 'ग' क्षेत्र में स्थित है। कंपनी ने कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता और उपयोग बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। कंपनी ने निबंध लेखन, हिंदी कविताओं के पाठ और हिंदी अनुवाद पर प्रतियोगिताओं के आयोजन और पुरस्कार वितरण के माध्यम से ''हिंदी पखवाड़ा'' मनाया जिसमें कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कंपनियां हिंदी के उपयोग और प्रचार के लिए राजभाषा अधिनियम के निर्देशों के तहत कदम उठाना सुनिश्चित कर रही है। द्विभाषी बोर्ड और विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यालय में ''राजभाषा शिक्षण बोर्ड'' की स्थापना की गई है ताकि कर्मचारियों को हर दिन नए शब्दों से अवगत कराया जा सके। कक्षाओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों के लिए "प्रवीण, प्राज्ञ और पारगंत" परीक्षा आयोजित की गई है और 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और तदनुसार, केंद्र सरकार ने 01.03.2017 को राजभाषा अधिनियम के नियम 10 के उप–नियम (4) के तहत ओएमडीसी और बीएसएलसी को अधिसूचित कर दिया है। ओएमडीसी और बीएसएलसी पहले से ही राजभाषा वेबसाइट पर पंजीकृत है और त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से ऑनलाइन भेजी जा रही है। कंपनी की वेबसाइट हिंदी में पहले से ही अद्यतन है।

अध्याय-20

महिला सशक्तिकरण

20.1 इस्पात मंत्रालय

भारत के सर्वाच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में अगस्त, 1997 में अपने फैसले में कार्य के संबंध में महिलाओं की लिंग समानता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और मानदंडों को मान्यता दी और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को, उनकी गरिमा के खिलाफ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 का उल्लंघनकारी बताया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी नियोक्ता, चाहे वह सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में हों, उन्हें यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। तंत्र के एक भाग के रूप में, संगठन के बाहर के प्रतिनिधियों के साथ एक शिकायत समिति (कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न) का गठन किया गया था।

दिनांक 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, इस्पात मंत्रालय में 32 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल जनशक्ति का 16.84 प्रतिशत है।

उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देषों का पालन करते हुए इस्पात मंत्रालय ने महिला कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने और उन्हें संबोधित करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की। 01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान समिति को कोई शिकायत नहीं मिली।

20.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

दिनांक 01.01.22 की स्थितिनुसार, सेल में तकनीकी और गैर–तकनीकी दोनों क्षेत्रों में 3738 महिला कर्मचारी हैं। इनमें चिकित्सा, परा–चिकित्सा सेवाओं और शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रबंधकीय, तकनीकी (इंजीनियर) क्षमता वाली महिलाएँ हैं। कंपनी चयन, भर्ती और नियोजन या पदोन्नति स्तरों पर महिला और पुरुषों, दोनों को समान अवसर प्रदान करती है।

लिंग भेद के बिना सभी कर्मचारियों के लिए करियर विकास हेतु समान अवसर मुहैया कराना ही सेल की अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास की नीति की पहचान है। उच्चतर पदों पर महिलाओं की बढ़ती संख्या इस तथ्य की पुष्टि करती है।

कंपनी की प्रशिक्षण नीति में प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण के माध्यम से महिला कर्मचारियों सहित उसके सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास की जरूरतों का ध्यान दिया जाता है। महिला कर्मचारियों पर उनके करियर के उन्नयन और नौकरी की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में विशेषीकृत/तकनीकी/प्रबंधकीय प्रशिक्षण संबंधी प्रभावन के लिए विचार किया जाता है।

महिला कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ : जहां महिला कर्मचारियों को तकनीकी और गैर–तकनीकी क्षेत्रों में तैनात किया गया है, उन सभी स्थानों पर अलग–अलग शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। कंपनी के संयंत्रों और इकाइयों में सभी कर्मचारियों के लिए वॉशरूम, कैंटीन आदि उपलब्ध हैं। सभी कर्मचारियों विशेषकर महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। कंपनी के वैधानिक अनुपालन को महिला कर्मचारियों के लिए अपनी नीतियों में भी परिलक्षित किया जाता है, जैसे कि प्रसूति छुट्टी, बाल संरक्षण अवकाश आदि के लाभ।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम : कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समितियों का गठन कार्य स्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संदर्भ में हमारे संयंत्रों/इकाइयों में किया गया है और समिति की संरचना को संबंधित संयंत्रों/इकाइयों के मौजूदा इंट्रानेट/वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

महिला कल्याण : सेल ने समाज में महिलाओं के अधिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। इन गतिविधियों में बालिकाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रमों, स्वास्थ्य देखभाल पर जागरूकता कार्यक्रम, परिवार नियोजन, प्रसवपूर्व सेवाओं, एड्स नियंत्रण पर सूचनाप्रद कार्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन है। सेल संयंत्रों और इकाइयों में भी महिला समितियां सामाजिक मुद्दों आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगार, शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर होने के लिए सहायता, जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होने आदि के बारे में जागरूकता पहल में शामिल हैं।

20.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में महिला कर्मचारी इसके कुल कर्मचारियों की संख्या का 3.35 प्रतिशत है। लगभग 6.50 प्रतिशत अधिकारी और 1.79 प्रतिशत गैर–कार्यकारी महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारी विभिन्न और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रचालन और परियोजना के अतिरिक्त पारंपरिक कार्य जैसे कि मानव संसाधन, वित्त, स्वास्थ्य सेवाएं आदि में काम कर रही हैं।

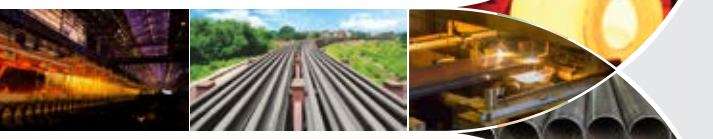

आरआईएनएल, स्कोप (एससीओपीई) के तत्वावधान में गठित सार्वजनिक क्षेत्र (डब्ल्यूआईपीएस) में महिला फोरम के स्थानीय प्रकोष्ठ के माध्यम से महिलाओं के कार्यबल को संघटित करने में सहायता प्रदान करता है। यह प्रकोष्ठ महिला कर्मचारियों के विकास के लिए कई गतिविधियों का आयोजन कर रही है जिसमें महिलाओं के रोजगार से संबंधित मुद्दों पर अपने कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए प्रबंधकीय विकास, नेटवर्किंग और सामाजिक कौशल सहित कार्यक्रम शामिल हैं।

20.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड ने 343 महिलाओं को रोजगार दिया, जो 5464 (दिनांक 31.12.2021 की स्थितिनुसार) की कुल श्रमशक्ति का लगभग 6.3 प्रतिशत है। कंपनी द्वारा सभी लिंगों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, चाहे वह चयन, भर्ती, नियुक्ति या पदोन्नति हो। उच्चतर पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।

मुख्यालय और परियोजनाओं में अलग वॉशरूम, रेस्ट रूम आदि जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। एनएमडीसी स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन आदि में जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण के लिए महिला कर्मचारियों को प्रायोजित कर रही है, कंपनी के सभी वैधानिक दायित्व महिला कर्मचारियों के लिए इसकी नीतियों में परिलक्षित होते हैं।

सभी परियोजनाओं में डब्ल्यूआईपीएस प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

20.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में 822 महिला कर्मचारी हैं, जो 31.12.2021 को इसके 5802 के कुल कार्यबल का 14.16 प्रतिशत है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, यौन उत्पीड़न के तहत प्राप्त मामलों से निपटने के लिए कंपनी में एक यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों के नाम कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.moil.nic.in पर अपलोड किए गए हैं। कंपनी की सभी खदानों में महिला मंडल प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शिक्षाप्रद और सामुदायिक गतिविधियां, जैसे वयस्क शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र परिसर, परिवार नियोजन आदि, ज्यादातर दूरस्थ खदान क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लाभ के लिए नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।

20.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन में महिला कर्मचारियों की शिकायत या शिकायतों की जाँच करने के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक की अध्यक्षता में एक आंतरिक शिकायत समिति है। मेकॉन मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा समय–समय पर महिला सशक्तिकरण के संबंध में जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का भी पालन करता है। इसके अलावा, समय–समय पर महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मेकॉन में महिला कर्मचारियों की संख्या 105 है जो कुल कर्मचारियों का 9 प्रतिशत है।

20.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) का एक कॉर्पोरेट आजीवन सदस्य है। वर्ष के दौरान, डब्ल्यूआईपीएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कई महिला कर्मचारियों को नामित किया गया था। एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत समितियां सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। कंपनी द्वारा समय–समय पर बैठकें और शिकायत निवारण, जागरूकता कार्यक्रम आदि का यथोचित संचालन किया जाता है।

कार्यानुकूल माहौल प्रदान करने और महिला कर्मचारियों की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए कंपनी के पास इस तरह के आक्रामक कृत्यों की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नीति है। नीति को कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकने के लिए लागू किया गया था। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षणार्थी) इस नीति के तहत आते हैं।

20.8 केआईओसीएल लिमिटेड

कंपनी द्वारा महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए वेतन, काम के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के पहलुओं, मातृत्व लाभ आदि जैसे सभी आवश्यक उपाय/वैधानिक प्रावधानों का अनुसरण किया जा रहा है। दिनांक 31.12.2021 तक महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 23 है।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन प्रावधानों/अपेक्षाओं के अनुपालन में, यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों से निपटने के लिए बेंगलुरु, मंगलुरु और कुद्रेमुख इकाइयों में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया था। शिकायत समिति में पीठासीन अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ स्तर की

महिला कार्यपालक, एक पुरुष कर्मचारी और सदस्य के रूप में एक महिला कर्मचारी और गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) से एक महिला प्रतिनिधि शामिल हैं।

महिलाओं का एक मंच – सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाएं (डब्ल्यूआईपीएस) केआईओसीएल में काम कर रही हैं और अधिकांश महिला कर्मचारी उक्त फोरम की सदस्य हैं। केआईओसीएल डब्ल्यूआईपीएस का एक आजीवन सदस्य है।

20.9 फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल की महिला कर्मचारियों को सभी गतिविधियों में समान महत्व दिया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनके कौशल, योग्यता और सफलता के लिए मान्यता दी जाती है। विभिन्न समितियों जैसे यौन उत्पीड़न निवारण समिति आदि में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व हमेशा सुनिश्चित किया जाता है। एफएसएनएल की कार्य संस्कृति महिला कर्मचारियों के लिए काफी अनुकूल है। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार संगठन में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 11 है, जो कुल कर्मचारियों का 1.87 प्रतिशत है।

20.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ओएमडीसी और बीएसएलसी लैंगिक समानता को महत्व देना जारी रखते हैं और ये कंपनियां समान अवसर प्रदान करने वाली नियोक्ता हैं और लिंग के मामले में अंतर नहीं करती हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार ओएमडीसी की कुल जनशक्ति 257 है, जिसमें से कुल महिला कर्मचारी 14 (5.44 प्रतिशत) हैं।

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार बीएसएलसी की कुल जनशक्ति 513 है, जिसमें से कुल महिला कर्मचारी 46 (8.96 प्रतिशत) हैं।

अध्याय-21

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

21.1 प्रस्तावना

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), की धारा 135 अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए विस्तृत ढाँचा प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 135 सीएसआर से संबंधित प्रावधानों की गणना करती है, अधिनियम की अनुसूची VII कंपनी द्वारा किए जाने वाले सक्षम सीएसआर से सम्बंधित गतिविधियों की ओर इंगित करती है और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 उस तरीके को निर्धारण करता है, जिसके अंतर्गत कंपनियाँ अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन करेंगी।

लोक उद्यम विभाग ने 10.12.2018 को प्रशासनिक मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को सीपीएसई द्वारा सीएसआर के व्यय पर प्रति वर्ष विषयवस्तु आधारित केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए सभी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान भी है कि निर्दिष्ट सीमा से अधिक के सीपीएसई; जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट है, को सीएसआर से सम्बंधित गतिविधियों के लिए तीन तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ (पीबीटी) का कम से कम 2% आवंटित करना होगा। ऐसे विषयगत कार्यक्रमों के लिए सीएसआर का व्यय सीपीएसई के वार्षिक सीएसआर के व्यय का लगभग 60% होना चाहिए और नीति आयोग द्वारा चिह्नित आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जा सकती है।

इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत, सीपीएसई द्वारा सीएसआर पर किए गए व्यय में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थायी आय सृजन, दिव्यांगों के लिए सहायता, जल एवं स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, ग्राम विकास, पर्यावरण पोषण, खेल प्रशिक्षण, पारंपरिक कला और संस्कृति आदि को प्रोत्साहन देना सम्मिलित हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने दिनांक 12.05.2021 को सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई को ''स्वास्थ्य और पोषण'' को अनुमोदित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसमें वर्ष 2021–22 के लिए, सीपीएसई द्वारा सीएसआर सम्बंधित गतिविधियाँ आरंभ करने के लिए सामान्य विषय के रूप में अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना सहित, कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सीएसआर के अंतर्गत, राशियों के आवंटन और व्यय का विवरण अनुलग्नक XIV में उपलब्ध है।

21.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल के सीएसआर के पहलें, कंपनी अधिनियम, 2013 के सीएसआर प्रावधानों (धारा 135), इसकी अनुसूची–VII, सीएसआर नियम, 2014 और कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुरूप कार्यान्वित किया जाता है। सेल के सीएसआर परियोजनाओं को मुख्य रूप से अनुसूची–VII के अनुरूप आने वाले प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् शिक्षा एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन, दिव्यांगों को सहायता (विशेष क्षमताओं वाले लोग), जल एवं स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, ग्राम विकास, पर्यावरण पोषण, खेल प्रशिक्षण, पारंपरिक कला और संस्कृति को प्रोत्साहन आदि में इस्पात नगरी और खदानों की परिधि में निष्पादित किया जाता है।

सेल के सीएसआर उपक्रम:

कोविड-19 की प्रतिक्रिया में: सेल ने महामारी के दूसरी लहर के दौरान, कोविड–19 का सामना करने के अपने प्रयास में देश के विभिन्न राज्यों को एक लाख मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) की आपूर्ति की है।

पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थलों, अर्थात् बोकारो, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बर्नपुर में सेल के अस्पतालों को कोविड देखभाल सुविधाओं के रूप में चिह्नित किया गया। बोकारो जनरल अस्पताल को समर्पित कोविड अस्पताल के रूप में चिह्नित किया गया और महामारी के दूसरी लहर के दौरान कोविड रोगियों का उपचार किया गया। कोविड–19 के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ लगभग 1000 बिस्तरों और मामलों में वृद्धि को देखते हुए वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ 129 आईसीयू वाले बिस्तरों को समर्पित किया गया।

इसके एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थलों पर स्थित समर्पित पाइपलाइनों के माध्यम से संयंत्रों से सीधे गैसीय ऑक्सीजन से सुसज्जित विशाल कोविड देखभाल सुविधाएँ उपलब्ध करायी गई हैं:

संयंत्रों/इकाइयों में स्थापित विशाल कोविड सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है:

सेल के इस्पात संयंत्र	मौजूदा/स्थापित बिस्तरों की संख्या
भिलाई इस्पात संयंत्र	114
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	200
राउरकेला इस्पात संयंत्र	100*
बोकारो इस्पात संयंत्र	500
आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र	200

* 400 अतिरिक्त ऑक्सीजन पॉइंट्स का प्रावधान किया गया

सेल इस्पात संयंत्र के परिसर में विकसित 500 बिस्तरों वाले कोविड सुविधा को भी सहायता प्रदान की गई।

परीक्षण की सुविधाएँ: सेल के अस्पतालों ने संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से आरएटी, आरटीपीसीआर, टीआरयू–एनएटी, जैसी कोविड–19 परीक्षण की सुविधाएँ भी विकसित की हैं, जहाँ पर आसपास के लोगों का नियमित परीक्षण किया जा रहा है।

टीकाकरण अभियान: राज्य प्राधिकरणों के सहयोग से संयंत्रों/इकाई के अस्पतालों द्वारा नामांकित केंद्रों पर कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया है। सेल के अस्पतालों ने एचसीडब्ल्यू, एफएलडब्ल्यू, सीएल आदि का भी टीकाकरण किया है।

समाज के कमजोर वर्गों, दैनिक वेतन भोगियों/श्रमिकों, निर्धन किसानों और उनके परिवारों का सहयोग करने के लिए जिनको महामारी के दौरान घटते संसाधनों के साथ छोड़ दिया गया था, सेल के संयंत्रों और इकाइयों ने जिला अधिकारियों के साथ निकट समन्वय करके और उनके सहयोग से सूखे राशन के पैकेट (चावल, दाल, नमक, मसाले, गेहूं का आटा, साबुन आदि सहित), दूध के पैकेट, दूध पाउडर, खिचड़ी, नियमित दवाएँ, महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन आदि वितरित किए। रोगियों और स्वास्थ्य कर्मियों को दैनिक पका हुआ भोजन भी परोसा गया। सेल संयंत्र/इकाईयाँ भी रोगियों और स्वास्थ्य कर्मियों को उनके गंतव्यों तक पहुँचा रहे थे। सीएसआर विभागों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से फेस मास्क, गमछा, एप्रन, दस्ताने आदि की सिलाई और आसपास के क्षेत्रों, जिला अधिकारियों आदि को उनके वितरण की सुविधाएँ प्रदान की। सीएसआर के अंतर्गत, ग्रामीण स्थानों पर जागरूकता अभियान और सफाई/स्वच्छता अभियान भी चलाए गए।

सेल ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत (पीएम केयर्स) कोष और छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष/कोविड–19 कोष में योगदान दिया।

सेल अपने संयंत्रों में सीएसआर के अंतर्गत, विभिन्न कार्यक्रमों और केन्द्रों को सहायता प्रदान करता है, जैसे कि 'नेत्रहीन, बधिर और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल', 'होम एंड होप' राउरकेला, 'आशालता केंद्र', बोकारो, 'विकलांग उन्मुख शिक्षा कार्यक्रम' और 'दुर्गापुर हैंडीकैप्ड हैप्पी होम', दुर्गापुर और 'चेशायर होम' बर्नपुर।

स्वास्थ्य सेवा: अभावग्रस्तों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए विभिन्न गांवों में संयंत्रों/इकाइयों, खदानों और दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए निर्धारित दिनों में नियमित स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविरों और 5 सचल चिकित्सा इकाइयों ने वित्त वर्ष 2021–22 (तीसरी तिमाही तक) के दौरान, लगभग 40,600 ग्रामीणों को उनके घरों के दरवाजों पर लाभान्वित किया है। संयंत्रों के 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने वित्त वर्ष 2021–22 (तीसरी तिमाही) के दौरान, विशेष रूप से लगभग 70,000 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएँ और औषधियाँ प्रदान की।

शिक्षा: शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास करने के लिए, सेल इस्पात नगरी में 40,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाले लगभग 77 स्कूलों को सहयोग प्रदान कर रहा है और लगभग 62,000 छात्रों वाले भिलाई और राउरकेला के 600 से अधिक सरकारी स्कूलों को अक्षय पात्र फाउंडेशन की सहायता से मध्याह्न भोजन और सूखा राशन किट प्रदान करके सहायता कर रहा है। एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थलों में बीपीएल श्रेणी के लगभग 4478 छात्रों को जूते, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आइटम, स्कूल बैग और पानी की बोतल आदि सुविधाओं सहित, निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, वर्दी जैसी सुविधाओं द्वारा लाभान्वित करने वाले 20 विशेष स्कूल (कल्याण एवं मुकुल विद्यालय) सीएसआर के अंतर्गत चल रहे हैं।

आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 540 से अधिक बच्चे सारंडा सुवन छात्रावास, किरिबुरु; आरटीसी आवासीय पब्लिक स्कूल, मनोहरपुर; ज्ञानोदय छात्रावास, बीएसपी स्कूल राजहरा, भिलाई; ज्ञानज्योति योजना, बोकारो आदि में निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन और वर्दी, पाठ्यपुस्तकें आदि प्राप्त कर रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण और सतत आय सृजन: वर्ष 2021–22 (तीसरी तिमाही) के दौरान, 63 युवा और 642 महिलाएँ नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एलएमवी ड्राइविंग, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डर, फिटर एवं इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण, उन्नत कृषि, मशरूम की खेती, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, अचार/पापड़/अगरबती/मोमबत्ती निर्माण, स्क्रीन प्रिंटिंग, हथकरघा, रेशम उत्पादन, सूत की बुनाई, दर्जीगिरी, सिलाई एवं कढ़ाई, दस्ताने, मसाले, तौलिए, बोरी तैयार करना, कम लागत वाले सेनेटरी नैपकिन, मिठाई के डब्बे, साबुन, धुआँ रहित चूल्हे तैयार करना आदि जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे हैं।

लगभग 357 युवाओं को आई.टी.सी. बोलानी, बड़गांव, बलियापुर, बोकारो प्राइवेट आईटीआई और राउरकेला आदि में आईटीआई प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है। बोलानी और बर्सुआ में स्थित आईटीआई को सेल द्वारा उन्नयन और संचालन के लिए गोद लिया गया है।

मॉडल स्टील विलेज (एमएसवी): देश भर के आठ राज्यों में 79 गाँवों को ''मॉडल स्टील विलेज'' के रूप में चिह्नित किया गया। इन गाँवों में किए गए विकास सम्बंधित गतिविधियों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, सड़कें और संयोजकता, स्वच्छता, सामुदायिक केंद्र, आजीविका सृजन, खेल सुविधाएँ आदि सम्मिलित हैं। इन एमएसवी में विकसित सुविधाओं का संचालन एवं रखरखाव नियमित रूप से किया जा रहा है।

21.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

वर्ष 2021–22 के दौरान, आरआईएनएल के कुछ प्रमुख सीएसआर उपक्रम निम्नलिखित हैं:

स्वास्थ्य एवं पोषण:

- बीपीएल परिवारों के स्कूल जाने वाले लगभग 1200 बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराकर कक्षा में भूख से निपटने के लिए पोषण सम्बन्धी सहायता।
- विजाग में स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई का ढाँचागत विकास।
- दो स्कूलों के छात्रों और महिला स्टाफ के सदस्यों की माताओं को होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (एचबीसीएचआरसी) के सहयोग से 160 माँ–बेटियों की जोड़ी को कैंसर निवारक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- संयंत्र के आसपास के गाँवों में चल रहे स्वास्थ्य देखभाल शिविरों के दौरान, महत्त्वाकांक्षी जिलों में कोविड–19 की सावधानियों पर जागरूकता बढ़ाई जाती है।
- प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और संक्रमण को रोकने के लिए विद्यालय के बच्चों को विस्टील महिला समिति के माध्यम से ''आयुषी किट'' का वितरण किया गया। सामुदायिक स्तर पर कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सब्जी/फल विक्रेताओं एवं ऑटो चालकों को कोविड रोकथाम किट भी वितरित किए गए। एक कल्याण गृह और शारीरिक रूप से परित्यक्त/बौद्धिक रूप से विकलांग बालगृह के लिए छत के पंखे, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, जैसी आवश्यक वस्तुओं का भी दान किया गया।

शिक्षा

- बीपीएल परिवारों (1600 छात्र) से सम्बंधित बच्चों को संयंत्र और खदान के आसपास स्थित गाँवों में शिक्षा प्रदान की गई है।
- अरुणोदय स्पेशल स्कूल बौद्धिक अपंगता, जैसे कि सीखने की अक्षमता, मानसिक विकास में कमी, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, श्रवण अक्षमता, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। विशेष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, संयंत्र के आसपास स्थित गाँवों के 115 छात्रों को स्कूल द्वारा शिक्षा, चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए नालंदा, बिहार में कंप्यूटर में आधारभूत प्रवीणता और बोले जाने वाले अंग्रेजी पर रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

कौशल विकास संस्थान के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण।

- विशाखापट्टनम जिले के वी. मदुगुला गाँव में एक सरकारी जूनियर कॉलेज के लिए विशेष मरम्मत का कार्य, एपी समग्र शिक्षा अभियान, विशाखापट्टनम के साथ आरंभ किया गया है।

कौशल विकास

- 30 से अधिक प्रशिक्षुओं के दूसरे बैच के लिए ट्रेड कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव (रिलेशनशिप सेंटर) में आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- कुष्ठ रोग/विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए 25 व्यक्तियों को एक वर्षीय आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि उन्हें अच्छी आजीविका कमाने के लिए सहयोग दिया जा सके और सशक्त बनाया जा सके।
- पटना, बिहार में 40 महिला कारीगरों को शिल्पकला में कौशल विकास प्रदान किया जाता है, ताकि नए/अभिनव डिजाइन पैटर्नों पर कौशल को बढ़ाया जा सके, बाजार की अंतर्दृष्टि विकसित की जा सके, बिक्री में सुधार किया जा सके और विपणन आयोजनों के माध्यम से भविष्य के लेनदेनों के लिए लिंकेज बनाया जा सके।

वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल

- इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पुलिस द्वारा इस्पात संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों के 30 स्थानों पर 90 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए मनाकोसम परियोजना आरंभ की गई है।
- गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश में 'गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम' में पौष्टिक भोजन, वस्त्र, आश्रय, चिकित्सा सुविधाओं के रूप में आवश्यक देखभाल के साथ 30 परित्यक्त और निराश्रित बुजुर्गों को एक वर्ष की अवधि के लिए गोद लिया।
- वृद्धजनों की जीवन शैली में सुधार लाने के उद्देश्य से दीघा, पटना (बिहार) में स्थित वृद्धाश्रम में 100 परित्यक्त एवं निराश्रित बुजुर्गों को एक वर्ष के लिए गोद लिया गया।

परिधीय/ ग्रामीण विकास

- जगय्यापेटा नगर पालिका में निर्मित बहु–उद्देशीय हॉल में अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

स्वच्छ भारत और स्वच्छता

- सफाई पखवाड़ा की गतिविधियों के अतिरिक्त, 2344 कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए 321 श्रमदान गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सफाई पखवाड़ा के निर्देशों के अनुरूप, 58 विभागों द्वारा कैलेंडर के अनुसार वर्ष भर चलने वाला स्वच्छता अभियान विभागवार चलाया गया।

21.4 एनएमडीसी लिमिटेड

कोविड-19 की प्रतिक्रिया में

- एनएमडीसी ने एनएमडीसी की परियोजना के आसपास स्थित गाँवों में पोस्टरों, बैनरों एवं होर्डिंगों प्रदर्शनों के माध्यम से कोविड के प्रति जागरूकता उत्पन्न किया।
- छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य सरकारों को शीत श्रृंखला (कोल्ड चैन) उपकरण के वितरण की सफल व्यवस्था की जिसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष में सही समय पर कोविड टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ करने के लिए खरीद की कार्यवाही की गयी।
- छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल, रायपुर और दुर्ग के जिलों, कर्नाटक के बेल्लारी, एम.पी. के पन्ना एवं डिंडोरी में कोविड–19 के उपचार हेतु उपकरणों के अधिग्रहण के लिए छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश के राज्य प्राधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान किया गया।
- एनएमडीसी रायपुर, छत्तीसगढ़ में एक समर्पित अस्थायी कोविड–19 देखभाल सुविधा केंद्र एवं अस्पताल स्थापित कर रहा है।
- पन्ना में एक अस्थायी कोविड–19 देखभाल सुविधा केंद्र की स्थापना में एमपी की सरकार के साथ साझेदारी की जा रही है।
- चार चिकित्सा ऑक्सीजन प्रेशर स्विंग ऐब्जॉर्पशन संयंत्रों की स्थापना; कर्नाटक इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (केआईएमएस), हुबली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक समर्पित कोविड देखभाल अस्पताल में दो प्रति संयंत्र।
- एनएमडीसी ने पीएम केयर्स फण्ड में योगदान दिया है।

शिक्षा

- अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना, ''एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना'' वर्ष 2008 से चलायी जा रही है और वर्ष 2021–22 के दौरान, 18000 तक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं।

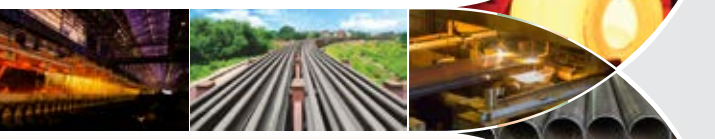

- एनएमडीसी बालिका शिक्षा योजना के अंतर्गत, चालू शैक्षणिक वर्ष, अर्थात 2021–22 के दौरान, अपोलो कॉलेज/स्कूल ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद में जीएनएम एवं बी.एससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में 40 लड़कियों को प्रायोजित किया गया है। एनएमडीसी द्वारा अब तक 418 छात्रों को नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए प्रायोजित किया जा चुका है।
- 2010 में नगरनार में आरंभ किया गया आवासीय विद्यालय भी पहली से बारहवीं कक्षा तक के लगभग 600 छात्रों के साथ सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।
- कर्नाटक में डोणिमलै परियोजना और उसके आसपास के 8000 ग्रामीण स्कूली बच्चों को सम्मिलित करते हुए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है और एनएमडीसी ने इस पहल को अपना समर्थन जारी रखा हुआ है।

स्वास्थ्य देखभाल

- वर्ष 2021–22 (दिसंबर तक) के दौरान, क्रमशः 38179 और 17877 स्थानीय आदिवासियों को निःशुल्क बाह्य रोगी और अंतः–रोगी उपचार सुविधा प्रदान की गई।
- एनएमडीसी ने कर्नाटक के बेल्लारी जिले के 120 गांवों को सम्मिलित करते हुए संदूर और हॉस्पेट तालुका में दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों पर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाली 10 सचल चिकित्सा इकाइयों के संचालन के लिए कर्नाटक सरकार के साथ भागीदारी की है, जिससे लगभग 1.5 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।

कौशल विकास और सतत आय सृजन

- नगरनार में वेल्डर और राजमिस्त्री के व्यवसायों में प्रत्येक वर्ष 28 छात्रों के प्रवेश के साथ आईटीआई का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
- भांसी में 5 व्यवसायों के साथ आईटीआई का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक वर्ष 179 छात्र प्रवेश लेते हैं। आईटीआई भांसी को क्रिसिल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी आईटीआई में प्रथम स्थान दिया गया है। 274 छात्रों को कैंपस सिलेक्शन मोड के माध्यम से देश भर की विभिन्न कंपनियों/संगठनों में सेवायोजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
- दंतेवाड़ा में दो विषयों, अर्थात इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के साथ स्थापित पॉलिटेक्निक कॉलेज का संचालन 126 छात्रों के प्रवेश के साथ सफलतापूर्वक किया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो छत्तीसगढ़ सरकार के किसी भी योगदान के बिना पूर्ण रूप से पीएसयू द्वारा संचालित है। पिछले तीन वर्षों में संस्थान से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले 350 से अधिक छात्रों में से 227 छात्रों को कैंपस चयन प्रणाली के माध्यम से देश भर के प्रतिष्ठित संगठनों/उद्योगों से सेवायोजन के प्रस्ताव मिले हैं।

एजुकेशन सिटी के परिसर में एनएमडीसी द्वारा स्थापित और संचालित दंतेवाड़ा का पॉलिटेक्निक कॉलेज।

उठाये गए कदम:

एनएमडीसी ने अपने वर्तमान प्रमुख उपक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के अतिरिक्त, अपने सीएसआर के अंतर्गत, कई नए उपक्रम आरंभ किए हैं। उनमें से कुछ उल्लेखनीय पहलें निम्न प्रकार से हैं:

- एनएमडीसी ने बस्तर डिवीजन के 6 जिलों के स्वास्थ्य केन्द्रों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के सुविधा की स्थापना एवं सौर मातृत्व एवं मातृ देखभाल किट उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भागीदारी की है।

- जिला चिकित्सालय, दंतेवाड़ा में आश्रय–स्थलों का निर्माण एवं परिचारिकाओं के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- बस्तर डिवीजन में बच्चों और किशोरियों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में कुपोषण और रक्ताल्पता (एनीमिया) के प्रसार को कम करने के लिए वित्तीय सहायता।
- बीजापुर के उच्च एपीआई (एनिमल पैरासाइट इंडेक्स) वाले 94 गांवों में 115 हैंडपंपों की ड्रिलिंग एवं स्थापना।
- एनएमडीसी ने एनएमडीसी परियोजनाओं के आसपास रहने वाले 60 आदिवासी युवाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के कौशल में एक कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें उन्हें उपकरण/ओटी/डायलिसिस/ब्लड बैंक/ईसीजी/ईईजी/वार्ड तकनीशियन आदि के संचालन से संबंधित कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

21.5 मॉयल लिमिटेड

कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक सीएसआर नीति तैयार की है। सीएसआर के अंतर्गत, कई योजनाएं आरंभ की गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं।

- मॉयल अपनी शिक्षा और कौशल विकास के उपक्रम में स्कूलों को सहयोग दे रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र के भंडारा जिला और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला के दो–दो स्कूल। दोनों जिलें भारत के पिछड़े जिलों में आते हैं। स्कूल उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जो आसपास के गांवों के निवासी हैं और ज्यादातर निर्धन परिवारों से आते हैं।
- कंपनी ने नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और मिड वाइफ कोर्स में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए 15 लड़कियों को प्रायोजित किया है। यह परियोजना अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद के सहयोग से आरंभ की जा रही है। सभी छात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं।
- कंपनी ने वर्ष के दौरान, स्वास्थ्य और पोषण के अंतर्गत कुछ पहलें आरंभ किया है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के चार जिलों में कोविड देखभाल सुविधाएँ खोलना सम्मिलित है। सीएसआर के अंतर्गत, कंपनी का महाराष्ट्र के नागपुर जिले में दो ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इसी प्रकार से, सरकारी जिला अस्पताल, बालाघाट (म.प्र.) और भंडारा (महाराष्ट्र) को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध किए जाने का प्रस्ताव है।
- कंपनी ने बालाघाट जिले (म.प्र.) के 11 गाँवों, भंडारा जिले के 3 गाँवों और महाराष्ट्र के नागपुर जिले के 8 गाँवों सहित, 22 गाँव चिह्नित की है।

मॉयल लिमिटेड द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण।

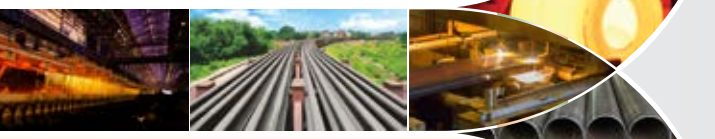

- कंपनी ने ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को भी हाथ में लिया है जिसमें सामुदायिक हॉल का निर्माण, स्कूल भवन का निर्माण आदि सम्मिलित हैं।

21.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन द्वारा की गई विकास सम्बन्धी प्रमुख गतिविधियाँ निम्न प्रकार से हैं:

- झारखंड के राँची और खूंटी जिले में मेकॉन द्वारा गोद लिए गए गाँवों के निर्धन/दलित/वंचित बच्चों के लिए और टाउनशिप स्कूल, रांची के पहुँच से बाहर के बच्चों के लिए "पोषण अभियान" चलाया गया है।
- डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ आदि की टीम के साथ मोबाइल एम्बुलेंस वैन में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निर्धन और वंचित रोगियों को निःशुल्क औषधियाँ प्रदान की गई। कोविड–19 महामारी के कारण फरवरी, 2021 और मार्च, 2021 के दौरान, केवल 10 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा सके, जिनमें लगभग 580 रोगियों को सम्मिलित किया गया।
- जिला प्रशासन, राँची के अनुरोध के अनुसार, राँची जिला (झारखंड) के विभिन्न प्रखंडों में एक सीएसआर परियोजना – सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों/एएनएम (सहायक नर्स एवं दाइयों) को डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर, डिजिटल बीपी मॉनिटर डिजिटल वजन मशीन (शिशु और वयस्क के लिए) से युक्त प्रसव–पूर्व डिजिटल किट, फीटोस्कोप प्रदान किया गया था और 68 स्वास्थ्य केंद्रों के लिए तद्नुसार व्यवस्था की गई थी।
- स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत, 22 प्री–फैब्रिकेटेड बायो–टॉयलेट के वार्षिक रखरखाव के लिए झारखंड में हजारीबाग और लोहरदगा जनपदों के एमएचआरडी स्कूलों में बयो–मीडिया किट (बैक्टीरिया) की खरीद और वितरण की गयी थी।
- झारखंड के खूंटी जिला के राँची शहर एवं निकटवर्ती गाँव–राय में वंचित बच्चों के लिए 7 सामुदायिक शिक्षा केंद्र संचालित करना।
- झारखंड के राँची शहर एवं उसके आसपास स्थित मलिन बस्ती/पिछड़े क्षेत्र और खूंटी जनपद के गोद लिए गए गाँव में चलाए जा रहे 7 सिलाई प्रशिक्षण केंद्रों में वंचित महिलाओं को निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन केंद्रों में प्रशिक्षित छात्रों की संख्या लगभग 50 है।
- गोद लिए गए गाँव–सुंगी, प्रखण्ड–कर्रा, जिला–खूंटी (झारखंड) के 10 युवकों (जिनमें से एक महिला है) को अगस्त 2021 को झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम, तातिसिलवाई, राँची में ''6–माह के वेल्डिंग तकनीशियन पाठ्यक्रम'' के लिए प्रायोजित किया गया।
- गोद लिए गए गांव–सुंगी, ब्लॉक–कर्रा और गांव–राय, पंचायत–फुदी, जनपद–खुंटी (झारखंड) के 7 युवक (जिनमें से दो महिलाएँ हैं) को सितंबर 2021 में हेहाल, रांची में स्थित 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी' में ''6–माह के मशीन ऑपरेटर (प्लास्टिक प्रोसेसिंग/इंजेक्शन मोल्डिंग) पाठ्यक्रम'' के लिए प्रायोजित किया गया।
- गोद लिए गए गांव–सुंगी, ब्लॉक–कर्रा, जिला–खूंटी (झारखंड) में अनाथालय–संग–छात्रावास में छात्रावास भवन का निर्माण किया गया और मार्च 2021 में उद्घाटन किया गया।
- मेकॉन ने अपने सीएसआर फंड से ''पूर्व सैनिक समुदाय और शहीदों के एनओके के कल्याण और पुनर्वास'' के लिए ''सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष'' में योगदान दिया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 'खेल और खेल गतिविधि' को प्रोत्साहित करने के लिए और ''फिट इंडिया मूवमेंट'' के हिस्से के रूप में, गोद लिए गांव–सुंगी, प्रखंड–कर्रा, जिला–खूंटी (झारखंड) के लड़कों और लड़कियों की टीम को हॉकी किट के 2 सेट और 2 सेट फुटबॉल किट वितरित किए गए।
- मेकॉन ने कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए ''झारखंड राज्य आपदा शमन कोष'' में योगदान दिया।
- मेकॉन के इस्पात अस्पताल अधिकतर कर्मचारियों के टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए में टीकाकरण अभियान चलाया गया।
- गोद लिए गए गांव में 'स्वच्छता पखवाड़ा' अभियान के अंतर्गत, 'जागरूकता कार्यक्रम एवं स्वच्छता अभियान' संचालित किया गया।

21.7 एमएसटीसी लिमिटेड

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान हुई क्षति के कारण पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ ऋणात्मक था जिसके परिणामस्वरूप शून्य सीएसआर बजट का आवंटन हुआ। यद्यपि कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, सीएसआर के लिए कोई बजट निर्धारित करने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता नहीं है, फिर भी वित्तीय वर्ष 2018–19 में कंपनी द्वारा आरंभ की गई लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सीएसआर समिति और निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर बजट का अनुमोदन कर दिया है जिसका उपयोग केवल उपर्युक्त परियोजनाओं के भुगतान जारी करने के उद्देश्य से किया जाएगा।

21.8 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल अपने सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रति वर्ष समाज के निर्धन एवं निर्बल वर्ग के उत्थान के लिए परियोजनाएँ आरंभ कर रहा है; विशेषकर अपनी परियोजनाओं के आसपास रहने वाले लोगों के लिए। कोविड–19 महामारी के दौरान, केआईओसीएल ने ऑक्सीजन जेनरेटर प्लांट, एम्बुलेंस आदि प्रदान करके पर्याप्त योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, केआईओसीएल ने समाज के आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग को कोविड–19 महामारी से बचाने में सहायता करने के लिए बड़ी संख्या में फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर नियमित रूप से बेंगलुरु और मंगलुरु में वितरित किए हैं।

केआईओसीएल समाज के आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए पिछड़े गाँवों में शौचालयों, स्कूलों का निर्माण/नवीनीकरण भी कर रहा है।

21.9 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

कंपनी ने सीएसआर और निरंतरता नीति अपनाई है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2.0% व्यय करती है। सीएसआर बजट का कम से कम 75% उन गतिविधियों के लिए निर्धारित किया जाता है जिन्हें परियोजना मोड में लागू किया जाएगा, और अधिकतम 20% तक अन्य गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाएगा। सीएसआर समिति (बोर्ड स्तर की समिति) बोर्ड को सीएसआर और निरंतरता गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि की अनुशंसा करती है। बजटीय आवंटन को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सभी सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों को बोर्ड स्तर की समिति, अर्थात सीएसआर निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है और तत्पश्चात निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

21.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

चूंकि पिछले तीन वर्षों का औसत पीबीटी नकारात्मक(–) है, इसलिए वर्ष 2020–21 के लिए ओएमडीसी और बीएसएलसी द्वारा सीएसआर का कोई बजट आवंटित नहीं किया गया। फिर भी, 2021–22 के दौरान, सीएसआर गतिविधियों का निष्पादन करने के लिए ओएमडीसी द्वारा रु. 12.95 लाख की राशि को आगे स्थानांतरित किया गया।

अस्पताल की सुविधाएँ प्रदान करना - ओएमडीसी ठकुरानी और रोइडा के खदानों में दो अस्पताल–संग–औषधालय केंद्रों का संचालन करता है। बीएसएलसी अपने खनन गतिविधियों के आसपास के गाँवों में रहने वाले सभी कर्मचारियों और लोगों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए बीरमित्रपुर के खदानों में एक अस्पताल का संचालन करता है।

ओएमडीसी और बीएसएलसी द्वारा खोदे गए कुओं, नलकूपों आदि द्वारा अपने खनन गतिविधियों के आसपास रहने वाले सभी कर्मचारियों और ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम: ओएमडीसी और बीएसएलसी द्वारा समय–समय पर खदानों के आसपास स्थित गाँवों में रहने वाले सभी कर्मचारियों और ग्रामीणों के लिए मलेरिया उन्मूलन, पल्स पोलियो आदि के लिए कार्यक्रम ओएमडीसी और बीएसएलसी के अस्पतालों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।

अध्याय-22

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

22.1 परिचय

देश के प्रशासन और सुशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने 15 जून, 2005 को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकारों की रक्षा करना है, ताकि प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

22.2 आरटीआई अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत, आवेदनों और अपीलों को संसाधित करने और मंत्रालय में उनकी प्रगति की केंद्रीय रूप से निगरानी करने के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित किया गया है। नोडल अधिकारी को अनुभाग अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, इस्पात मंत्रालय के अवर सचिव/सहायक निदेशक (रा.भा.)/सहायक औद्योगिक सलाहकार या इस्पात मंत्रालय के समकक्ष अधिकारी स्तर के अधिकारियों को क्रमशः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में और निदेशक/उप–सचिव/संयुक्त निदेशक (रा.भा.)/उप औद्योगिक सलाहकार या इस्पात मंत्रालय के समकक्ष अधिकारी को क्रमशः अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी लोक प्राधिकरणों ने भी अपने संबंधित जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारियों को नामित किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा आरटीआई आवेदन ऑनलाइन भरने के लिए वेब पोर्टल आरंभ किया गया है और इस्पात मंत्रालय दिनांकः 25.06.2013 से आरटीआई ऑनलाइन वेब पोर्टल का एक भाग रहा है। वर्ष 2021 (1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक) के दौरान, इस्पात मंत्रालय को ऑफलाइन मोड के माध्यम से 104 आरटीआई आवेदन/अपील प्राप्त हुए और 220 आरटीआई आवेदन/अपील ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त हुए, जिनका विधिवत निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, आरटीआई प्रावधानों के अनुपालन में, जैसा कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 12.01.2021 को सूचित किया गया था, इस्पात मंत्रालय के सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज की थर्ड पार्टी ऑडिट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी) के माध्यम से कराई गई थी।

दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान प्राप्त आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्नानुसार हैः

सीपीएसई का नाम	दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि में प्राप्त आवेदन	दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि में निपटाए गए आवेदन	दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदन
इस्पात मंत्रालय	324	324	शून्य
सेल	3465	3122	343
आरआईएनएल	572	542	30
एनएमडीसी लिमिटेड	157	148	9
मॉयल लिमिटेड	114	93	21
मेकॉन लिमिटेड	108	100	8
केआईओसीएल लिमिटेड	25	25	0
एमएसटीसी लिमिटेड	107	96	11
एफएसएनएल	54	49	5
ओएमडीसी	32	30	2

22.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने अधिनियम की धारा 5 और 19(1) के अंतर्गत, प्रत्येक संयंत्र और इकाई में अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रश्नों के त्वरित निवारण के लिए जन सूचना अधिकारी (पीआईओ)/सहायक जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता

अधिकारी को नियुक्त किया है। पीआईओ को सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी सभी अधिकारियों/लाइन प्रबंधकों को मानित पीआईओ कहा जाता है और वे आवेदक को समय पर सूचना प्रस्तुत करने के लिए पीआईओ के समान रूप से उत्तरदायी होते हैं।

सेल के लिए एक विशिष्ट आरटीआई पोर्टल विकसित किया गया है जिसका लिंक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी संयंत्रों/इकाइयों ने 17 मैनुअल सूचीबद्ध किए हैं और अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरणों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अधिनियम के कार्यान्वयन पर त्रैमासिक विवरणियाँ और वार्षिक विवरणियाँ सीआईसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जा रही हैं। ऑनलाइन अनुरोधों का कार्यान्वयन पहले ही 1 मई, 2015 से आरंभ किया जा चुका है। कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण नीति का संकलन भी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

22.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख) की आवश्यकता के अनुसार, आरटीआई के 17 नियमावलियों में उपलब्ध जानकारी को कंपनी के वेबसाइट पर अपडेट किया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन पर त्रैमासिक विवरणी और वार्षिक विवरणियों को सीआईसी पोर्टल में नियमित रूप से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

22.5 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने अपनी वेबसाइटः www.nmdc.co.in पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत सूचना प्रकाशित की है। जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के विवरण का अद्यतन जनता की जानकारी के लिए नियमित रूप से किया जा रहा है। कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन का परिचालन जो इसके कामकाज के बारे में बहुत सारी जानकारी देती हैं, व्यापक रूप से किया जाता है और ये एनएमडीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। आगे की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस हैंडआउट्स आदि के माध्यम से प्रसारित की जाती है। एनएमडीसी अपने सभी अभिलेख पारदर्शी तरीके से रखता है। सूचना अधिकतम सीमा तक उसी रूप में दी जाती है, जिस रूप में इसे मांगी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय भाषा में भी दी जाती है।

22.6 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने कॉरपोरेट कार्यालय में सीपीआईओ की नियुक्ति की है और इसके सभी खदानों में पीआईओ/एपीआईओ की भी नियुक्ति की गयी है। अधिनियम के अंतर्गत, कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त/नामित किया गया था। सभी पीआईओ/एपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के नाम भी कंपनी की वेबसाइटः www.moil.nic.in पर उपलब्ध कराए गए हैं। कंपनी, इसके कर्मचारियों आदि के संबंध में सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में निर्धारित 17 शीर्षों के अंतर्गत तैयार की गई है और इसे कंपनी के पोर्टल पर डाला गया है। मॉयल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक सूचना और विवरणी प्रस्तुत करता रहा है और उसे नियमित रूप से अद्यतन करता रहा है।

कंपनी ने जनता के लिए नियमित अंतराल पर अधिक से अधिक सूचनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट/अपडेट किया है, ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का उपयोग करने के लिए न्यूनतम सहायता मिल सके। वर्तमान परिदृश्य में कर्मचारियों को आरटीआई अधिनियम के महत्त्व को समझाने के लिए व्यापक स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया है।

22.7 मेकॉन लिमिटेड

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित सभी प्रासंगिक नियमावलियाँ मेकॉन की वेबसाइटः www.meconlimited.co.in पर उपलब्ध हैं। मेकॉन द्वारा अपने मुख्यालय में एक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण को नामित किया गया है और विभिन्न क्षेत्रीय और स्थलीय कार्यालयों में सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) को नामित किया गया है। जनता से मेकॉन के पास आने वाले प्रश्नों पर इन नामित अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय अवधि के अन्दर उत्तर दिया गया है। मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) को मेकॉन लिमिटेड के पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

22.8 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों को संसाधित करने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था। कंपनी के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त आरटीआई आवेदनों को प्रभावी ढंग से संसाधित करने के लिए एक पारदर्शिता अधिकारी, एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, एक सीपीआईओ और एक कार्यवाहक सीपीआईओ, एमएसटीसी, प्रधान कार्यालय का एक नोडल अधिकारी और प्रत्येक क्षेत्र/शाखा में एक पीआईओ उपलब्ध है। सभी त्रैमासिक प्रतिवेदनों को ऑनलाइन जमा कर दिया गया है और इन्हें सीआईसी साइट पर अपलोड कर दिया गया है।

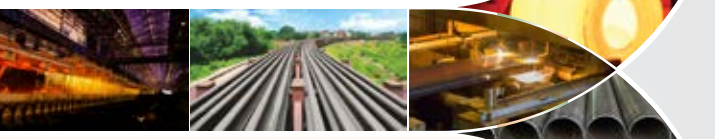

22.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल ने कॉरपोरेट कार्यालय में पीआईओ की नियुक्ति की है और इसके सभी संयंत्रों/अन्य इकाइयों में भी पीआईओ/एपीआईओ की नियुक्ति की गई है। शीर्ष स्तर पर कार्यपालकों को अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त/नामित किया गया है। केआईओसीएल ने ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त करने और उत्तर देने के लिए सभी इकाईयों के लिए नोडल अधिकारी, जन सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारियों के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड तैयार किया है। सभी पीआईओ/एपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के नाम भी केआईओसीएल की वेबसाइटः www.kioclltd.in पर डाले गए हैं। खंड (ख) उप–धारा (1) धारा (4) में निर्धारित नियमावली तैयार करने के दायित्व का अनुपालन किया गया है और इन्हें अधिनियम के अंतर्गत दी गई निर्धारित समय सीमा के अन्दर केआईओसीएल के पोर्टल पर भी डाल दिया गया है और इसकी समीक्षा की जा रही है और नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जा रहा है। त्रैमासिक विवरणियाँ सीआईसी को प्रस्तुत किए जाते हैं।

22.10 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, एफएसएनएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपनी इकाइयों में एक एपीआईओ की नियुक्ति की है। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत, सीजीएम (एफ एंड ए), एफएसएनएल पहला अपीलीय प्राधिकरण होता है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 4 (1)(बी) के अंतर्गत, आवश्यक स्वैच्छिक/स्व–प्रेरणा से प्रकटीकरण के लिए 17 विभिन्न टेम्पलेट्स/मैनुअल्स के अंतर्गत सूचनाओं का संकलन किया है और उन्हें कंपनी के वेबसाइट ''fsnl.nic.in'' पर डाला है और इस प्रकार से प्रकाशित सूचनाओं का अद्यतन नियमित रूप से किया जा रहा है।

त्रैमासिक प्रतिवेदन नियमित रूप से सीआईसी को प्रस्तुत की जाती है। सूचना के सभी अनुरोधों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया जाता है।

22.11 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं। आरटीआई के प्रश्नों की प्राप्ति और उत्तर देने के लिए, पीआईओ और एपीआईओ को ओएमडीसी और बीएसएलसी में नामित किया गया है। प्राप्त प्रश्नों का उत्तर समय के अन्दर दिया जाता है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आरटीआई प्रश्नों का नियमित रूप से निपटारा किया जाता है।

अनुलग्नक - I

इस्पात मंत्रालय
(इस्पात मंत्रालय) [1]

1. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) इकाइयों, इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) इकाइयों, तथा री–रोलर्स, फ्लैट उत्पादों (हॉट/कोल्ड रोलिंग इकाइयों), कोटिंग इकाइयों, वायर ड्रॉइंग इकाइयाँ और स्टील स्क्रैप प्रसंस्करण जैसी प्रसंस्करण सुविधाओं सहित लौह और इस्पात उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की योजना, विकास और सुगम–सुलभ बनाना।

2. सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खदानों और अन्य अयस्क खदानों का विकास) मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, सिलीमेनाइट, कायनाइट, तथा लौह और इस्पात उद्योग में उपयोग किए जाने वाले अन्य खनिज लेकिन खनन पट्टे या उससे संबंधित मामलों को छोड़कर)।

3. लौह और इस्पात और लौह–मिश्र धातुओं का उत्पादन, वितरण, मूल्य, आयात और निर्यात।

4. निम्नलिखित उपक्रमों और उनकी सहायक कंपनियों से संबंधित मामले, अर्थात[3]

   i. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल);

   ii. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);

   iii. कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल);

   iv. मैंगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल);

   v. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी);

   vi. मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटे (मेकॉन);

   vii. स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल);

   viii. **विलोपन** कर दिया गया।[4]

   ix. भारत रीफ्रेक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल);

   x. मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन (एमएसटीसी);

   xi. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड; तथा

   xii. बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज।

---

1. संशोधित देखिए संशोधन श्रृंखला सं. 238 दिनांक 23.05.1998 और 243 दिनांक 15.10.1999
2. संशोधित देखिए संशोधन श्रृंखला संख्या 306 दिनांक 31.07.2014 द्वारा संशोधित (पहले संशोधित देखिए संशोधन श्रृंखला संख्या 281 दिनांक 01.09.2005)।
3. संशोधित देखिए संशोधन श्रृंखला संख्या 286 दिनांक 01.06.2006 द्वारा संशोधित।
4. संशोधित देखिए संशोधन श्रृंखला संख्या 337 दिनांक 06.12.2017 के द्वारा छोड़ा गया।

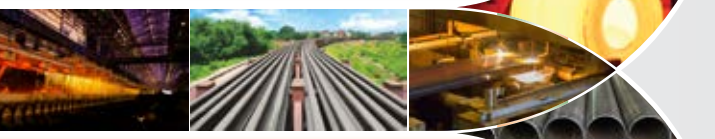

अनुलग्नक - II

इस्पात मंत्रालय में
प्रभारी मंत्री और अधिकारी

(नीचे उप सचिव स्तर तक)
(31 दिसंबर, 2021 तक)

इस्पात मंत्री	श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह
इस्पात राज्य मंत्री	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
सचिव	श्री संजय कुमार सिंह
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	श्रीमती सुकृति लिखी
अपर सचिव	श्रीमती रसिका चौबे श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल
संयुक्त सचिव	श्री पुनीत कंसल श्री टी श्रीनिवास
मुख्य लेखा नियंत्रक	श्री साकेश प्रसाद सिंह
आर्थिक सलाहकार	श्री अवधेश कुमार चौधरी
उप महानिदेशक (सांख्यिकी)	श्रीमती स्वप्ना भट्टाचार्य
निदेशक	श्री नीरज अग्रवाल श्री गिरिराज प्रसाद मीणा श्री पंकज विट्ठल श्री अरुण कुमार कैलू
अपर औद्योगिक सलाहकार	श्री परमजीत सिंह
उप सचिव	श्री गोपालकृष्णन गणेशन श्री देवीदत्त सतपति श्री आशीष शर्मा श्री एस के मोहंती
संयुक्त औद्योगिक सलाहकार	श्री मनोज कुमार सारस्वत श्री इंद्रजीत यादव

अनुलग्नक - III

आईएसपी उत्पादन और अन्य उत्पादक

('000 टन)

क्र. सं.	मद/उत्पादन	2017	2018	2019	2020	2021(पी)
	उत्पादन					
I.	**कच्चा इस्पात**					
	सेल, टीएसएल ग्रुप, आरआईएनएल, एमएम/एनएस, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल					
	ऑक्सीजन रूट	41,298	46,059	46,764	42,878	50,892
	ई.ए.एफ. इकाइयां	17,048	20,513	21,889	21,190	22,165
	अन्य उत्पादक					
	ऑक्सीजन रूट	4,811	2,949	1,909	1,774	2,041
	ई.ए.एफ. इकाइयां (कोरेक्स और एमबीएफ/ईओएफ सहित)	9,840	7,773	6,741	6,974	9,715
	इंडक्शन फर्नेसेज	28,457	31,955	34,041	27,439	33,322
	योग (कच्चा इस्पात)	**1,01,455**	**1,09,250**	**1,11,344**	**1,00,256**	**1,18,134**
	अन्य उत्पादकों का % हिस्सेदारी	42.5	39.1	38.3	36.1	38.2
II.	**पिग आयरन**					
	सेल, टीएसएल ग्रुप, आरआईएनएल, एमएम/एनएस, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल	724	1,358	1,435	1,250	1,582
	अन्य उत्पादन	6,164	4,891	4,548	3,298	4,294
	योग (पिग आयरन)	**6,888**	**6,249**	**5,983**	**4,548**	**5,876**
	अन्य उत्पादकों का % हिस्सेदारी	89.5	78.3	76.0	72.5	73.1
III.	**स्पंज आयरन**					
	गैस आधारित	6,223	7,052	6,699	6,074	8,402
	कोयला आधारित	23,282	27,161	30,120	27,519	30,606
	योग (स्पंज आयरन)	**29,505**	**34,213**	**36,819**	**33,593**	**39,008**
	प्रक्रिया दवारा % हिस्सेदारी (कोयला आधारित)	78.9	79.4	81.8	81.9	78.5
IV.	**तैयार इस्पात (उत्पादन) (मिश्र धातु/गैर-मिश्र धातु)**					
	सेल, टीएसएल ग्रुप, आरआईएनएल, एमएम/एनएस, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल	51,915	59,154	61,450	54,659	63,957
	अन्य उत्पादक	41,823	41,420	42,612	37,571	47,901
	योग (तैयार इस्पात)	**93,737**	**1,00,574**	**1,04,062**	**92,231**	**1,11,858**
	अन्य उत्पादकों का % हिस्सेदारी	44.6	41.2	40.9	40.7	42.8

पी का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2021); स्रोतः जेपीसी

अनुलग्नक - IV

चालू वर्ष 2020 के लिए कच्चे इस्पात का निर्माण (पी)

('000 टन)

क्र. सं.	उत्पादक	2017			2018			2019			2020			2021 (पी)		
		कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग
क.	**सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई**															
1	सेल	17,519	14,804	85	19,132	15,933	83	19,632	16,181	82	19,632	14,970	76	20,632	17,323	84
2	आरआईएनएल	6,300	4,411	70	6,300	5,258	83	6,300	4,833	77	6,300	3,979	63	6,300	5,526	88
	कुल सार्वजनिक क्षेत्र	**23,819**	**19,215**	**81**	**25,432**	**21,191**	**83**	**25,932**	**21,014**	**81**	**25,932**	**18,948**	**73**	**26,932**	**22,849**	**85**
ख.	**निजी क्षेत्र की इकाई**															
3	टाटा स्टील लिमिटेड	13,000	12,616	97	-	3,053	-									
4	टीएसएल समूह		19,400	13,617	70	19,400	18,478	95	19,400	17,287	89	19,400	18,911	97		
5	एएम/एन एस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	10,000	6,478	65	10,000	6,793	68	10,000	7,138	71	10,000	6,616	66	9,600	7,389	77
6	जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	8,600	3,667	43	8,600	5,005	58	8,600	5,936	69	8,600	6,493	75	8,100	7,336	91
7	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	18,000	16,370	91	18,000	16,914	94	18,000	16,086	89	18,000	14,725	82	25,300	16,572	66
8	अन्य बीओएफ	7,682	4,811	63	4077	2,949	72	4,077	1,909	47	4,077	1,774	44	3,177	2,041	64
9	अन्य ईएएफ	14,408	9,840	68	12,750	7,773	61	11,794	6,741	57	11,640	6,974	60	11,914	9,715	82
10	अन्य ईएएफ	42,466	28,457	67	43,977	31,955	73	44,496	34,041	77	46,266	27,439	59	49,846	33,322	67
	कुल निजी क्षेत्र	**1,14,156**	**82,240**	**72**	**1,16,804**	**88,059**	**75**	**1,16,367**	**90,330**	**78**	**1,17,982**	**81,308**	**69**	**1,27,337**	**95,286**	**75**
	योग सार्वजनिक क्षेत्र+ निजी क्षेत्र	**1,37,975**	**1,01,455**	**74**	**1,42,236**	**1,09,250**	**77**	**1,42,299**	**1,11,344**	**78**	**1,43,914**	**1,00,256**	**70**	**1,54,269**	**1,18,134**	**77**
	निजी क्षेत्र का हिस्सा (%)	**17.3**	**18.9**		**17.9**	**19.4**		**18.2**	**18.9**		**18.0**	**18.9**		**17.5**	**19.3**	

नोट:

1. टीएसएल समूह में जमशेदपुर और कलिंगनगर में टीएसएल संयंत्र के साथ भूषण स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लोंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और बीएमडब्ल्यू–गम्हरिया (झारखंड) शामिल हैं। टाटा स्टील लिमिटेड से टीएसएल समूह में परिवर्तन सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए अप्रैल 2018 से किया गया।
2. पी का मतलब अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2021); स्रोतः जेपीसी

अनुलग्नक - V

कच्चे इस्पात का निर्माण

(रूट के द्वारा)

('000 टन)

प्रोसेस रुट	2017	2018	2019	2020	2021(P)
ऑक्सीजन रूट					
सेल	14,622	15,719	15,948	14,839	17,117
आरआईएनएल	4,411	5,258	4,833	3,979	5,526
टाटा स्टील लिमिटेड	12,616				
टीएसएल समूह		14,928	16,305	15,235	16,669
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	9,649	10,154	9,678	8,826	9,742
जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड					1,838
अन्य ऑक्सीजन रूट	4,811	2,949	1,909	1,774	2,041
कुल ऑक्सीजन रुट: (क)	**46,110**	**49,008**	**48,673**	**44,653**	**52,933**
इलेक्ट्रिक रुट **इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस**					
सेल	182	214	233	130	206
टीएसएल समूह		1,742	2,174	2,051	2,242
एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	6,478	6,793	7,138	6,616	7,389
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	6,721	6,760	6,408	5,900	6,830
जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	3,667	5,005	5,936	6,493	5,497
लॉयड्स स्टील लिमिटेड	560	518	332	489	641
जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड	1,476	1,542	1,593	1,223	1,822
भूषण स्टील लिमिटेड	2,248	242			
भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	2,240	2,677	2,798	3,439	4,429
अन्य इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	3,317	2,794	2,018	1,824	2,824
कुल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस: (ख)	**26,888**	**28,287**	**28,630**	**28,164**	**31,879**
इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस (ग)	**28,457**	**31,955**	**34,041**	**27,439**	**33,322**
कुल इलेक्ट्रिक रुट: घ = (ख + ग)	**55,345**	**60,242**	**62,671**	**55,603**	**65,201**
कुल योग: क+घ	**1,01,455**	**1,09,250**	**1,11,344**	**1,00,256**	**1,18,134**

नोट:

1. टीएसएल समूह में जमशेदपुर और कलिंगनगर में टीएसएल संयंत्र के साथ भूषण स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लोंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और बीएमडब्ल्यू–गम्हरिया (झारखंड) शामिल हैं।
2. पी का मतलब अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2021); स्रोत: जेपीसी

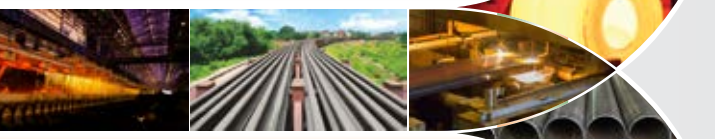

अनुलग्नक - VI

तप्त धातु का उत्पादन

('000 टन)

संयंत्र	2017	2018	2019	2020	2021 (पी)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	15,803	17,080	17,509	16,203	18,793
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	4,464	5,773	5,278	4,364	6,061
टाटा स्टील लिमिटेड	14,098	3,274			
टी एस एल समूह		14,232	18,946	17,726	19,460
एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	3,031	3,102	3,620	3,334	3,460
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	14,827	15,549	15,363	14,220	15,816
जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	2,641	4,408	5,721	5,509	6,020
(क) उप योग	**54,864**	**63,418**	**66,437**	**61,356**	**69,610**
(ख) अन्य उत्पादक	**11,945**	**9,192**	**7,720**	**6,426**	**8,183**
कुल (क+ख)	**66,809**	**72,610**	**74,157**	**67,782**	**77,793**
अन्य उत्पादकों का % हिस्सा	**17.9**	**12.7**	**10.4**	**9.5**	**10.5**

1. टीएसएल समूह में जमशेदपुर और कलिंगनगर में टीएसएल संयंत्र के साथ भूषण स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लोंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और बीएमडब्ल्यू–गम्हरिया (झारखंड) शामिल हैं।
2. पी का मतलब अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2021); स्रोतः जेपीसी

अनुलग्नक - VII

पिग आयरन का उत्पादन

('000 टन)

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई	2017	2018	2019	2020	2021 (पी)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	270	410	591	535	635
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	119	120	58	38	91
कुल सार्वजनिक क्षेत्र (क)	**389**	**530**	**649**	**573**	**726**
निजी क्षेत्र की इकाई					
टी एस एल समूह		518	332	176	136
जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	180	111	129	235	464
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	155	199	325	266	256
निजी क्षेत्र की अन्य इकाई	6,164	4,891	4,548	3,298	4,294
कुल निजी क्षेत्र (ख)	**6,499**	**5,719**	**5,334**	**3,975**	**5,150**
कुल उत्पादन (क+ख)	**6,888**	**6,249**	**5,983**	**4,548**	**5,876**

नोटः

1. टीएसएल समूह में जमशेदपुर और कलिंगनगर में टीएसएल संयंत्र के साथ भूषण स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लोंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और बीएमडब्ल्यू–गम्हरिया (झारखंड) शामिल हैं।
2. पी का मतलब अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2021); स्रोतः जेपीसी

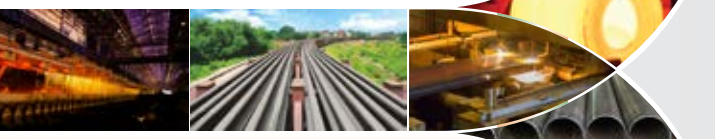

अनुलग्नक - VIII

तैयार इस्पात का उत्पादन

(गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात)

('000 टन)

संयंत्र	2017	2018	2019	2020	2021 (पी)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	12,253	12,546	12,437	11,024	13,428
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	3,739	4,242	3,740	2,522	3,884
टाटा स्टील लिमिटेड	12,265	2,985			
टी एस एल समूह		13,544	18,479	16,723	18,587
एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	6,081	6,614	7,061	6,524	7,314
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	14,956	15,617	15,245	13,836	15,604
जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	2,620	3,606	4,488	4,030	5,140
उप योग (क) :	**51,915**	**59,154**	**61,450**	**54,659**	**63,957**
अन्य निर्माता (ख)	41,823	41,420	42,612	37,571	47,901
कुल निर्माण (क+ख)	**93,737**	**1,00,574**	**1,04,062**	**92,231**	**1,11,858**
अन्य का % हिस्सा	**44.6**	**41.2**	**40.9**	**40.7**	**42.8**

नोटः

पी का मतलब अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2021); स्रोतः जेपीसी

अनुलग्नक - IX

तैयार इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन

('000 टन)

श्रेणी	2017			2018			2019			2020			2021 (पी)		
	सेल, आरआइएनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	अन्य	योग	सेल, आरआइएनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	अन्य	योग	सेल, आरआइएनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	अन्य	योग	सेल, आरआइएनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	अन्य	योग	सेल, आरआइएनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	अन्य	योग
तैयार इस्पात (गैर-मिश्र धातु)															
बार और रॉड	12,434	22,813	35,247	13,978	24,456	38,434	14,175	27,601	41,776	11,292	22,990	34,282	15,044	30,025	45,069
संरचनात्मक	1,841	5,629	7,470	2,366	5,552	7,918	2,244	5,358	7,601	1,662	4,768	6,430	2,129	5,042	7,171
रेलवे सामग्री	1,230	27	1,257	1,322	57	1,379	1,724	45	1,769	1,592	25	1,617	1,321	16	1,336
योग (गैर-मिश्र धातु)	**15,505**	**28,469**	**43,974**	**17,666**	**30,065**	**47,731**	**18,143**	**33,004**	**51,145**	**14,546**	**27,783**	**42,329**	**18,494**	**35,083**	**53,576**
पीएम प्लेट	4,183	0	4,183	4,643	74	4,717	4,607	157	4,764	3,992	116	4,108	5,152	109	5,261
एचआर कॉइल / स्ट्रिप	31,538	6,634	38,173	35,514	5,685	41,199	37,632	5,085	42,717	35,048	5,767	40,816	38,978	7,003	45,981
योग (फ्लैट)	**35,721**	**6,634**	**42,356**	**40,157**	**5,759**	**45,916**	**42,239**	**5,242**	**47,480**	**39,040**	**5,883**	**44,924**	**44,130**	**7,112**	**51,242**
योग (गैर-मिश्र धातु)	**51,226**	**35,103**	**86,330**	**57,823**	**35,824**	**93,647**	**60,382**	**38,246**	**98,626**	**53,586**	**33,666**	**87,253**	**62,624**	**42,195**	**1,04,818**
तैयार इस्पात (मिश्र धातु)															
नॉन–फ्लैट	533	3,634	4,167	1,161	2,612	3,773	945	1,716	2,661	747	1,874	2,621	1,072	2,812	3,884
फ्लैट	71	433	504	94	203	297	52	195	247	165	136	302	78	297	375
योग (मिश्र धातु)	**604**	**4,067**	**4,671**	**1,255**	**2,815**	**4,070**	**997**	**1,911**	**2,908**	**912**	**2,010**	**2,923**	**1,150**	**3,109**	**4,259**
तैयार इस्पात (स्टेनलैस)															
नॉन–फ्लैट	0	1,212	1,212	0	1,027	1,027	0	676	676	0	517	517	0	720	720
फ्लैट	83	1,441	1,524	77	1,753	1,830	72	1,780	1,852	160	1,378	1,538	185	1,877	2,062
योग (स्टेनलैस)	**83**	**2,653**	**2,736**	**77**	**2,780**	**2,857**	**72**	**2,456**	**2,528**	**160**	**1,895**	**2,055**	**185**	**2,597**	**2,782**
तैयार इस्पात (गैर-मिश्र धातु+मिश्र धातु + स्टेनलैस)															
योग नॉन-फ्लैट	**16,038**	**33,314**	**49,353**	**18,826**	**33,704**	**52,530**	**19,088**	**35,395**	**54,482**	**15,294**	**30,173**	**45,467**	**19,565**	**38,614**	**58,180**
योग फ्लैट	**35,876**	**8,508**	**44,385**	**40,328**	**7,716**	**48,044**	**42,363**	**7,217**	**49,580**	**39,366**	**7,398**	**46,764**	**44,392**	**9,286**	**53,678**
कुल तैयार इस्पात	**51,914**	**41,822**	**93,738**	**59,154**	**41,420**	**1,00,574**	**61,449**	**42,612**	**1,04,062**	**54,660**	**37,571**	**92,231**	**63,957**	**47,900**	**1,11,858**

पी का मतलब अनंतिम आंकडों से है (जनवरी–दिसंबर, 2021); स्रोतः जेपीसी

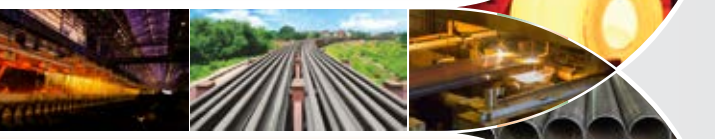

अनुलग्नक - X

लोहा और इस्पात का श्रेणी-वार आयात

('000 टन)

क्र. सं.	श्रेणी	2017	2018	2019	2020	2021 (पी)
I	**सेमी-फिनिश्ड स्टील (गैर-मिश्र धातु)**					
	सेमिस	410	390	164	134	31
	रि–रोलेबल स्क्रैप	411	429	287	147	123
	योग	**821**	**819**	**451**	**281**	**154**
II	**तैयार इस्पात (गैर-मिश्र धातु)**					
	नॉन-फ्लैट					
	बार और रॉड	312	286	317	134	117
	संरचनात्मक	50	44	36	35	17
	रेलवे सामग्री	26	42	68	54	80
	कुल नॉन-फ्लैट	**388**	**372**	**421**	**223**	**214**
	फ्लैट					
	प्लेट	660	478	344	371	233
	एचआर शीट	16	12	6	1	0
	एचआर कॉइल्स/स्कैल्प/स्ट्रिप्स	1,875	1,750	1,913	804	855
	सीआर कॉइल्स/शीट	705	478	465	201	295
	जीपी/जीसी शीट	1,058	1,232	949	726	798
	इलेक्ट्रिक शीट	540	654	621	421	513
	टीएमबीपी	1	8	0	0	0
	टिन प्लेट	207	181	197	123	103
	टिन मुक्त स्टील	58	74	79	50	23
	पाइप	377	315	354	194	156
	कुल फ्लैट	**5,497**	**5,182**	**4,928**	**2,891**	**2,976**
	कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र धातु)	**5,885**	**5,554**	**5,349**	**3,114**	**3,190**
	कुल इस्पात (गैर-मिश्र धातु)	**6,706**	**6,373**	**5,800**	**3,395**	**3,344**
	मिश्र धातु/स्टेनलैस स्टील					
	गैर–फ्लैट	445	554	427	287	295
	फ्लैट	1,499	1,190	1,664	1,062	1,516
	अर्ध–तैयार	56	176	61	20	49
	कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु/स्टेनलैस)	**1,944**	**1,744**	**2,091**	**1,349**	**1,811**
	कुल इस्पात (मिश्र धातु/स्टेनलैस)	**2,000**	**1,920**	**2,152**	**1,369**	**1,860**
	कुल फिनिश्ड स्टील (मिश्र धातु गैर-मिश्र धातु)	**7,829**	**7,298**	**7,440**	**4,463**	**5,001**
	कुल इस्पात (गैर-मिश्र धातु+मिश्र धातु)	**8,706**	**8,293**	**7,952**	**4,764**	**5,204**
III	अन्य इस्पात मद					
	फिटिंग्स	245	193	163	119	136
	विविध इस्पात मद	1,504	1,377	369	214	346
	इस्पात स्क्रैप	4,894	5,974	6,763	5,649	5,015
IV	लोहा					
	कच्चा लोहा	16	67	13	7	15
	स्पंज आयरन	58	58	44	44	47
V	फेरो–एलॉय	554	576	642	545	707
	कुल योग	**15,977**	**16,538**	**15,946**	**11,342**	**11,470**

पी का मतलब अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2021); स्रोतः जेपीसी

अनुलग्नक - XI

लोहा और इस्पात का श्रेणीवार निर्यात

('000 टन)

श्रेणी	2017	2018	2019	2020	2021 (पी)
सेमिस (गैर-मिश्र धातु)	**1,530**	**2,259**	**2,660**	**6,087**	**5,236**
फिनिश्ड स्टील (गैर-मिश्र धातु)					
नॉन-फ्लैट					
बार और रॉड	1,972	615	529	767	1,966
संरचनात्मक	194	196	167	120	179
रेलवे सामग्री	84	4	1	23	2
कुल नॉन-फ्लैट	**2,250**	**815**	**697**	**910**	**2,147**
फ्लैट					
प्लेट	459	462	291	521	756
एच आर कॉइल्स/शीट्स	3,766	2,479	4,603	6,467	5,814
सी आर शीट्स/कॉइल्स	1,390	748	636	470	1,007
जीपी/जीसी शीट्स	1,270	1,025	930	814	1,769
इलेक्ट्रिक शीट्स	72	79	35	46	38
टिन प्लेट्स	46	39	27	16	35
टिन मुक्त स्टील	2	2	2	2	2
पाइप्स	646	426	253	136	130
कुल फ्लैट	**7,651**	**5,260**	**6,777**	**8,472**	**9,551**
कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र धातु)	9,901	6,075	7,474	9,382	11,698
कुल इस्पात (गैर-मिश्र धातु)	11,431	8,334	10,134	15,469	16,934
नॉन–फ्लैट मिश्र धातु/स्टेनलैस	530	289	268	254	604
फ्लैट एलॉय / स्टेनलैस	441	327	462	514	496
कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु/स्टेनलैस)	**971**	**616**	**730**	**768**	**1,100**
सेमी–फिनिश्ड (मिश्र धातु/स्टेनलैस)	29	35	9	46	12
कुल इस्पात (मिश्र धातु/स्टेनलैस)	**1,000**	**651**	**739**	**814**	**1,112**
कुल फिनिश्ड स्टील (नॉन-एलॉय+एलॉय)	**10,872**	**6,691**	**8,204**	**10,150**	**12,798**
कुल इस्पात (नॉन- एलॉय+एलॉय)	**12,431**	**8,985**	**10,873**	**16,283**	**18,046**
कच्चा लोहा	668	335	421	823	1,407
स्पंज आयरन	269	558	819	584	666

पी का मतलब अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2021); स्रोतः जेपीसी

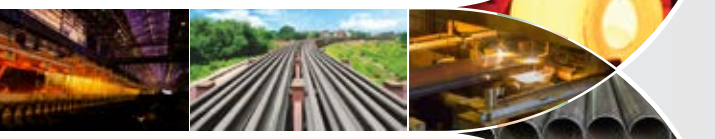

अनुलग्नक - XII

इस्पात पीएसयू का तुलनात्मक पीबीटी (कर पूर्व लाभ)

(करोड रु. में)

क्र. सं.	पीएसयू/कंपनी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
1.	सेल	(–)758.94	3337.89	3170.66	2270.57	12829
2.	आरआईएनएल	(–)1911.45	(–)306.89	(–)4287.51	(–)1035.96	946.20
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	6179	7198	6122	8902	10101^
4.	मॉयल लिमिटेड	647.92	719.75	340.49	240.11	282.46
5.	मेकॉन लिमिटेड	44.02	9.97	87.03	19.11	(–)82.27
6.	एमएसटीसी लिमिटेड	111.6	(–)269.21	129.49	114.68	131.34
7.	केआईओसीएल लिमिटेड	86.09	184.12	63.68	410.23	102.64
8.	एफएसएनएल	13.04	41.09	46.02	32.06	42.39
9.	ईआईएल	0.67	0.20	0.72	0.46	0.42
10.	ओएमडीसी	(–)258.17	(–) 638.11	(–)48.36	(–)52.41	17.55
11.	बीएसएलसी	(–)10.52	(–)28.02	(–)10.27	6.91	5.95

*अनंतिम अप्रैल–दिसंबर, 2021

^वास्तविक दिसंबर, 2021 तक

अनुलग्नक - XII क

इस्पात पीएसयू का तुलनात्मक पीएटी (कर उपरांत लाभ)

(करोड रु. में)

क्र. सं.	पीएसयू/कंपनी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
1.	सेल	(–)481.71	2178.82	2021.54	406.22	9597
2.	आरआईएनएल	(–)1369	96.71	(–)3910.17	(–)789.10	789.93
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	3806	4642	3610	6253	7583^
4.	मॉयल लिमिटेड	421.99	473.89	248.22	176.63	211.37
5.	मेकॉन लिमिटेड	58.02	13.74	69.00	6.24	(–)82.27
6.	एमएसटीसी लिमिटेड	76.63	(–)324.47	75.20	101.07	85.39
7.	केआईओसीएल लिमिटेड	81.48	111.86	43.48	301.17	76.81
8.	एफएसएनएल	8.07	26.69	30.58	22.75	31.72
9.	ईआईएल	0.35	(–)0.25	(–)0.56	0.79	0.33
10.	ओएमडीसी	(–)252.95	(–)451.63	(–)76.69	(–)39.64	14.05
11.	बीएसएलसी	(–)10.52	(–)28.02	(–)10.27	6.91	5.80

*अनंतिम अप्रैल–दिसंबर, 2021

^वास्तविक दिसंबर, 2021 तक

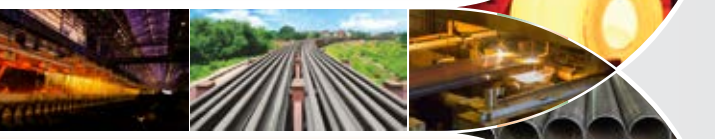

अनुलग्नक - XIII

इस्पात पीएसयू द्वारा केंद्र सरकार और सरकारी बीमा कंपनियों को किया गया अंशदान

(करोड रु. में)

क्र. सं.	पीएसयू/कंपनी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
1.	सेल	6894	10916	8094	6074	11806
2.	आरआईएनएल	1810.32	2518.12	2119.53	1888.05	2170.34
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	4435	5376	5300	6269	5607^
4.	मॉयल लिमिटेड	262.07	381.15	188.61	95.17	44.83
5.	मेकॉन लिमिटेड	87.15	112.98	98.81	108.64	69.24
6.	एमएसटीसी लिमिटेड	80.00	91.26	73.20	73.72	289.35
7.	केआईओसीएल लिमिटेड	71.68	53.60	84.91	148.54	71.75
8.	एफएसएनएल	38.67	36.31	33.79	34.84	29.01
9.	ओएमडीसी	1.46	3.00	2.03	1.82	5.5
10.	बीएसएलसी	0.76	0.89	0.78	1.93	1.66

* अनंतिम अप्रैल–दिसंबर, 2021

^ वास्तविक दिसंबर, 2021 तक

अनुलग्नक - XIII क

इस्पात पीएसयू द्वारा राज्य सरकार को किया गया अंशदान

(करोड रु. में)

क्र. सं.	पीएसयू/कंपनी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
1	सेल	2402.00	2604	3250	2084	5008
2	आरआईएनएल	584.66	767.37	587.91	322.26	331.98
3	एनएमडीसी लिमिटेड	2381	1726	2997	2809	7029^
4	मॉयल लिमिटेड	148.50	123.43	111.07	90.49	73.46
7	मेकॉन लिमिटेड	5.87	6.74	13.25	12.06	9.34
5	एमएसटीसी लिमिटेड	28.00	24.43	16.26	8.67	15.17
8	केआईओसीएल लिमिटेड	0.07	1.11	2.56	3.02	3.35
6	एफएसएनएल	11.30	18.83	21.46	18.26	16.51
9	ओएमडीसी	40.34	550.21	2.81	2.50	32.02
10	बीएसएलसी	7.17	6.40	6.59	13.75	7.61

* अनंतिम अप्रैल–दिसंबर, 2021

^ वास्तविक दिसंबर, 2021 तक

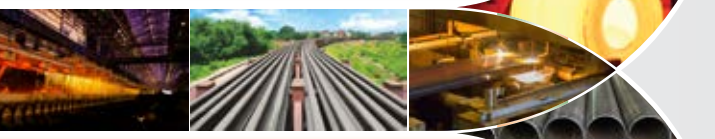

अनुलग्नक - XIV

इस्पात पीएसयू द्वारा सीएसआर पर बजट और व्यय

(लाख रु. में)

क्र. सं.	पीएसयू/कंपनी	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22*	
		बजटीय	व्यय	बजटीय	व्यय	बजटीय	व्यय	बजटीय	व्यय	बजटीय	व्यय
1.	सेल	2600	2570	3000	3118	3300	2756	5000	4718	8186	1520
2.	आरआइएनएल	778	960	850	1030	850	796	861	1011	1136	921
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	19516	16937	20000	16724	20000	19999	16450	15862	12600	4095^
4.	मॉयल लिमिटेड	922.00	961.63	925	929.48	1250	1274.22	1250	1318.12	1350.00	627.14
5.	मेकॉन लिमिटेड	203.12	49.12	544.03	16.92	547.03	330.52	310.50	44.68	343.20	97.60
6.	एमएसटीसी लिमिटेड	214	215	200	200	शून्य	54	शून्य	शून्य	23.98	5.90
7.	केआइओसीएल लिमिटेड	15.98	15.98	39.64	32.51	208.08	331.42	871.77	884.66	438.70	133.58
8.	एफएसएनएल	63.36	63.48	65	66.81	62.78	63.07	67.00	67.00	80$	80$

* अनंतिम अप्रैल–दिसंबर, 2021

$ एफएसएनएल ने सीएसआर दायित्व के तहत पीएम केयर्स फंड में 500.00 लाख रुपए की राशि का अंशदान किया। यह अंशदान अनुवर्ती वर्षों अर्थात 2020–21 में उत्पन्न सीएसआर दायित्व के लिए पूरा किया जाएगा।

^ वास्तविक दिसंबर, 2021 तक

अनुलग्नक - XV

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार 'नागरिक केंद्रित-सेवोत्तम के लिए सात चरण मॉडल' को अपनाना

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट ''नागरिक केंद्रित प्रशासन–शासन का दिल'' में पैराग्राफ 4.6.2 में नागरिकों के चार्टर को अधिक प्रभावी और अनिवार्य बनाकर संगठन को पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिकों के अनुकूल बनाने की सिफारिश की। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (एआर और पीजी) ने लोक सेवा वितरण (सेवोत्तम) में उत्कृष्टता बेंचमार्किंग के लिए मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल संगठनों को नागरिकों के लिए सेवा की गुणवत्ता का आकलन और सुधार करने के लिए ढांचा प्रदान करता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से व्यावसायिक प्रक्रिया को और अधिक जानकारीपूर्ण ढंग से विकसित करने के लिए नवीन तरीकों का उपयोग करने के माध्यम से नागरिकों के लिए वितरित की जाने वाली सेवाओं की पहचान, सेवा की गुणवत्ता, इसका उद्देश्य और गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है।

इस्पात मंत्रालय ने अपना 'नागरिक चार्टर' तैयार किया है और इसे समय–समय पर हितधारकों की बदलती आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप अद्यतन किया जाता है। चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.nic.in पर उपलब्ध है। मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी अपने नागरिक चार्टर को अपनी वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया है।

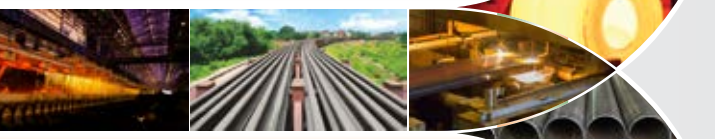

अनुलग्नक - XVI

अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत जारी अनुदान

क्र. सं.	अनुसंधान एवं विकास का शीर्षक	लाख रुपए में					
		2020-21			2021-22 (दिसंबर 2021 तक)		
		कुल	पूंजी	राजस्व	**योग**	पूंजी	राजस्व
1	आईआईटी कानपुर लेडल श्राउड के माध्यम से भरने के दौरान इस्पात के पुनः ऑक्सीकरण को न्यूनतम करने के लिए मौलिक प्रक्रिया इंजीनियरिंग की कास्टेबिलिटी और सफाई में सुधार के लिए अग्रणी	**9.19**		9.19			
2	आइएमएमटी द्वारा उत्सर्जित CO_2 को रासायनिक ईंधन में बदलना	**12.65**		12.65			
3	भारतीय इस्पात और इस्पात से संबंधित संयंत्रों से उत्पन्न स्लज का अवशिष्ट प्रबंधनः बिट्स पिलानी द्वारा सतत व्यवसाय मॉडल	**0.00**			**3.75**		3.75
4	पीईसी चंडीगढ़ द्वारा भारत में ऑटोमोबाइल और कृषि उद्योगों में उपयोग के लिए ऑस्टेम्पर्ड डक्टाइल आयरन प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास	**0.00**			**17.00**		17.00
5	आईएमएमटी भुवनेश्वर द्वारा फ्लू गैस से CO_2, SOx और NOx को एक साथ हटाना और उनका ईंधन एवं मूल्य वर्धित उर्वरकों में उत्प्रेरक रूपांतरण	**19.0136**		19.0136			
6	आईएमएमटी भुवनेश्वर द्वारा धान की भूसी के प्लाज्मा प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर का बेंच स्केल उत्पादन और लागत अनुमान	**13.10**	2.00	11.10			
7	सेल, जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा टिकाऊ कृषि और समावेशी वृद्धि के लिए स्टील स्लैग आधारित लागत प्रभावी पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों का विकास				**67.22**		67.22
	योग	**53.95**	2.00	51.95	**87.97**	0.00	87.97

अनुलग्नक - XVII

सीएजी की रिपोर्ट

ऊर्जा प्रबंधन

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम (आरआईएनएल) के पास 31 मार्च, 2019 तक 542.48 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ पांच टर्बो जेनरेटर (टीजी) और सहायक बिजली उत्पादन इकाइयों के साथ एक थर्मल ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) है। आरआईएनएल में ऊर्जा प्रबंधन की लेखापरीक्षा से पता चला है कि:

- मुख्य टीपीपी द्वारा प्राप्त प्लांट लोड फैक्टर सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंड से कम था। 80 प्रतिशत के पीएलएफ पर टीपीपी के संचालन को मानकर भी, कंपनी को 85.48 करोड़ रुपये रुपये की बचत आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल) से आयातित बिजली की लागत के लिए उपार्जित हुई होगी।
- बॉयलर कोयले की खरीद के वैकल्पिक स्रोत की परिकल्पना किए बिना बॉयलर कोयले की कमी और बॉयलर कोयले के साथ मिश्रित उच्च लागत वाले मध्यम कोकिंग कोल (एमसीसी) के कारण आरआईएनएल ने टीपीपी उत्पादन में कटौती की जिससे बिजली उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई। स्वदेशी बॉयलर कोयले के साथ एमसीसी के अनुचित सम्मिश्रण के कारण कंपनी को 145.21 करोड़ रुपये तक की बचत का नुकसान हुआ।
- दोषपूर्ण डिजाइन/सिंटर मशीन से अपर्याप्त उष्मा पुनःप्राप्ति/अपर्याप्त उच्च गैस दबाव के कारण सहायक विद्युत उत्पादन इकाइयों का उपयोग खराब था जिसके परिणामस्वरूप एपीईपीडीसीएल से बिजली की खरीद के साथ बिजली उत्पादन में कमी आई।
- सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंडों से परे सहायक बिजली की खपत के परिणामस्वरूप 230.56 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।
- 2014–15 से 2018–19 के दौरान भाप की अतिरिक्त खपत, निर्धारित मानदंडों से परे होने से 29.91 लाख टन भाप जमा हो गई, जो मौद्रिक शर्तों में परिवर्तित करने पर 382.48 करोड़ रुपए के बराबर है।

सेल की कैप्टिव खानों का प्रदर्शन

कैप्टिव खानों के प्रबंधन और सुरक्षा और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन का आकलन करने के लिए 2014–19 की अवधि के लिए सेल की सभी कैप्टिव खानों के अभिलेखों की लेखा जांच की गई। यह पाया गया कि सेल ने परबतपुर और सीतानाला कोयला ब्लॉकों के आवंटन से पहले व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए न तो उचित तकनीकी परिश्रम किया और न ही तकनीकी–वाणिज्यिक व्यवहार्यता अध्ययन किया, इसलिए उसे बाद में छोड़ना पड़ा। इस प्रकार इन कोयला खदानों के विकास पर खर्च की गई राशि निष्फल हो गई। दल्ली, राजहरा और बरसुआ खानों में नियोजित स्तर से कम उत्पादन के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात सयंत्र ने दूरदराज स्थित खदानों से लौह अयस्क का स्थानांतरण माल ढुलाई के अंतर पर अतिरिक्त व्यय के साथ किया। बरसुआ खदानों में, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का गैर–अनुपालन, अनुमोदन के बिना, गैर–वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग के कारण, दंडात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य और प्रतिपूरक वनरोपण का भुगतान किया गया। बोलानी खानों द्वारा ओडिशा खनिज नियम, 2007 का अनुपालन न करने के कारण अंतर रॉयल्टी पर अतिरिक्त व्यय हुआ। मनोहरपुर खान में अतिरिक्त रॉयल्टी भुगतान किया गया, क्योंकि लौह अयस्क उच्चतम ग्रेड पर माना गया और नंदिनी खानों में अस्वीकृत चूना पत्थर चिप्स पर वर्गीकृत किया गया था जो लौह बनाने के लिए उपयुक्त नहीं थे। ओडिशा सरकार और झारखंड सरकार ने कच्चे माल प्रभाग के तहत लौह अयस्क और चूना पत्थर खदानों द्वारा संचालित पर्यावरणीय मंजूरी/सहमति के तहत दी गई अनुमति से अधिक मात्रा में हुए खनन के कारण मुआवजे की मांग की। मेघाहातुबुरु खानों में बोलानी में अतिरिक्त रेलवे भूमि के अभ्यर्पण में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय हुआ। खदानों में आवश्यकता के विपरीत वैधानिक जनशक्ति में 41 प्रतिशत की कमी थी।

सेल में सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन

2014–19 की अवधि के लिए सेल की सुरक्षा नीति और पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की लेखा जांच की गई ताकि निर्धारित अधिनियम/नियमों/विनियमों और मानक संचालन पद्धतियों (एसओपी) के अनुपालन का आकलन किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि क्या पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, सुरक्षा मानकों और सर्वोत्तम औद्योगिक पद्धतियों के अनुप्रयोग का पालन किया गया। यह नोट किया गया कि सेल सुरक्षा संगठन ने अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई योजना

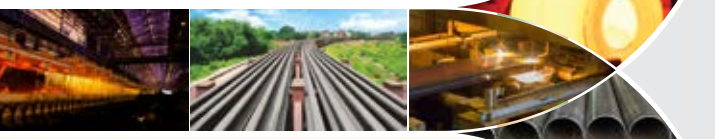

या समयसीमा विकसित नहीं की थी। 686 सिफारिशों में से 258 का अनुपालन किया जाना बाकी था। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के पंप हाउस में पाइपलाइन टूटने से पानी का दबाव कम हो गया और ब्लास्ट फर्नेस गैस पंप हाउस में फैल गई, जिससे छह लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा उपाय करने में ढिलाई और चार्ज पाइपलाइनों पर सीओ गैस लाइन का डी–ब्लैंकिंग कार्य करने की असुरक्षित पद्धतियों के कारण बीएसपी में दुर्घटना हुई जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। संयत्रों में वैधानिक आवश्यकता से कम संख्या में सुरक्षा अधिकारी तैनात थे। फ्लाई ऐश और स्लैग डंप का निपटान न करने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना न करने के कारण ईसी जारी करने में देरी हुई जिसके अभाव में बोकारो इस्पात संयंत्र में सिंटर प्लांट और एसएमएस–I पैकेज का काम रोक दिया गया। सेल में CO_2 उत्सर्जन अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ–साथ टाटा स्टील से भी अधिक था। वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के पूरा होने में देरी के कारण वातावरण में गैसों का प्रकोप हुआ। सेल में औसत विशिष्ट ऊर्जा खपत विश्व औसत के साथ–साथ टाटा स्टील और आरआईएनएल से भी अधिक थी।

2019 की रिपोर्ट संख्या 05 - केंद्र सरकार ने वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 में शामिल किया

क्र. सं.	पैरा सं. और रिपोर्ट सं.	प्रभाग	विषय	स्थिति
1.	2.1.3 और 2.1.4, 2.3.1, 2.3.2 और 2.33, 2.4.1, 2.4.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4.1, 4.4, 4.5, 5.1 2019 की रिपोर्ट सं. 13	एनएमडीसी	एनएमडीसी लिमिटेड का संचालन प्रदर्शन	व्यवस्था की जानी है

2019 की रिपोर्ट संख्या 13 - केंद्र सरकार ने वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 में शामिल किया

क्र. सं.	पैरा सं. और रिपोर्ट सं.	प्रभाग	विषय	स्थिति
1.	10.7	सेल	संयंत्र और मशीनरी और भूमि एवं भवन पर 366 करोड़ रुपए का निष्क्रिय निवेश	व्यवस्था की जानी है
2.	10.1	बीएसएलसी	बीएसएलसी का संचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन	व्यवस्था की जानी है
3.	10.2	ओएमडीसी	ओएमडीसी का संचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन	व्यवस्था की जानी है
4.	10.5	सेल	जोड़ने, संशोधन और प्रतिस्थापन परियोजनाओं का कार्यान्वयन	व्यवस्था की जानी है
5.	10.6	सेल	अनुबंध समापन सहित आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के ऑडिट का फोलो अप	व्यवस्था की जानी है
6.	10.4	सेल	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आईटी सिस्टम्स	व्यवस्था की जानी है

2017 की रिपोर्ट सं.09 - केंद्र सरकार ने वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 में शामिल किया

क्र. सं.	पैरा सं. और रिपोर्ट सं.	प्रभाग	विषय	स्थिति
1.	2017 की 15.4 रिपोर्ट सं. 09	सेल	प्रबंधन एमआईओएम और केआईओएम में धर्मकांटा संस्थापित करने में असफल रहा और रेलवे को 101.97 करोड़ रुपए की राशि के जुर्माने / निष्क्रिय भाड़े के भुगतान पर परिहार्य व्यय करना पड़ा (2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान)	व्यवस्था की जानी है
2.	2017 की 15.5 रिपोर्ट सं. 09		अपर्याप्त परियोजना प्रबंधन के कारण कोल्ड रोलिंग मिल परियोजना के पूरा होने में छह वर्ष की देरी हुई जो 1,655 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी पूरी तरह चालू (दिसंबर 2016) नहीं की जा सकी	व्यवस्था की गई
3.	2017 की 15.8 रिपोर्ट सं. 09	सेल	अपर्याप्त निर्माण योजना से स्लैब स्टॉक जमा होने के कारण स्टॉक पर 391 करोड़ रुपए की परिहार्य लागत आई	व्यवस्था की गई
4.	10.5	सेल	जोड़ने, संशोधन और प्रतिस्थापन परियोजनाओं का कार्यान्वयन	व्यवस्था की जानी है
5.	10.6	सेल	अनुबंध समापन सहित आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के ऑडिट का फोलो अप	व्यवस्था की जानी है
6.	10.4	सेल	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आईटी सिस्टम्स	व्यवस्था की जानी है

2016 की रिपोर्ट सं.15 - केंद्र सरकार ने वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में शामिल किया

क्र. सं.	पैरा सं. और रिपोर्ट सं.	प्रभाग	विषय	स्थिति
1.	2016 की 5.1 रिपोर्ट सं. 15		जॉब्स का कार्यान्वयन	दिनांक 26.12.2017 के आदेश के जरिए एचएससीएल के प्रशासनिक नियंत्रण आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को अंतरण
2.	2016 की 5.2 रिपोर्ट सं. 15	सेल	विपणन गतिविधियां	व्यवस्था की गई
3.	2016* की 5.3 रिपोर्ट सं. 15	सेल	सेल की एसपीयू बेतिया परियोजना पर निष्क्रिय निवेश	व्यवस्था की जानी है
4.	2016* की 5.4 रिपोर्ट सं. 15	सेल	14.35 रुपए का परिहार्य व्यय	व्यवस्था की गई
5.	10.6	सेल	अनुबंध समापन सहित आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के ऑडिट का फोलो अप	व्यवस्था की जानी है
6.	10.4	सेल	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आईटी सिस्टम्स	व्यवस्था की जानी है

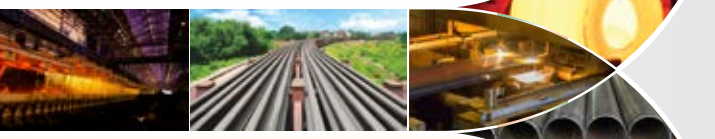

2015 की रिपोर्ट सं. 21, केंद्र सरकार ने वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 में शामिल किया

क्र. सं.	पैरा सं. और रिपोर्ट सं.	प्रभाग	विषय	स्थिति
1.	2015 की 5.1 रिपोर्ट सं. 21	सेल	संयुक्त उपक्रमों में सेल का निवेश	व्यवस्था की गई
2.	2015 की 5.2 रिपोर्ट सं. 21	सेल	पांच समेकित इस्पात संयंत्र में 33 कोक ओवन बैटरियां	व्यवस्था की गई
3.	2016* की 5.4 रिपोर्ट सं. 15	सेल	14.35 रुपए का परिहार्य व्यय	व्यवस्था की गई
4.	10.6	सेल	अनुबंध समापन सहित आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के ऑडिट का फोलो अप	व्यवस्था की जानी है
5.	10.4	सेल	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आईटी सिस्टम्स	व्यवस्था की जानी है

पैलेट संयंत्र, केआईओसीएल

ઇસ્પાતી ઇરાદા

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार
www.steel.gov.in

Contad